राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सत्ताइसवां दिवस [संख्या : 14

मंगलवार,

18 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

395. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्ति वर्ष भर में कब-कब कितनी-कितनी दी जाती है?

(2) क्या जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो डूंगरपुर में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) जी, हां। जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था? यदि हां, तो कब और अभी क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, यह योजना 1971 के अन्दर चालू की गयी थी जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता स्नातक तक जो पास हो गये हैं और स्नातकोत्तर, उन दोनों को दिया जाता था। 150 रुपये तो स्नातक को और 250 रुपये स्नातकोत्तर को यह दिया जाता रहा। 12.6.95 में इसको बंद कर दिया गया और तब से यह बंद है।

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, यह चालू करने और बंद करने के क्या कारण रहे? बेरोजगार छात्रों को जो बेरोजगारी भत्ता मिलता था इससे वे अपनी बेरोजगारी के समय में कुछ न कुछ धंधा कर लेते थे, लेकिन अब वे गुंडागर्दी के अलावा कुछ

(श्री नाथूराम अहारी)

नहीं करते हैं। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि जैसे पूर्व में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था ऐसे ही अभी भी दिया जाना चाहिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जैसा आपसे अर्ज किया, यह योजना 1971 में चालू हुई और 1971 से लगाकर 1995 तक यह चलती रही। पिछली बी.जे.पी. सरकार ने इसके ऊपर गौर किया और 1990-91, 91-92, 92-93 और 93-94 स्टैटिस्टिक्स देख कर इन्होंने देखा कि इससे लाभान्वित ठीक से नहीं हो पा रहे हैं और उसको तब से बंद कर दिया।

श्री नाथूराम अहारी : क्या लाभान्वित नहीं हो रहें है? यह छात्रों की तरफ से था, या खुद अपनी तरफ से यह तय कर लिया था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने जनजाति छात्रों को जो छात्रवृत्ति देने की बात कही, क्या यह सही है कि यह 30 और 40 रुपये है?

दूसरा, आपने जिस बेरोजगारी भत्ते को 1995 में बंद करने की बात कही, क्या यह सही है कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र में इस बेरोजगारी भत्ते को प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी थी? अगर हां, तो घोषणा-पत्र के अनुसार आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, इस बेरोजगारी भत्ते से अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र पढ़कर स्कूलों से निकले थे और जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी या नौकरी के इंतजार में बैठे थे, उनको एक बहुत बड़ा सम्बल मिला हुआ था लेकिन पिछली सरकार ने जैसा मैंने आपसे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप क्या कर रहे हो, हमने तो कर दी? आपने घोषणा-पत्र में ले लिया है, अब आप क्या कर रहे हो, यह बता दो।

श्री नाथूराम अहारी : आप तो गरीबों के हितैषी हो, क्यों कर दिया आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम नहीं थे तो आप भुगत रहे हो।

श्री नाथूराम अहारी : क्योंकी यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम थे तो हमने बंद कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो?

श्री नाथूराम अहारी : आप तो दावा करते हो कि हम गरीबों के लिये हितैषी बने हुये हैं तो फिर की क्यों?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, वित्तीय स्थिति सब आपके सामने हैं। जो स्थिति आप छोड़कर गये हैं उस

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

सबसे निपटा जा रहा है और उससे निपटने के बाद में इस पर विचार किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो प्रारम्भ करेंगे या नहीं?

नम्बर, दो घोषणा-पत्र में आपने क्या यह कहा था? कहा था तो उसको लागू करेंगे कि नहीं? दो बातें बता दें, हां और ना में बता दें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वित्तीय स्थिति ठीक होने पर सब पर विचार किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी आप लागू नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : फाइनेंशल कंस्ट्रेंट्स हैं गवर्नमेंट के सामने। मोहन लालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो फिर, अध्यक्ष महोदय, काहे को घोषणा-पत्र में लम्बी-चौड़ी बातें लिखते हैं ये?

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह हकीकत से आगाह किया है मैंने आपको कि आपने बंद किया इसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने बंद की और हमने भुगत लिया इसको। परन्तु आपने चालू करने के लिये लम्बी-चौड़ी घोषणा की थी, मंत्री महोदय, घोषणा-पत्र में, अब उसका क्या होगा, वह बताएं।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : Wait for another 4 years. Why are you bothering about this?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा, यह बात है।

डा. किरोड़ी लाल : आप एक साल के लिये तो आश्वस्त कर दो, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतनी-सी बात करा दो, जोशीजी, साल भर बाद करवा दो। साल भर बाद आप करवा दो।

डा. किरोड़ी लाल : आप साल भर बाद ही करवा दो।

श्री सी. पी. जोशी : We are the best judge. We will not be guided by you.

यह डिबेट से क्या करना है, क्या कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह ठीक है परन्तु हमारा अधिकार है पूछने का। हम भी चुनकर आये हैं, आपकी कृपा से थोड़े ही आये हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से पूछना

(श्री मोहन लाल चौहान)

चाहता हूं, यह जो आप मैट्रिक उत्तर तक छात्रवृत्ति देते आ रहे हैं, वह कब से दी जा रही है? छठी से लेकर आठवीं तक के बच्चों को आप 15 रुपये देते हैं, दसवीं तक कितनी राशि देते हैं? यह कब से दी जा रही है? क्या यह पर्याप्त है? क्या सरकार छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्षजी, जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसको श्रेणीबद्ध किया है, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है छठी से आठवीं कक्षा तक 15 रुपये छात्र को और 20 रुपये छात्रा को और नवीं से दसवीं तक 30 रुपये छात्र और 40 रुपये छात्रा को। उसके बाद 10+2 यह भारत सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उनको दी जाती है उसमें 90 रुपये दिये जाते हैं। वहां 10+2 से लगाकर यूनिवर्सिटी की आखिरी पढ़ाई तक विभिन्न श्रेणी में इसको बांटा है, पांच श्रेणियों के अन्दर और उनमें विभिन्न स्केल्स हैं...

श्री मोहन लाल चौहान : कब से दी जा रही है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : कौनसी? शुरू से ही दी जा रही है।

श्री मोहन लाल चौहान : कब से?

श्री बनवारी लाल बैरवा : इस समय जो छात्रवृत्ति दी जा रही है पूर्व मैट्रिक वह तो 1989 के जो रूल्स बने हैं उसके तहत दी जा रही है और पोस्ट मैट्रिक को अप्रेल, 98 के जो रूल्स बने हैं उसके तहत दी जा रही है।

श्री मोहन लाल चौहान : कब से? कितने साल हो गये?

श्री अध्यक्ष : हो गया ना, बता रहे हैं ना। साल भर बता रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इस साल तो सब को दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय चूंकि...

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : बैठिये। अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह जो छात्रवृत्ति दी जा रही है इसका मंथली पेमेंट कर दिया जाता है, या सामूहिक परीक्षा होने के बाद किया जाता है?

एक, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि छठी में प्रवेश लेने के बाद हर साल छात्रवृत्ति के फार्म के साथ सर्टिफिकेट लेने का क्या औचित्य है जो हर साल लिया जाता है?

क्या इसको आप समाप्त करने और मंथली देने की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, यह छात्रवृत्ति साल भर में दो बार दी जाती है और शिक्षा विभाग सीधा देता है। यह हमारे पास नहीं है, 1996-97 से यह ट्रांसफर हो गयी शिक्षा विभाग को। वह साल में दो बार देता है और 1984 से यह छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह तो रूल्स बता रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जाति प्रमाण-पत्र हर साल लेते हैं। जाति बदलती नहीं, मंत्री महोदय, और हर साल जाति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यार्थी को घूमना पड़ता है। जातियां कोई बदलती नहीं। छठी में आने के बाद लगातार पूर्व मैट्रिक, मैट्रिक, सीनियर और कालेज में आने के बाद हर साल जाति प्रमाण-पत्र देना पड़ता है।

क्या, मंत्री महोदय, यह सही है कि साल भर की पूरी स्कॉलरशिप परीक्षा के बाद दी जाती है? जिस मंशा के साथ यह दी जा रही है उसका कोई उपयोग नहीं होता। हर महीने जब तक आप नहीं दोगे, जो कुछ भी आप सहायता दे रहे हो उसका उपयोग विद्यार्थी नहीं ले पाता।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अब जहां तक प्रमाण-पत्र की बात कही है मैं उसको दिखवा लेता हूं क्योंकि एक बार का दिया हुआ प्रमाण-पत्र काफी माना जाना चाहिये। अगर कहीं इसमें दिक्कत है तो मैं रूल्स को दिखवा लेता हूं।

श्री मोहन लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, 10 साल हो गये, 15 रुपये और 20 रुपये देते हैं। क्या सरकार यह बढ़ाने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सरकार ने अन्य पिछड़ावर्ग को छात्रवृत्ति देने के लिए–(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हैडमास्टर को महीने की महीने पेमेंट करने में कहां प्राब्लम है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : जो रूल्स में प्रावधान हैं, उसकी बात अर्ज की है।

श्री अमराराम (धोद) : रूल्स में आप अमेंडमेंट कीजिये। जब आप शिक्षा विभाग से दे रहे हैं उस स्कूल में ट्रांसफर करने में, महीने की महीने देने में कहां दिक्कत है? 6 महीने में पैसे एक साथ देंगे तो उसका उपयोग नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि रूल्स में आपने इंस्ट्रेक्शन लगा रखे हैं, उसको दुरूस्त करके महीने की महीने शिक्षा विभाग के हैडमास्टर के जरिये दिलाएं। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, कक्षा 6 से 10 तक–(व्यवधान)

श्री [illegible] (डोडाभीम) : माननीय मंत्रीजी, मैंने निवेदन किया था–(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : 10 साल हो गये–(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी मीणा, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : क्या आप बढ़ाने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, 10 साल हो गये, 15 रुपये और 20 रुपये देते हैं छात्रों को यह पर्याप्त नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 8 माह की 15 अगस्त को दी जाती है और 2 माह की 26 जनवरी को दी जाती हैं।

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, कक्षा 6 से 10 तक...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा तो विनम्र निवेदन है कि छात्रवृत्ति में अनियमितताओं के बारे में शिकायत की थी, माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : 15 रुपये, 20 रुपये जो दिया जाता है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : छात्रवृत्ति में अनियमितता और भ्रष्टाचार की आपको शिकायत की थी...(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : उसका कोई औचित्य नहीं हैं...(व्यवधान) आठ आने और एक रुपये का...(व्यवधान) मेरी सरकार से मांग है कि छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाये... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बार-बार छात्रों को परेशान किया जाता है। क्या माननीय मंत्री महोदय अनियमितताओं की शिकायतों के बारे में कुछ करेंगे? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान : क्या सरकार राशि बढ़ाने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों को छात्रवृत्ति देने के लिये राजस्थान सरकार को यह कहा हुआ है कि 50 परसेंट छात्रवृत्ति भारत सरकार देगी और 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार देगी। क्या राजस्थान सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों को छात्रवृत्ति देने के लिए 50 परसेंट राशि मिलाकर राजस्थान के बच्चों को देना चाहती है? यदि नहीं देना चाहती है तो क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया हुआ है कि कई बार उन्होंने पत्र लिखे हैं? आप बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आपने सप्लीमैंट्री क्वेश्चन पूछ लिया, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अलग से सवाल है। यह जनजाति से संबंधित प्रश्न था, उस पर सवाल पूछा जाये।

श्री रामस्वरूप : जनजाति का ही प्रश्न पूछा था, हमारे जिला करौली में छात्रवृत्ति को...(व्यवधान) करौली जिले में जनजाति से संबंधित...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, यह छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : करौली जिले में जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी थी पिछली बार, पिछली साल की बात है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं उसको दिखवा लूंगा।

डा. करण सिंह यादव : मंत्री महोदय, यह छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये केन्द्र सरकार अनुदान देने के लिये तैयार है तो राजस्थान सरकार को क्या दिक्कत आ रही है कि हम मैचिंग ग्रांट नहीं दे पा रहे हैं छात्रवृत्ति देने के लिये, जब हमारा पिछड़े वर्गों के कल्याण का कमिटमैंट है? इस बारे में नीतिगत निर्णय निश्चित रूप से मैं जानता हूं सरकार के विचाराधीन होगा। सरकार विचार कर रही है इस मुद्दे पर या नहीं कर रही है?

श्री अध्यक्ष : डा. साहब, यह प्रश्न जनजाति से संबंधित है।

श्री रामस्वरूप : जो छात्रवृत्ति बंद कर दी थी उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं?

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अलग से प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप : करौली जिले में पिछले साल छात्रवृति बंद कर दी थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं उसको दिखवा लेता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का संचालन

396. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी बनी हुई है? यदि हां, तो कब से तथा क्या वह रजिस्टर्ड संस्था है? इसके संचालन के लिये क्या नियम/उपनियम आदि बने हुए हैं? उक्त नियमों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सोसाइटी को क्या-क्या कार्य सौंपा हुआ है, जिसमें क्या-क्या कार्य सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है?

(3) क्या उक्त सोसाइटी द्वारा सफाई व्यवस्था का और दुकानें चलाने का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को कब-कब तथा किस प्रक्रिया से और कितनी-कितनी राशि में?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) उक्त सोसाइटी की आय किस प्रकार से कितनी है तथा किस-किस कार्य में व्यय किया जा रहा है और खर्चा करने में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है तथा किन-किन नियमों की पालना की जा रही है?

(5) इस समय उक्त सोसाइटी के कौन-कौन पदाधिकारी कब से हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त सोसाइटी के घोटालों के मामले भी सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या, कब-कब तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(7) क्या उक्त सोसाइटी पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण है? यदि हां, तो सरकार किस अधिकारी के द्वारा नियंत्रण कर रही है और नियंत्रण किस सीमा तक सफल रहा है?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) जी, हां, सोसायटी बनी हुई है व दिनांक 28.10.95 से कार्यरत है। जी, हां, यह एक रजिस्टर्ड संस्था है। सोसायटी के विधान पत्र की प्रति संलग्न है। विधान पत्र अनुक्रम (3) पर संस्था के उद्देश्य का उल्लेख है। संघ संविधान की प्रति संलग्न है।

(2) सोसायटी द्वारा रोगियों के उपचार हेतु लागत मूल्य पर सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे—1. चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं अति. विशेषज्ञों की सेवाएं, 2. सामान्य उपचार की सुविधाएं, 3. जटिल उपचार की सुविधाएं, 4. अति. विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं, 5. समस्त प्रकार की शल्य चिकित्सा, 6. हृदय, मस्तिष्क एवं गुर्दे आदि के लिए अति विशिष्ट शल्य चिकित्सा आदि सुविधा कार्य किया जाता है।

(3) सोसायटी द्वारा प्राइवेट वार्डस का ठेका दिनांक 11.11.98 से मैसर्स जी. सी. एंटरप्राइजेज को रु. 31,020/- की मासिक की दर से दिया हुआ है। यह ठेका टेंडर/कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर का ठेका श्री रवि गोधा को अनुभव के आधार पर रु. 20,000/- प्रति माह (प्रथम तल 10,000/-मासिक, द्वितीय तथा तृतीय तल का 5,000/- मासिक की दर से, इसके अतिरिक्त कुल बिक्री का एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि स्वरूप दिया जा रहा है)

(4) सोसायटी की आय का मुख्य स्रोत विभिन्न प्रकार के परीक्षणों एवं जांचों के लिये निर्धारित दरों से सुपर डीलक्स/कोटेज/क्यूबिकल आदि का किराया, साइकिल स्टैण्ड का किराया आदि मूल स्रोत हैं। गत तीन वर्षों में जो आय प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा निम्नप्रकार हैं : —

1. 1996-97 रु. 1,82,52,693/-
2. 1997-98 रु. 3,00,00,853/-

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

3. 1998-99 रु. 4,06,61,939/-

सोसायटी द्वारा व्यय अस्पताल के नवीन उपकरणों की खरीद, रसायन, निर्माण कार्य, विभिन्न वार्डों एवं थियेटरों में अत्यावश्यक साजो सामान जैसे—कम्प्यूटर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, पलंग, गद्दे, ट्राली आदि पर किया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों, विधवाओं, अनाथों, दुर्घटना-ग्रस्त रोगियों, लावारिस, कैदी, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों एवं आपातकाल सेवा में आने वाले सभी गरीबों को निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किया जा रहा है। इन सबकी खरीद सामान्य, वित्तीय व लेखा नियमों के अन्तर्गत ही की जा रही है।

(5) सोसायटी के पदाधिकारियों की सूची संघ संविधान के क्रमांक (17) पर उपलब्ध है।

(6) जी, नहीं।

(7) जी, हां। सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खंडीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रिंसिपल एवं कन्ट्रोलर, चिकित्सा महाविद्यालय तथा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर संचालन समिति के पदाधिकारी हैं। इस प्रकार सोसायटी के कार्य-कलापों पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण है।

(संघ संविधान की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न के भाग-4 के उत्तर में लिखा है कि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है। पहला, तो मेरा प्रश्न यह है कि यह एक रजिस्टर्ड संस्था है, यह चाहे तो खुद अपना नियम बना सकती है और चाहे तो राज्य सरकार के नियमों को अपना सकती है, तो राज्य सरकार के नियमों को अपनाने के लिये इस सोसायटी ने कब रिजोल्यूशन पास किया? दूसरा, आपने प्रश्न के भाग-3 के उत्तर में लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर का ठेका श्री रवि गोधा को अनुभव के आधार पर 20,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही है। क्या सामान्य वित्त नियमों में अनुभव के आधार पर बिना किसी प्रकार के टेंडर लिये ठेके देने की कोई व्यवस्था है? इसके अलावा क्या हृदय रोग से संबंधित कोई सामान या उपकरण इस संस्था द्वारा खरीदा जाता है? यदि खरीदा जाता है तो उसमें कौनसी प्रक्रिया अपनायी जाती है? इसके बारे में आप बताएं तब में दूसरा सवाल पूछूंगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोसायटी के नियम नहीं बने हुए

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हैं इसलिए जो भी खरीद होती है वह जो लेखा नियम राज्य सरकार द्वारा हैं उसके अनुसार की जा रही है। दूसरा, जब यह नया कंसैप्ट आया था कि लाइफ लाइन स्टोर की स्थापना की जाए, बाहर 200 से 300 प्रतिशत ज्यादा तक रेट्स बाजार में थी। उसके आधार पर सोसायटी ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि इमीजिएटली अपने को लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर शुरू करना चाहिये। उस समय अनुभव के आधार पर रवि गोधा को तय किया गया कि वह उस दुकान को चलाए। दूसरा, उपकरणों के बारे में मैंने बताया है कि यह किस काम के लिये आता है, इसमें खरीद करने के लिये खर्च किये गये हैं। ये विशेष रूप से किसी बारे में बताएं तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर शुरू से ही आपने नहीं दिया कि सोसायटी ने यह नियम कब अपनाये। आपने प्रश्न के भाग-6 के उत्तर में भी नहीं कहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हृदय रोग से संबंधित सामग्री इसमें खरीद की जाती है तो डा. सक्सेना के घर से जो सामग्री प्राप्त हुई है क्या वह उस सोसायटी के थ्रू खरीदी हुई थी या वह डाक्टर इस सोसायटी को दे रहा था? कहां से खरीदी गयी हैं? क्या इस सोसायटी से उसका कोई संबंध है?

दूसरा, आपने प्रश्न के भाग-6 में उत्तर दिया है कि सरकार इन अधिकारियों के द्वारा नियंत्रण इस संस्था पर कर रही है। नियम 17 में आपने जो कमेटी बना रखी है, वही अधिकारी संस्था को चला रहे हैं और वही सरकार की तरफ से नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए इसमें भयंकर घोटाले हो रहे हैं। गोधा की बात जो आपने कही है, वह कितने दिनों के लिए टेण्डर दिया? उसके बाद फिर टेण्डर क्यों नहीं हुआ? उसकी अवधि क्यों बढ़ाई गई? उसके पास इस तरह की दुकान चलाने का लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं होते हुए भी पक्षपात करके उस गोधा को यह दिया गया।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। मोबाइल बज रहा है, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में मैंने कभी नहीं सुना था, पहली बार मैंने आज यहां मोबाइल की आवाज सुनी है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बीच में बार-बार टोक करके सदन की कार्यवाही को रोकते हैं, यह कौनसे नियम के तहत बोलते हैं? माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, बीच में यह रोड़े अटका रहे हैं, इतना गम्भीर सवाल चल रहा है।

श्री मदन दिलावर : बल्कि माननीय सदस्यों को डिस्टरबेंस हो रहा है, मोबाइल फोन यहां बज रहा है, आप व्यवस्था फरमाइए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में आप कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री मदन दिलावर : इसका मतलब मोबाइल बजे? मैं मानता हूं, सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि आप अनुमति देते हैं मोबाइल बजने की। हो सकता है कल कोई और माननीय सदस्य भी लेकर आए।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सोसाइटी का जो गठन किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि हैल्थ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हैं, डाइरेक्टर, कलक्टर, कमिश्नर, सारे उसके मैम्बर हैं, जो 17 में आपको सूचना दी हुई है। खरीदने की जो बात है, आपने यह बताया है कि डाक्टर सक्सैना के यहां से मिले; वह तो कोई यहां से खरीदे हुए का मामला नहीं है। आप यदि ऐसी बात की हमें जानकारी देंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा की सोसायटी ने ये नियम कब अपनाए। दूसरा, मेरा यह था कि यह सामान जो आप खरीद रहे हैं, जैसे हृदय रोग के काम में आने वाला सामान, उसमें आप सामान्य वित्तीय नियमों का ध्यान रखते हैं। तीसरा, मेरा यह था कि इस गोधा को आपने कब दिया, कितने समय के लिए दिया, बिना टेण्डर लिए दिया तो उसकी अवधि, बढ़ाई क्या, कब तक बढ़ाई गई, कितना टाइम उसको हो गया। आप एक तरफ तो सामान्य नियमों का हवाला दे रहे हैं और इस सोसायटी में किसी तरह का कोई नियम, कायदा और कानून नहीं है। मन चाहे तरीके से खरीद की जा रही है और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आप वित्तीय नियमों का हवाला दे रहे हैं, आपने ऑडिट कब करवाई? किससे करवाई? साल में आपके पांच करोड़ रुपए की आमदनी होती है, उस संस्था की आपने न तो ऑडिट करवाई और न किसी से कोई जांच करवाई। मनचाहे पैसे वसूल किए, मनचाहे पैसे खर्च कर रहे हैं वे ही डाक्टर मिल करके इसमें अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को ठेके दे देते हैं और उस ठेके को ही आगे से आगे चलाते रहते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने जो बात कही है ऑडिट करवाने की बात यह सही है कि पहले ऑडिट नहीं हुई, पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमने ऑडिट करवाई है। इसमें रवि गोधा को जो दिया गया है, मैंने आपसे निवेदन किया, जवाब में भी दिया हुआ है कि अनुभव के आधार पर दिया गया था। अब 22.4.2000 को जो मीटिंग हो रही है उसमें इसको ओपन टेण्डर करके जो बिड आएगी उसको दे दिया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसके पास लाइसेंस है क्या? आज दिन तक वह दुकान

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है नहीं, सवाई मानसिंह जैसे अस्पताल का संचालन करने वाले आपके विभगा के हाइएस्ट अधिकारी बिना लाइसेंस वालों से दुकानें चला रहे हैं, फिर आप राज्य में क्या जांच करेंगे?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने कहा कि लाइसेंस अनिवार्य है, जो दुकानों पर बैठता है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसी भी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के नियम, उप नियम देने पड़ते हैं। आपने अभी सदन को भ्रमित किया है। सोसायटी जो गोधाजी के नेतृत्व में है, उसके रजिस्ट्रेशन के साथ में कोई नियम नहीं है जबकि सोसायटी एक्ट हो, धर्मशाला एक्ट हो, देवस्थान एक्ट हो, जो भी रजिस्टर्ड सोसायटी होती है, उसके नियम पहले होते हैं, नियमावली पहले होती है, विधान पहले होता है। इसलिए उसके बारे में जानकारी दें। इसलिए इसके बारे में सदन को भ्रमित न करें।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकरण में जिसमें गोधाजी को यह दुकान दी गई है, उसकी जांच करवाने का सरकार का इरादा है?

श्री अध्यक्ष : जवाब दे चुके हैं, इनके अनुभव के आधर पर दिया गया है।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री संजीव बेनीवाल।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में महाविद्यालय की स्थापना

397. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में कोई महाविद्यालय नहीं होने से विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : जी, हां। जी, नहीं, भादरा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में विभाग ने जून, 1999 में निरीक्षण करवाया था। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भादरा महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करता है।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा विधान सभा क्षेत्र एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और दस जमा दो की शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र-छात्राओं को कालेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। हनुमानगढ़ या श्री गंगानगर जाना पड़ता है या कुछ बच्चों को हरियाणा में सिरसा या हिसार कालेज

(श्री संजीव कुमार)

में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। बाहर जाना विशेषकर गरीब परिवार के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल बात है। लम्बे समय से विधान सभा क्षेत्र भादरा की जनता कालेज की मांग करती आ रही है। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो जवाब यहां दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि कालेज खोलने की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भादरा महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे निर्धारित मानदण्ड कौनसे हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि हनुमानगढ़ जिले में एक राजकीय कालेज और आठ प्राइवेट कालेज हैं। 20 किलोमीटर की दूरी पर जो छात्र उपलब्ध है, उनमें 10 सीनियर सैकण्डरी, उनमें फैकल्टीवाइज 2 स्कूलों में 40 विद्यार्थी कॉमर्स के उपलब्ध हैं, चार स्कूल में 168 विद्यार्थी साइंस फैकल्टी में उपलब्ध हैं और 10 स्कूलों में 531 विद्यार्थी आर्टस फैकल्टी के उपलब्ध हैं। जब आलरेडी उस जिले में 8 प्राइवेट कालेज और एक गवर्नमेंट कालेज हैं, मैं नहीं समझता कि सारी क्षमताओं का उपयोग हुए बगैर हम और कालेज खोलकर अव्यवस्था पैदा करें। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक होगी और वहां पर भवन के प्रस्ताव होंगे तो सरकार इस बारे में सोचेगी। अभी सरकार की इस बारे में बिलकुल स्पष्ट मान्यता है कि वहां पर विद्यार्थीगण की स्थिति जो है उसमें नया कालेज खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर है। हनुमानगढ़ भादरा से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है तथा लड़कियों और विशेषकर गरीब परिवार की लड़कियों के लिए वहां भेजकर पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल बात है। अभी पिछले साल 14 राजकीय महाविद्यालय सरकार ने खोले, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन 14 जगहों पर क्या निर्धारित मानदण्ड पूरे होते थे, माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार संसाधनों का पूरा उपयोग करने में विश्वास करती है इसलिए माननीय सदस्य की भावना से सहमत होते हुए भी विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग जब तक न हो, तब तक वहां पर अन्य कालेज खोलकर संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जीतमल। **(अनुपस्थित)**

(प्रश्न संख्या-398 : कृपया आगे देखें)

श्री ललित भाटी।

राजस्थान तीरंदाजी संघ को अनुदान

399. **श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) :** क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तीरंदाजी संघ द्वारा 17वीं सब जूनियर नेशनल आरचरी चैम्पियनशिप दिनांक 26 से 28 मार्च, 1997 में पुष्कर में आयोजित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान तीरंदाजी संघ द्वारा 19वीं राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता दिनांक 30-31 मार्च, 1997 को पुष्कर में आयोजित की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार के खेलकूद विभाग द्वारा 50000/- रु. प्रत्येक के लिए अनुदान (ग्रान्ट इन एड) दी जानी है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान तीरंदाजी संघ को उक्त राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार अब कब तक इसका भुगतान करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री खेलकूद (मास्टर भंवरलाल) : (1) जी, नहीं। 17वीं सब जूनियर नेशनल आरचरी चैम्पियनशिप दिनांक 28 से 29 मार्च, 1997 को पुष्कर में आयोजित की गई थी।

(2) जी, नहीं। 19वीं राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता दिनांक 29 से 31 मार्च, 1997 को पुष्कर में आयोजित की गई।

(3) जी, नहीं। उक्त प्रकरण तीन वर्ष पूर्व का होने एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए अनुदान दिया जाना संभव नहीं है।

(4) जी, नहीं।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने जी नहीं तो सिर्फ तारीखें आगे-पीछे होने में कही, यह तो आपने स्वीकार किया है कि दोनों प्रतियोगिताएं हुई है। मंत्री महोदय, आप भी पिछले वर्ष इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बनकर गए थे, क्या आपने 50 हजार रुपये की घोषणा करके हफ्ते भर में चैक भिजवाया या नहीं? इसका आप जवाब दें उसके बाद मैं पूछता हूं।

मास्टर भंवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है पिछले सत्र में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर में हुआ था और उस प्रतियोगिता में मैं स्वयं शामिल हुआ था, मैंने यह घोषणा भी की थी और उस घोषणा को पूरा भी किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, 50 हजार रुपये दिये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा के अनुसार पैसा दे दिया ?

मास्टर भंवरलाल : जहां भी मैंने घोषणा की है सारे पैसे मैंने दे दिये। यह प्रकरण

(मास्टर भंवरलाल)

तीन साल पहले का है, यानी 1997 का है और हर साल मार्च तक जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उन प्रतियोगिताओं की राशि संबंधित जो भी खेल मंत्री होता है वह देता है। चूंकि 1997 में तत्कालीन खेल मंत्री महोदय ने इसको अस्वीकार कर दिया था इसलिए मेरे से अब दिया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह की प्रतियोगिता हुई–

श्री अध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय कह रहे हैं यह 1997 का मामला है। जब तत्कालीन खेल मंत्रीजी इसमें गए, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी इसमें गये, उन दोनों ने 50-50 हजार रुपया देने की घोषणा की। उसके बाद उन्होंने बराबर स्मरण-पत्र सरकार और परिषद को भेजे हैं जो विभाग के पास मौजूद हैं। अगर यह बात गलत है तो आप बताएं। आप इतना बड़प्पन रखें। बी. जे. पी. के नेताओं ने घोषणा की और पैसा नहीं दिया, आपने घोषणा की एक हफ्ते में दिया। वित्तीय संकट की बात आप कर रहे हैं तो वित्तीय संकट तो अभी गहरा रहा है, आपने इस साल भी दिया है। आप इन्हीं को शर्मसार कीजिए कि इन्होंने घोषणा की और पैसा नहीं दिया और अब आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें संघ की क्या गलती है? उन्होंने पैसा खर्च किया। सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने की नीति रखती है, खेलों के प्रोत्साहन के लिए यह घोषणा की गई इसीलिए अनुदान दिया जाता है। राजस्थान तीरंदाजी संघ का क्या दोष है? तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, तत्कालीन खेल मंत्री ने घोषणा की और संघ के अधिकारी बराबर इनको स्मरण-पत्र भेज रहे हैं कि पैसा दिया जाए। अब इसमें जिसकी भी गलती है या तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे खेलों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। आप एक तरफ तो घोषणा करें कि हम अनुदान देंगे और दूसरी तरफ किसी भी तरीके के कारण बना दिये गये हों, पैसा नहीं दिया गया। यह पैसा दिया जाना चाहिए। इस पर आप स्पष्ट बात करें या तो पैसा नहीं मिलने में जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और पैसा देंगे तो कब तक देंगे?

मास्टर भंवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई आवश्यक नहीं है कि राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की हर प्रतियोगिता में अनुदान दिया जाए। कभी-कभार मुख्य मंत्री महोदय या अन्य मंत्री या खेल मंत्री इस बात की घोषणा करते हैं, तो या तो खेल मंत्री से वे पहले

(मास्टर भंवरलाल)

पूछ लें कि उनका बजट कितना है उसके आधार पर घोषणा की जाए। पहले मुख्य मंत्रीजी या खेल मंत्रीजी ने जो घोषणा की तो 1997 की घोषणा के तीन साल बाद अब पैसा दिया जाना संभव नहीं है। राजस्थान और जो टीमें खेली हैं उनको 10,382 रुपया जो उनका यात्रा भत्ता और भोजन का भत्ता है, वह दिया जा चुका है। अब घोषणा की या नहीं की, यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पुराना तीन साल पहले का प्रकरण है और अब दिया जाना संभव नहीं है।

श्री ललित भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा की है या नहीं की है इसकी बात आप कर रहे हैं? आप यह तो स्वीकार करते हैं या नहीं कि राजस्थान तीरंदाजी संघ ने इस बात का जिक्र करते हुए खेल मंत्रालय और खेल परिषद को बराबर रिमाइण्डर्स भेजे हैं? (व्यवधान) तत्कालीन खेल मंत्री आज सदन में विराजमान हैं वे ही इस बात का खुलासा कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रकार की मुख्य मंत्रीजी की या खेल मंत्री की घोषणा का रिकार्ड आपके पास उपलब्ध है क्या जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह घोषणा की है?

मास्टर भंवरलाल : मैंने पूर्व में ही कह दिया कि मेरे पास ऐसी घोषणा की किसी प्रकार की न लिखित में है, न हमारे कौंसिल में या हमारे विभाग में है। राजस्थान तीरंदाजी संघ को तत्कालीन खेल मंत्री के निर्देशानुसार या खेल सचिव के निर्देशानुसार एक पत्र 9.9.97 को लिखा गया जिसका जवाब तीरंदाजी संघ, राजस्थान ने नहीं दिया। उन्होंने कुछ मांगा था कि आपने जो कागज भेजे हैं इसकी आप कमी पूर्ति करके भेजें। दूसरा पत्र 2 जुलाई, 1999 को फिर भेजा है हमारे खेल मंत्रालय ने, उसका भी तीरंदाजी संघ ने जवाब नहीं दिया। इसलिए अब चूंकि तीन साल पहले का प्रकरण है, ऐसे बहुत-से प्रकरण हैं, इसमें पैसा दिया जाना संभव नहीं है।

श्री ललित भाटी : या तो आप कह दें कि बी.जे.पी. के नेताओं ने घोषणा की इसलिए हम नहीं देना चाहते। इन प्रश्नों का जवाब आया नहीं। माननीय मंत्री महोदय, आप स्पष्ट करें कि हम पैसा नहीं देना चाहते तो लोग आइंदा ध्यान रखें कि इनको बुलाना है या नहीं बुलाना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मोहन लाल मोदी।

जिला सीकर के कार्यरत नलकूपों की क्षमता

400. **श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)** : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहन लाल मोदी)

(1) जिला सीकर में कितने नलकूप किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नलकूपों का कार्यकाल एवं पानी का स्रोत निरन्तर कम हो, जा रहा है और पानी की गुणवत्ता भी घटती जा रही है?

(3) उक्त जिले के नलकूपों के स्रोत कब तक उपयुक्त पानी देने की क्षमता रखते हैं और उक्त समानता कब तक रहेगी?

(4) क्या सरकार उक्त नलकूपों की गुणवत्ता की कमी और उनमें निरन्तर आ रही पानी की कमी को देखते हुए स्थाई स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिये कोई ठोस कदम उठाने जा रही है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

भू-जल मंत्री (श्री तैयब हुसैन) : (1) सीकर जिले में कुल 474 नलकूप हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि नलकूपों में पानी का स्रोत कम होता जा रहा है, लेकिन नलकूपों के कार्यकाल एवं गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं पायी गई है।

(3) निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है क्योंकि यह भूजल दोहन के साथ-साथ वर्षा के जल से प्रतिवर्ष होने वाले पुनर्भरण पर निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान दोहन एवं वर्षा जल द्वारा पुनर्भरण को देखते हुए उपलब्ध भूजल भण्डारों के निकट भविष्य में समाप्त होने की सम्भावना नहीं है।

(4) जी नहीं। नलकूपों की गुणवत्ता में कमी नहीं आई है तथा उनमें पानी की आ रही कमी अत्यन्त कम है, अतः आवश्यकता के अनुरूप वर्तमान स्रोत विश्वसनीय है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय मंत्री महोदय, इनमें कितने नलकूप सूख गये? आप तो कह रहे हैं गुणवत्ता में कमी नहीं आयी है, मैं पूछ रहा हूं कितने सूख गये हैं जिनमें पानी नहीं आ रहा है, यह तो आप बता दें।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो इंफोर्मेशन है उनमें कोई भी नहीं सूखा।

श्री मोहन लाल मोदी : आप इसकी जानकारी करा लें, ये सूखे हुए हैं। इस वक़्त अकाल पड़ा हुआ है, पानी की बहुत बड़ी कमी है तो क्या आप वहां नये नलकूप खुदवाने की व्यवस्था करेंगे? यह जवाब तो आप कम से कम दें।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि कुछ नलकूप इनमें से सूखे हुए हैं, मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच कराऊंगा और इसके लिए जो जिम्मेदार

(श्री तैयब हुसैन)

हैं, जिन्होंने यह गलत इत्तला दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

दूसरी बात यह है कि कहीं भी पानी की जरूरत है उसमें सरकार का यह फर्स्ट प्रिफरेंस है कि हर हाल में जहां पीने के पानी की जरूरत है वो मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री अमीन ख़ान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है उसी गांव में आपके ट्यूबवैल चौथी साल फेल होते हैं और ई.टी.ओ. द्वारा खोदे हुए ट्यूबवेल 40 साल तक भी उसी हालत में हैं? यदि हां, तो इसकी वजह क्या है?

श्री अध्यक्ष : आप अमीन खानजी क्या पूछ रहे हैं, यह सीकर के बारे में प्रश्न है।

श्री तैयब हुसैन : माननीय सदस्य नोटिस दे दें जवाब दे दूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो लिस्ट दी है इसमें पंचायत समिति धोद में आंतरी के दो ट्यूबवैल दिये हैं, उसमें एक विभाग के खोदने के एक साल बाद बंद हो गया।

दूसरा, सीकर जिले में जो नलकूप खोदे जा रहे हैं वे केवल जहां तक पत्थर आ रहा है वहां तक खोदे जा रहे हैं। क्या विभाग के पास ऐसी मशीनें हैं तो उस पत्थर को खोद सकती हैं? जो पत्थर नीचे आ रहा है जहां पर जाकर विभाग बंद कर देता है, क्या उस पत्थर को भी खोदकर उसके नीचे कितना अथाह पानी है इसकी जांच करेंगे जिससे न केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी उपलब्ध हो बल्कि पूरे जिले के किसान भी लाभान्वित हों जो उस पत्थर को नहीं तोड़ पा रहे हैं? उसको तोड़कर विभाग उन किसानों को लाभान्वित करने के लिए टैस्ट करेगा?

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि नलकूप खोदा गया था और बंद हो गया, उसका मैं मालूमात करवा लूंगा। दूसरे, जो नलकूप खोदे जाते हैं वे तो पानी के लिए खोदे जाते हैं, कोई पहाड़ की सतह तक पहुंचने के लिए नहीं खोदे जाते। वे तो पानी के लिए खोदे जाते हैं न कि पहाड़ के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नीचे जो पत्थर आ रहे हैं, उस पथरीली चट्टान को आप छेद नहीं पा रहे हैं सफिशिएंट पानी नहीं मिलता। सीकर में भू-जल वैज्ञानिक जो भेज रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी टैस्ट नहीं किया है कि उस पथरीली सतह से नीचे अथाह पानी है। सीतोलाई में सात ट्यूबवैल पातालतोड़ बनाये गये थे उनमें यह परीक्षण किया गया था, क्या आठों पंचायत समितियों

(श्री अमराराम)

में आप ऐसा परीक्षण करके वहां के किसानों को लाभान्वित करने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपसे कि जहां भी हम ट्यूबवैल खोदते हैं वह पानी के लिए खोदते हैं, कोई पहाड़ नहीं खोदते हैं? जब तक पानी नहीं लगता तब तक हम उसको कैसे बीच में छोड़ दें?

श्री अमराराम (धोद) : छोड़ ही रहे हैं न।

श्री तैयब हुसैन : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : सफिशिएंट पानी देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। मैं पहाड़ की बात नहीं कर रहा, जमीन के अन्दर जहां पत्थर आ जाता है वहां छोड़ देते हैं, जिससे जिला डिस्चार्ज होना चाहिए वह डिस्चार्ज पूरा नहीं होता। मेरा आपसे अनुरोध है कि वह जो जमीन के नीचे पथरीली सतह आती है उसको और गहराई में खोदने का, पूरा करने का आपका इरादा है या नहीं है? जितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए नलकूप से, अध्यक्ष महोदय, वह नहीं मिलता और स्ट्राटा पर जाकर आप रुक जाते हैं। यही कारण आंतरी में मैंने बताया है, क्योंकि पहाड़ के नजदीक है। वहां आपके ट्यूबवैल पर अभी एक साल के बाद तीन लाख रूप खर्च किये थे विभाग ने, वह खतम हो गया। यही हालत हर्ष में है, यही आंतरी में है, यही आपके खोरी में है। खोरी में दो ट्यूबवैल हैं, दोनों नहीं चल रहे हैं लेकिन वहां तक खोदना चाहिए था उस स्ट्राटा केस ऊपर जितना पानी मिल गया उतना खोदकर आपने छोड़ दिया और पी.एच.ई.डी. को सुर्पुद कर दिया। ये छहों ट्यूबवैल जो आपने लिस्ट में दिये हैं, जो पहाड़ी इलाके के नजदीक हैं, पहाड़ की पथरीली सतह आने तक खोदा है, उससे नीचे नहीं खोदा, जिससे विभाग का कई लाख रुपया लगने के बाद भी उन गांवों की पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप कह रहे हो कि पहाड़ खोदने के लिए नहीं, पानी के लिए खोदते हैं मेरा अनुरोध है कि उस अण्डरग्राउण्ड में जहां पथरीली सतह आ गयी है उसके नीचे तक जाने का आपके विभाग का इरादा है या नहीं है, बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर वाटर कैविटी दो तरह की है। एक वाटर कैविटी वह है जो रॉक आ गयी उसके ऊपर की वाटर लेवल है। आपका विभाग जब खोदना चालू करता है तो ऊपर के लेवल पर ही लाकर छोड़ देता है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि बीच में जो रॉक आ गयी उस रॉक की डैप्थ कई जगह कुछ मीटर में होती है, उसको तोड़कर नीचे की वाटर कैविटी में ट्यूबवैल खोदा जाए तो उसका डिस्चार्ज बहुत मिलता है, सीधी-सी बात है।

श्री तैयब हुसैन : माननीय सदस्य, मैं बार-बार अर्ज कर रहा हूं कि अगर रॉक आएगी तो उसके हम नीचे तक जाएंगे, हमारे पास मशीन है और पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए हम खोदते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, अभी हाल फिलहाल जो आपके मापदण्ड हैं उनके अनुसार रॉक के नीचे आप नहीं जा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इनसे सम्बन्धित प्रश्न है लेकिन मैं बता देता हूं कि जहां ग्रेनाइट आ जाती है, ग्रेनाइट आने के बाद पानी की सम्भावना कम हो जाती है और जो जियोलोजिस्ट हैं उनके पास रिपोर्ट होती है इसलिए ऊपर का पानी तो निकाल देते हैं लेकिन जब ग्रेनाइट आती है तो उसमें ग्रेनाइट कितने फुटों तक होगा, इसका उनके पास होता है। अब यह सौ फुट तक होता है, दो सौ फुट तक होता है तो इसको काटना बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें मशीन को बहुत भारी कठिनाई महसूस होती है, दो-दो तीन-तीन महीनों तक काम होता है। और उसके नीचे पानी है या नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ग्रेनाइट जब आ जाती है तो वे हाथ खड़े कर देते हैं और मशीन वहां से हटा देते हैं। यह पोजीशन है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, जो आप बता रहे हैं, सही बात है, जहां ग्रेनाइट आ जाता है वहां तो लेकिन सीकर जिले में कहीं ग्रेनाइट नहीं है। छीतोलोन जो है वहां आपके विभाग से सात ट्यूबवैल बने हैं अथाह पानी के जैसे आप बता रहे हैं वह ग्रेनाइट नहीं है उसको खोदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तोड़कर सात ट्यूबवैल से अथाह पानी का सोर्स किया है। तो मेरी आपसे इतनी ही रिक्वैस्ट है, आप तो यह बता दें कि सीकर जिले में पंचायत समिति में जो ट्यूबवैल बनाये हैं, वह स्ट्राटा आपने कहां-कहां काटा है?

श्री तैयब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं आपसे कि ट्यूबवैल की जो भी खुदाई करते हैं वह इसलिए करते हैं कि पानी आ जाए और जहां तसल्ली हो जाती है कि अब यहां पानी पूरा हो गया जिसके जरूरत के हिसाब से खोदा गया था तो ही हम उस काम को छोड़ते हैं वरना पूरा करते हैं।

श्री मदन दिलावर : कितने गैलन प्रति घंटा आने पर, उसका डिस्चार्ज होने पर तसल्ली होती है, बताएं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये जनाब, श्री मोहन लालजी मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय मंत्री महोदय, आपने मावंडा खुर्द में, एक नलकूप बताया जबकि मावंडा में नलकूप खुदे

(श्री मोहन लाल मोदी)

हुए हैं तीन और वे तीनों आज बन्द है। एक महीने से उस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) सरकार तो संवेदनशील है।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा वह हमारे रिकार्ड के मुताबिक एक है, वह एक हमने दर्शाया है बता रहे है कि वहां पर पानी नहीं है, उसको हम तुरन्त दिखवा लेंगे और पानी उपलब्ध कराएंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मंत्री महोदय, आप सीधा कह दीजिये कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, राजस्थान का मुझे पता नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह तो बता दें कि यह स्ट्राटा आपने कितने ट्यूबवैलों में काटा है। नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पानी नहीं है। वाटर वर्क्स का करोड़ों रुपया इस बात के लिए लगता है और जितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए वह आपके विभाग से नहीं मिलता और एक साल के बाद में ट्यूबवैल नाकारा हो जाते हैं। स्ट्राटा आपने ट्यूबवैल की जो लिस्ट दी हैं उनमें कितने में काटा है?

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय, साथ में मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दें।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने गांव के नाम पूछे थे, अगर यह पूछना चाहते हैं कि कितना-कितना खोदा गया है तो उसके लिए नोटिस दे दें, मैं पता करके बता दूंगा।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि पुराने ट्यूबवैल जो खराब हो गये हैं उनमें पाइप डाली जाएगी या उनको ठीक किया जाएगा जो मशीनरी उसी में पड़ी है अभी, एक बात? दूसरी बात, इसी तरह की हालत में आपने हैण्ड पम्प बन्द किये हैं, अब पता नहीं किसी ठेकेदार को ठेका दिया है या नहीं दिया है। जितने भी हमारे पहले के लगे हुए हैण्ड पम्प थे, बी. जे. पी. के राज से सब कूड़ेदान बना रखे हैं, उनके ऊपर कूड़ा डाला जाता है। टूटे पड़े हैं उनको कोई ठीक करने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगी कि इस पर ध्यान दें क्योंकि अब पानी की बहुत जरूरत है। एक आप कह रहे हैं कि हमने स्वीकृति दी है कई नलकूपों की, स्वीकृति देने से ही नहीं है इसके साथ उनको पाइप देंगे तब वह काम आगे बढ़ेगा। आपने मंजूरी तो दे दी है लेकिन पाइप वगैरह कई जगह पहुंचे नहीं हैं तो वहीं का वहीं काम पड़ा हुआ है। मैं तो यही बात कहूंगी आपसे कि पानी का इंतजाम जल्दी ही करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सीकर जिले से सम्बन्धित है, माननीया सदस्या।

श्री मोहन लाल मोदी : पानी का तो सब जगह ही है, साहब। कहीं भी ऐसी पोजीशन है तो मंत्रीजी को जवाब तो देना चाहिए।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मेरे सवाल का जवाब दें, मंत्री जी।

श्री मोहन लाल मोदी : आज पानी की अव्यवस्था इतनी जबरदस्त है, अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं भी प्रश्न आता है तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : जवाब नहीं मिल रहा है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मंत्री महोदय, मेरे सवाल का जवाब दें। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : नहीं है तो दूसरे मंत्री दे देंगे।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मंत्री जी जवाब दे मेरे सवाल का।

श्री मोहनलाल मोदी : पी. एच. ई. डी. मंत्री दें इसका जवाब। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मुझे बड़े दुःख क साथ यह बात कहनी पड़ रही है सदन में कि दो बार मैंने पीने के पानी से सम्बन्धित क्वेश्चन लगाया और दोनों बार ही मुझे गलत उत्तर मिला। मैंने यह पूछा था कि गर्मियों में लोग पलायन कर जाते हैं पीने के पानी की वजह से और पशुओं के लिए पानी नहीं है इस वजह से लोग पलायन कर जाते हैं, दोनों बार उत्तर आये कि यह बिलकुल गलत है। अगर यह बात गलत हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा, मेरे पहाड़ी क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष : आप इस्तीफा दे देंगे लेकिन आपका अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : बिलकुल, पानी एक बूंद नहीं है। दसियों हजार लोग और कम से कम 20 हजार पशु पलायन करते हैं मेरी बाड़ी कांस्टीट्यूएंसी में और इस बार भी गये हैं। आप इस बात की तहकीकात करवा लें, अगर असत्य हो तो बड़ी भयानक स्थिति है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : वहां कोई सुनवाई ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाड़ी क्षेत्र राजस्थान के नक्शे पर ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, इसका सम्बन्ध नहीं है सप्लीमैंटरी से कोई। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रमजान खान।

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की सड़कों की मरम्मत

401. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रमज़ान खान)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की पीसांगन से करनोस/ब्यावर/भावता सड़कों की मरम्मत का कार्य वर्ष 1999-2000 में पूर्ण करवाया जाना था? यदि हां, तो अब तक उक्त सड़कों की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की जाकर कितनी लम्बी दूरी की सड़कों की मरम्मत करवा दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरेन्द्र मिर्धा) : विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पीसांगन से करनोस, पीसांगन से ब्यावर एवं पीसांगन से भावंता सड़कों की लम्बाई क्रमशः 16 किमी., 18.6 किमी. एवं 18.00 किमी. है। सड़कों के रख-रखाव हेतु बजट का आबंटन सड़कवार न होकर एक मुश्त होता है जिसे पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर सड़कों के रख-रखाव पर व्यय किया जाता है। 1999-2000 में मरम्मत एवं रख-रखाव मद में उपलब्ध बजट आबंटन अनुसार पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पीसांगन से करनोस सड़क पर 1.10 लाख रुपये एवं पीसांगन से ब्यावर सड़क पर 0.08 लाख रुपये व्यय कर क्रमशः 5 किमी. सड़क लम्बाई एवं 6.6 किमी. सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया है। पीसांगन से भावंता सड़क पर उपलब्ध बजट सीमितता के कारण साधारण मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका है।

श्री रमज़ान खान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से मैं पूछना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि सड़कवार बजट का आबंटन नहीं होता है और यह क्षेत्रवार एकमुश्त होता है, तो पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में एक-मुश्त राशि वर्ष 1999-2000 में कितनी आंबटित की गयी और उस राशि से कितनी दूरी लम्बी सड़कों की मरम्मत की गयी?

दूसरा, क्या यह सही है कि पीसांगन से करनोस और पीसांगन से ब्यावर की सड़कों की वर्ष 1999-2000 में एक इंच की भी मरम्मत नहीं हुई?

तीन, वर्ष 1999-2000 के बजट में जब विभाग की बजट की मांग चल रही थी उस वक्त आपने फरमाया था कि इस वर्ष सड़क के रख-रखाव और मरम्मत के लिए 227.61 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी है और निश्चित रूप से इस वर्ष जितनी भी सड़कों की टूट-फूट हुई है उनको ठीक करवा दिया जाएगा। गत वर्ष तो हुई नहीं और पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि मरम्मत के लिए केवल एक लाख 90 हजार रुपये ही दिये हैं तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि क्या इस वर्ष इन तीनों ही सड़कों की जो कि चलने लायक नहीं है, पैदल भी नहीं चला जा सकता, आप पूरी मरम्मत करवा देंगे?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में यह प्राथमिकता तय की गयी थी

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

कि सड़कों के रख-रखाव को टॉप प्रायोरिटी पर लिया जाएगा और सैंक्शन भी उसी हिसाब से की गयी थीं। अजमेर जिले के अन्दर 292 लाख रुपये की रिपेयर के लिए सैंक्शन थी पर सितम्बर में ही हमको यह इंडिकेशन फाइनेंस डिपार्टमैंट से मिल गया था कि आगे कार्य जरा धीमी गति से किया जाए इसलिए अजमेर डिवीजन में एक करोड़ 23 लाख रुपये ही हमको मिल सके और इनमें से भी सिर्फ 82 लाख का खर्चा हुआ। इस वजह से पूरे काम नहीं हो सके। इसमें भी 30 लाख रुपये पुष्कर कांस्टीट्यूएंसी में खर्च हुए हैं। इसका मतलब हमारी मन्शा तो पूरी थी कराने की पर लेकिन बजट के अभाव में नहीं करा सके। इस साल पूरी कोशिश करेंगे कि इन तीनों सड़कों को रिपेयर में लेकर पूरा कराया जा सके।

श्री रमजान ख़ान : रिपेयर में क्या कोशिश है, रिपेयर में तो आप आश्वासन दे ही सकते हैं कि इस बार तो करा देंगे। 30 लाख रुपये पुष्कर के लिए आबंटित हुए और आपने एक लाख 80 हजार रुपये खर्च किये।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : पिछले साल जो आबंटन हुआ है, सबसे ज्यादा काम आपके पुष्कर कांस्टीट्यूएंसी में ही हुआ है।

श्री रमजान ख़ान : एक लाख 80 हजार रुपये हैं उसमें क्या हुआ? मगर इस वर्ष उनको आप करवाइये कम से कम।

श्री जगत सिंह दायमा : वादे टूटते हैं, कोशिश सफल होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक चीज जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय, आपने सदन में इस बात को तो स्वीकार किया कि वित्त विभाग ने आप पर पाबंदी लगा दी कि धीमी गति से काम करें, परन्तु कृपया यह तो बता दें कि पहले कितना प्रावधान था मरम्मत के लिए और आपने इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि मरम्मत कार्य के लिए व्यय की है? यह धीमी गति आपकी कब तक रहेगी? आगामी वर्ष में गति आपकी धीमी रहेगी या तेज रहेगी?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पुष्कर विधान सभा क्षेत्र से संबंध रखता है पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले के अन्दर 292 लाख का रिपेयर का बजट था जिसमें से हमको टोटल 123 लाख रुपये ही प्राप्त हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने प्रतिशत कम हुआ, वह बता दो आप?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : पचास प्रतिशत के करीब कम हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, टोटल प्रोविजन कितने का था रिपेयर का और खर्च कितना हुआ राजस्थान का?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : बता दिया न अजमेर का। पुष्कर कांस्टीट्यूएंसी से सम्बन्धित है, मैंने बता दिया आपको।

प्रश्न संख्या-402

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बंशीलाल गहलोत।

जिला चिकित्सालय राजसमंद का भवन निर्माण

403. **श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमंद) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला चिकित्सालय, राजसमंद के भवन निर्माण का कार्य किस स्थिति में है?

(2) क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण रहे, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) जिला चिकित्सालय, राजसमंद के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करवाया जाना प्रक्रियाधीन है। चिकित्सालय के भवन हेतु भूमि का आबंटन हो चुका है तथा तकनीकी बिड आमंत्रित की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। जिला चिकित्सा के भवन निर्माण का नक्शा। ड्राइंग को अंतिम रूप देने व निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है।

(3) जी हां। जिला चिकित्सालय राजसमंद के भवन निर्माण को चरणबद्ध रूप से आगामी वित्तीय वर्षों में पूर्व दायित्व मद में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पूर्ण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री बंशीलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक समाजसेवी आर. के. मार्बल से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया गया था, उसके माध्यम से ही जल्दी करवा दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यह कब तक स्टार्ट कर देंगे, यह बताने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दी है, माह जुलाई, 2000 तक यह निर्माण कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

श्री बंशीलाल गहलोत : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री के. सी. विश्नोई।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति

404. **श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री के. सी. विश्नोई)

(1) राज्य में कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को अध्ययन कराने हेतु किस श्रेणी के अध्यापकों को लगाया जाता है? क्या उक्त कक्षाओं में विषयवार अध्यापक भी लगाया जाता है? यदि हां, तो किन-किन विषयों के?

(2) क्या उक्त कक्षाओं में विज्ञान विषय भी होता है? यदि हां, तो उक्त विषय को किस श्रेणी के अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है?

(3) क्या सामान्य श्रेणी के अध्यापक द्वारा भी विज्ञान विषय पढ़ाया जा सकता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विद्यालयों में अब विषयवार अध्यापक रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन कक्षा 6 से 8 छात्रों को द्वितीय श्रेणी के प्रधानाध्यापक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। उक्त छात्रों के लिए विषयवार अध्यापक लगाने की व्यवस्था नहीं है।

(2) जी हां। विद्यालय में कार्यरत किसी भी तृतीय श्रेणी अध्यापक द्वारा विज्ञान का विषय पढ़ाया जाता है।

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी अध्यापक कक्षा 6 से 8 छात्रों को विज्ञान विषय पढ़ाने में सक्षम है।

(4) विषयवार अध्यापक पदस्थापित करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा।

श्री के. सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या तृतीय श्रेणी के अध्यापक जो विज्ञान पढ़ा सकते हैं, उन सब को विज्ञान का नॉलेज है? मुझे तो यही जवाब दे दें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड के टीचर की सीनियर हायर सैकण्डरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उनमें से कुछ अध्यापक बी. एससी. पास भी हैं और एस. टी. सी. ट्रेंड हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर यह काम किया जा सकता है, किया जा रहा है तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी के विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए। इसलिए विज्ञान के विषय को पढ़ाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था अभी प्रचलित है।

श्री के . सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक एजुकेशन के प्रोफेसर रहे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तृतीय श्रेणी के अध्यापक अगर विज्ञान को पढ़ा सकते हैं तो उनको आगे और ट्रेनिंग देकर साइंस के अंदर कॉलेजों में उनको ही भेज दिया जाए ताकि साइंस और कामर्स फैकल्टी

(श्री के. सी. विश्नोई)

या कोई दूसरा विभाग अलग नहीं हो। तृतीय श्रेणी के अध्यापक अगर इतने विद्वान हो गये हैं कि वे सब जगह विज्ञान पढ़ा सकते हैं जैसा आप जवाब दे रहे हैं कि वे पढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को कहा कि यह व्यवस्था अभी प्रचलित है। डिमांड में हमने यह बात कही है कि राजस्थान सरकार छठी, सातवीं, आठवीं में विषयवार अध्यापकों के सम्बन्ध में विचार कर रही है और विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति करने की कोशिश करेगी। यह बात मैं डिमांड में बोल चुका हूं। अभी तक जो व्यवस्था प्रचलित है 50 साल से वह यह है कि विज्ञान के विषय पढ़ाने में तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं जो एस. टी. सी. ट्रेंड हैं, हायर सैकण्डरी पास हैं, कुछ बी. एससी. पास हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देकर यह काम करवाया जाता है। ट्रेनिंग डाइट के माध्यम से समय-समय पर होती रही है। इसलिए विज्ञान के विषय का जो कंटैंट है वह अभी तक इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान सरकार विषयवार के सम्बन्ध में चर्चा कर रही है, यह बात मैं डिमांड पर बोल चुका हूं।

(12.00 बजे)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : एक सवाल। माननीय मंत्री महोदय, मुझे यह बताएं कि आठवीं क्लास तक के जो स्कूल हैं उनमें कितने अध्यापक रखना आप उचित समझते हैं? आठवीं क्लास होते ही उसमें आठ अध्यापक रखना चाहते हैं और इस वक्त कितने अध्यापकों का क्राइटेरिया है? आठवीं क्लास तक कितने अध्यापक होने चाहिए और इस समय कितने अध्यापकों का आपका क्राइटेरिया है?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संबंध में विस्तृत रूप से मैंने डिमांड के दिन सारी चीजें सदन के सामने रख दी हैं। राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा को जो पहली से पांचवीं तक की शिक्षा है, उस शिक्षा पंचायत, पंचायत समिति के माध्यम से पूरी करेगी। छठी, सातवीं, आठवीं तक की शिक्षा है, उसमें हम विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति करने के संबंध में प्रयास कर रहे हैं कि छठी, सातवीं, आठवीं में एक विज्ञान का अध्यापक होना चाहिए, एक गणित का अध्यापक होना चाहिए, एक लैंग्वेज का अध्यापक होना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं, इस संबंध में हम प्रयास करेंगे, यह बात मैंने कही है। अभी तक जो व्यवस्था प्रचलित है, उसके संबंध में भी मैंने आपसे कहा है। कितने अध्यापक होने चाहिए, यह आपको जानकारी है। आठवीं क्लास है तो आठ अध्यापक होने चाहिए लेकिन आठ अध्यापकों में आज जो स्थिति बनी हुई हैं, 100 में से 70 स्कूलों में 70 लड़के तो केवल मात्र पहली और दूसरी के हैं।

(श्री सी. पी. जोशी)

तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं में लड़कों की संख्या पांच-आठ-दस-बारह है। इस संख्या को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार के मन में एक कल्पना है कि पंचायतों के माध्यम से हम प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य करें। छठी, सातवीं, आठवीं तक की शिक्षा का काम है, जिसमें विषय के अध्यापक होने चाहिए, इस सन्दर्भ में मैंने आपसे विस्तृत रूप से में मांग के समय बातें कहीं हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार छठी, सातवीं, आठवीं की क्वालिटी आप एजुकेशन को इम्प्रूव करने के संबंध में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में प्रयास करना प्रारम्भ कर रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के ग्रामों का विद्युतीकरण

398. **श्री जीतमल (बागीदौरा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में अब तक कुल कितने गांव विद्युतीकृत किये गये हैं? अविद्युतीकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विद्युतीकृत गांवों में लाइनें खींच दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त गांवों के अपूर्ण कार्य को अब सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 254 गांव विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। शेष 38 अविद्युतीकृत गांवों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मांग होने पर विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनैक्शनं दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम (1) डूंगिया की सेर (2) लागन (3) अमरपुरा (4) खूंटा मछार (5) अर्जुनपुर (6) साण्डी बोरा (7) टाण्डीजानी (8) गमीरपुरा हमीरा में विद्युत कनैक्शनों की मांग न होने के कारण विद्युत तंत्र का विस्तार नहीं किया गया है।

(3) बिन्दु सं. 2 में वर्णित गांवों में मांग होने पर ही नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनैक्शन दिया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जयपुर स्थित शिशु गृह में अनियमितताएं

402. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित शिशु गृह में वर्ष 1994-1999 तक कतिपय नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई? यदि हां, तो कितनों की?

(2) क्या यह भी सही है कि शिशुगृह में गत वर्ष नौ नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई तथा इसके उजागर होने के उपरांत राज्य महिला आयोग द्वारा प्रकरण की जांच की गई व जांच में गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की रिपोर्ट राज्य सरकार को सुपुर्द की गई? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच रिपोर्ट में जो बिन्दु उजागर किये गये तथा भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के नाम आये उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था की है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर स्थित शिशुगृह में वर्ष 1994 से 1999 तक 118 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई।

(2) जी हां। मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही प्रथम विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गई थी। तत्पश्चात् राज्य महिला आयोग द्वारा दिनांक 25.9.99 से जांच की, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 3.12.99 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। आयोग की जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उल्लेखित नहीं है। अनियमितताएं पाये जाने पर तत्कालीन अधीक्षिका श्रीमती रेजी एन्टोनी, नर्स श्रीमती आशा राठौड़ एवं श्रीमती ए. जी. सोलोमन तथा तत्कालीन जिला बालक अधिकारी, जयपुर श्री अशोक कुमार जांगिड़ को सी. सी. ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये गये हैं तथा कार्यवाही जारी है।

(4) जी नहीं। नवजात शिशुओं को नवीन वातावरण में अभियोजित करने हेतु नर्सरी का निर्माण कराया जा रहा है एवं 3 अतिरिक्त स्टाफ नर्स के पद सृजित किये जा रहे हैं। शिशुरोग विशेषज्ञ को भेजने हेतु चिकित्सा विभाग को लिखा जा चुका है। वर्तमान नर्सिंग एवं देख-रेख करने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला पाली में द्वितीय महायुद्ध की सैनिक विधवाओं को पेंशन

475. **श्री केसाराम चौधरी (खारची) :** क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) राज्य सरकार द्वारा द्वितीय महायुद्ध की सैनिक विधवाओं को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सैनिक कल्याण बोर्ड, पाली द्वारा द्वितीय महायुद्ध की कितनी सैनिक विधवाओं को पेंशन राशि वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कितनी वितरित की गई है? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार द्वितीय महायुद्ध की सैनिक विधवाओं को दी जा रही पेंशन राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा विधवाओं को 300/- रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है।

(2) जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पाली द्वारा 546 पूर्व सैनिक/विधवाओं को द्वितीय विश्व युद्ध की पेंशन स्वीकृत की गई थी जिनमें 75 लाभार्थियों का स्वर्गवास हो जाने से वर्तमान में 471 पूर्व सैनिक/विधवाओं को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1998-99 में 11,44,200/- रुपये एवं 1999-2000 में 14,68,800/- रुपये का भुगतान किया गया है।

(3) जी हां, प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र खारची के शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण का भुगतान

476. **श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खारची में मारवाड़-जंक्शन स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा द्वारा सभी शिक्षित बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितने बेरोजगारों की पत्रावली बिना स्वीकृति के ही पुनः लौटा दी गई है और इस वक्त कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृति हेतु शेष हैं, जिनकी स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मारवाड़ जंकशन को वर्ष 1999-2000 में बैंक को आवंटित लक्ष्य 16 के विपरीत जिला उद्योग केन्द्र, पाली द्वारा कुल 31 आवेदन पत्र अभिशक्ति कर भेजे गये थे, जिनमें से लक्ष्यों के अनुरूप बैंक द्वारा 16 युवाओं को ऋण स्वीकृत कर अब तक 6 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 31.3.2000 तक स्वीकृत ऋण में वितरण की कार्यवाही आगामी

(उद्योग मंत्री)

31 दिसम्बर 2000 तक की जा सकती है। अतः शेष 10 आवेदन पत्र बैंक स्तर पर ऋण वितरण के लिए विचाराधीन है।

लक्ष्यों की पूर्ति के पश्चात् 15 आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से बैंक द्वारा लौटा दिए गए और अब कोई आवेदन पत्र बैंक में स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नावां के नमक उत्पादक क्षेत्रों को सुविधाएं

477. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नावां नमक उत्पादक संघ द्वारा एक जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक नमक क्षेत्र में सुविधाओं के लिए कोई पत्र सरकार को लिखा है? यदि हां, तो कब-कब और उसमें क्या-क्या सुविधाओं की मांग की गई और विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?

(2) क्या उक्त संघ द्वारा नमक क्षेत्र में बिजली/पानी/सड़कें आदि की मांग बराबर की जा रही है? यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या सुविधाएं जुटाने के क्या-क्या कदम उठाये ?

(3) क्या यह सही है कि इस नमक क्षेत्र में जो सड़कें स्वीकृत थीं वो भी अभी तक नहीं बनी है? यदि हां, तो कौन-कौनसी तथा कब तक बनाई जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नावां नमक उत्पादक संघ द्वारा प्रश्नगत अवधि में पत्र दिनांक 13.3.2000 माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं उद्योग मंत्री महोदय को लिखे गये हैं, जिसमें क्षेत्र में सड़क निर्माण की विभिन्न योजनाओं, विद्युत दर कम करने, पेयजल उपलब्ध करवाने, राज. वित्त निगम की ऋण वसूली को रोकने बाबत संघ द्वारा मांग की गई है। उपरोक्त पत्र उद्योग निदेशालय में दिनांक 24.3.2000 एवं 27.3.2000 को प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नागौर को सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां भिजवाते हुए सम्बन्धित स्थानीय विभागों से सम्पर्क कर वस्तु स्थिति की टिप्पणी चाही गई है। टिप्पणी प्राप्त होने पर समस्याओं के समाधान हेतु अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(2) उक्त संघ द्वारा नमक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु समय-समय पर मांग की जाती रही है। नमक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लवण आयुक्त, भारत सरकार के सेस फण्ड की सहायता से कोड आफ प्रिंसिपल के तहत लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं यथा सड़क निर्माण एवं पेयजल योजनाएं प्रारम्भ की जाती है। नावां जाबदीनगर क्षेत्र में निम्न दो योजनाओं को हाथ में लिया गया है। (1) नावां राजकीय चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन की स्थापना 2.08 लाख

(उद्योग मंत्री)

की लागत से पूर्ण की जा चुकी है। (2) वर्ष 1997-98 में राजास से ज़ाबदीनगर सड़क निर्माण योजना हेतु 33.70 लाख रुपये की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवायी गयी थी, योजना का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। कार्य पूर्णता की रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जबदीनगर पेयजल योजना। (अनुमानित लागत 76.78 लाख) प्रस्तावित थी किन्तु लवण आयुक्त, भारत सरकार द्वारा मेचिंग ग्रान्ट उपलब्ध करवाने में असमर्थता के कारण एवं राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के मध्य नजर योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। यहां यह उल्लेखनीय है कि लवण आयुक्त, भारत सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध नहीं करवाने का मुख्य कारण क्षेत्र में केवल 5 अनुज्ञापत्रधारी होना एवं उनसे नमक उपकर (सैस) के रूप में मात्र रुपये 9000/- प्राप्त होते हैं, भी बताया गया है। इस क्षेत्र में अधिकांश इकाइयां खातेदारी भूमि को अकृषि (लवण) भूमि में रूपान्तरण करवाकर नमक उत्पादन का कार्य कर रही हैं। नागौर जिले के नमक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें व्यापक विचार विमर्श हेतु संबंधित नमक उद्योग संघ के प्रतिनिधि को भी सदस्य बनाया गया है।

(3) इस नमक क्षेत्र में राजास से जाबदीनगर 6 कि. मी. सड़क निर्माण की योजना वर्ष 1998 में 33.70 लाख की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई थी जिसका कार्यपूर्णता की ओर है।

जिला पाली के कारागृहों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी

478. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला पाली की किन-किन कारागृहों में कितने अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवाएं कब-कब से दे रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

पाली जिले की कारागृहों में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

पंचायत समिति बस्सी में भू-संरक्षण कार्य

479. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जलग्रहण एवं भू-संरक्षण योजना में पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया व कौन-कौनसे गांव में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(श्री कन्हैया लाल)

(2) क्या कृषकों की उपजाऊ भूमि का कटाव रोकने का बाढ़ के कारण बेकार भूमि के सुधार के लिए कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कृषकों की पानी के बहाव की भूमि के कटाव को रोकने की स्कीम है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के माध्यम से पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) में राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना अन्तर्गत राशि रु. 121.80 लाख एवं सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत राशि रु. 120.40 लाख का प्रावधान 1997-98 से 2001-2002 एवं 1998-99 से 1999-2000 अवधि हेतु रखा गया है। कौन-कौन से गांव में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई उसका विवरण परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

(2) उत्तर के भाग सं. एक में उल्लेखित योजनाएं कृषकों की उपजाऊ भूमि में कटाव रोकने एवं बाढ़ के कारण बेकार भूमि को सुधारने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है।

(3) परियोजना में कृषकों की भूमि में वर्षा के बहते पानी से मिट्टी के कटाव को रोकने की योजना उत्तर के भाग सं.-1 में अंकित योजना में सम्मिलित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला भीलवाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

480. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा की बिगड़ती स्थिति के सुधार हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(2) गत पांच वर्षों में उक्त जिला अस्पताल में कितने रोगियों को मुफ्त दवाईयां दी गई तथा इस वर्ष कितनी राशि की दवाइयां मुफ्त दिये जाने का प्रावधान है?

(3) सामुदायिक चिकित्सालय गंगापुर तथा रायपुर में गत वर्ष कितनी राशि मुफ्त दवाइयों के लिये दी गई तथा उनमें से कितनी दवाइयां रोगियों को उपलब्ध कराई गई? चालू वर्ष में मुफ्त दवा की कितनी राशि है? उक्त दोनों चिकित्सालयों की दशा सुधारने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चिकित्सकों व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के उक्त जिले के किस-किस अस्पताल में कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. रतन लाल जाट)

(5) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है।

(2) महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा में गत पांच वर्षों में निःशुल्क दवाइयां दी गई उन रोगियों की संख्या एवं दवा राशि का विवरण निम्नप्रकार है :—

वर्ष	मुफ्त दवा दी गई रोगियों की संख्या		(राशि रुपयों में)
	आउटडोर	इन्डोर	
1994-95	142357	9223	2372500
1995-96	142924	9568	1977800
1996-97	153207	10292	1910230
1997-98	119757	10289	2039000
1998-99	123844	11655	2083950

वर्ष 1999-2000 में मुफ्त दवाइयां दिये जाने हेतु 3074000 रु. का वित्तीय प्रावधान रखा गया।

(3) वित्तीय वर्ष 1998-99 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर एवं रायपुर में क्रमशः रुपये 137582 एवं 45823 की दवाइयां रोगियों को मुफ्त वितरण करने हेतु उपलब्ध कराई गई, जिसमें से क्रमशः रुपये 100895 एवं रुपये 28168 की दवाइयां रोगियों को वितरित की गई। वर्ष 1999-2000 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर एवं रायपुर में क्रमशः रुपये 114944 एवं रुपये 49933 की दवाइयां रोगियों को मुफ्त वितरण करने हेतु उपलब्ध कराई गई। उक्त दोनों चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(4) जिले में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के अस्पतालवार रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(5) उप नियंत्रक, कनिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन सैक्टर सुपरवाइजर, बी.एच.एस. (मेल) बी.एच.एस. (फिमेल) एम.पी.डब्ल्यू., एम.एम.टी.एल., मलेरिया निरीक्षक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं चिकित्सा अधिकारी, दन्त चिकित्सक के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर एवं नर्स श्रेणी द्वितीय, नेत्र सहायक, बी.सी.जी. टेक्नीशियन, दन्त तकनीशियन के रिक्त पदों को राज्य सरकार की भर्ती से नव नियुक्ति स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षक का पद डाइंग केडर घोषित किये जाने के फलस्वरूप भरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जोधपुर संभाग के चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीनों का रख-रखाव

481. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर एवं जोधपुर में कौन-कौन से अस्पतालों में एक्स-रे मशीन लगी हुई हैं? उक्त मशीनों में से किन-किन अस्पतालों में कितनी-कितनी मशीनें कब-कब से खराब हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिन अस्पतालों में मशीनें खराब हैं वहां पर एक्स-रे तकनीशियन लगा रखे हैं? यदि हां, तो कब-कब से और क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे अस्पताल भी हैं जहां एक्स-रे मशीनें हैं और तकनीशियन नहीं है?

(4) उक्त जिलों के अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें कब तक ठीक करा दी जायेगी?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर एवं जोधपुर के जिन अस्पतालों में एक्स-रे मशीन लगी हुई हैं उनकी एवं उक्त अस्पतालों में खराब मशीनों का विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन (बाड़मेर) में मार्च, 1999 से एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल (जालौर) में फरवरी, 1999 से एक्स-रे मशीन खराब है जिन्हें ठीक करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं, मशीन ठीक होने पर उक्त चिकित्सा संस्थानों पर पदस्थापित एक्सरे तकनीशियनों की सेवाएं ली जायेगी।

(3) जी, हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोरीमन्ना (बाड़मेर) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाचना (जैसलमेर) में एक्स-रे मशीन स्थापित है और वहां एक्स-रे तकनीशियन का पद रिक्त है।

(4) उक्त जिलों की खराब एक्स-रे मशीनों को ठीक करवाने के प्रयास जारी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राज्य की चल चिकित्सा इकाई

482. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कितनी चल चिकित्सा इकाई (मोबाइल यूनिट) कार्यरत है? वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक उक्त चल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से कितने कैम्प आयोजित कर कितने छोटे/बड़े आपरेशन किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त चल चिकित्सा इकाइयों को बन्द कर रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त इकाइयों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के बन्द होने पर इनमें कार्यरत चिकित्सक व अन्य स्टाफ का समायोजन कहां किया जायेगा?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में निम्न चल चिकित्सा इकाई कार्यरत है : —

1. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, राज., जयपुर।
2. चितरंजन भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, उदयपुर।
3. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, अजमेर।

वर्ष 1998 से माह फरवरी, 2000 तक आयोजित कैम्प एवं किए गए आपरेशनों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। इन इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। पुनर्गठन के पश्चात जो स्टाफ अधिशेष रहेगा उसे विभाग के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजन किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

483. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेगूं कितनी शैय्याओं का है? उक्त केन्द्र पर कितने व किस प्रकार के चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कितने दिनों से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(2) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगियों की संख्या/क्षेत्रफल आदि को मद्दे नजर रखते हुए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं 50 शैय्याओं का है। उक्त केन्द्र पर चिकित्सकों के स्वीकृत रिक्त पदों की सूची संलग्न है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं में कनिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी, नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं को रोगियों की संख्या/क्षेत्रफल को मध्य नजर रखते हुए वर्ष 1995-96 में 30 शैय्याओं से बढ़ाकर 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में शैय्याएं बढ़ाने बाबत वित्तीय प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होने के कारण क्रमोन्नत किया जाना संभव नहीं होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के राजकीय चिकित्सालय में औषधि

484. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के सरकारी अस्पतालों को स्वीकृत सूची में दर्शित सारी दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन-सी दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई?

(2) क्या सरकार स्वीकृत सूची की दवाइयां उक्त चिकित्सालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु कोई उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जो दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। चिकित्सालयों को उनकी मांग के आधार पर तथा स्टाक में उपलब्धता के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ (चूरू) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

485. **श्री मंगलाराम गोदारा** (श्रीडूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) में कौन-कौनसे ग्राम में प्राथ्मिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सब-सेन्टर कार्यरत हैं?

(2) उक्त केन्द्रों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों (सब-सेन्टर) की सूची संलग्न है।

(2) उक्त केन्द्रों में पदस्थपित अधिकारी/कर्मचारी एवं रिक्त पदों का विवरण मय रिक्तिता की अवधि के प्रश्न के भाग-1 की सूची में दर्शाया गया हैं।

नर्स श्रेणी द्वितीय, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नव नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षक का पद डाईंग केडर घोषित होने के फलस्वरूप भरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, जिसमें शिथिलता एवं नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 पर निर्माण कार्य

486. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-65 पर कार्य चालू है? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में क्या-क्या कार्य किस-किस स्थान पर कराया गया और कितनी राशि व्यय की गई?

(2) उक्त राज मार्ग पर वर्ष 2000-2001 में क्या-क्या कार्य किस-किस स्थान पर कराये जाने का प्रस्ताव है? उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी तथा कार्य कब शुरू होंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर कार्य चालू है। वर्ष 1999-2000 में इस राजमार्ग पर निम्नानुसार कार्य करवाये गये : —

खण्ड का नाम	कार्य का प्रकार			मार्च, 2000 तक व्यय
	नवीनीकरण (कि.मी. में)	विशेष मरम्मत (कि.मी. में)	अन्य (कि.मी.)	(राशि लाखों में)
1	2	3	4	5
1. चूरू	35 से 38 तथा 80/0 से	39 से 49 तथा	—	128.47
2. रा. रा. मार्ग खंड प्रथम, जयपुर	—	56 से 66	सड़क का दो लेन में परिवर्तन 0/0 से 23/400	54.96
3. नागौर	—	141 से 152, 183 से 193, 219 से 229	—	127.00
4. जोधपुर	—	271 से 281, 319 से 329	—	92.89

(2) वर्ष 2000-2001 के लिये राजमार्ग संख्या-65 पर निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये : —

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

				अनुमानित लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5
1. चूरू	—	49/0 से 56/0	38/0 से 80/0 तथा 95/800 से 118/0 तक दो लेन में परिवर्तन	1283.00
2. रा. रा. मार्ग 29/0 से 39/0		—	0/0 से 23/400 तक	173.75
खंड प्रथम, जयपुर (फतेहपुर, सुजानगढ़ सैक्शन) बचा हुआ दो लेन का कार्य				
3. नागौर	—	95/0 से 120/0, 193/0 से 212/0	—	308.12
4. जोधपुर	—	229/0 से 250/0, 329/0 से 339/0, 308/0 से 319/0	—	599.14
5. पाली	—	356/0 से 371/0 347/0 से 356/0	—	338.52

उपरोक्त कार्यों की भू-तल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति मिलने एवं राशि उपलब्ध कराने के पश्चात ही शुरू करना सम्भव है।

तहसील गंगरार एवं राश्मी (गंगरार) के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

487. **श्री कालूलाल खटीक** (गंगरार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार तहसील क्षेत्र गंगरार, राश्मी के 1000 की आबादी वाले ग्राम व पंचायत मुख्यालयों को सड़क नीति के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या तहसील गंगरार में पंचायत रोलों का सोवता से गंगरार, साडास से कुंवालिया, कुंवालिया से लालास, लालास

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मेटल सड़क व 356.5 कि.मी. ग्रेवल कुल 917.22 कि.मी. सड़कों का निर्माण करवाया जाकर उस पर 2749.04 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में उक्त समय में 59.200 कि.मी. सड़कों का निर्माण करवाया गया। इनके निर्माण कार्यों में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु इसी विधान सभा क्षेत्र में एक अन्य कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच प्रगति पर है।

शाहबाद-नोनेरा (छबड़ा) सड़क निर्माण में अनियमितताएं

491. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शाहबाद से कस्बा नोनेरा (बायामझारी) (छबड़ा) तक निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। शाहबाद से कस्बा नोनेरा (बायामझारी) तक निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र झालरापाटन की रटलाई सड़क का डामरीकरण

492. **श्री मोहन लाल राठौर** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन से रटलाई, सड़क वाया रीछवा क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो इसकी कब तक मरम्मत करा कर डामरीकरण किया जायेगा?

(2) क्या उक्त सड़क स्वीकृत हो रही है? यदि हां, तो इसका कार्य कब शुरू हो रहा है और नहीं, तो इसकी मन्जूरी कब तक दी जाकर कार्य करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 में वर्षा ऋतु में सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। झालरापाटन से रटलाई सड़क वाया रीछवा की कुल लम्बाई 29.10 कि.मी. है। जिसमें 8.8 कि.मी. सड़क लम्बाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं.-12 का भाग है। इस सड़क पर वर्ष 1999-2000 में 16.00 कि.मी. (जिसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग का 8.8 कि.मी. लम्बा सड़क भाग सम्मिलित है) में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया है। शेष लम्बाई 13.10 कि.मी. में सड़क मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(2) यह पूर्व निर्मित डामर सड़क है। वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के हिस्से में (कि.मी. 338/800 से कि.मी. 346/600)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

नवीनीकरण का कार्य, अन्य सुधार कार्य एवं काली सिंध नदी पर पुल बनाने का कार्य प्रगति पर है। शेष सड़क भाग में मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

पंचायत समिति नागौर के ग्राम कुम्हारी की सड़क निर्माण

493. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूंडवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नागौर के गांव कुम्हारी में जाने वाली सड़क खराब है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क निर्माण के लिये स्थानीय निवासियों की मांग पर तखमीना बनाया जा चुका है? यदि हां, तो कितनी राशि का और कब?

(3) क्या सरकार अब उक्त सड़क निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। नागौर से कुमारी बासनी सड़क की कुल 13 कि.मी. लम्बाई में से 10 कि.मी. सड़क संतोषप्रद है एवं शेष 3 कि.मी. का साधारण मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

(2) जी, हां। उक्त सड़क के 3 कि.मी. क्षतिग्रस्त भाग के लिये एक फोरकास्ट तखमीना राशि रुपये 10.20 लाख का दिनांक 30.6.99 को एस.आर. प्रोग्राम के लिये बनाया गया था लेकिन उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण उक्त तखमीना स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

(3) जी, हां। उक्त सड़क के बचे हुये तीन कि.मी. सड़क लम्बाई की साधारण मरम्मत का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

तहसील हनुमानगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़क

494. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि ग्राम जंडावाली, तहसील हनुमानगढ़ से 20 एल.एल.डब्ल्यू. को जाने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से और इसकी मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी?

उत्तर

ग्राम जंडावाली से 20 एल.एल.डब्ल्यू. लम्बाई 8 कि.मी. "ग्रामीण सड़क" है। जिसमें से 1/0 से 8/0 सड़क भाग ठीक व यातायात के योग्य है। सड़क भाग 0/0 से 1/0 आबादी क्षेत्र में होने के कारण एवं पानी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बार-बार क्षतिग्रस्त होती रहती है।

इस सड़क के 0/0 से 1/0 भाग को ऊंचा उठाकर क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। सड़क के इस भाग को ऊंचा उठाने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की क्षतिग्रस्त सड़कें

495. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कौन-कौन-सी सड़कों की मरम्मत का कार्य अपूर्ण है? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत के लिये अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उनमें से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य वर्षाकाल से पूर्व करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999-2000 में योजना मद में 37.50 लाख रुपये की लागत से 13 किमी. सड़क लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनके कार्य आदेश संवेदकों को दिये जा चुके हैं लेकिन वित्तीय संदर्भ में संसाधनों की सीमितता के कारण वर्ष 99-2000 में कार्य पूर्ण नहीं कराये जा सके। सड़कों की साधारण मरम्मत के लिये गैर योजना मद में खण्डवार एक मुश्त राशि का आवंटन किया जाता है। वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 29 किमी. सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया। उपरोक्त वर्णित योजना मद में स्वीकृत कार्यों को एवं विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में शेष सड़कों का साधारण मरम्मत का कार्य राज्य के उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़कों के सुदृढ़ीकरण मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु योजना मद में राशि 37.50 लाख रुपये एवं गैर योजना मद में लगभग राशि 7.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। जिसके विरुद्ध 6.68 लाख रुपये व्यय कर साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

दिल्ली-आगरा सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं

496. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाईमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिल्ली-आगरा सड़क पर प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं के कारण सरकार इसे बाईपास पर शिफ्ट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) दिल्ली-आगरा सड़क मार्ग पर गत दो वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा इन्हें रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) दिल्ली-आगरा सड़क इस विभाग के अधीन नहीं है।

(2) दिल्ली-आगरा सड़क इस विभाग के अधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम पंचायतों की सम्पर्क सड़कें

497. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, जिला बारां के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया गया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा उनका डामरीकरण करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत टोरिया, बादीपुरा, सनवाड़ा, सुवाण, बृजनगर आदि की सड़क का कार्य चालू किये जाने के बाद भी मुख्यालय से नहीं जोड़ा है? अब उक्त ग्राम पंचायतों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, जिला-बारां के 59 पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की सड़कों से जोड़ दिये गये हैं। सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) सड़क विकास नीति के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ने की योजना है। ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(3) जी, हां। टोरिया, बादीपुरा तथा बृजनगर के लिये सड़क कार्य चालू किये जाने के बाद वित्तीय अभाव में पंचायत मुख्यालय सड़कों से नहीं जुड़ पाये। मुख्यालय सुवास व सनवाडा को ग्रेवल सड़क से जोड़ा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जा चुका है। ग्राम पंचायत मुख्यालय टोरिया, बादीपुरा तथा बृजनगर को सड़को से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

तहसील क्षेत्र देसूरी की सड़क सीमा पर अतिक्रमण

498. **श्री लालाराम गरासिया (पिंडवाड़ा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड सादड़ी (पाली) के सहायक अभियन्ता की मिलीभगत से राठेलाव चौराया-देसूरी, खिंवाडा-गजनीपुरा एवं तहसील क्षेत्र देसूरी में सड़क सीमा में कांफी अतिक्रमण हुए हैं? ऐसे अतिक्रमणकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम खिंवाडा में पूर्व सहायक अभियन्ता ने सड़क सीमा में अतिक्रमण पर स्थगन आदेश दिया था? ऐसे आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम खिंवाडा में उक्त स्थगन आदेश को वर्तमान सहायक अभियन्ता ने अवैध तरीक़े से वापस लेने के बाद सड़क सीमा में अवैध दुकानों का निर्माण हुआ है?

(4) क्या सरकार ऐसे सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उसे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सहायक अभियन्ता उपखण्ड सादड़ी (पाली) की मिलीभगत से सड़क सीमा में अतिक्रमण नहीं किये गये है। राठेलाव चौराहा, देसूरी, खिंवाड़ा गजनीपुरा एवं तहसील क्षेत्र देसूरी में वर्ष 1999-2000 में जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किये गये है उनकी सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ग्राम खिंवाडा में पूर्व सहायक अभियन्ता ने सड़क सीमा में अतिक्रमणकर्ता श्री राईगां पुत्र श्री गमनाराम व देवराज पुत्र श्री भीकमचन्द के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 23.4.98 व 28.3.98 को निर्माण कार्य को रोकने हेतु स्थगन आदेश दिया था जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) जी, नहीं। ग्राम खिंवाडा में उक्त स्थगन आदेश को वर्तमान सहायक अभियन्ता ने न तो वापस लिया है और न ही निरस्त किया है। स्थगन आदेश जारी होने की तिथि को जो निर्माण की स्थिति थी वही आज है। अतः स्थगन आदेश को वापस लेकर दुकानों का निर्माण होना सही नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) चूंकि वर्तमान सहायक अभियन्ता के स्तर पर स्थगन आदेशों को वापस लेकर अतिक्रमण को करवाना साबित होना प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः वर्तमान में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित नहीं है।

(सूची एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

दूदू से लालसोट वाया फागी-चाकसू सड़क मार्ग का दोहरीकरण

499. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दूदू से लालसोट-फागी-चाकसू एक अत्यन्त व्यस्त मार्ग है तथा आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राज मार्ग से जयपुर-अजमेर का राष्ट्रीय राज मार्ग पर चलने वाले ट्रक चालक वाया जयपुर न जाकर उक्त मार्ग का बाईपास सड़क के रूप में उपयोग करते हैं जिससे उनके समय व दूरी की काफी बचत होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर ट्रकों के चलने से उक्त सड़क खराब हो चुकी है तथा इसकी मरम्मत भी कई वर्षों से नहीं कराई गई है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क एक सिंगल रोड है और बाईपास रोड भी नहीं है परन्तु ट्रक चालक समय/दूरी बचाने के लिये उक्त सड़क का प्रयोग करते हैं, जिससे की वह खराब हो गई है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क को डबल कर बाईपास के रूप में विकसित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना को कब तक कार्य रूप देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। आगरा, जयपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चलने वाले ज्यादा ट्रक जयपुर होकर ही गुजरते हैं।

(2) दूदू से लालसोट वाया फागी चाकसू सड़क का ज्यादातर भाग चिकनी मिट्टी क्षेत्र से होकर गुज़रता है। चिकनी मिट्टी की सी.बी.आर. वैल्यू कम होने के कारण इस सड़क पर वर्षा ऋतु में सेटलमेंट होते रहते हैं। इस सड़क पर उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य समय-समय पर कराया जाता रहा है। वर्ष 1999-2000 में इस सड़क पर 56 कि.मी. सड़क लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है।

(3) उक्त सड़क की कुल लम्बाई 118 कि.मी. है जिसमें से 18 कि.मी. $1\frac{1}{2}$ लेन

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सड़क है शेष 99 कि.मी. सिंगल लेन सड़क व 1 कि.मी. मोरल नदी पर कच्ची सड़क है। आगरा-जयपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जयपुर अजमेर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चलने वाले ज्यादातर वाहन इस सड़क से न गुजर कर, जयपुर से ही गुजरते हैं। सड़क खराब होने का कारण सड़क का कम सी.बी.आर.वैल्यू की चिकनी मिट्टी क्षेत्र से गुजरना है।

(4) जी, नहीं। उक्त सड़क पर वर्तमान में यातायात का दबाव डबल लेन सड़क के आवश्यक यातायात दबाव से कम है। अतः इस सड़क को डबल लेन बाईपास के रूप में विकसित करने की योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जयपुर से डिग्गी मालपुरा सड़क का पुनर्निर्माण

500. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से डिग्गी, मालपुरा राज मार्ग पर जयपुर नगर निगम सीमा से फागी तक की सड़क खराब है तथा इस पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य हुए वर्षों हो चुके हैं तथा इस सड़क के रख-रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करवाने तथा इसके उचित रख-रखाव की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जयपुर से डिग्गी मालपुरा राज्य उच्च मार्ग पर जयपुर नगर निगम सीमा से फागी तक की कुल सड़क लम्बाई 30 कि.मी. है जिसमें से 10 कि.मी. सड़क लम्बाई ठीक है। इस सड़क का 36 कि.मी. फागी कस्बे से होकर गुजरता है जो कि पानी निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बार-बार क्षतिग्रस्त होता रहता है शेष 19 कि.मी. सड़क लम्बाई में सड़क पर पेचेज हैं लेकिन इस कारण कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1998-99 में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर इस सड़क पर गैर योजना मद में 17.28 लाख रुपये व्यय कर 7 कि.मी. सड़क का नवीनीकरण का कार्य किया गया। वर्ष 1999-2000 में गैर योजना मद में 5.80 लाख रुपये व्यय कर 30 कि.मी. सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य कराया गया। इसके अतिरिक्त फागी कस्बे में सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण हेतु योजना मद में 8.80 लाख रुपये की स्वीकृति की गई है। इस कार्य का पूर्ण होना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) जी, हां। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर उक्त सड़क के मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

तहसील फुलेरा की ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण

501. **श्री नानूराम ककरालिया** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील फुलेरा (जयपुर) में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी वर्ष 1991 में जनसंख्या 1000 या इससे अधिक है और उनको डामरीकृत सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त तहसील में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी वर्ष 1991 में जनसंख्या 1000 थी और उनको अभी तक सम्पर्क सड़कों से नहीं जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें। अब उक्त ग्रामों को कब तक सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(3) उक्त तहसील में कौन-कौनसे ग्रामों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त सड़कों का कब तक डामरीकरण कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है, कि ग्राम रायथल तहसील आमेर से ग्राम डूंगरी खुर्द वाया रामपुरा, तहसील सांभर तक ग्रेवल सड़क स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त ग्रेवल सड़क का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील फुलेरा (जयपुर) में वे ग्राम जिनकी वर्ष 1991 में जनसंख्या 1000 या इससे अधिक है और उनको डामरीकृत सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है, की संख्या 60 है। सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) ऐसे ग्राम जिनकी वर्ष 1991 में जनसंख्या 1000 या अधिक थी और उनको अभी तक डामरीकृत सम्पर्क सड़कों से नहीं जोड़ा गया है, की संख्या 11 है। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। इन ग्रामों को सड़क विकास नीति अनुसार डामर सड़क से जोड़ना नवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(3) उक्त तहसील में ग्रेवल सड़क से जोड़े गये कुल ग्रामों की संख्या 21 है जिनकी सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है। उक्त 21 ग्रामों में से ईटावा ग्राम के लिये डामर सड़क निर्माण हेतु बी.एम.एस.पी. योजना में 28.00 लाख रुपये की वर्ष 1998-99 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रगति पर है। ग्राम सामलपुरा के लिये डामर सड़क निर्माण हेतु बी.एम.एस.पी. योजना में 15.00 लाख रुपये की वर्ष 1999-2000 में स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही हैं। ग्राम भगवतपुरा के लिये डामर सड़क निर्माण हेतु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष रहे 18 ग्रामों के लिये डामर सड़क का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(4) जी, हां। ग्राम रायथल तहसील आमेर से ग्राम डूंगरी खुर्द वाया रामपुरा तहसील फुलेरा तक ग्रेवल सड़क का निर्माण 10.50 लाख रुपये की लागत से एम.एन.पी. योजना में वर्ष 1996-97 में स्वीकृत है। ग्राम रायथल एवं ग्राम डूंगरी खुर्द पूर्व में ही दूसरी तरफ से डामर सड़क से जुड़े हुए है। ग्राम रामपुरा की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 796 है (1000 से कम) एवं पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। अतः ग्राम रायथल से ग्राम डूंगरी खुर्द वाया ग्राम रामपुरा डामर सड़क का निर्माण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राज्य मुद्रणालयों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

502. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय मुद्रणालयों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु कितने प्रकरण कब से विचाराधीन हैं? आवेदक का नाम, मृतक कर्मचारी का नाम एवं आवेदन करने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सरकार तत्काल नियुक्ति देने सम्बन्धी नीति अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 9 (1) वित्त 1 (1) आय. क/99, दिनांक 22-7-99 एवं कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 17 (13) कार्मिक/क-2/99, दिनांक 15-1-2000 में स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी इनको नियुक्ति नहीं दिये जाने के कारण हैं?

(3) सरकार अब राज्य के मुद्रणालयों में मृतक आश्रितों को कब तक नियुक्ति दिलाने के आदेश जारी कर विभागाध्यक्ष को निर्देश देगी?

उत्तर

(1) 21 आवेदन विचाराधीन है सूची संलग्न है।

(2) विभाग में पद रिक्त न होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकी है।

(3) विभाग में पद रिक्त नहीं है इसलिये संलग्न सूची के अनुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने संबंधी प्राप्त आवेदनों को कार्मिक विभाग को अन्य विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति दिलाई जाने हेतु निवेदन किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

503. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर में जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दसवीं और इनसे ऊपर की कक्षाओं में उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं? यदि हां, तो कितने-कितने किस-किस कक्षा में?

(2) क्या उक्त विद्यालय में उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापक हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे, कब-कब से और नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य के किसी स्कूल में उर्दू अध्यापक के पद सृजित करने के क्या नियम हैं? क्या उक्त स्कूल में इस का कोई पद है? यदि हां, तो भरा क्यों नहीं गया और नहीं, तो सृजित क्यों नहीं किया गया?

(4) जिला नागौर में कहां पर उर्दू अध्यापक के पद सृजित हैं तथा कहां-कहां पर सृजित किये जा सकते हैं, जो कब तक किये जा सकेंगे, तथा इस समय जिले में कहां-कहां पर पद रिक्त हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। कस्बा लाडनूं जिला नागौर में राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 45 है तथा कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं में एक भी छात्र उर्दू पढ़ने वाला नहीं है।

(2) जी, हां। उक्त विद्यालय में श्री आबिद अली, वरिष्ठ अध्यापक दिनांक 14-9-84 से कार्यरत है।

(3) प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कक्षा में 10 अथवा विद्यालय में 40 विद्यार्थी होने तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कक्षा में 15 अथवा विद्यालय में 50 विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। समानीकरण के अन्तर्गत अधिकतम 62 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक का मापदण्ड निर्धारित किया गया है, जो कि यथावत उर्दू विषय पर भी लागू होता है। उक्त विद्यालय में उर्दू विषय में प्रश्न के भाग संख्या-2 के उत्तर के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जिला नागौर में उर्दू विषय के अध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। उर्दू के वरिष्ठ अध्यापक के दो सौ पद सृजित कर विद्यालयवार आवंटन हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करा दिए गये हैं। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा आवश्यकता का आंकलन कर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। जिससे पर्याप्त रूप से उर्दू अध्यापक अध्यापन कार्य हेतु उपलब्ध हो जायेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

उच्च माध्यमिक विद्यालय वन गोठड़ी का नाम परिवर्तन

504. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वन गोठड़ी, जिला झुंझुनूं का नाम कारगिल युद्ध में शहीद सिपाही कंवरपाल सिंह के नाम से करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या प्रस्ताव कहां से प्राप्त हुये?

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों के अनुसार विद्यालय का नामकरण करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) मामले में विवाद होने के कारण यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश राज्य सरकार ने दे रखे हैं व सभी पहलुओं पर विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

झालरापाटन के सूर्य मंदिर की छतरी का पुनर्निर्माण

505. **श्री मोहन लाल राठौर** (झालरापाटन) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना ऐतिहासिक/दर्शनीय स्थल है? क्या उक्त मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले रखा है?

(2) क्या उक्त सूर्य मंदिर की एक छतरी टूटी हुई है जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हुई है? क्या इसके बारे में कई बार जनता द्वारा मांग की जा चुकी है?

(3) क्या सरकार इस मंदिर की छतरी वापस बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। झालरापाटन का पद्मनाथी (सूर्य मन्दिर) राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है।

(राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति)

(2) मन्दिर पर निर्मित सभी छतरियां सुरक्षित हैं। मन्दिर के प्रवेश द्वार के उत्तरी चबूतरे पर बनी एक छोटी छतरी क्षतिग्रस्त है। यह सही है कि जनता द्वारा इसकी मरम्मत हेतु मांग की गई।

(3) जी हां। विभाग के सीमित वित्तीय साधनों में से विभागाधीन स्मारकों का संरक्षण एवं मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाता है। वित्तीय साधन होने पर ही इसकी मरम्मत कराया जाना सम्भव होगा।

वीरान राजस्व ग्रामों के कृषकों को विद्युत कनेक्शन

506. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार वीरान राजस्व गांवों में कृषकों को सिंचाई के लिये विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य में ऐसे विद्युतीकृत घोषित वीरान राजस्व (नान पोटेंशियल ग्राम) गांवों में जहां कृषि कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित हैं, को वार्षिक कृषि नीति के मुताबिक पंचायत समितिवार कट-आफ-डेट के अनुसार निस्तारण किये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्रामों का विद्युतीकरण

507. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत कुल कितने गांव हैं? क्या उक्त सभी गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से नहीं हुए? सूची सदन की मेज पर रखें। अब शेष गावों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार गावं पाटिया, मोरवल, सुरजगढ़, सेनवाड़ा, चित्रावास कडेच, मुण्डाखेत, बलुख्त पीपरना, पलारिझवड़ा, हायला, बरावली व पाबा को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत कुल 330 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 2000 तक 224 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। 106 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। शेष रहे गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इन गांवों का विद्युतीकरण आंवटित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत आगामी वर्षों में शनैः शनैः किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर,

(ऊर्जा मंत्री)

जोधपुर जिले की बाप, फलौदी व शेरगढ़ पंचायत समिति के गांव, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों के ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र के गांव लिये जाते हैं। इनको सौर ऊर्जा चालित प्रकाश यंत्र स्थापित करके विद्युतीकृत किया जाता है। यह विद्युतीकरण केन्द्र सरकार के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अनुदान व राज्य सरकार के अनुदान पर आधारित है। इस वर्ष इस योजना के तहत 10500 गृह प्रकाश यंत्र लगाने का प्रस्ताव है। यदि आवश्यक लाभान्विति अंशदान प्राप्त हो जाता है, तो गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के लगभग 10 गांव सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किये जा सकेंगे। गांवों का चयन जिला परिषद की सहमति से किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

तहसील भीम व देवगढ़ के लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

508. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ के कितने-कितने घरेलू कनेक्शन के आवेदन-पत्र कब से लम्बित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से किस-किसने डिमाण्ड नोटिस की राशि कब-कब जमा करा दी है?

(3) उक्त डिमान्ड नोटिस की राशि जमा करा देने पर भी इतने लम्बे समय तक कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं?

(4) उक्त तहसील के सैकड़ों आवेदकों के प्रार्थना-पत्र पर सर्वे करके डिमाण्ड नोट नहीं निकालने के क्या कारण हैं?

(5) तहसील भीम व देवगढ़ के घरेलू कनेक्शन देने में अत्यधिक विलम्ब के लिए मण्डल किसे दोषी मानता है?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ में घरेलू कनेक्शन हेतु वर्तमान में लम्बित आवेदनों का विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र. सं.	तहसील का नाम	लम्बित आवेदनों की संख्या	लम्बित अवधि
1.	भीम	1169	ग्राम बांसाबारी में 11 आवेदन-पत्र माह नवम्बर, 1995 से लम्बित हैं। शेष आवेदन-पत्र माह अप्रेल, 1997 से मार्च, 2000 तक की अवधि में प्राप्त हुए हैं।
2.	देवगढ़	383	आवेदन-पत्र माह अप्रेल, 1998 से मार्च, 2000 तक की अवधि में प्राप्त हुए हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त तहसीलों के लम्बित आवेदनों में से भीम में 235 तथा देवगढ़ में 107 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करवाई है, जिनका ग्रामवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) तकनीकी कर्मचारियों तथा मैचिंग मटीरियल की कमी के कारण लाइन कार्य पूरा न होने से कनेक्शन देने में विलम्ब हुआ है।

(4) उक्त तहसीलों के राजस्व गांवों व मजरों में 11 के.वी. एवं एल.टी. लाइनों का कार्य पूर्ण न होने से आवेदकों के तखमीने नहीं बनाये जाने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये जा सके।

(5) तकनीकी कर्मचारियों एवं सामान की कमी के कारण कनेक्शन देने में विलम्ब हुआ है, इस मामले में किसी अधिकारी/कर्मचारी की वजह से विलम्ब की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रथम दृष्टया कोई दोषी प्रतीत नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

विद्युत मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से ऋण की स्वीकृति

509. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) से समय पर ऋण नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत मण्डल के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के अंशदान की राशि को मण्डल इस कोष में नहीं रखकर अन्य मदों में खर्च कर चुका/कर रहा है, जिससे कोष में राशि न होने के कारण कर्मचारियों को ऋण समय पर नहीं मिल रहा? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कर्मचारियों की जी.पी.एफ. राशि को सुरक्षित रखने के लिए सी.पी.एफ. की तरह ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) विद्युत मण्डल कर्मचारियों को जी.पी.एफ. के समय पर ऋण दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से समय पर ऋण दिए जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। सामान्य भविष्य निधि की राशि नियमित रूप से इस कोष में जमा की जाकर विनियोजित की जा रही है।

(3) जी हां। पूर्व में ही जी.पी.एफ. कोष स्थापित किया हुआ है। इसका राराविमं द्वारा गजट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) मण्डल कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) से ऋण भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। अतः किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

विद्युत मण्डल में कार्यरत उप अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

510. **श्री केसाराम चौधरी (खारची)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में कार्यरत उप अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता बनाने हेतु बोर्ड में निर्णय लिया गया था?

(2) क्या ऐसे आदेश को अब रद्द किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब उप अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता कब तक बना दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विद्युत मण्डल में कार्यरत उप अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता बनाने हेतु बोर्ड में निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों की दिनांक 26.03.1999 को सम्पन्न हुई बैठक में उप अभियन्ताओं के अभ्यावेदनों पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया था कि मण्डल में कार्यरत उप अभियन्ताओं को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर कनिष्ठ अभियन्ता बना दिया जावे जिसके सम्बन्ध में एक आदेश दिनांक 24.04.1999 को जारी किया गया था। उक्त आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। उक्त निर्णय पर मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा दिनांक 07.01.2000 को सम्पन्न हुई बैठक में पुनर्विचार किया गया एवं यह महसूस किया गया कि उप अभियन्ता का पद ग्रिड सब स्टेशन हेतु प्रसारण एवं निर्माण विंग में सृजित किया गया है एवं यदि उप अभियन्ताओं को कनिष्ठ अभियन्ता बनाया गया तो वे अन्य विभागों जैसे परि, एवं संधारण आदि में पदस्थापन हेतु प्रयासरत रहेंगे जिससे न सिर्फ ग्रिड सब स्टेशनों पर अभियन्ताओं की उपलब्धता में कमी आयेगी और मण्डल की कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा बल्कि उप अभियन्ता के पद सृजन के पीछे जो मूल भावना थी वो भी फलीभूत नहीं होगी। अतः दिनांक 26.03.1999 को लिये गये उक्त निर्णय को दिनांक 19.02.2000 के आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 में दिया जा चुका है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मण्डल के विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के ग्रामों में बिना आपूर्ति विद्युत शुल्क

511. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के किन-किन गांवों की डी.पी. कब से जली हुई है और उक्त डी.पी. अब तक क्यों नहीं बदली गई ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेलू (सवाईमाधोपुर) में डी.पी. जली होने के बावजूद ग्रामीणों को बिजली के बिल दिये गये हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या उक्त प्रकरण में किसी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

(3) अब उक्त ग्राम में डी.पी. कब तक लगा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत निम्न 7 गांवों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं, जिनका विवरण निम्नप्रकार है : —

ट्रांसफार्मर बदलने में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां विशेष बाकियात नहीं हैं। उपरोक्त स्थानो में बाकियात अत्यधिक होने के कारण इन्हें ट्रांसफार्मर बदलने में प्राथमिकता नहीं दी गई है।

क्र. सं.	गांव का नाम	ट्रांसफार्मर जलने की तिथि	कुल उप भोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1.	भूखा	14.12.98	49	49	2.11
2.	पीलवानदी	13.5.97	63	63	1.97
3.	माणोली	14.6.98	63	63	1.22
4.	उलियाना	8.12.99	16	16	0.62
5.	सेलू	जनवरी, 99	41	41	0.89
6.	गम्भीरा	30.6.99	38	34	1.94
7.	बेहतेड़	14.2.2000	156	107	4.02

(ऊर्जा मंत्री)

(2) ग्राम सेलू (सवाईमाधोपुर) में 8 उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर जलने के बाद की अवधि की राशि जोड़कर विद्युत बिल जारी कर दिये गये थे, इन उपभोक्ताओं के बिलों में से ट्रांसफार्मर जलने के बाद की अवधि की राशि कम कर सही बिल जारी कर दिये गये हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) उपभोक्ताओं द्वारा बिलों की बकाया राशि जमा करवाये जाने के उपरांत ही ट्रांसफार्मर बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि उपभोक्ता चाहे तो किस्ते की जा सकती हैं।

आनासागर अजमेर में टापू पर विद्युत कनेक्शन

512. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या घरेलू, व्यावसायिक, सार्वजनिक स्थलों पर बिजली कनेक्शन दिए जाने संबंधी कोई विभागीय नीति है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बिजली कनेक्शन लेने हेतु आवेदनकर्ता से किन-किन औपचारिकताओं को पूर्ण करवाया जाता है? क्या प्रपत्र भराये/मांगे जाते हैं?

(3) क्या आनासागर अजमेर स्थित टापू पर विद्युत कनेक्शन दिया गया है? यदि हां, तो कब किस श्रेणी के अन्तर्गत किसके नाम से? विद्युत कनेक्शन लेने हेतु लगायी गई पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कनेक्शन की पत्रावली किस दिनांक को लगाई गई डिमाण्ड नोटिस किसके द्वारा किस दिनांक को जारी किया गया तथा डिमाण्ड नोटिस कब जमा हुआ और कनेक्शन कब किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। घरेलू, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्थलों पर बिजली कनेक्शन देने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विद्युत मण्डल द्वारा आवेदक को मांग पत्र जारी किया जाता है। आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाने व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन दे दिया जाता है। विद्युत मण्डल द्वारा घरेलू, अघरेलू (व्यावसायिक) तथा सार्वजनिक स्थलों पर कनेक्शन देने के संबंधी नियमों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बिजली कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ता को निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करनी होती है :—

1. विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से भरकर संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में निर्धारित राशि जो

(ऊर्जा मंत्री)

कि निम्नप्रकार से है के साथ जमा करानी होती है : —

सिंगल फेज एलटी. 25 रु.

थ्री फेज एल. टी. 200 रु.

2. इस प्रार्थना पत्र के साथ 10 रु. का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निम्नांकित कर, हस्ताक्षर करके देना होता है :

"यह स्टाम्प पेपर——के नाम से विद्युत कनेक्शन लेने के लिए स्टाम्प शुल्क की भरपाई हेतु संलग्न किया जा रहा है।"

3. उपरोक्त के अलावा मकान/परिसर के स्वामित्व यदि हो तो, का प्रमाण भी संलग्न करना होता है अन्यथा कब्जेदार/किरायेदार की हैसियत से ज्यादा सिक्योरिटी राशि जमा कराकर भी कनेक्शन लिया जा सकता है।

4. उपभोक्ता को अनुमानित राशि, सिक्योरिटी डिपोजिट इत्यादि जमा करानी होती है।

5. उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में विद्युत फिटिंग इत्यादि के प्रमाणीकरण के लिये एक सर्टीफिकेट "एल-फार्म" के रूप में देना होता है जो कि विद्युत निरीक्षणालय द्वारा अधिकृत वायरमैन द्वारा जारी किया जाता है।

(3) जी, हां। आनासागर टापू पर आयुक्त, नगर परिषद, अजमेर को राजकीय अघरेलू श्रेणी में दिनांक 21.03.1999 को कनेक्शन दिया गया है। कनेक्शन हेतु लगाई गई पत्रावली की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"ब" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उक्त कनेक्शन की पत्रावली सहायक अभियन्ता (वितरण-पंचम) अजमेर के कार्यालय में जमा करवाई गई थी। प्रश्न में चाहा गया अन्य विवरण निम्नप्रकार है : —

1. आवेदन की तिथि 10.07.1997
2. मांग पत्र जारी करने की तिथि 29.07.1997
3. मांग पत्र जमा होने की तिथि 21.08.1997
4. कनेक्शन जारी करने की तिथि 21.03.1998

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत् मण्डल में विभिन्न श्रेणी के पदों का समापन

513. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

गत एक वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद समाप्त किये गये और पद समाप्त करने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

गत एक वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में विभिन्न श्रेणियों के कुल 4424 पद समाप्त किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। यह पद मितव्ययता की दृष्टि से समाप्त किये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

सांगोद क्षेत्र के ग्रामों का भौतिक रूप से विद्युतीकरण

514. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सांगोद (कोटा) क्षेत्र के कई ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है? क्या उन्हें विभाग द्वारा विद्युतीकृत किया हुआ है दर्शाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब उक्त ग्रामों का कब तक भौतिक रूप से विद्युतीकरण करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, सांगोद (कोटा) के विद्युतीकृत घोषित गांवों में से केवल निम्न चार गांव ही ऐसे हैं जिनका एनरूट मानते हुए विद्युतीकृत घोषित किया गया था परन्तु इनमें वर्तमान में विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है : —

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.
1.	बायड़ा	26/9/35
2.	सलूनिया	13
3.	सामरिया	194
4.	लाडपुरा	69

(2) जिन विद्युतीकृत घोषित गांवों में कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित हो तथा विद्युतीकरण के लिए सामान की लागत (सब-स्टेशन के अतिरिक्त) 50000 रु. तक हो तो उनको विद्युतीकृत करने का प्रावधान है। उपरोक्त गांवों में लागत अधिक होने के कारण फिलहाल आर्थिक अभाव के कारण इनका विद्युतीकरण करना संभव नहीं है।

पंचायत समिति जहाजपुर के आवास संख्या 15 का विद्युत बिल

515. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

पंचायत समिति जहाजपुर के क्वार्टर नम्बर 15 के जून, 1995 से मार्च, 2000 तक प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि के बिल मण्डल द्वारा जारी किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति जहाजपुर के क्वार्टर नं. 15 में स्थित विद्युत कनेक्शन को माह जून, 1995 से फरवरी, 2000 तक जारी किये गये द्विमासिक बिलों की राशि का विवरण निम्न प्रकार है : —

(ऊर्जा मंत्री)

क्र. सं.	बिलिंग माह	बिल की राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	जून, 1995	2274.20
2.	अगस्त, 1995	2522.70
3.	अक्टूबर, 1995	2667.70
4.	दिसम्बर, 1995	2667.70
5.	फरवरी, 1996	2667.70
6.	अप्रेल, 1996	3050.20
7.	अगस्त, 1996	3164.20
8.	अक्टूबर, 1996	172.40
9.	दिसम्बर, 1996	248.30
10.	फरवरी, 1997	129.90
11.	जून, 1997	460.40
12.	अगस्त, 1997	127.30
13.	अक्टूबर, 1997	264.90
14.	दिसम्बर, 1997	145.20
15.	फरवरी, 1998	284.69
16.	अप्रेल, 1998	261.23
17.	जून, 1998	146.94
18.	अगस्त, 1998	194.43
19.	अक्टूबर, 1998	284.04
20.	दिसम्बर, 1998	423.29
21.	फरवरी, 1999	185.59
22.	अप्रेल, 1999	157.04
23.	जून, 1999	232.62
24.	अगस्त, 1999	521.08
25.	अक्टूबर, 1999	740.72
26.	दिसम्बर, 1999	256.93
27.	फरवरी, 2000	475.75

जिला भरतपुर में छात्रावासों का निर्माण

516. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या रूपवास, भरतपुर, वैर, डीग में छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई है? यदि हां, तो कब तथा भवन निर्माण कार्य कब से चालू करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राशि दिये जाने के बाद भी भवन निर्माण नहीं हुआ है? क्या सरकार उक्त छात्रावासों के भवन-निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इन छात्रावासों में राशि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विवरण निम्नप्रकार है : —

(समाज कल्याण मंत्री)

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत राशि (लाखों में)	भुगतान की गई राशि का दिनांक	भुगतान की गई राशि	भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का दि.
1.	अनु. जाति छात्रावास, रूपवास	11.50	3.3.89	1.00	5/89
			26.3.90	3.00	
			13.3.95	6.90	
				10.90	
2.	अनु. जाति छात्रावास, वैर	11.50	16.10.90	5.00	12/89
			19.3.94	6.50	
				11.50	
3.	अनु. जाति छात्रावास, भरतपुर	37.83	2.2.95	18.00	5/95
			7.3.96	10.00	
			27.1.97	1.83	
				37.83	
4.	अनु. जनजाति छात्रावास, डीग	29.73	30.3.96	3.88	5/96
			2.12.97	10.9850	
			23.6.98	14.8650	
				29.73	

(2) जी हां, रूपवास छात्रावास के अतिरिक्त तखमीने के अनुसार वैर, भरतपुर एवं डीग छात्रावासों की पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाये है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये ज़ा रहे हैं।

चोखड़ा (जैसलमेर) में ऊन विकास कार्य

517. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)** : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने ऊन ग्रेडिंग सेन्टर को बन्द कर दिया है?

(2) क्या यह भी सही है राजस्थान की सारी ऊन ग्रेडिंग के अभाव में कार्पेट ऊन के नाम से बिक रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि चोखड़ा तथा जैसलमेरी भेड़ की ऊन ऊनी वस्त्रों के उपयोग में ली जा सकती है?

(4) क्या सरकार ऊन के विकास हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? क्या ऊन के आयात पर रोक लगाई जा सकेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन को दिनांक 15 सितम्बर, 1998 को बंद कर दिया गया था। इसी के अधीन विभिन्न ऊन वर्गीकरण केन्द्र संचालित होते थे। फैडरेशन के बंद होने के कारण ये केन्द्र बंद हो गये हैं।

(2) राजस्थान की ऊन कार्पेट एवं वस्त्रादि दोनों के निर्माण में ही उपयोग में ली जा रही है। इसका ग्रेडिंग सेन्टर बंद होने से कोई संबंध नहीं है।

(3) जी हां।

(4) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन के बंद होने के बाद ऊन के विकास हेतु फिलहाल कोई ऐसी योजना विचारार्थ नहीं है। ऊन का आयात केन्द्र सरकार से संबंधित है।

जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम सभाओं का आयोजन

518. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 1999 के मध्य कब-कब ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया? क्या ग्राम सभाओं के विकास हेतु 10-10 प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर सूची बद्ध किये गये? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के प्रत्येक पंचायत के 10-10 विकास कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चित्तौड़गढ़ जिले की सादड़ी, डूंगला, प्रतापगढ़ पंचायत समिति की विभिन्न पंचायतों में विकास के इन प्रस्तावों में कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं? यदि हां, तो पंचायत वार स्वीकृत कार्य उनकी पूर्णता/अपूर्णता की सूची एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम सभाओं में इस प्रकार के प्रस्ताव लेने का औचित्य क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 1999 के मध्य दिनांक 26/1/99,

(पंचायती राज मंत्री)

2/5/99, 15/8/99 एवं 2/10/99 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी, डूंगला एवं प्रतापगढ़ पंचायत समितियों की विभिन्न पंचायतों में उक्त प्रस्ताव में से प्रारम्भ कराये गये कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है, जिसमें पंचायतवार सूचीबद्ध कार्य, उनकी पूर्णता, अपूर्णता एवं व्यय की सूचना सम्मिलित है।

(3) राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए ग्राम सभा को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, ताकि ग्रामीण स्तर पर जो भी योजनाएं बनाई जायें, उसमें ग्रामीण लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी रहे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम के अधीन विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

519. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) प्रथम, जयपुर के अधीन कौन-कौन से विद्यालय हैं और उनमें कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं और कितने अध्यापक वर्तमान में कार्यरत एवं पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं और कई विद्यालयों में स्वीकृत पदों से कम अध्यापक कार्यरत हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार की समानीकरण योजना की नीति के अनुसार जो अध्यापक वर्ष 1999 में राज्यादेश से स्थानान्तरित होकर आये हैं उन्हें उसी विद्यालय में रखा जायेगा तथा जहां वह पदस्थापित हैं एवं उसी विद्यालय में पदस्थापित अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि हां, तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक प्रथम जयपुर द्वारा इस नीति का पालन नहीं करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक प्रथम जयपुर के अधीन जयपुर शहर, सांगानेर, झोटवाडा, बस्सी, चाकसू, दूदू एवं फागी के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय है। अध्यापकों की पदवार स्थिति इस प्रकार है : —

	स्वीकृत	कार्यरत
1. द्वि.वे. श्रृंखला	372	290
2. तृ.वे. श्रृंखला	3611	3443

विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां।

कुछ विद्यालयों में न्यायालय के स्थगन आदेशों के फलस्वरूप स्वीकृत पदों से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं। कुछ विद्यालयों में सेवा निवृत्ति/निधन/स्थानान्तरण के कारण स्वीकृत से कम अध्यापक कार्यरत हैं।

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) प्रथम जयपुर द्वारा समानीकरण के अन्तर्गत किए गए स्थानान्तरणों की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली सुथारान (श्री गंगानगर) का गुमशुदा रिकार्ड

520. **श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली सुथारान (श्री गंगानगर) में ग्राम पंचायत का रिकार्ड गुम होने की कोई सूचना किस थाने में दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायत का रिकार्ड सरपंच के पास रहता है? यदि हां, तो क्या सरपंच हार जाने के बाद भी रिकार्ड रख सकता है?

(3) क्या पंचायत समिति में विकास अधिकारी की अनुमति से रिकार्ड मंगाया जा सकता है? क्या उक्त पूर्व सरपंच रिकार्ड ले जाने में सक्षम है? यदि नहीं, तो सरकार इस पर क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) ग्राम पंचायत सचिव के क्या-क्या अधिकार हैं? क्या ग्राम पंचायत का सभी रिकार्ड सचिव के पास रहता है? यदि हां, तो क्या सरपंच भी अपने पास रिकार्ड रख सकता है?

उत्तर

(1) जी हां। श्री सुभाष चन्द पूर्व सरपंच द्वारा दिनांक 13.2.2000 को पुलिस थाना कोतवाली (श्रीगंगानगर) में इस बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

(2) जी, नहीं।

(3) जी हां। पूर्व सरपंच रेकार्ड ले जाने के लिए सक्षम नहीं है।

(4) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 78(2) के अन्तर्गत सचिव के कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। ग्राम पंचायत का रिकार्ड सचिव के पास रहता है। सरपंच के पास रिकार्ड रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों के अपूर्ण तालाब

521. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में पंचायत समितियों के अन्तर्गत कितने तालाब पूर्ण/अपूर्ण हैं ?

(2) क्या सरकार पंचायती राज के अन्तर्गत अपूर्ण रहे तालाबों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में पंचायत समितियों के अन्तर्गत पूर्ण/अपूर्ण तालाब निम्न प्रकार है :

पं.स.	पूर्ण तालाब	अपूर्ण तालाब	योग
बांसवाड़ा	22	—	22
घाटोल	27	—	27
पीपलखूंट	38	12	50
बागीदौरा	27	14	41
सज्जनगढ़	21	5	26
कुशलगढ़	17	5	22
आनन्दपुरी	139	—	139
गढ़ी	97	31	128
	388	67	455

(2) ग्रामों के विकास कार्यों का चयन, प्राथमिक निर्धारण और क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम सभाओं को है। ग्राम सभा की अनुशंषा पर तालाबों की मरम्मत का कार्य विकास योजना के मापदण्डों के अनुरूप उन्हें उपलब्ध राशि से कराया जा सकेगा।

चयनित ग्राम सेवकों का वेतनमान

522. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नये ग्राम सेवकों की भर्ती के समय प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञप्ति में मूल वेतन 3200 रुपये का दर्शाकर चयन किया गया था ?

(2) यदि हां, तो नियुक्ति के बाद उन्हें 1200 रुपये वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब सरकार नव नियुक्त ग्राम सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार 3200 रुपये मूल वेतन देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) ग्राम सेवक परीक्षा के सफल अभ्यार्थियों को नियमान्तर्गत परीविक्षा काल के लिये 1200/- रुपये के मानदेय पर नियुक्त किया गया है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) दो वर्ष का परीविक्षाकाल संतोषजनक तरीके से पूर्ण करने पर चयनित ग्राम सेवकों की नियमित नियुक्ति की जायेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मोयों का बाड़ा अजमेर में कार्यरत अध्यापिका का स्थानान्तरण प्रकरण

523. **श्री कय्यूम खान** (मसूदा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में प्रारम्भिक शिक्षा में कितने विकलांग शिक्षक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या विकलांग शिक्षक को अजमेर शहर में रखने का कोई प्रावधान है? यदि हो, तो इस संबंधी नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में समानीकरण के तहत कितने शिक्षकों को विकलांगता का लाभ देकर वरिष्ठता के बावजूद अजमेर शहर में रखा गया है? सूची सदन की मेज पर रखे।

(4) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मोयों का बाड़ा, अजमेर में कितने शिक्षक कार्यरत हैं? उक्त में से कितने विकलांग हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत श्रीमती डोरती लवर्ण गत 28 वर्षों से तथा श्रीमती चारूमति गत 18 वर्षों से अजमेर में कार्यरत हैं? उक्त में से श्रीमती डोरती लवर्ण कब से विकलांग है? उक्त अध्यापिका का मेडिकल प्रमाण-पत्र कब प्रस्तुत किया? प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या श्रीमती डोरथी लवर्ण सरकार से विकलांग भत्ता लेती है? यदि हां, तो अब तक उसे उक्त भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त अध्यापिका के गत पांच वर्षों में कितनी बार कहां-कहां तबादले किये गये और उनके तबादले किस आधार पर निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा में 20 विकलांग अध्यापक कार्यरत हैं। सूची 'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। नियम की प्रति परिशिष्ट 'ख' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) अजमेर जिले में 3 अध्यापकों को विकलांगता के कारण समानीकरण में शहर से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है : —

उत्तर

(1) पंचायत समिति केशोरायपाटन (बून्दी) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों का योजनावार विवरण तथा कार्य के लिए स्वीकृत की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(2) दिनांक 31.01.2000 तक उक्त कार्यों में से पूर्ण हुए तथा अपूर्ण रहे कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित संबंधित कार्यों के सम्मुख विवरण अवलोकनीय है। पंचायत समिति में लम्बे अर्से से ग्रुप सचिवों के रिक्त पद होने, राज्य मद की योजनाओं का अभिकरण से जिला परिषद में स्थानान्तरण होने की प्रक्रिया में समय लगना, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर फण्ड जारी करने पर पाबन्दी लगाने तथा कुछ कार्यों के स्थान के सम्बन्ध में विवाद होने जैसे कतिपय कारण हैं, जिनके कारण कार्य पूर्ण नहीं करवाये जा सके, जिसके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है।

(3) दिनांक 31.01.2000 तक अपूर्ण रहे कार्यों पर किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित संबंधित कार्यों के सम्मुख अवलोकनीय है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम हेतु स्वीकृत राशि

527. **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर साउण्ड एण्ड लाइट प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की।

(2) उक्त राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृति के बाद भी अब तक उक्त कार्य की क्रियान्विति नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त कार्य को कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ ही मेवाड़ क्षेत्र का पवित्र स्थल मातृकुन्डिया व सारणेश्वर महादेव गंगरार में भी पर्यटक स्थल के विकास की दृष्टि से उक्त कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर साउण्ड एण्ड लाइट प्रोजेक्ट की स्वीकृति विभाग द्वारा नहीं दी गई।

(2) इसका प्रश्न ही नहीं है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(3) चूंकि कार्य पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत ही नहीं किया गया है। अतः क्रियान्विति किए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(5) जी, नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

नदियों/झीलों के किनारों पर यात्री होटल रेस्तरां

528. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो नीति संबंधी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकारी/निजी क्षेत्र में होटल रेस्तरां संचालित करने के संबंध में भी कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज़ पर रखें और नहीं, तो ऐसे में विभाग द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है?

(3) क्या प्रदेश में नदियों/झीलों के बीच किनारों पर यात्री होटल एवं रेस्तरां संचालन हेतु विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक है? यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) खण्ड तीन की अनिवार्य पात्रता वाले कितने होटल रेस्तरां अजमेर, पुष्कर, उदयपुर, जयपुर के कितने शहरों में संचालित किए जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। निजी क्षेत्र में होटल/रेस्तरां संचालित करने के सम्बन्ध में विभागीय नीति निर्धारित नहीं है। राजकीय क्षेत्र में होटल/रेस्तरां पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को मध्येनजर रखकर निर्णय लिये जाते हैं।

(3) जी, नहीं। पर्यटन विभाग में होटलों व रेस्तरां के पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) पर्यटन विभाग में होटल/रेस्तरां के पंजीकरण का प्रावधान नहीं है।

शेखावाटी महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि

529. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेखावाटी महोत्सव नाम से सीकर तथा झुन्झुनूं जिलों में आयोजित समारोह/कार्यक्रमों पर वर्ष 1999-2000 की अवधि में कितनी राशि राजकोष से व्यय की गई है तथा कितनी राशि स्वयंसेवी संस्थाओं एनजी.ओ. द्वारा व्यय की गई है?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) किन-किन एनजीओ. ने इनमें भागीदारी की तथा इनको जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला पार्षदों अथवा अन्य किसी सरकारी विभागों द्वारा कितनी-कितनी. राशि-ग्रान्ट-ऋण-सब्सिडी अथवा अन्य किसी रूप में दी गई ?

उत्तर

(1) शेखावाटी महोत्सव नाम से सीकर तथा झुन्झुनूं में कोई आयोजन नहीं हुआ है अपितु सीकर में शेखावाटी मेला-2000, झुन्झुनूं में शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला-2000 तथा नवलगढ़ में शेखावाटी उत्सव नाम से आयोजन किये गये हैं। इन मेलों में व्यय की गई राशि, आयोजक तथा अवधि सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त मेलों में भाग लेने वाले एनजी.ओ. व अन्य संस्थाओं का विवरण, प्राप्त की गई व व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"क" में उपलब्ध है। झुन्झुनूं, नवलगढ़ व सीकर में सम्पन्न हुए मेलों में जिन सरकारी विभागों व अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त की गई है, संबंधी सूचना भी परिशिष्ट-क में उपलब्ध है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

जिला धौलपुर में डांग विकास कार्यक्रम

530. **श्री जसवंत सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डांग विकास के लिये जिला धौलपुर में कितनी राशि आवंटन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि डांग विकास के लिये जिले को आवंटित राशि साठ लाख में से मात्र आठ लाख ही अभी तक जारी की गई है ?

उत्तर

(1) डाग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिला धौलपुर को वर्ष 1999-2000 हेतु 8.10 लाख रुपये का पुनर्संशोधित आवंटन किया गया।

(2) डाग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 हेतु धौलपुर जिले को 8.10 लाख रुपये के पुनर्संशोधित आवंटन के पेटे 8.10 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं।

राज्य के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं का स्थानान्तरण

531. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या 1 दिसम्बर, 1999 के बाद महाविद्यालयों में व्याख्याताओं/उप प्राचार्य/प्राचार्य के स्थानान्तरण किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब किसके ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पदों का समापन

532. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के पदों को कम करने की योजना है? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे पूर्णतया अस्थाई शिक्षक जिनके लिए उनके विभागों में पर्याप्त कार्यभार नहीं है के संबंध में क्या निर्णय कर रही है?

(3) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के कुछ विभागों में बिना वर्कलोड के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो विभागवार शिक्षकों के कार्य भार की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(4) लेखा एवं सांख्यिकी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान आदि विभागों में कार्यरत शिक्षक, उनका कार्यभार तथा प्रत्येक शिक्षक द्वारा लिए जा रहे कालांशों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्च शिक्षा विभाग की ऐसी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। कार्मिक व वित्त विभागों ने ऐसा निर्णय किया व निर्देश जारी किये तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकों के कार्यभार के आकलन हेतु प्रोफेसर टी. भट्टाचार्य की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर के अनुसार रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(4) वांछित सूचना काफी विस्तृत है। अतः एकत्रित की जा रही है।

राज्य में महाविद्यालयों की स्थापना

533. **श्री मोहन लाल चित्तौड़िया** (कपासन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में कितने नये कालेज खोले जाने प्रस्तावित हैं?

(2) क्या सरकार वर्ष 2000-2001 में कपासन नगर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया कब तक शुरू की जायेगी?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में राजकीय क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है : —

श्री हीरासिंह चौहान एवं श्री रमजान खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर की महत्त्वपूर्ण ग्रेवल्ड सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है : —

(1) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से पाली जिले के सैदंड़ा का शुद्ध पेयजल रायपुर तहसील के गांवों को नहीं देकर एक सीमेंट फैक्ट्री को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हरीश चन्द्र, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील नावां के ग्राम लूणवां में हुई आगजनी की घटना में प्रशासन द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

(2) श्री शिवनारायण नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की पार्वती नहर की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से रणथम्भौर बाघ परियोजना में एक निजी संस्था "टाइगर वाच" से किये अनुबंध को समाप्त करने के संबंध में।

(4) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से श्री शिवनारायण जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय, कासली (जयपुर) को राजकीय नियंत्रण में लेने के संबंध में।

(5) श्री घासीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से बूंदी जिले की तहसील केशोरायपाटन के गांव भैंसखेड़ा व कोडक्या बालाजी के समीप मेज नदी पर बांध बनवाने के संबंध में।

(6) श्री मंगलाराम गोदारा, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत मण्डल द्वारा

(श्री उपाध्यक्ष)

काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से राजस्थानी भाषा को प्रदेश की द्वितीय भाषा एवं संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के संबंध में।

(8) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में बांध निर्माण के संबंध में।

(9) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में कतिपय सड़कों का डामरीकरण कृषि उपज मण्डी से करवाने के संबंध में।

(10) श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से आसींद से शाहपुरा सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(11) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की विद्युत समस्या के संबंध में।

(12) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य की ओर से मंगलाना रेलवे फाटक से मकराना नये पोस्ट आफिस तक खानों का गीला पाउडर डालने से उतपन्न स्थिति के संबंध में।

माननीयं सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया। (अनुपस्थित) श्री शिवनारायण नागर (अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : श्रीमान् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मिनिस्टर साहब ने। (व्यवधान) गम्भीर समस्या है पानी की मेरे इलाके में। पीने के पानी की समस्या है, श्रीमान्। (व्यवधान) इसका उत्तर देना चाहिए इनको।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। मैडम, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला की वेदना है और वह भी पानी का मामला है, दिला दो जवाब, साहब।

श्री उपाध्यक्ष बैठो, बैठो।

श्रीमती शांति पहाड़िया : पानी का मामला है, श्रीमान्, जवाब देना चाहिए हमारे मिनिस्टर साहब को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिराजिये।

श्रीमती शांति पहाड़िया : जवाब दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिलाएंगे आपको, अलग से इसके लिए देंगे। बिराजिये आप।

श्रीमती शांति पहाड़िया : गर्मी का समय है और पानी तो सबको ही चाहिए ना।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, वह समय ही समाप्त हो गया है। आपको अलग से जवाब दिलवाएंगे, बिराजिये प्लीज। श्री दिग्विजय सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रणथम्भौर बाघ परियोजना में टाइगर वाच के साथ किया गया अनुबन्ध

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर बाघ परियोजना जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद भी राज्य सरकार के वन्य जीव प्रतिपालक विभाग के अधिकारियों द्वारा इस राष्ट्रीय धरोहर को किसी प्रकार से निजी संस्था "टाइगर वाच" से एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर इकरारनामा दिनांक 8 जनवरी, 1999 को किया गया है। जिसमें उस संस्था को पांच वर्ष के लिए इस बाघ परियोजना में खुले रूप से घूमने की छूट होगी। और तो और, इस इकरारनामे के माध्यम से 'टाइगर वाच' संस्था को एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। यह अनुबन्ध जो पांच वर्षों के लिए किया गया है, इसका रजिस्ट्रेशन बाघ संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत हुआ है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय (फील्ड आफिस) या फार्म, रणथम्भौर रोड, सवाईमाधोपुर में होना बताया है जबकि मुख्य कार्यालय 16-17, हंसराज दामोदर बिल्डिंग, 12/14, गोवा स्ट्रीट, बेलार्ट स्टेट, मुम्बई में स्थित बताया है। इस संस्था के सदस्य वे व्यक्ति हैं जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस बाघ परियोजना का पूर्व में लाभ उठाते हुए काफी धन पुस्तक लेखन, वीडियोग्राफी व अन्य स्रोतों से कमाते रहे हैं। इसके अध्यक्ष जूलियो रिबेरिया, उपाध्यक्ष फतेहसिंह राठौड़ (पूर्व निदेशक परियोजना) रह चुके हैं व अन्य भी हैं। इनकी भूमि को लेकर अभी तक भी विवाद चल रहा है, जहां क्षेत्रीय कार्यालय होना बताया है। आश्चर्य इस बात का है कि इसके सलाहकार मण्डल में वर्तमान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव श्री पी. के. सैनी, मुख्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान हैं जिससे स्पष्ट है कि यह सारी कार्यवाही सुनियोजित ढंग से की गई है। स्थानीय फील्ड डाइरेक्टर द्वारा ही अपने स्तर पर यह अनुबंध कर लिया गया जो वन्य जीव अधिनियम, 1972 (संशोधित 1993) की धारा 12 व धारा 28 के विपरीत ही नहीं, बल्कि उसका उल्लंघन है। साथ ही कुछ शर्तों को मंजूर किया गया है जैसे उच्च क्षमता की प्रकाश व्यवस्था, रात्रि में देखने वाले उपकरण, संचार माध्यम (साधन), वीडियो कैमरा इत्यादि है, जबकि परियोजना में सायंकाल बाद प्रवेश नहीं हो

(श्री दिग्विजय सिंह)

सकता है। ऐसे में इस प्रकार का अनुबंध वह भी पांच वर्षों के लिए बिना राज्य सरकार के ध्यान में लाये सर्वथा कानून का उल्लंघन है। इस अनुबंध में यह कहीं नहीं है कि यह संस्था "वन जीव" विभाग को प्रतिवर्ष कितनी राशि चुकाएगी। साथ में जो अन्य शर्तें हैं वह इस प्रकार की हैं कि एक समय आ जाएगा जब यह बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर "बाघ परियोजना" राज्य के हाथों से निकल जाएगी और हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को आघात लगेगा।

अतः इस संबंध में माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत दिलाते हुए आग्रह करूंगा कि इस अनुबंध को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करें और सारे मामले की पत्रावली मंगवाकर जांच करें और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

शिवनारायण जोशी उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय, कासली , जयपुर को अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्री शिवनारायण जोशी उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय, कासली को राजकीय नियंत्रण में लेने हेतु निवेदन है कि श्री शिवनारायण जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय, कासली (जयपुर) राज्य सरकार द्वारा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं को श्री शिवनारायण जोशी हाई स्कूल मैनेजिंग कमेटी, कासली (जयपुर) द्वारा संचालित किया जाता है।

प्राथमिक शाला को 60 प्रतिशत, माध्यमिक वर्ग (कक्षा आठ से कक्षा दस तक) 80 प्रतिशत तथा सीनियर वर्ग (कक्षा 11 व 12) को 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त है। इसके बावजूद भी प्रबंध समिति द्वारा कई वर्षों से अनियमितता की जा रही है। फलस्वरूप शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय, अनिश्चित हो गया है। संस्था में शिक्षकों को वेतन नियमित नहीं दिया जाता। अब अगस्त, 1999 से तो वेतन भुगतान किया ही नहीं गया है। कर्मचारियों को कम भुगतान कर अधिक राशि पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि की रोकड़ में ही जमा है जिसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। इन्हीं अनियमितताओं के चलते प्रबंध समिति के विरुद्ध दस मामले न्यायालय में चल रहे हैं। कई बार संस्था के कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं लेकिन अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मान्यवर, सन् 1939 में स्थापित यह संस्था क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय रही है तथा अधिसंख्य जनता इससे लाभान्वित हुई है। सैकड़ों विद्यार्थी इस संस्था से विद्यार्जन कर

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

देश-विदेश में कार्यरत हैं। लेकिन अब स्थिति बहुत गम्भीर है। असंतुष्ट कर्मचारियों तथा प्रबंधन के झगड़ों से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। इस करण कई बार जांच अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। एक जांच अधिकारी श्री रामकृष्ण शर्मा, अतिरिक्त जिला अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि संस्था को डूबने से बचाने के लिए संस्था में अविलम्ब राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति किया जाना अति आवश्यक है।

व्यथित शिक्षक अपनी व्यथा माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब को भी पहुंचा चुके हैं। दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 को माननीय कल्ला साहब कोटपूतली के एक समारोह में अधोहस्ताक्षरकर्ता की उपस्थिति में इस संस्था में शीघ्र प्रशासक नियुक्त किए जाने की घोषणा कर चुके हैं किन्तु अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि श्री शिवनारायण जोशी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, कासली (जयपुर) को शीघ्र राजकीय नियंत्रण में लिया जाए जिससे इस पुरानी गौरवशाली संस्था को बचाया जा सके तथा व्यथित शिक्षकों, कर्मचारियों को राहत मिल सके। आशा है सरकार इसी सत्र में त्वरित कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीराम मेघवाल। (अनुपस्थित) श्री मंगलाराम गोदारा

श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत श्रीडूंगरगढ़ में विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत कनेक्शनों में की जा रही अनदेखी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विद्युत मण्डल के सहायक अभियंता कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ में बहुत लम्बे समय से सामान्य श्रेणी, नर्सरी योजना, हरा चारा योजना एवं हरिजन श्रेणी के विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। विभाग ने हाल ही में 31 मार्च, 1993 से पूर्व की पत्रावलियों का निस्तारण करने के आदेश दिये हैं जबकि 1993 से 2000 तक सैकड़ों काश्तकारों ने नर्सरी योजना, हरा चारा योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पत्रावलियां विभाग में जमा करवा रखी हैं। सामान्य श्रेणी के मार्च, 1993 तक के 183 कनेक्शन जारी किए गये हैं जबकि 94 कनेक्शनों

(श्री मंगला राम गोदारा)

में यह आपत्ति लगा दी गयी है कि जब तक काश्तकार कुएं का निर्माण नहीं करवाता तब तक कनेक्शन नहीं दिए जाएं। वास्तविकता यह है कि सभी काश्तकारों ने अपने खेतों में कुओं का निर्माण पूर्व में ही करवा लिया लेकिन विभाग जानबूझकर कनेक्शन नहीं दे रहा है। नर्सरी योजना में काश्तकारों ने कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लम्बे समय से विभाग में पैसे जमा करवा रखे हैं लेकिन आज दिन तक उन पत्रावलियों के आधार पर विभाग ने सर्वे नहीं करवाया, मांग पत्र जारी नहीं किये और ना ही समय तय किया कि कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे।

हरा चारा योजना के तहत 104 पत्रावलियां लम्बे समय से विभाग के पास विचाराधीन हैं। विभाग ने 20-22 कनेक्शन के लिए सर्वे करवाया लेकिन कनेक्शन जारी नहीं किये। लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण हेतु न तो कार्य-योजना बनाई और न ही डिमाण्ड नोटिस जारी किये। अकाल की विभीषिका के कारण काश्तकारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट है। चारे के अभाव में मवेशी मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सदन के माध्यम से मेरा निवेदन है कि विभाग समय पर विद्युत कनेक्शन जारी कर देता है तो काश्तकार को इस अकाल के समय बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक गम्भीर समस्या आई है कि पागल कुत्ते काट रहे हैं लोगों को और उनकी दवाइयां नहीं हैं। जो इंजेक्शन लगता है पागल कुत्ते के काटने पर...

श्री उपाध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप सब्जैक्ट क्या बोल रहे हैं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सब्जैक्ट तो 295 है। यह भी गम्भीर मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका 295 किस पर है, माननीय सदस्य?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295 आपका है, आप 295 पर बोलें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कई माननीय सदस्यों की यह समस्या है, पागल कुत्ते की दवाई नहीं है।

श्री रामस्वरूप : यह टोडाभीम में भी है समस्या, वहां भी कई पागल कुत्ते खा गये लोगों को, इसलिए बहुत गम्भीर विषय है साहब, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इंजेक्शन जो लगता है उसका, उपलब्ध कराया जाना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप 295 पर बोलना चाहते हैं या नहीं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं बोल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो वह बोलिये।

राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत राजस्थान भाषा को प्रदेश की द्वितीय भाषा एवं संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के क्रम में विशेष उल्लेख के द्वारा निवेदन है कि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में छोटे-छोटे प्रांतों की भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं जैसे गुजराती, कन्नड़, तेलुगू, मलयालम, सिंधी आदि। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज आजादी को पचास वर्षों से अधिक का समय हो गया है, परन्तु राजस्थान की राजस्थानी भाषा जिसको छह करोड़ से अधिक लोग अपने बोलचाल की भाषा और अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, अभी तक आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की जा सकी है। इस भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने तथा राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करवाने के निम्न ठोस आधार है : —

1. यह भाषा राजस्थानियों की सांस्कृतिक धरोहर है एवं गौरवशाली भाषा है।

2. छह करोड़ से अधिक यहां के निवासी, प्रवासी दैनिक क्रियाकलापों में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा सन् 1972 से केन्द्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

3. इस भाषा का पुराना साहित्य है तथा दो लाख शब्दों का शब्दकोष है।

4. यह प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र अध्ययन की भाषा है।

5. आकाशवाणी, दूरदर्शन से इस भाषा के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं तथा आकाशवाणी से नियमित रूप से इस भाषा में समाचार बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित किये जाते हैं।

6. यहां का कोई ऐसा तीज-त्यौहार नहीं है जो लोक गीत, लोक संगीत तथा लोक भजनों के बिना सम्पन्न होता है। इस भाषा में 30,000 से अधिक लोक गीत प्रकाश में आये हैं।

7. इस भाषा में हजारों ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है।

8. राजस्थान के विभिन्न अंचलों में बोली जाने वाली बोलियां ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती एवं शेखावाटी आदि मिलकर ही राजस्थानी भाषा का समग्र रूप है।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

इसकी मान्यता से राज्य के नागरिकों को रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होंगे। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा शीघ्र दिलवाने की कृपा करें ताकि इसको आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

जालौर में बांधों की मरम्मत एवं नये बांध का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जालौर विधान सभा क्षेत्र से पूर्व में सिंचाई हेतु बांध बनाये गये थे-मेटाला बांध, मेडा ऊपर ला।ये टूट गये हैं एवं दीवार जर्जर हो गई है, अतः पानी बह कर चला जाता है। ये बांध सिंचाई में भी काम आते हैं, पानी पीने के काम भी आते हैं। मेडा ऊपर ला गांव का पानी पीने से लोग कूबड़े, अन्धे व लंगड़े बन जाते हैं। अतः इन बांधों का महत्व बढ़ जाता है।

हल्देश्वर बांध (बोजोपरा तड़वा) बनाया जाना पूर्व से ही प्रस्तावित है। इस बांध के बनने से गांव पोजोपरा तडवोकेशवना, कतरासन आदि गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। अकाल के समय में भी किसानों के पेयजल की समस्या के समाधान में सहायक होगा। इन गांवों के हितार्थ बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में सर्वे भी किया गया है। यदि पूर्व में सर्वे नहीं किया गया है तो इसका सर्वे कराया जाकर निर्माण की प्रक्रिया पूरी करवाने की व्यवस्था करें।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उपरोक्त दो बांधों की मरम्मत एवं प्रस्तावित बांध (लघु सिंचाई) निर्माण करवाकर अनुग्रहीत करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

जहाजपुर में 132 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में मोरला (देवली) हिण्डोली, बूंदी, पारोली से अलग-अलग स्थानों से बिजली का नियन्त्रण होने से इस क्षेत्र की जनता को विद्युत आपूर्ति की समस्या काफी गम्भीर है। इससे समूचे क्षेत्र की जनता प्रभावित है।

इस बाबत क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों ने मण्डल के अधिकारियों तथा विद्युत मंत्रीजी का अनेक बार ध्यान आकृष्ट

(श्री रतन लाल ताम्बी)

किया मगर इस बारे में समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं हो रहा है।

जहाजपुर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की मापदण्ड के अनुसार आवश्यकता काफी समय से होने के बाद भी अभी तक मण्डल ने स्वीकार नहीं कर जन-जीवन के साथ खिलवाड़ तथा इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। गत 3 वर्ष से लगातार मांग को नजरन्दाज किया गया है। इसके अलावा रोपा ग्राम में 33 के.वी. का सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है।

क्षेत्र में लगभग एक माह से विद्युत आपूर्ति काफी गड़बड़ा रही है। छात्रों की परीक्षा के समय सांयकाल 7 बजे से 11 बजे तक प्रायः विद्युत बंद रहती है जो एक गम्भीर समस्या है। छात्रों के अध्ययन और शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है।

अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में जहाजपुर में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तथा रोपां में 32 के.वी. का सब स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

इसके साथ ही, कई बार पूरा जहाजपुर क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है और परीक्षा के समय प्रायः 3-4 घंटे विद्युत इन दिनों सायंकाल एवं रात्रि को बंद रहना एक समस्या हो गई है। उसका समाधान कर इस समय पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की माकूल तथा स्थाई व्यवस्था करके जनता, किसानों एवं छात्रों में व्याप्त आक्रोश को समाप्त किया जाए तथा इसके लिए जिम्मेदार मण्डल अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित कर उनको पाबन्द किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मैंने प्रस्ताव दिया उसके अतिरिक्त मैं 3-4 बिन्दु इस स्थिति के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं हो सकता है।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, अलग से कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हो सकता।

श्री रतन लाल ताम्बी : अब क्या किया जाए, क्या करना चाहिए वहां।

श्री उपाध्यक्ष : यह 295 है। आपको और अवसर मिलेगा, अभी एप्रोप्रिएशन बिल है।

श्री रतन लाल ताम्बी : समूचा क्षेत्र इन 7 दिनों से बहुत परेशान है। पेयजल योजनाएं बंद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस समय बोल लेना। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं, आप समझते हैं नियमों को।

श्री रतन लाल ताम्बी : तो मंत्री से कुछ तो खड़े होकर आश्वासन दिलावें, साहब, क्या करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे तो सही, वे दे रहे हैं न।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं तीन दिन पहले वहां गया हूं। इतनी हालत खराब हैं वहां, बड़े-बड़े यज्ञ हो रहे हैं। सारे लोग गाली निकाल रहे हैं वहां।

श्री उपाध्यक्ष : उधर देखें तो सही वे खड़े हैं न। जवाब दे रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मंत्री महोदय से मैं पर्सनली काफी अनुरोध कर चुका हूं, मंत्री महोदय ने अधिकारियों से कहा है, उस सबके बावजूद समूचा क्षेत्र आज परेशान है।

एक माननीय सदस्य : जवाब सुनिये न।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का और मेरा स्वयं का निर्वाचन क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। देवली में कुछ क्षेत्र इनका भी आता है और मेरा तो क्षेत्र है ही। वहां पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन मोरला में ही स्थित है। मोरला देवली के इस 132 के.वी. जी.एस.एस. पर विद्युत भार बढ़ा है, यह माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि गत दिनों में 12.5 एम.वी.ए. का एक नया ट्रांसफार्मर मोरला के 132 के.वी. जी.एस.एस. पर लगा दिया गया है और उसे करीब चार या पांच दिन हो गये हैं। उसे चालू भी कर दिया गया है। मेरा मानना है कि इस नये 12.5 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर के लगने से थोड़ा विद्युत की आपूर्ति में सुधार होगा। आपने जिन जी.एस.एस. की यहां पर चर्चा की है वे सब विचाराधीन है, जब वित्त की व्यवस्था बनेगी तो निश्चित रूप से वहां पर भी जी.एस.एस. बनाये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष श्री मोहन लाल चौहान।

मकराना में सड़क किनारे गीला पाउडर डाले जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मंगलाना रेलवे फाटक से नये पोस्ट ऑफिस मकराना तक मैन सड़क के दोनों तरफ किनारों पर खानों का पाउडर डालते हैं। यह पाउडर कटिंग मशीनों तथा डायमंड मशीनों से निकला हुआ गीला पाउडर है जिससे इस मैन सड़क के एक किलोमीटर दूरी पर दोनों तरफ बसी हुई आबादी प्रदूषण से प्रभावित है। विशेषकर जाजड़ों की ढाणी व आसपास के आबादी में निवास करने वाले लोगों की मक्खियों ने नींद हराम कर रखी है। मक्खियों का फैलाव बहुत अधिक है जिससे बीमारी फैलने की पूरी आशंका है।

(श्री मोहनलाल चौहान)

यदि सड़क के किनारों पर यह गीला पाउडर जिला प्रशासन एवं नगरपालिका मकराना द्वारा बंद नहीं किया गया तो कभी भी बीमारी फैलकर भयंकर रूप धारण कर सकती है।

अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से इस विशेष उल्लेख के जरिये मांग करता हूं कि मंगलाना रेलवे फाटक से मकराना नये पोस्ट ऑफिस तक गीला पाउडर नहीं डालने के लिये पाबंद किया जाए तथा पूर्व में डाला गया पाउडर तत्काल हटाने का आदेश फरमाया जाए। धन्यवाद।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री सुरेन्द्र गोयल को 13 अप्रेल, 2000 से सत्रान्त तक

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य विधान सभा ने स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक 13 अप्रेल, 2000 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामप्रताप।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में घग्घर नदी के तटबंध में परिवर्तन सम्बन्धी नोटिफिकेशन से उत्पन्न स्थिति

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्घर नदी बहती है। उसकी जमीन इतनी उपजाऊ है कि अगर किसी परिवार के पास दो बीघा भूमि है तो भी वह अपने परिवार का पूरे सम्मान के साथ पालन-पोषण कर सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उसका बहाव क्षेत्र 6 बीघा तय किया और इसके साथ-साथ किनारों पर किसानों ने अपने तटबंध बना रखे थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, तटबंध तोड़ने के बाद किसानों को यह कहा जा रहा है कि 6 बीघा के बाद वे अपने तटबंध बना लें। बड़ी विडम्बना है कि 250 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में 30-40 सालों में किसानों ने तटबंध बनाये हैं जिनकी ऊपर की चौड़ाई 20-20 फीट है. आज से दो महीने बाद में बाढ़ आने की स्थिति पैदा होगी। क्या इतने कम समय में जबकि किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, वह सक्षम होगा नये तटबंध बनाने के लिये? अगर वह नये तटबंध बना भी ले

(श्री रामप्रताप)

तो पानी आने के बाद में कोई गारन्टी नहीं है कि वे तटबंध रह जाएं। इसमें बहुत-सी कमियां है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में पूरा प्रदेश अकाल की स्थिति से गुजर रहा है और आज उस क्षेत्र में गेहूं की फसल खड़ी है, बड़ी बम्पर क्राप है। वह क्षेत्र जो पूरे प्रदेश को अन्न पैदा करके दे रहा है, वहां का किसान इतनी मेहनत कर रहा है और आज चारे की समस्या का समाधान करने में सहयोग कर रहा है, उसकी खड़ी फसल को तबाह कर रहे हैं। हमारे बजट में एक नये पैसे का बाढ़ के लिये प्रावधान नहीं है, क्या उस किसान को हम ऐसी स्थिति में भगवान भरोसे छोड़ देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां नहीं है, आज की तारीख में हजारों किसान चार-पांच सौ किलोमीटर दूर से फसल के टाइम पर इतना लम्बा सफर तय करके आये है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से और विशेष तौर से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनसे मिलकर उनकी पीड़ा सुने इस नोटिफिकेशन को कोई इज्जत का सवाल नहीं बनाएं और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसमें तरमीम करें। यह बहुत ही गंभीर मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। और आज इसमें एक और नयी चीज है। जब 6 बीघा का नोटिफिकेशन किया उसके बाद में हरियाणा सरकार ने ओटूवेयर की क्षमता को बढ़ाया है और उसके बाद ओटूवेयर से डाउन स्ट्रीम में रोहतक से लेकर एक नाला बनाया है जिसमें सेम का पानी आएगा, बाढ़ का पानी आएगा। इन तमाम् चीजों के बाद इस नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को आग्रह है कि मेरी बात नहीं पहुंचाएं तो कम से कम इसमें तरमीम करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हनुमानगढ़ क्षेत्र के हजारों किसान इस सरकार के सम्मुख अपनी बात कहने के लिये राजधानी आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ वह क्षेत्र है जो राजस्थान के लिये अन्नपूर्णा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 6 बीघा करके...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : वे राज्य सरकार के पास आये हैं...(व्यवधान) यह पहली दफा हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज हजारों किसान 500 किलोमीटर का सफर तय करके आये हैं। हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो जाएगी।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, किसान की बात को प्रमुखता से सुनें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को बोल रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बहुत गंभीर मामला है। वहां का किसान रो रहा है, वहां किसान आंदोलन कर रहा है और यह सरकार उस अन्नपूर्णा भूमि के किसान के तटबंध तोड़कर उनको भिखारी बनाना चाहती है।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, आज वे बाहर बैठे रो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का यह दायित्व है कि इसको गंभीरता से लिया जाऐ, इसको प्रेस्टीज का इश्यू नहीं बनाया जाऐ।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, 30-40 साल से जो तटबंध बना रखे थे उनको तोड़कर उन किसानों को तबाही की ओर धकेल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सब नियमों से वाकिफ हो, आप काहे को बोल रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : नियमों से क्या वाकिफ हैं, साहब, गरीब किसान कहां से तटबंध बनाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, किसान किसको जाकर कहें? यह संवेदनशील सरकार कहां गायब हो गई?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार तो बैठी है, कहां गायब हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसानों से सिंचाई मंत्री नहीं मिलती है, किसानों से मुख्य मंत्री नहीं मिलते हैं।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, खड़ी फसल पर डोजर जाकर खड़ा किया है इससे ज्यादा अन्याय क्या होगा? 5-7 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, खड़ी फसल पर डोजर खड़े कर दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

मेंहदीपुर बालाजी क्षेत्र में पुराने विद्युत तार टूटकर गिरने से होने वाली दुर्घटनाएं

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में मेंहदीपुर बालाजी में लक्खी का मेला चल रहा है, परसों की घटना है वहां विद्युत के तार टूट गये और वह एक बस पर गिरे जिससे बस में बैठे यात्री भी घायल हुए और बस के टायर वगैरह भी जल गये। उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन इस प्रकार तार टूटते रहते हैं। कारण क्या है कि हमारे यहां सबसे पुरानी लाइन हो गई है। जब से भारत आजाद हुआ था तब हमारे यहां बिजली आई थी, तभी से लगातार वही तार चल रहे हैं। आये दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। इसी प्रकार हमारे यहां एक

(श्री रामस्वरूप)

नांगल गांव है, वहां पर भी तार टूटे थे, दो गायें मरी थीं और एक भैंस घायल हुई थी। इन घटनाओं में पशु भी मर जाते हैं, जन-धन की हानि भी होती रहती है। क्या माननीय मंत्री इसकी कोई व्यवस्था करवाएंगे? जो लोग मरते हैं या घायल हो जाते हैं या जो किसान का नुकसान होता है उसके लिये कोई व्यवस्था आपने अपने विभाग की ओर से कर रखी है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारे यहां 132 के.वी. का ट्रान्सफार्मर बन जाता तो ये लाइनें छोटी हो जाती और लाइनें बदल भी जाती। माननीय मंत्री महोदय, यह जो रोज घटनाएं हो रही है कृपा करके इन घटनाओं को रोकें और वहां इस प्रकार की व्यवस्था करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री रामस्वरूप : खड़े हो गये, वोल्टेज आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। डा. किरोड़ी लाल।

जयपुर स्थित जनता कालोनी की सवाई पाव की बगीची का प्रकरण

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर में जो सरकारी जमीनें हैं बेतहाशा कीमत की, उन जमीनों पर कुछ राजनेता, कुछ समाजकंटक पुलिस से मिलकर कब्जा करने में लगे हुए हैं। जनता कालोनी, जयपुर में सवाई पाव की बगीची के नाम से जमीन है। यह जमीन प्रारम्भ में 11 मार्च, 1990 में माजी मोतीनाथजी के नाम आई थी किन्तु संवत् 2015 के बंदोबस्त में यह जमीन 8 बीघा 19 बिस्वा रह गई। अंत में एक वसीयत के जरिये यह जमीन सरवरी पाव के खाते में दर्ज हो गई। सरवरी पाव ने इसमें कुछ भू-खण्ड बेचान के लिये काटे। उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है कि चूंकि यह जमीन ऐसी महत्वपूर्ण कालोनी में हैं इसलिए इस पर समाजकंटकों और भू-माफिया की निगाह टिकी हुई है। उस जमीन का दिनांक 17.8.93 को एक गैलाड़ा नामक परिवार से 45 लाख रुपये का बेचान का एग्रीमेंट लिखा गया। जिसमें प्रथम पक्ष गैलाड़ा परिवार है और दूसरा एग्रीमेंट लिखा है 19.8.98 को, उस एग्रीमेंट में प्रथम पक्ष सरवरी पाव है और द्वितीय पक्ष राजेन्द्र यादव, मोहन सिंह, नाथूराम, अशोक तंवर, प्रकाश मीणा आदि हैं। एक दूसरा एग्रीमेंट लिखा है इस एग्रीमेंट की कीमत 45 लाख है। सैकण्ड एग्रीमेंट 17.8.99 को लिखा गया है। उसमें प्रथम पक्ष गैलाड़ा परिवार, द्वितीय पक्ष सरवरी पाव और तृतीय पक्ष अशोक तंवर हैं। यह 45 लाख का है। जो लास्ट में लिखा हुआ है उसमें प्रथम पक्ष अशोक तंवर एवं अन्य चार हैं और द्वितीय पक्ष

(डा. किरोड़ी लाल)

सरवरी पाव है। यह 16.2.2000 का लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, राजीनामा में इसकी कीमत 8 लाख है। 1993 में तो इस जमीन की कीमत 45 लाख थी और आज सन् 2000 में इसकी कीमत 8 लाख हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बेशकीमती जमीन है जिस पर भू-माफियाओं की निगाह है और भू-माफिया सरवरी पाव पर निगाह जमाये बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 10.6.99 को एक बार इस बाबा को मारा पीटा गया, प्राण घातक हमला इस पर किया गया। इसका अपहरण करके ले गये जिसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है और गम्भीर चोटों का डाक्टरी मुआयना भी हुआ है। उसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कीमती जमीन के मामले को लेकर इनकी पुत्री श्रीमती सुशीला देवी ने मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को मिलकर ज्ञापन दिया, पुलिस महानिदेशक को लिखा, डी.आई.जी. को लिखा, एस.पी. कलक्टर को लिखा और श्रीमती सुशीला देवी पुत्री सरवरी पाव, सवाई पाव की बगीची, जनता कालोनी जयपुर 3.3.2000 को कांग्रेस अध्यक्षा गिरिजा व्यास के पास भी गई। उसने लिखा कि प्रार्थी एक गरीब महिला है और उसकी पैतृक सम्पत्ति सवाई पाव की बगीची जनता कालोनी में स्थित है। 8 बीघा 19 बिस्वा जमीन है। उसमें से कुछ में मकानात बन गये और करीब 10-12 हजार वर्गगज भूमि खाली पड़ी है। मेरे पिता ने 100 वर्गगज जमीन मुझे भी दी है जिसमें मैंने मकान बना रखा है। उसमें मैं रहती हूं और मेरे वृद्ध पिता मेरे साथ ही रह रहे हैं। हमारी जमीन हजम करने के लिये भू-माफिया गिरोह लगे हुए हैं। पूर्व में भी हमारी जमीन को हजम करने के लिये फर्जी दस्तावेज बनाये गये थे, हमसे मारपीट की गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई दिनांक 10.2.2000 को मुझे और मेरे पिता को नाथू मीणा, राजेन्द्र यादव और उसके साथ 4-5 लोग कार में आये और जबरदस्ती पकड़कर ले गये एम.एल.ए. अशोक तंवर के घर पर। वहां चाकूओं और पिस्तौल से डराकर जबरदस्ती कुछ कागजों पर दस्तख्त करवाये और यह धमकी दी कि यदि दस्तख्त नहीं करते हो तो तेरे पिता को मार देंगे। मेरे पिता ने दस्तख्त करने से मना कर दिया तो अशोक, नाथू मीणा, एम.ए. खन्ना ने मेरे पिता से जबरदस्ती की, लात घूसों से मार पीट की और कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। मुझे सुबह दस बजे ले गये थे। एक महिला को सायंकाल 5 बजे छोड़ा और मेरे पिता को आज तक नहीं छोड़ा और यह धमकी दी कि यदि कोई शिकायत की तो तेरे

(डा. किरोड़ी लाल)

को और तेरे पिता को जान से मार देंगे। मैं इसलिये डर गई थी कि इस गांव के लोगों ने जून, 99 में मेरे पिता को चाकूओं से मारा था और अब ये लोग मुझे मेरे बच्चों को जान से मार देना चाहते हैं। इस तरह थाने वाले भी भू-माफिया गिरोह से मिले हुए हैं। उनका सरगना फागी का विधायक अशोक तंवर है जो यह कहता है कि कहीं पर किसी प्रकार की शिकायतकी तो तेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर गिरिजाजी ने लिखकर दिया, इस प्रकरण को गृह मंत्री शक्तावतजी को लिखा है। शक्तावत जी यहां पर बैठे हैं, 3.3.2000 को गिरिजाजी ने लिखकर लिया है कि इस प्रकरण को गम्भीरता से देखें, इसकी जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई थोड़े बहुत पैसों की जमीन नहीं है, 15 करोड़ की जमीन के लिये श्रीमती सुशीला देवी नाम की महिला मुख्य मंत्रीजी के पास गई, बी.जे.पी. के पास गई, कांग्रेस की जो संगठन की मुखिया हैं उनके पास गई, उनका लिखा हुआ गृह मंत्रीजी को दे दिया फिर भी उसको सरकार में न्याय नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के विधायक जो भू-माफिया बनकर इन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं सरकारी और प्राइवेट सम्पत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इनको आप कन्ट्रोल करें। बिहार की तर्ज पर यहां के कांग्रेस के विधायक सरकारी और प्राइवेट सम्पत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है जो जयपुर में होने जा रहा है। अब मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनको चैक करें और इस प्रकार से निजी या सरकारी सम्पत्तियों पर जो कांग्रेस के विधायक कब्जा कर रहे हैं उनको रोकने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर की जनता कालोनी की महिला के पिता का अपहरण 16.2.2000 से किया हुआ है, अपहरणकर्ताओं ने आज तक उसके पिता को बंद किया हुआ है। 16.2.2000 से लगातार बंद करके, अपहरण करके बंद कमरे में रखना और आज तक नहीं छोड़ना राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा अपहरण और इतने बड़े अपहरणकर्ता आज तक मैंने न सुने हैं न देखें हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह महिला कहां नहीं गई? यह महिला सबसे पहले तो श्रीमान् अजीत सिंह, डी.आई.जी. रेंज, जयपुर शहर के पास गई और 17.2.2000 को जाकर निवेदन किया। श्रीमान् अजीत सिंह, डी.आई.जी. रेंज, जयपुर साहब, महोदय, निवेदन है कि मेरे पिता

(श्री मदन दिलावर)

सरवरी पाव चेला स्वर्गीय मांजी शंकर नाथ जोगी निवासी सवाई पाव की बगीची, जनता कालोनी, जयपुर का दिनांक 16 फरवरी को भू-माफिया गिरोह द्वारा अपहरण करने के बाद सी-स्कीम में मकान में बंदी बनाया और शराब पिलाकर सवाई पाव की बगीची की भूमि के मामले में हस्ताक्षर करवाये तथा मुझे भी जबरन मारुति में बैठाकर, मेरे परिवार को मारने की धमकी देकर पिस्तौल की नोक पर हस्ताक्षर करवाये। गत वर्ष भी अपहरण के बाद हत्या के प्रयास में इन्हीं मुलजिमों में से दो को आदर्श नगर थाने में गिरफ्तार किया गया था। मेरे पिता को चाकुओं से निर्दयतापूर्वक हत्या का प्रयास किया गया था तथा कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। भू-माफिया गिरोह पुलिस की सांठगांठ से सवाई पाव की बगीची की करोड़ों की जमीन को खाली करवाना चाहते हैं जबकि 10-12 हजार वर्ग गज भूमि खाली है, शेष में गृहवीण लोग पक्के मकान में बरसों से रह रहे हैं। भू-माफिया का सरगना विधायक है। मैंने थाने जाकर अपनी लिखी रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो थानाधिकारियों ने तुरन्त विधायक से बात की। विधायक के शागिर्द अपहरणकर्ता और मेरे पिता को थाने लेकर आये। शराब पिला रखी थी, भयभीत कर रखा था। थाने लाकर अपहरणकर्ता के समक्ष बयान लिये और उसे वापस अपहरणकर्ता के साथ उसी की मारुति में भेज दिया। मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अपनी ओर से कुछ नहीं लिखवाकर मेरे हस्ताक्षर करवाये। साफ जाहिर है कि पुलिस ने मेरी और मेरे परिवार की जानमाल की रक्षा करने की बजाय भू-माफिया गिरोह का पक्ष लिया। आज मेरी जानमाल का खतरा है। थानाधिकारी ने विधायक से बात कर कहा कि 8 लाख रुपये तुझे मिल गये। मैंने बार-बार मना किया और पूछा, विधायक ने 7-8 लाख रुपये मुझे किस बात के दिये हैं, तो थानाधिकारी ने कहा कि सब तेरे से बरामद कर लूंगा। थानेदार का पक्षपात होने से ऐसा लगा कि यहां गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यह अपनी रक्षा के लिये कहां जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डी.आई.जी. साहब को लिखा। उसके बाद जब इसको न्याय नहीं मिला और संरक्षण दे रखा था तो यह उसी दिन अमिताभ गुप्ता के पास भी गई और यही वाकया अपने आवेदन में लिखकर दिया। उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री जिनको हम राजस्थान का राजा कहते हैं, उनके पास गई कि वहां तो फरियाद सुनी जाएगी। पर उसको क्या पता था कि + + + अशोक तंवर है जो विधान सभा में उनके संरक्षण में बैठकर इस प्रकार का कार्य करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अशोक गहलोतजी को भी यही लिखकर कहा कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

मैं सब जगह घूम आई हूं, मेरी फरियाद कोई नहीं सुन रहा, मैं अबला किसके पास जांऊ और कहां न्याय मांगू। उन्होंने सोचा कि सरकार के एम.एल.ए. के ऊपर संगठन की पकड़ होगी इसलिये वह गिरिजा व्यास के पास गई और अनुनय विनय कर कहा कि आप महिला हैं, शायद महिला का दर्द समझती होंगी। महिला का दर्द समझेंगी तो निश्चित रूप से मुझे न्याय दिलवाएंगी। क्योंकि गिरिजा व्यासजी महिला हैं उन्होंने बड़े उदार भाव से गृहमंत्री को संगठन के नाते निर्देश दिया और कहा, इसको बड़ी गम्भीरता से देखे, यह करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का मामला है। 15 करोड़ रुपये की जमीन है उसका मामला है इसको गम्भीरता से देखें। अपहरण किया हुआ है उस व्यक्ति को मुक्त कराएं, जमीन मुक्त कराएं। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, अशोक गहलोतजी यहां बैठते हैं और गिरिजा व्यासजी भी अभी राजस्थान में ही होंगी, डी.आई.जी. भी यहीं होंगे, डी.जी. भी यहीं होंगे, मैं पूछना चाहता हूं उसका बाप कहां है? उसकी बेटी बिलख-बिलख कर रो रही है। 15 करोड़ की जमीन हड़पी जो तो हड़पी लेकिन मेरे बाप को जान के प्यासे क्यों बन रहे हो? इसका जवाब सरकार से मांगना चाहता हूं। क्या इस महिला के बाप का पता नहीं चलेगा? क्या इस महिला के बाप की हत्या कर दी गई या उसे भूखा मारा जा रहा है, तड़पा-तड़पा कर मारा जा रहा है 15 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने के चक्कर में? इस कांग्रेस के लोग एक एम.एल.ए. को बचाने के लिये किस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं.(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह तो बी.जे.पी. के लोगों का तरीका है। यह सारा बी.जे.पी. के कामों में है, कांग्रेस के लोगों का जबरदस्ती नाम लेते हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह महिला कहां जाएगी, किससे न्याय मांगेगी? मैं उस महिला की तरफ से गुहार करता हूं, आपसे भीख मांगता हूं। इस सरकार से भीख मांगता हूं कि उस महिला के पिता को बचाएं, मुक्त कराएं, 15 करोड़ की जमीन को जो इस विधान सभा में बैठा हुआ है भू-माफिया, उससे मुक्त करा दें, यह हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, वह अपनी जमीन को तो भूल गयी, उसके बाप का तो पता करवा दो। (व्यवधान) जमीन तो भूल गयी, उसके बाप का सवाल आ गया है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ऐसा मत कीजिए। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया.(व्यवधान) सुन रहे हैं ना गृह मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : आपकी कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे जवाब देना चाहते तो दे देते वे। कम्पलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता। (व्यवधान) आप विराजिये, प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : कांग्रेस के जन प्रतिनिधि (व्यवधान) तीन-तीन...

श्री रामप्रताप : बहुत गम्भीर मामला है, बहुत संवेदनशील है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप बैठिये प्लीज, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज, मुख्य सचेतकजी खड़े हैं। पहले वे क्या कहना चाहते हैं, सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे किसे बचाना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अभी माननीय दिलावरजी ने अपने +++ के दौरान एक पदावली का प्रयोग किया है +++ के सदस्य हैं...

डा. किरोड़ी लाल : हां, हां, बिलकुल सही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : +++ का मतलब क्या हुआ? +++ का मतलब तो यह इल्लीगल आर्गनाइजेशन होता है (व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : वे पार्टी के सदस्य हैं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : +++ का मतलब इल्लीगल आर्गनाइजेशन होता है और +++ राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, अतः यह जो असंसदीय पदावली का प्रयोग किया गया है, इसको कार्यवाही से एक्सपंज कराइये। +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री को +++ नहीं कहा (व्यवधान) और जिस माननीय सदस्य का नाम लिया है... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : +++ नहीं हैं, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वे मुख्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कांग्रेस पार्टी +++ है क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वे कांग्रेस के विधायक हैं जिन पर चार्ज लगा है। या तो, मुख्य सचेतकजी, आप यह कह दीजिए कि अशोक तंवर कांग्रेस के सदस्य नहीं है। (व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : नहीं, यह सही है ना, किसने एतराज किया है? इसका एतराज नहीं है। (व्यवधान) एतराज सिर्फ इस बात का है...

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : आप या तो सरकार की तरफ से उत्तर दें कि मदन दिलावर और बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाये हैं वे निराधार हैं। निराधार नहीं हैं तो फिर राजस्थान का मुख्य मंत्री इनको प्रश्रय दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। (व्यवधान) या तो सरकार उत्तर दे इसका कि जो चार्ज लगाये गये हैं...

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : न तो कांग्रेस पार्टी कोई + + + है, न अशोकजी की कैबिनेट + + + है। मेरा एतराज सिर्फ इस पदावली पर है।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्रीजी के रैफरेंस में कहा + + + अशोक गहलोतजी की कैबिनेट है, यहां सरकार है, राजस्थान में कोई + + + नहीं है। इसलिये उस + + + शब्द को आप यहां से ... (व्यवधान) एक्सपंज कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी प्रोसीडिंग्स को देख लेंगे।

डा. चन्द्रभान : आप एक्सपंज कराइये इस + + + शब्द को। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, नहीं, यह कैसे निकाला जाएगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बताएंगे कि + + + शब्द का मतलब क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। श्री प्रद्युम्न सिंहजी, वित्त मंत्री, वित्त विभाग की 52 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। आप बिराजिये प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इतना-सा हमारा निवेदन है। (व्यवधान) इसमें बात इतनी-सी है। इसमें बड़ा गंभीर गहरा अपराध है, 15 करोड़ की जमीन है और उसकी लड़की दर-दर भटक रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) गंभीर है, सुन लिया ना गवर्नमेंट... (व्यवधान) गवर्नमेंट ने सुन ली ना बात। (व्यवधान) कह चुके ना यह बात। (व्यवधान) नहीं, आप सब कह चुके हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी को गिरिजाजी ने लिखकर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया ना गृह मंत्रीजी ने।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं? (व्यवधान) सुन तो लिया...

श्री उपाध्यक्ष : बस, फिर और क्या चाहिए? (व्यवधान) जरूरी नहीं है जवाब देना।

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी खामोश हैं, इसका मतलब यह है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया, सारी बात सही है। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, यह जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात का जवाब दें। आप बिराजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी खामोश हैं, इसका मतलब है, यह सारी बात सही है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये आप।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 52 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

1. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग- 2000-279 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा विभिन्न माल पर कर की दर निर्धारित की गई है।

2. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-280 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा कुछ विनिर्दिष्ट माल को दिनांक 1.4.2000 से एक वर्ष के लिए कर की दर में छूट दी गई है।

3. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-281 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा 14 वस्तुओं के क्रय-विक्रय को कर में छूट प्रदान की गई है।

4. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग 2000-282 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा सीलबंद बोतलें या आधानों में बेचे गये जल को 12 प्रतिशत कर के स्लेब में रखा गया है।

5. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-283 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा टेन्ट, कनात, छोलदारी आदि की लिजिंग पर लागू प्रशमन रकम राशि 900 रुपये प्रति लाख रुपये टर्न ऑवर से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति लाख टर्न ऑवर की गई है।

6. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-284 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रिंटरों, सी.वी.टी./यू.पी.एस. और कम्प्यूटर सोफ्टवेयर व उनके पुर्जे एवं उप साधन के अन्तर्राज्य बिक्री कर दर घटाकर 2 प्रतिशत की गई है।

7. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-285 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा कैल्सियम कॉर्बोर्ट्रेट के अन्तर्राज्य विक्रय या क्रय पर लगने वाले कर को घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

8. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-286 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा मिनी सीमेंट इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इन इकाइयों पर लागू योजना की अवधि 30.6.1999 से बढ़ाकर 30.6.2000 की गई है तथा सालाना की को 6 लाख से कम करके 3 लाख किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-287 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा खाण्डसारी शुगर के लिए प्रशमन योजना 31.3.2000 से बढ़ाकर 30.6.2000 की गई है।

10. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-288 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर-अनु-97-138 दिनांक 20.3.1997 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-289, 290, 291 एवं 292 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा राज्य में स्टेनलेस स्टील के बर्तन उद्योग में उपयोग में आने वाले कच्चे माल के रूप में उपयोग पर उपलब्ध रियायतों को 31.3.2000 तक बढ़ाया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-293 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा डी आयल्ड केक, आयल केक जिनमें बिनोले के डी आयल्ड केक व आयल केक जिन्हें पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है को कर मुक्त किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-294 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा 1.4.1995 से 31.3.1999 तक गुड़ व्यवहारी द्वारा किये गये क्रय को सशर्त कर मुक्त किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-295 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा ऑटोमोबाइल बॉडी, देशी घी और छोला को अधिभार से हटा दिया गया है।

15. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-296 एवं 297 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन एवं आस्थगन योजना 1998 के अन्तर्गत स्टेनलेस स्टील री-रोलिंग उद्योग को दिनांक 7.4.1998 से रियायतें दी गई है।

16. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-298 एवं 299 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा आयातों के लिए संचालन हेतु माल को अधिसूचित किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/कर / अनुभाग - 2000-300 दिनांक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

30.3.2000 जिसके द्वारा हस्त निर्मित हैण्डटूल्स के निर्यात के अनुक्रम में की जाने वाली विक्रय या क्रय को कर की छूट प्रदान की गई है।

18. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-301 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जिसका कुल पण्यावर्त एक वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक है पर 0.25 प्रतिशत सालाना टर्न ओवर कर लगाया गया है।

19. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-302 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा टर्न ओवर टैक्स के लिए वार्षिक छूट फीस प्रस्थापित की गई है।

20. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-303 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा ए.सी. प्रेशर पाईप के अन्तर्राज्यिक बिक्री पर कर की दर घटाकर 6 प्रतिशत की गई है।

21. अधिसूचना संख्या प.4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-304 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा सोलिड विकेट के संबंध में अधिसूचनाओं की व्याख्या से उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-305 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा रेशम को दी गई कर मुक्ति वापिस ली गई है।

23. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-306 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा शुद्ध रेशमी साड़ियों पर दी गई कर मुक्ति योजना को समाप्त किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-307 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा नये सिनेमा घरों में निवेशन के प्रोत्साहन हेतु लागू मनोरंजन कर मुक्ति योजना को 31.3.2000 तक बढ़ाया गया है।

25. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-308 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा मनोरंजन कर की न्यूनतम सीमा सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई है तथा यूटीलिटी फी योजना को 31.3.2001 तक बढ़ाया गया है।

26. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-309 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के लिये शहर की जनसंख्या के आधार पर प्रशमन स्कीम लागू की गई है।

27. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-310 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा विलासिता कर की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दर 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की गई है।

28. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-311 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा कपड़ा व्यापारियों के लिये जारी प्रशमन स्कीम 30.6.2000 तक बढ़ाई गई है।

29. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-312 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा चीनी व्यापारियों के लिये जारी प्रशमन योजना 30.6.2000 तक बढ़ाई गई है।

30. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-313 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा विद्युत शुल्क की दरों में 2 पैसे 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है।

31. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-314 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा नियम-23 (2), 26, 41, 51, 53, 54 एवं फॉर्म 18-ए में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-315 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा व्यवसाय कर की कर दर और श्रेणी निर्धारित की गई।

33. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-316 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा कुछ स्पेशीफाइड व्यक्तियों को व्यवसाय कर से मुक्त किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-317 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा व्यवसाय कर की रकम जमा करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

35. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-318 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा फैमिली सैटलमेन्ट के प्रकरणों पर देय स्टाम्प ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-319 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा जिलाधीशों द्वारा तयशुदा मामलों में यदि ड्यूटी व शुल्क 30.6.2000 तक जमा करवा दिया जाता है तो उन मामलों को जुर्माने से माफ किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या प. 4 (1) वित्त/ कर / अनुभाग - 2000-320 दिनांक 30.3.2000 जिसके द्वारा बहन, पुत्री या पौती या माता या पत्नि के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

(डा. किरोड़ी लाल)

मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो कि जिसके घर...(व्यवधान) नहीं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गमभीर मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है कि...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) गम्भीर है तो बोलने दिया ना आपको। (व्यवधान) आपको अलाउ कर दिया, बोलने दिया। आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : कांग्रेस के विधायक ने सीधा 15 करोड़ की जमीन पर कब्जा...(व्यवधान) भू-माफिया इस तरह से राज्य में पनपाया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार अपहरणकर्ताओं को बचा रही है, भू-माफियाओं को बचा रही है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, चार्ज लगाने वाले की पृष्ठभूमि पर आप जाइये, जो स्वयं 302 का आरोपी है। एक साफ सुथरी छवि के आदमी पर इस तरह मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) तथ्यहीन हैं, आधारहीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां विराज रहे हैं, वे अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को चिन्ता कर रहे हो, प्लीज विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ना, वे बोल रहे हैं, उनको समाप्त करने दीजिये। आप उनको सुन लें पहले। श्री गुलाब सिंहजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अशोक तंवर स्पष्टीकरण दे रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, I know. मुझे मालूम है, आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे दे रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, दे रहे हैं तो देने दूंगा ना। Let him say, Why are you disturbing ? इको बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनका राइट है, आप रोक नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रोक नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास :अण्डर द रूल 89,...(व्यवधान) अण्डर द रूल एक मेम्बर के खिलाफ अगर एलीगेशन लगाते हैं तो He has a right. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कैसे मान लिया, मैंने रोक लिया? (व्यवधान) मुझे मालूम है, आप ज्यादा रूल्स मुझे मत सिखाइये। मुझे

(श्री उपाध्यक्ष)

मालूम है। I am trying to tell yo. आप विराजिये, आप विराजिये, उनको मैं स्पष्टीकरण का मौका दूंगा। वे खड़े नहीं हुए, इसलिये मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वे खड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे खड़े हुए हैं तो उनको स्पष्टीकरण का मौका दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या बात है, आप क्यों इतना आर्ग्यू कर रहे हैं?

गृह विभाग

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या प22(1) गृह-9/97, दिनांक 6.1.2000 जिसके द्वारा राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम, 1999 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, वे इस सम्बन्ध में नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान) वे इस सम्बन्ध में नहीं बोल रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी तड़प रहा है, अपहरणकर्ताओं के कब्जे में तड़प रहा है। मर गया या जिंदा है, अभी तक पता नहीं है। यह सरकार, +++ क्या करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अशोक तंवर। विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक तंवर (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे पर आरोप लगाये हैं, वे बिलकुल निराधार है, न मैंने कोई रजिस्ट्री कराई है। (व्यवधान) दिखाएं आप, रजिस्ट्री दिखाइये। लाइये रजिस्ट्री।

डा. किरोड़ी लाल : दिखा सकता हूं मैं।

श्री अशोक तंवर : सदन की मेज पर रख दें आप।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, वह आदमी कहां है जिसका अपहरण किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, डा. किरोड़ी लाल जी, आप विराजिये। वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उन्होंने पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष : वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या, नहीं देंगे क्या?

श्री अशोक तंवर : यह प्रकरण जनता कालोनी, जयपुर स्थित सवाई पाव की बगीची से सम्बन्धित, जो राज्य की भूमि नहीं है–

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो एलीगेशन लगाया है, उसका उनको अधिकार है स्पष्टकीरण देने का, वे स्पष्टीकरण दे रहे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप वापस शुरू कीजिये इसको।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अशोक तंवर, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अशोक तंवर (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण जनता कालोनी, जयपुर की सवाई पाव की बगीची से सम्बन्धित है जो कि राजकीय भूमि नहीं है। यह निजी भूमि है और विभिन्न व्यक्तियों और पक्षकारों के हित में निहित है। मूलतः यह भूमि नाथ सम्प्रदाय के गुरु माजी शंकर नाथ की है। इसके दो शिष्य थे सरवरी पाव और चन्द्रा पाव। 1980-85 में दोनों शिष्यों ने यह जमीन लगभग 5 बीघा जिसके स्वामित्व को लेकर विवाद था, मैंने और मेरे साथियों ने इस जमीन का असली स्वामी सरवरी पाव को मानते हुए एक क्रय का अनुबंध कर रखा है 1989 में, जब मैं एम.एल.ए. भी नहीं था। किसी भी जमीन-जायदाद के लिये वाजिब भुगतान कर खरीदना-बेचना अपराध नहीं है और न ही गैरकानूनी है। इस जमीन के स्वामित्व को लेकर माजी शंकर नाथ के दो शिष्य श्री सरवरी पाव और चन्द्रा पाव के बीच विवाद था जिस सम्बन्ध में न्यायालय में विभिन्न विवाद चल रहे हैं। इसमें एक चेले चन्द्रा पाव ने गुपचुप जमीन 1964 में जयपुर के गैनाड़ा बंधुओं को बेचान कर दी थी जबकि मूल स्वामी सरवरी पाव था। उसने न्यायालय में केस किया। दिनांक 14.8.89 को सहायक कलेक्टर, एसी.एम. (एचक्यू), जयपुर ने इस भूमि के सम्बन्ध में सरवरी पाव के पक्ष में फैसला किया। जो डिक्री की गयी उस के बाद आदेश की पालना कर तहसीलदार, जयपुर ने 28.8.89 को श्री सरवरी पाव को जमीन का कब्जा सम्भला दिया और आदेश की पालना में उसी समय सरवरी पाव डिक्री ने मुताबिक इस जमीन पर नामान्तरित भी हो गया जो मौजूद है। इसके बारे में पक्षकार गैनाड़ा बंधुओं ने पुनः अपील दायर की और अपील करते हुए पुनः जमीन का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(13.00 बजे)

न्यायालय अपर जिलाधीश, एडीजे. नम्बर दो में दिनांक 13.4.98 को गैनाड़ा बंधुओं ने पुनः अपील दायर की। दूसरी ओर मैंने व मेरे साथियों ने अपील दायर की। इसमें वर्तमान में पुनः इस जमीन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। श्रीमान् न्यायालय अपर जिलाधीश, एडीजे. नम्बर-2, जयपुर द्वारा दिनांक 13.4.98 को हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अन्तिम व्यवस्था, फैसले तक स्टे जारी किया गया कि दिनांक 29.8.89 को क्रय अनुबन्ध इकरारनामा वर्णित सम्पत्ति, जमीन को हस्तांतरित नहीं करें तथा

(श्री अशोक तंवर)

मौके पर यथा स्थिति बनाये रखें, जो वर्तमान में कायम है। दिनांक 18.4.2000 को भी इस केस की न्यायालय में तारीख पेशी है।

इस प्रकरण में मेरे अन्य साथी द्वारा जमीन वाजिब दाम पर क्रय करने की कार्यवाही को किस प्रकार अवैध व गैरकानूनी बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, समझ में नहीं आता है। जबकि यह मेरी जानकारी में है कि जमीन पर बदनीयती से कब्जा करने की नीयत माननीय सदस्य किरोड़ी लालजी की है। गेर कानूनी तौर पर राजेश मीणा, आर.पी.एस. अधिकारी, श्रीमती शकुन्तला मीणा वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर, जयपुर, अशोक मीणा एक्साइज इंस्पैक्टर, अन्य बन्धुओं द्वारा नाजायज कोशिश की जा रही है, जिनको किरोड़ी लालजी का संरक्षण प्राप्त है। इससे पीड़ित होकर सदन में आरोप लगाने की बदनीयती से कोशिश की जा रही है जबकि मेरे पास कानूनी तौर पर सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इस्तग़ासा सरासर असत्य है। सरवरी पाव ने इस इस्तगासे के खिलाफ खुद दिनांक 23.3.2000 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर के समक्ष पेश होकर अपने बयान धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत दिये हैं, जिन बयानों की प्रतिलिपि भी सुरक्षित मेरे पास व अन्य साथियों के पास है। जिनमें सरवरी पाव का उक्त इस्तगासा आधारहीन बताया है। कहा है कि न तो मेरा अपहरण हुआ, न मारपीट हुई और न कोई गलत कार्यवाही की गयी है तथा न ही इस असत्य इस्तगासे से मेरा व अन्य साथियों का सम्बन्ध है। वह राजी खुशी स्वस्थ और अपनी मर्जी से कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र है। श्रीमान् शीघ्र ही, इस जमीन का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, हम सब लोग राजीनामा से मिलजुलकर, बैठकर सुलझा लेंगे जो सारा कानूनी होगा, न्यायसंगत होगा। हम सभी पक्षकार अपने-अपने हित पा लेंगे। ऐसे में माननीय सदस्य किरोड़ी लालजी का आरोप जो मैंने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है, निराधार है, बेबुनियाद है, गैर-कानूनी है, इसको बदनीयती से रखा गया है। इस सम्बन्ध में कोई भी पीड़ा थी या समझी गयी तो मेरे सारे साक्ष्य, कानूनी कागजात दिखाने के लिए सदन के पटल पर रखने को मैं तैयार हूं। इस सम्बन्ध में विधिसंगत जांच करा ली जाए, मैं दोषी नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या है? अब क्या है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों ने...(व्यवधान) मैं बताता हूं...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, पाइंट आफ आर्डर है। अब आप विराजिए। नो-नो।

डा. किरोड़ी लाल : मेरी यह बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, नहीं सुनूंगा। नहीं-नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सहायता की बात है...(व्यवधान) मेरे पर जो गलत चार्ज लगाया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप प्लीज विराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मैटर सब-जुडिस है फिर यह कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : इस पर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैटर सब-जुडिस है, ए.डी.जे. कोर्ट-2 जयपुर सिटी के द्वारा इस पर स्टे मैंन्टेन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब ए.डी.जे. कोर्ट-2, जयपुर के द्वारा स्टे मैन्टेन किया हुआ है। तो...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात, आप विराजिए प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सदन ऐसे सब-जुडिस मैटर में कोई चर्चा नहीं करे।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई सवाल ही नहीं रहा, आप विराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अन्यथा न्यायालय की अवमानना होगी, कन्टैम्प्ट आफ कोर्ट होगा, इस सदन के द्वारा यदि इस पर चर्चा होती है तो... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इन्होंने मेरे पर चार्ज लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले लगाये। आप पहले लगाते हो तो सुनने के लिए भी तैयार रहो। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्यों को उपमा देने का कोई तरीका है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर है, विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या किसी व्यक्ति विशेष की जमीन सम्बन्धी या अन्य प्रोपर्टी से सम्बन्धित हितों के साधन करने के लिए इस सदन का उपयोग किया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस दिया हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नोटिस के उपरान्त भी मेरा आपसे व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि नियमों में साफ है कि किसी व्यक्ति विशेष के हित के साधन के लिए यहां मामले

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं उठाये जाएं। जन हित के मामले उठाये जाएंगे। नोटिस देकर भी व्यक्ति विशेष के हितों के मामले नहीं उठाये जा सकते हैं, इस सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक व्यक्ति का अपहरण कर रखा है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह दुरुपयोग कर रहे हैं सदन का। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह अधिकारों का दुरुपयोग है। लोगों को पकड़ कर ठोका जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस पर व्यवस्था दी जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका अल्टीरियर मोटिव एचीव करने के लिए सदन का मिसयूज नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : यह देवताओं की जमीन है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके अल्टीरियर मोटिव को एचीव करने के लिए सदन का मिसयूज नहीं होने दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल गहलोत : माननीय दिलावरजी, यह अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है, आपस में बैठकर डिसाइड कर लेना।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदन दिलावर : बहुत गरिमा के साथ हम निवेदन कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके चरणों में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर सुनिये न, माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य को परेशान करने के लिए षडयंत्र है। (व्यवधान) न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित किये जाने के लिए यह किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए यह सब किया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : कहां जाएगी वह महिला? किसको कहेगी? कोई सुनने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्यायालय के अन्दर जब मामला विचाराधीन है तो इस सदन में उस पर चर्चा कराने का कोई अधिकार नहीं है। मामला सब-जुडिस है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : जुडीशियल मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ए.डी.जे.-दो कोर्ट ने स्टे दे रखा है। आज भी कोर्ट में अपील है।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर गौर फरमाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में नहीं कहेंगे यह बात तो फिर कहां कहेंगे? कहां जाएगी वह महिला? किसको कहेगी वह महिला? यह सदन सुनने के लिए तैयार नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इनको बैठाइये। इस तरह से यह कैसे..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया मैंने। आपका पाइंट आफ आर्डर है। आपका पाइंट आफ आर्डर है, एग्जामिन करके व्यवस्था दे रहा हूं। आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये। मेरे पर चार्ज लगाये हैं, उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बहस हो ही नहीं सकती। आप क्या बात करते हो, नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पर चार्ज लगाये हैं, उपाध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने लगाया, उन्होंने लगा दिया।

श्रीमती ममता शर्मा : सब-जुडिस मामले को विधान सभा में उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरा कोई लेना-देना नहीं है? मैं सार्वजनिक हित में बोल रहा हूं, मेरे पर चार्ज कैसे लगा दिये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बहस नहीं, सदन नियम से चलेगा। I will not allow you.

श्रीमती ममता शर्मा : कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसको प्रभावित करने के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : परन्तु इन्होंने चार्ज लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय

(श्री तैयब हुसैन)

अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप किस नियम से बोल रहे हैं? आप रूल कोट कीजिए अगर बोलना चाहते हैं तो you quote some rule....(interruptions). No. No. This is not allowed. नहीं-नहीं, कोई सवाल ही नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके वेस्टेड इण्ट्रेस्ट प्रोटैक्ट नहीं किये जाएंगे। माननीय सदस्य, आप आपके वेस्टेड इण्ट्रेस्ट में जो प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, इस हाउस में नहीं दिये जाएंगे। कल भी आप लोगों ने आई.ओ. बदलवाना चाहा था, वह आई.ओ. भी नहीं बदला और आज जो वेस्टेड इण्ट्रैस्ट को प्रोटैक्ट करना चाहते हैं, वह प्रोटैक्शन भी नहीं मिलेगा हाउस से। यह हाउस है, वैलफेयर के लिए हाउस है, प्रोस्टपरिटी के लिए यह हाउस है। जन-कल्याण के लिए यह हाउस है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन पर आरोप लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कितने ही खड़े हो जाओ, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामप्रताप : इन पर आरोप लगाये गये हैं, इनको मौका दिया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके इन व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल नहीं है; हाउस नियम से चलेगा। हाउस नियम से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, नो-नो... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, इन पर आरोप लगाया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको मौका दीजिए आप, अपनी बात को कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : इनको मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये अपनी बात तो कहें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आप नीचे बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अपने-अपने पक्ष को मान रहे हैं। ये तो इनका पक्ष ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये तो उनका पक्ष ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझिये इस बात को। आपने एक एलीगेशन लगाया माननीय सदस्य पर नोटिस देकर, आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आपने माननीय सदस्य पर नोटिस देकर एक एलीगेशन लगाया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अच्छी बात आपको बुरी क्यों लगती है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह आपको अलाउ किया गया। उन माननीय सदस्य का अधिकार है वापस स्पष्टकीरण देने का। (व्यवधान) आप सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पर लांछन लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने लगाये हैं तो उन्होंने भी लगाये हैं। क्या बात हो गयी?

डा. किरोड़ी लाल : लांछन लगाया है। मेरे पास उन पर जो मैंने लांछन लगाये हैं...(व्यवधान) और उनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण सहित बोलें। यह ऐसे नहीं चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय, बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बात सुनिये, आप पूरी बात सुन लीजिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आपस का मामला है, सदन के बाहर बैठकर बात कर लेंगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। आपने इस पर्ची के माध्यम से यह प्रश्न उठाया। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : समझ गये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये। आपने एलीगेशन लगाया, उन्होंने उसका उत्तर दिया। उस उत्तर में आपका नाम आया...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरे पर चार्ज लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, लगाया ना। लगाया (व्यवधान) आपका मोशन मूव करके वापस...(व्यवधान) इसमें चर्चा का कोई विषय नहीं है। यह तो खतम हो गया, आप कोई दूसरी तरह उठा लेना इसको। (व्यवधान) नहीं, इस पर नहीं हो सकता। माननीय धारीवाल साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चार्ज का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए, प्लीज।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-11) को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, भू-माफिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम बता दें न कि किस नियम के तहत कर रहे हो यह। आप कोई रूल कोट करके बता दें मुझे कि इसके तहत कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको बोलने दीजिए, ये अपनी बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, और कोई निवेदन नहीं है, अभी माननीय सदस्य ने डा. किरोड़ी लालजी पर आरोप लगाया है, यह अपनी बात तो कह दें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ये तो अपनी बात कह दें। (व्यवधान) फिर हमारे सदन में बैठने की जरूरत क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-11) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-11) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी एवं सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी चौधरी, चिकित्सा मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (आयुर्वेद व परिवार कल्याण सहित) के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,39,33,28,000/- (नौ अरब उनतालीस करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाईस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-26 पर कटौती प्रस्ताव

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. चिकिसा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खान (शिव)

2. सीमावर्ती जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में डाक्टरों-कम्पाउण्डरों के खाली पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खान)

3. राज्य के पिछड़े हुये सीमावर्ती जिलों में चिकित्सा सब-सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. जिला बाड़मेर के आयुर्वेद, यूनानी औषधालयों में वैद्य व हकीमों के रिक्त पदों को भरने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. जिला बाड़मेर के ग्राम तामलीयार खारीयाराठोड़ान-जूनेजो की बस्ती नेगरड़ा में सब सैंटरों में भवन बनाने व स्टाफ तैनात कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

6. राजस्थान में कार्यरत मोबाइल सरजीकल यूनिट को बन्द करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

7. चिकित्सालयों में मरीजों को दवाई बिलों के सत्यापन के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेगूं को क्रमोन्नत करना एवम् जावदा व खातीखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) की स्वीकृति एवं सब सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. रावतभाटा में करीब 10-12 वर्ष पूर्व स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन कराने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. बेगूं के आयुर्वेदिक औषधालय को क्रमोन्नत करने व रावतभाटा में प्रथम श्रेणी का आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा)

11. माडली पी.एच.सी. भवन की मरम्मत करने और पी.एच.सी. के चारों तरफ चार दिवारी निर्माण एवं डाक्टर्स के क्वार्टस की मरम्मत की अति आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

13. जैसलमेर जिले में स्थित जवाहर चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

14. आयुर्वेद विभाग द्वारा गत वर्ष खोले गये चिकित्सालयों में कोई स्टाफ व चिकित्सक नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

15. लाडनूं अस्पताल की एक्स-रे मशीन हमेशा खराब होने से निजी एक्स-रे मशीन वालों द्वारा मरीजों से मन-मानी राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. गांवों में तैनात विभागीय कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहकर नियम विरुद्ध रोजाना स्थायी पते पर जाने-आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. ग्राम फिरवासी तहसील लाडनूं जिला-नागौर के होम्योपैथिक चिकित्सालय को आयुर्वेद औषधालय में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये।

18. राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के उप सचिव (ग्रुप-2) के आदेश दिनांक 24.2.2000 के तहत फर्जी सर्टिफिकेट के मामले की जांच की पालना में जांच कर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

19. टोंक जिले में सब-सेन्टरों पर नर्सो व ए.एन.एम. के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. उनियारा अस्पताल, जिला टोंक में निर्धारित पांच डाक्टरों के पद होते हुए भी वहां पर केवल एक ही डाक्टर की व्यवस्था होने से जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

21. शिवगंज अस्पताल को 50 शैय्याओं की क्षमता का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

22. रैफरल अस्पताल तिजारा (अलवर) में लेडी डाक्टर न होने से मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. रेफरल अस्पताल तिजारा में प्रसव कार्य हेतु महिला चिकित्सक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

24. दूदू विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने एवं मौजमाबाद एवं गागरडू चिकित्सालयों में चिकित्सकों द्वारा ड्यूटी पर नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

25. टोडाभीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑपरेशन थियेटर एवं कर्मचारी की नियुक्ति होने के बाद भी एक्स-रे मशीन के अभाव के कारण हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. राज्य के अधिकतर अस्पतालों में साधनों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

27. झुंझुनूं के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल के बिगड़ते हालात से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. झुंझुनूं जिले के कस्बा इस्लामपुर में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल राठौर (झालरापाटन)

29. झालावाड़ शहर में सिटी डिस्पेंसरी में डाक्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. झालरापाटन में राजकीय बालचन्द चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

31. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में चिकित्सालयों के भवनों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में आदिवासियों को उचित चिकित्सा यथा समय पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में चिकित्सालयों में नियुक्त स्टाफ नियुक्ति स्थल पर उपलब्ध नहीं होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में चिकित्सा हेतु दवाईयों का बजट बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में रोगी वाहन/आपातकालीन वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

36. चिकित्सा विभाग द्वारा हर गरीब व्यक्ति का ईलाज एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को सही तरह से लागू करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

37. बँपावर कलां (कोटा) में चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

38. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अनेक चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सक, कम्पाउण्डर तथा अन्य स्टाफ के रिक्त पदों पर पदस्थापन्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. शक्करगढ़, पीपलून्द, सरसिया, पारोली में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

40. जहाजपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. जहाजपुर क्षेत्र में शक्करगढ़, पारोली में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने एवं बिरधोल रासड़े, ईदून्दा, सरलियां, टीकड़, उलेला, छापरोल, बावड़ी, तरवारिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बांकरा, टीढोड़ी, भरणी कला, बागुदार में उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर)

42. चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

43. गंगापुर (भीलवाड़ा) में रेफरल चिकित्सालय में डाक्टर्स तथा नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों पर पदस्थापन के अभाव से मरीजों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. सहाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला-भीलवाड़ा के भवन में कमरों की कमी व अन्य असुविधाओं से मरीजों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. रायपुर जिला भीलवाड़ा के अस्पताल में रोगी वाहन सेवा उपलब्ध नहीं होने से बीमारों को होने वाली असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा के अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद नहीं भरे जाने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

47. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को (जिनके पास मेडीकेयर रिलीफ कार्ड है) इलाज के लिए अस्पतालों में समुचित दवाइयां नहीं होने से होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम (धोद)

48. चिकित्सा विभाग द्वारा सेक्टर सुपरवाईजर किशनगढ़ रेनवाल को सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोसल सीकर में एक्स-रे मशीन नहीं लगाने से लोगों को हो रही असुविधा से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

50. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुरा सीकर का भवन गिर जाने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

51. राज्य में निजी चिकित्सालयों द्वारा जनता की लूट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

52. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर)

53. राजकीय चिकित्सालय (सदर) धौलपुर में मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं करने व लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. राजकीय सदर चिकित्सालय धौलपुर में साफ-सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

55. चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था एवं मरीजों को निःशुल्क दी जाने वाली दवाइयों में हो रही व्याप्त अनियमितता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला आयुर्वेद अधिकारी की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

57. तहसील सांगोद जिला कोटा के कुन्दनपुर व दरा (मोरूकलां) तथा तहसील दीगोद के नीमोदा पंचायत मुख्यालय पर डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)

58. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने हेतु चौमूं चिकित्सालय की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. नेशनल हाइवे 11 पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिये चौमूं विधान सभा क्षेत्र में ग्राम ढोढसर की सीमा में ट्रोमा हास्पिटल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हाड़ोता, टाकरड़ा, घिणोई, भूतेड़ा, आलेसर, तिगरिया, नांगल कोजू में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. राजकीय चिकित्सालय, चौमूं को 100 शैय्याओं का बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. चौमूं विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नांगल भल्डा में नया चिकित्सालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

63. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

64. राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को समाज के सभी वर्गों में मान्य व प्रचलित करवाने पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

65. लोक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

66. अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु बनी हुई जन प्रतिनिधियों की कमेटियों की नियमित बैठकें आयोजित करने पर चर्चा के लिये।

67. आयुर्वेद सहित अन्य देशी चिकित्सा पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

68. सेंदड़ा जिला पाली में एड-पोस्ट डिस्पेंसरी पिछले 60 साल से कार्यरत है, इसे क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. मेडिकल रिलिफ कार्ड की योजनानुसार सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) कानूजा, गिरी, बाबरा, कुशालपुरा व देवली कलां में स्वीकृत स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सब-सेन्टर, उप-केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी भर्ती हेतु दो बच्चों के सिद्धान्त को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

73. राज्य में एलोपैथिक डाक्टरों द्वारा अनावश्यक अनुसंधान कमीशन हेतु निजी केन्द्रों पर कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

74. राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था में विकार आने पर चर्चा के लिये।

75. राज्य में अधिकांश उप-केन्द्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकाल में नर्सेज व कम्पाउण्डर्स के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़)

76. आयुर्वेद औषधालयों में दवा तथा सामान की कमी के कारण ठीक तरह की चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. ग्राम दांता के चिकित्सालय में साज सामान तथा चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा रैफरल अस्पताल की स्वीकृति के अनुरूप शैय्याओं की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

78. राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय अजमेर के भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन

(श्री ललित भाटी)

कर कार्य शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. राज्य में आयुर्वेद काउंसिल की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

1. श्री सांवर लाल (भिनाय)
2. श्री मदन दिलावर (अटरू)
3. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)
4. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

80. मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से अजमेर जिले में दवाइयों की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. चिकित्सा अधिकारी व कर्मियों के मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय),

श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

82. भिनाय क्षेत्र में गर्मी के कारण बिमारियां फैलने पर भी विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

83. भिनाय विधान सभा क्षेत्र में नवीन चिकित्सालय एवं एड-पोस्ट व ए.एन.एम. केन्द्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

1. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)
2. श्री मदन दिलावर (अटरू)

84. भिनाय विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

85. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर, कम्पाउण्डर व नर्स एम. पी. डब्ल्यू. इत्यादि के रिक्त पड़े पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक पी.एच.सी. को भीनमाल शहर से भीनमाल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बागोड़ा तहसील मुख्यालय पर स्थानान्तरित करने हेतु चर्चा के लिये।

87. भीनमाल शहर के राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक न होने की वजह से जनता को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

88. डूंगरपुर जिले में डाक्टरों के रिक्त पदों से हो रही परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिये।

89. डूंगरपुर जिले में आवश्यक पी.एच.सी. सब सेन्टर आदि की कमी के कारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

90. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में एफ.एच.डब्ल्यू. एवं एम.एन. के पदों के रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

91. केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में खाली रिक्त पदों को भरने, टीकाकरण एवं ब्लड बैंक की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)

92. चिकित्सा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को लम्बे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में महिलाओं को प्रसव के समय महिला चिकित्सक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राज्य में बढ़ती आबादी पर रोकथाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार)

95. राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित गंगरार कस्बे में एम्बुलेंस की सुविधा व गंगरार एवं राशमी चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति एवं पंचायत मुख्यालयों पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में आयुर्वेद औषधालयों में वैद्यो के रिक्त पद भरने एवं पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेद औषधालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

97. डूंगरपुर जिले के आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक औषधियां नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा, बीछीवाड़ा रेफरल हास्पीटल में सर्जन डाक्टर नहीं होने एवं डूंगरपुर शहर में रेफरल हास्पीटल नहीं होने पर उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

99. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

100. सिरोही जिले में सिरोही, कालन्द्री, शिवगंज, कैलाशनगर अस्पताल में रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार)

101. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था सुधारने एवं पी. एच. सी. बहराउढाखुर्द में मोबाइल यूनिट एवं खण्डार में ब्लड बैंक स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)

102. हिण्डौन उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर 100 बैड का किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(श्री भरोसी लाल)

103. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम झिरना एवं विजयपुरा में नवीन डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. हिण्डौन सिटी की पुरानी पी.एच.सी. की बिलडिंग में प्रसूति गृह खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. करौली जिले में नया जिला आयुर्वेद कार्यालय खोले जाने एवं आयुर्वेद औषधालयों की बिगड़ती स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. हिण्डौन उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ का नवीन पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

107. राजस्थान के समस्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में वैद्यों व कम्पाउण्डर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. राजकीय चिकित्सालय मांगरोल, इन्द्रगढ़, खातौली में महिला चिकित्सकों व डाक्टर्स के पद रिक्त होने से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

110. आयुर्वेद विभाग में शोध एवं अनुसंधान के कार्यों में तीव्र गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर जिलों में आयुर्वेद चिकित्सकों की कमी एवं अपर्याप्त दवाइयों के कारणों पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर)

112. राज्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में धीमी गति के कारण जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

113. बाडमेर जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में सांप काटने के इंजेक्शन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

115. राज्य में इण्डियन मेडिकल काउंसिल के नियमों के विपरीत निजी डेंटल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कालेज व मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल (बागीदोरा)

116. ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने एवं ट्रेनिंग शुदा अभ्यार्थियों की नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. आयुर्वेद विभाग में ट्रेनिंग सेंटर पुनः चालू कराने एवं जनजाति विद्यार्थियों का विशेष बैच चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. बागीड़ोरा निर्वाचन क्षेत्र की आनन्दपुरी के रेफरल अस्पताल में स्टाफ का पूर्णतया अभाव एवं बड़े अधिकारियों के पदों को भरने की आवश्यकत पर चर्चा के लिये।

119. बागीदोरा निर्वाचन क्षेत्र में अरथूना कस्बे को रेफरल अस्पताल बनानें एवं अरथूना पी.एच.सी. में आउटडोर अधिक होने पर पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

120. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाइयों की भरपाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. कुशलगढ़ क्षेत्र कि चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

122. कपिल चिकित्सालय, नीम का थाना में सफाई व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. कपिल हास्पीटल नीमकाथाना को 100 शैय्याओं का बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

125. कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)

126. सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय की 150 बैड से 300 बेड का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को इन्स्टीट्यूट बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. सरकार द्वारा एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

130. पंचायत समिति मुख्यालय कठूमर में रैफरल अस्पताल खोलने एवं क्षेत्र में डिस्पेंसरी एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती पूनम गायेल (लाडपुरा)

131. अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

132. खारची विधान सभा के मारवाड़ जं. अस्पताल में एक वर्ष से रिक्त पड़े एस.एम.ओ. के पद पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र पण्डया (बांसवाड़ा)

133. ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव होने से नीम-हकीमों द्वारा ग्रामीणों को प्रभावित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

134. ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में अव्यवस्था व स्टाफ की कमी के साथ ही डाक्टर्स द्वारा निजी प्रेक्टिस से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

135. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में उपकरणों के खराब होने से मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. राजकीय चिकित्सालय, पुरानी बस्ती, जयपुर में कतिपय चिकित्सकों के पद समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. राजकीय मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, पुरानी बस्ती, जयपुर में प्रयोगशाला-जांच सुविधा न होने से मरीजों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138. राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर में कतिपय चिकित्सकों का लम्बे समय से पदस्थापन एवं पदोन्नति के पश्चात् भी एक ही स्थान पर रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. वर्ष 1999-2000 में आयुर्वेद विभाग द्वारा औषधि क्रय में बजट का पूरा उपयोग न कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

140. बूंदी जिलान्तर्गत डाक्टरों के रिक्त पद भरने एवं प्रजनन शिशु स्वास्थ्य सेवाएं (आर.सी.एच) कारगर रूप से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

141. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों के इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कु. मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर)

142. खानपुर अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

143. राज्य में अनियमित तरीके से निजी डेन्टल कालेज को राजकीय चिकित्सालयों में संबंधता प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

144. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में टायलेट सुधार एवं छत मरम्मत व आर्थोपेडक फ्लोर ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. जनाना अस्पताल, अजमेर को जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर से स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

146. राजकीय चिकित्सालय फलौदी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीजों व सर्पदंश के मरीजों को मुफ्त दवा हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. राजकीय चिकित्सालय फलौदी में जूनियर आई स्पेशलिस्ट के रिक्त पद पर पेस्टिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर अपने कटौती प्रस्तावों पर जब चर्चा प्रारम्भ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान जाता है गत वर्ष में इस कल्याणकारी सरकार द्वारा किये हुए अच्छे कामों की ओर। गत वर्ष के बजट में जिस प्रकार से चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए राशि का आबंटन किया गया था, जिस तरह से मेडिसिन के अलाटमैंट के लिए बजट का प्रावधान दुगुना किया गया था, जिस प्रकार से रोगियों के भोजन की जो आबंटित राशि थी उसको दुगना किया गया था, उससे राजस्थान में एक संदेश गया कि एक ऐसी कल्याणकारी सरकार है जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता रखती है। जो सबसे अच्छा काम पिछले बजट में किया गया और जिसको इस बजट में भी अच्छी राशि आबंटित की गयी है वह कल्याणकारी कार्य है मुख्य मंत्रीजी द्वारा जीवन रक्षा कोष की स्थापना। राजस्थान के गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिए एक ऐसा सुखद संदेश कि गरीब आदमी आज हिम्मत करके जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में और अगर यहां पर सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो देश के किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकता है चाहे वह इलाज कितना ही महंगा

(डा. करण सिंह यादव)

हो, चाहे उसमें लाख लगें, चाहे दो लाख लगें, चाहे हार्ट की सर्जरी हो, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो। यह जीवन रक्षा कोष के माध्यम से हो सका जिसका पिछले साल दो करोड़ का बजट आबंटित किया गया था। इस साल उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 15 करोड़ की राशि देकर गांवों और कस्बों के गरीबों को, दलितों और गरीबी की जीवन रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में एक संदेश पहुंचाया है कि यह सरकार निःशक्तों के लिए समर्पित है और उनके कल्याण के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

दूसरा जो महत्त्वपूर्ण कार्य गत वर्ष में हुआ वह था गरीबी की रेखा के नीचे रहने वले आदमी को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड। एक सफेद कार्ड जो आज पंचायत समिति स्तर पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आदमी को दिया जाता है। वह उस कार्ड को लेकर किसी भी अस्पताल में जाएगा, उसको चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी विभाग की होगी। यह एक अभिनव प्रयोग है, मैं समझता हूं कि राजस्थान देश में इस कार्य में अग्रणी रहा है। यह जरूर है कि आज कतिपय अस्पतालों के अंदर इस मेडिकेयर रिलीफ कार्ड के इम्प्लीमैंटेशन में कुछ खामियां हैं। राज्य सरकार ने मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी का 25 प्रतिशत बजट इस बात के लिए आबंटित कर दिया कि गरीब आदमी आए, अगर अस्पताल में वे दवाइयां उपलब्ध नहीं हों तो उन दवाइयों को बाजार से खरीदकर उनको दिया जाए। अब एक संदेश जगह-जगह गांवों में कस्बों में जो अस्पताल हैं, उनमें जाने लगा है। बड़े अस्पतालों में जाने लगा है कि ये जो व्हाइट कार्ड लेकर आते हैं, गरीबी रेखा का कार्ड लेकर आते हैं ये वी.आई.पी. हैं, इनकी कद्र की जाए और इनको दवाइयां मुहैया कराई जाएं। यह राजस्थान सरकार की गत वर्ष की एक बहुत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

उपलब्धि यह भी है कि जहां सैकड़ों की तादाद में डाक्टर बनने के लिए, नर्स बनने के लिए, कम्पाउंडर बनने के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए लोग बाहर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार कहां-कहां जाते थे, गत वर्ष में राजस्थान सरकार ने 14 एन.ओ.सी. मेडिकल कालेजेज के लिए जारी करके, डेंटल कालेजेज के लिए एन.ओ.सी. जारी करके, नर्सिंग कालेजेज के लिए एन.ओ.सी. जारी करके एक संदेश दिया है कि राजस्थान की सरकार यह चाहती है कि यहां पर मेडिकल चिकित्सा को प्रोत्साहन मिले। प्राइवेट एण्टर प्रिन्योर्स यहां अपने मेडिकल कालेज खोलें और दक्षिण भारत जैसी संस्थाएं हैं, उनके आधार पर यहां पर एडमिशन हो। उनके नियम बने और जो मैरिट्स से आते हैं, वे अपनी फीस देकर रहें और 15 प्रतिशत का कोटा जो मैनेजमैंट

(डा. करण सिंह यादव)

का कोटा है, एन.आर.आई. का कोटा है, उस कोटे को इस्तेमाल करते हुए व्यवस्थापक अपने हिसाब से अपना खर्चा चलाने के लिए उनमें एडमिशन करें। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को कि राजस्थान में नर्सिंग कोलेज में इस बार एडमिशन हो गये, शिक्षण कार्य चालू हो गया है। हमें निश्चित रूप से यह सुपरवाइज तो जरूर करना होगा कि इन नए संस्थानों में सुविधा कैसी दी जा रही है, पढ़ने की माकूल व्यवस्था है या नहीं।

(13.17 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

पूरी लेबोरेट्रीज हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यावसायिक रूप से खोलने वाले लोग पैसे लेकर छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। यह बात हमको ध्यान में रखने की जरूरत होगी।

मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को जिसने गत वर्ष क्षय रोग के नियन्त्रण के लिए, लेप्रोसी के नियन्त्रण के लिए ऐसे गंभीर रोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रोग्राम गांवों में चलाया और मार्च और अप्रेल के महीने के बीच में एक-एक आदमी को आइडेंटिफाई किया गया। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और सब-सेंटर्स में आइडेंटिफाई करके टी. वी. की दवाई चाहे रोगी स्वयं आकर ले या स्वास्थ्यकर्ता ले जाकर उनको दें। इस तरह एक भयंकर बीमारी जो प्रदेश में और देश में फैली हुई है, उसके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छे उपाय किये। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कार्यक्रम राज्य सरकार का है या राष्ट्रीय कार्यक्रम है?

डा. करण सिंह यादव : यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लेकिन इम्प्लीमैंटेशन राज्य सरकार कर रही है और राज्य सरकार निश्चित रूप से...(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए आप। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, राजस्थान में अन्य प्रदेशों के मुकाबले में चिकित्सा सुविधाएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। प्रदेश के जो मेडिकल कालेजेज हैं, उनके बारे में मेरी जानकारी है, प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में मेरी जानकारी है कि चाहे हृदय रोग की सर्जरी हो, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, चाहे गुर्दों के ट्रांसप्लांट की बात हो, चाहे कैंसर के इलाज की सुविधाओं की बात हो, ये सारी सुविधाएं हमारे यहां अस्पताल में उपलब्ध हैं सरकारी क्षेत्र में और दिनोदिन...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन आपके जैसे डाक्टर कहां उपलब्ध हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा पार्लियामैंटेरियन तो पा लिया, लेकिन अच्छा डाक्टर खो दिया हमने।

डा. किरोड़ी लाल : उसका हमें बड़ा दुःख है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : मैं आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा, मुझसे ज्यादा बेहतर डाक्टर आज सवाई मानसिंह अस्पताल में उपलब्ध हैं। मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं कि जिस विभाग को मैं छोड़कर आया हूं उसमें एक दुर्घटना जरूर घटित हुई, लेकिन आज उस विभाग में ऐसे सर्जन हैं जो बाई-पास सर्जरी सेफ्टी से कर रहे हैं और आम गरीब आदमी का 50 हजार रुपये के अंदर आपरेशन सवाई मानसिंह अस्पताल में हो रहा है। पिछले सालों में ऐसे सैकड़ों आपरेशन हुए हैं। 450 ओपन हार्ट सर्जरी हुई जिनमें से करीबन 100 बाई-पास आपरेशन थे जो आम दरम्यानी आदमी सोच भी नहीं सकता कराने की। इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि मेरा विभाग, जिसे मैं छोड़कर आया हूं, आपके कार्यकाल में जो बाई-पास सर्जरी चालू हुई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका नहीं अपने दोनों का विभाग। आपके अकेले का नहीं, अपने दोनों का विभाग।

डा. करण सिंह यादव : आपके कार्यकाल का मैं वर्णन कर रहा हूं, मेरे पूर्व मंत्री महोदय, लेकिन...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब वो नहीं है, माननीय सदस्य। आपके कार्यकाल में जो थे वो अब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो अब नहीं है?

श्री सभापति : हां, वो नहीं है। (व्यवधान) बोलिये, बोलिये, माननीय सदस्य।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, मैंने मेरी गत वर्ष की स्पीच में यह कहा था कि मेडिकल डिपार्टमैंट के अन्दर आडिटिंग होनी चाहिए। इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि कहां पर डाक्टर्स की जरूरत है, कहां डाक्टर्स काम कर रहे हैं, कहां पर सुविधाओं की कमी है, कहां सुविधाएं अधिक चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष आपने सक्रिय रूप से मेडिकल कालेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग्स लेकर इस विभाग में आने वाली जो कमियां हैं, खामियां हैं, कैसे हम रोगियों का बेहतर जीवन बना सकें, इस ओर ध्यान दिया।

सभापति महोदय, इस बधाई को देते हुए कुछ चिंताएं मुझे जरूर होनी लगी हैं। जैसे एक चिंता हुई कि सवाई मानसिंह अस्पताल में और राज्य के सरकारी अस्पतालों में जमीन पर मरीज भर्ती नहीं किये जाएंगे। बहुत अच्छी बात है अगर हम सब लोगों को बिस्तर मुहैया करवा सकें। किसी भी कल्याणकारी सरकार का सबसे पहला उद्देश्य यह होगा कि उनको हम बिस्तर उपलब्ध

(डा. करण सिंह यादव)

करा सकें। यह सही बात है कि गत 50 वर्षों में हम यह बात नहीं कर पाये। विशेष तौर पर सवाई मानसिंह अस्पताल के संदर्भ में जहां पर चिकित्सकों की इतनी अच्छी रेपुटेशन है कुछ विभागों में, जहां पर आने वाले रोगियों की संख्या इतनी है रोड एक्सीडेंट के कारण से आर्थोपेडिक्स में, न्यूरो सर्जरी में, और अन्य विभागों के अन्दर भी मरीज इतने आते हैं। अगर हम कल यह लगा दें कि जमीन पर मरीज भर्ती नहीं किया जाऐगा, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई रोक हम लगा सकते हैं। एक दिन में कभी दस-दस, बीस-बीस, तीस-तीस मरीज। एक बस उलटी और 30 मरीज आ गये। आल इंडिया इंस्टीट्यूट यह कह सकता है, आल इंडिया इंस्टीट्यूट एक रैफरल अस्पताल है, सेंट्रली फंडेड अस्पताल है। वह अपनी जिम्मेवारी, आम आदमी के मरीज की नहीं रखता तो आल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो यह चीज संभव है कि वहां पर जितने बिस्तर उतने ही रोगी। गम्भीर से गम्भीर मरीज चला जाए आल इंडिया इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी में, वहां का डाक्टर प्राथमिक उपचार देकर कह देता है, भैया, सामने सफदरजंग अस्पताल है, उसमें जाकर भर्ती करा दो। और सफदरजंग अस्पताल में मरीज लेटे हुए मिलते हैं। तो अति उत्साह में हम कहीं ऐसे कदम नहीं उठा लें कि लोगों को आने वाले दिनों के अन्दर परेशानी होने लगे। गरीब आदमी का अगर सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज संभव नहीं होगा तो निश्चित रूप से कहीं बाहर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इमरजेंसी के लिए आज कोई एक्सीडेंट होकर आ जाए, पाइजनिंग होकर आ जाए, कोई जल कर आ जाए, किसी बड़े हादसे में लोग आ जाएं, उनको कोई प्राइवेट अस्पताल अपने यहां भर्ती नहीं करता उनको तो सवाई मानसिंह अस्पताल अपने यहां भर्ती करता है।

सभापति महोदय, आज निश्चित रूप से सरकार के सामने एक वित्तीय संकट है। जगह-जगह इस बात की कोशिश की जाती है कि हम अपने खर्चों को कैसे कम करें, कटौतियां कैसे करें, किस तरह से हम पद कम करें, किस तरह से हम अपना बचाव करें। लेकिन, सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा विभाग ऐसा है कि जिसमें कहीं कटौती का प्रावधान नहीं है। हम अभी इतने सक्षम नहीं हुए कि अपने आपको कम कर सकते हैं। न तो बजट में कटौती कर सकते हैं, न डाक्टर्स में कटौती कर सकते हैं, न यूनिट्स में कटौती कर सकते हैं और न नर्सेज में कटौती कर सकते हैं। आज बहुत कुछ करना बाकी है। अभी पिछले दिनों मैंने हाउस में उठाया था, सवाई मानसिंह अस्पताल से 56 मेडिकल आफिसर्स को जो मेडिकल आफिसर्स हैं,

(डा. करण सिंह यादव)

टीचिंग स्टाफ में नहीं हैं, मैं इस बात को एडमिट करता हूं, लेकिन ये सारे मेडिकल आफिसर्स कोई एक साल में, दो साल में या तीन साल में नहीं लगे हैं, ये वर्षों से धीरे-धीरे चलते हुए विभाग की जरूरत के मुताबिक लगे हैं। न्यूरो सर्जरी वार्ड आप सब लोगों ने देखा होगा, जमीन पर मरीज पड़े रहते हैं, मरीजों की भीड़ आती रहती है। स्टाफ की कमी को देखते हुए गत सरकार के समय में 9 सी.ए.एस. डाक्टर्स जो एम.एस. किये हुए हैं, उनको वहां लगाया गया जो राउंड द क्लाक हर यूनिट में ड्यूटी दे सकें। वहां पर तीन यूनिट्स हैं, अगर हम उन सबको एक साथ हटा देंगे तो कौन उनको संभालेगा? हमारी एक्सीडेंट इमरजेंसी के अन्दर हमने 20 सी.ए.एस. डाक्टर्स लगा रखे हैं जो एनेस्थिसिस्ट हैं, आर्थोपिडिशियंस हैं, जनरल फिजीशियन हैं। उनको एट आवर की ड्यूटी पर लगाते हैं, अगर उनको हटा देंगे तो कौन संभालेगा? कार्डियोथेरेपिस्ट वार्ड में हो सकता है दो, पांच प्रतिशत लोग बाग उसमें कोई वी.आई.पीज. के बच्चे हों, कोई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हों, अपने कनेक्शंस में उन्होंने जयपुर में रहने के लिए अपनी जगह कर रखी हो। मेडिकल आउटडोर में बैठे हुए शायद हो सकते हैं, एक-दो, मेडिकल यूनिट्स में लगे हुए हो सकते हैं एक-दो डाक्टर्स। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 56 आदमियों में से कम से कम 45 आदमी ऐसे होंगे जिनकी अस्पताल के लिए उपयोगिता बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक साथ में आर्डर निकल गया कि इनको हटा दीजियेगा, इनको तत्काल रिलीव कर दीजियेगा। न तो वहां के प्रिंसिपल से राय ली जाती है न वहां के सुपरिंटेंडेंट से राय ली जाती है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, यह बहुत गम्भीर विषय है, इस मामले में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्वयं हस्तक्षेप करें। प्रिंसिपल और मेडिकल कालेज के सुपरिंटेंडेंट, आप चाहो तो इस हाउस के अन्दर सात डाक्टर्स बैरियस क्वालिफिकेशन के विद्यमान हैं, हम लोगों की सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं लेकिन इस तरह से छंटनी मत कीजिये। आप को अगर कोई इस तरह से कैलकुलेशन करके दे दें कि सवाई मानसिंह अस्पताल के एक डाक्टर का प्रतिशत वह तो आधा घंटे काम करता है, मेडिकल कालेज में पांच घंटे टीचिंग कराता है, यह दुष्प्रचार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा और आपके खुद के अनुभव भी रहे होंगे कि इन विभागों के अन्दर, चाहे वह कार्डियोलोजी का विभाग जो, शाम को चार बजे तक काम करते हुए मिल जाएंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए किसी जमाने में हम को मुम्बई जाना पड़ता था, आपरेशन कराने के लिए विदेश जाना पड़ता था, आज आपके अस्पताल में सुबह-शाम कोरोनरी एंजियोग्राफी शाम के सात बजे तक, आठ बजे तक होती रहती

(डा. करण सिंह यादव)

है, डाक्टर काम छोड़ कर नहीं जाता। हो सकता है उसमें डाक्टर की भी दाल-रोटी का अपना इंट्रेस्ट हो। कार्डियक सर्जरी में चले जाइये, रात के आठ बजे तक केस चलते हैं। न्यूरो सर्जरी में चले जाइये, 24 घंटे तक काम चलता रहता है बैठकर। कुछ विभाग ऐसे हो सकते हैं जिनको चुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। उनको चुस्त करें, दुरूस्त करें लेकिन यह भावना नहीं होनी चाहिए कि कटौती के लिए सरकार में जाकर विभाग प्रोजैक्ट करना चाहे कि देखिये, हमने इतने कटौती कर दी, इतने डाक्टर्स आपके लिए फ्री कर दिये, इनको आप गांवों में लगा दीजिये। निश्चित रूप से गांवों में डाक्टर्स की कमी है, गांवों के लिए आप डाक्टर्स को रिक्रूट कीजिये।

सभापति महोदय, मेरा मुख्य मुद्दा है यह टी.बी. अस्पताल। अब टी.बी. तो इतनी भयंकर बीमारी है कि आप उसके बैड हिन्दुस्तान में और बढ़ाएं तो उनकी जरूरत है। गांव का आदमी है, बहुत सारे ऐसे संक्रमित रोगी होते हैं कि जिनको घर पर रखें तो उनसे परिवार में टी.बी. होने का खतरा होता है। मुझे इस तरह की जानकारी दी गयी कि आप इसमें कटौती कर दीजिये। इस तरह की कटौतियां नहीं होनी चाहिए। मुझे जानकारी दी गयी कि कार्डियक सर्जरी का आपरेशन थियेटर है, जब मैं सुपरिंटेडेंट था और वहां काम करता था, दो आपरेशन थियेटरों में काम करते थे। राज्य सरकार के भागदौड़ करके, मेहनत कर मेडिकल सोसाईटी के दान-दक्षिणा से पैसे लेकर दो और थियेटर वहां पर चालू किये। आज उसका यह नतीजा है कि 400-450 कैसेज इन दो थियेटर्स में होते हैं और पहले वाले थियेटर के अन्दर दूसरे जो हृदय रोगी, चैस्ट के बीमार हैं, छाती के बलगम के बीमार हैं, चोट के बीमार हैं, वस्कुलर डिजीजेज हैं। ये सारे निर्णय प्रशासनिक स्तर पर नहीं किये जा सकते, इन निर्णयों के पीछे डाक्टर्स की कोई टीम हो। अगर आपको लगे कि यूटिलाइजेशन कम हो रहा है तो आप ऐसे निर्णय लें। मैं चाहूंगा कि इस सारी एक्सरसाइज का फायदा इस बात के लिए होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने अलग-अलग विभागों से पूछा है कि आपको क्या और चीज दे दी जाए। मैं जानता हूं कि आज आप न्यूरो सर्जरी के अन्दर दो एनेस्थिसिस्ट और दे दें तो आपका काम बन जाऐगा। आप कार्डियक सर्जरी में एक एनेस्थिसिस्ट दे दें तो आप का वन एण्ड हाफ टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे विषयों में जहां पर डाक्टर्स की कमी है और जिनकी वजह से हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने एनेस्थिसिस्ट की बात कही। मैंने गत वर्ष भी कहा था कि हमारे जिलों के अन्दर पी.एच.सीज. के अन्दर, रैफरल सेंटर्स के अन्दर

(डा. करण सिंह यादव)

आर्थोपिडिशियंस उपलब्ध हैं, सर्जंस उपलब्ध हैं, गाइनेकालोजिस्ट उपलब्ध हैं लेकिन ये जो एनेस्थिसिया के विशेषज्ञ हैं बेहोशी देने वाले निश्चेतन विभाग के, इनकी संख्या बहुत कम है। चार डाक्टर एक पी.एच.सी. पर, रैफरल पी.एच.सी. पर इसलिए खाली बैठे रहते हैं कि उनके पास में वहां पर बेहोशी देने वाला डाक्टर उपलब्ध नहीं है। जब मेडिकल एजुकेशन का ध्यान देते हैं तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम एनेस्थिशिया के डाक्टर्स की ट्रेनिंग में लिये जाने वाले, जैसे आज राजस्थान में 20 या 22 रजिस्ट्रेशन हर साल लिये जाते हैं, उनकी संख्या हम दोगुनी क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए बजट प्रावधान क्यों नहीं करवा सकते, डिप्लोमा उनके लिए क्यों नहीं करवा सकते। इस ओर ध्यान देना होगा।

यही नहीं, इस जगह मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि आज बेहोशी के विभाग में भी स्पेशलाइजेशन हो गया। जिस तरह कार्डियक सर्जरी स्पेशलाइजेशन है वैसे ही कार्डियक एनेस्थिसिस्ट भी अपने आप में स्पेशलिटी हो गयी। जिस तरह से न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट है उसी तरह से न्यूरो सर्जिकल एनेस्थिसिया भी अपने आप में स्पेशलिस्ट है। हर आम आदमी उस काम को नहीं कर सकता। गुर्दे का प्रत्यारोपण करने वाला जो एनेस्थिसिस्ट है उसमें अपनी योग्यताएं हैं। आज हम इस स्थिति में आ गये हैं जब हम सोचें कि सवाई मानसिंह अस्पताल में कम से कम इन विभागों का भी गठन करें और इन विभागों में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन है, जिनकी ट्रेनिंग है उनकी कमेटी बना कर और इन विभागों को सैपरेट कर हमारे यहां पर जो सर्जरी डवलप हो रही है उसको और आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर आज...

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, मोबाइल वाला फोन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल टेलीफोन पर पाबंदी लगा रखी है।

डा. किरोड़ी लाल : ट्रेजरी बैंच के मंत्री जेब में रख कर लाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन मंत्रियों को क्या पता क्या हो गया है, सभापति महोदय, इस सदन की गरिमा को बनाये नहीं रखते।

डा. किरोड़ी लाल : सदन की गरिमा नहीं रखते, क्या तरीका है?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, वित्त) : आप आराम से बैठो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोल गया था न? चलो आपका बोला था। मेरे को पहले बता देते। महिलाओं को अलाउ कर दो।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर कैंसर के विशेषज्ञ ओंकोलाजिस्ट, ओंको सर्जन, एंडोक्रोनोलाजी के विशेषज्ञ इस अस्पताल में उपलब्ध हैं जो जनरल मेडिसिन की पोस्टों पर काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इन सबका डिपार्टमैंट सैपरेट करें और अलग से स्पेशलिटी बनायी जाए जिसकी हमारे राज्य में कमी हैं।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपका, कि हमारे जो प्री-क्लिनिकल सब्जैक्ट्स हैं मेडिकल कालेजेज में ट्रेनिंग मेंएनाटमी, फिजियोलाजी जो कालेज में पढ़ाये जाते हैं, उनमें स्टाफ की धीरे-धीरे कमी होती जा रही है। उस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसकी किस तरह से पूर्ति की जाए, किस तरह से लोगों का रूझान बढ़ाया जाए और उनको स्पेशल इन्सेन्टिव दिए जाएं। वरना आने वाले समय में ठेके पर अध्यापक बुलाकर पढ़वाना पड़ेगा जो कोई अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए अभी से इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है।

सुपर स्पेशलिटीज अलग-अलग जगहों पर खोली जा रही हैं। आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कार्डियोलाजी का अच्छा विभाग उदयपुर में उपलब्ध है, अजमेर में उपलब्ध है और जोधपुर के अन्दर भी उपलब्ध है। जोधपुर में तो पिछली सरकार के टाइम में मैं गया था, हार्ट के कुछ आपरेशंस भी करके आया था तब भी सरकार की मंशा थी कि जोधपुर में कार्डियक सर्जरी और कार्डियालाजी की यूनिट बनायी जाए। मैं समझता हूं कि अभी इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, दोनों जोधपुर से आते हैं, मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यह कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है लेकिन जोधपुर का जो संभाग है वह बहुत बड़े संभाग को ड्रेन करता है। आस-पास के मारवाड़ क्षेत्र के पाली से, बाड़मेर से लोग सबसे पहले जोधपुर आते हैं और वहां संभावनाएं हैं। अच्छे आपरेशन थियेटर्स, अच्छी आई.सी.यू. है। तो प्राथमिक के आधार पर कार्डियोलाजी और कार्डियक सर्जरी का दूसरा डिपार्टमैंट अगर आप कहीं खोलें तो जोधपुर और उदयपुर को उसमें प्राथमिकता से लें। उदयपुर के अन्दर जिंक लिमिटेड ने छह करोड़ रुपये की राशि दी है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विभागीय अड़चनों की वजह से वह खरीद-फरोख्त आज तक नहीं हो पायी है। उस बात को सुनिश्चित करें कि वहां अच्छा उपकरण खरीदा जाए और उदयपुर की कार्डियक सर्जरी की जो यूनिट है उस यूनिट को चालू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं पहला वक्ता हूं, मुझे समय दिया है तो आप मुझे

(डा. करण सिंह यादव)

थोड़ी देर और दें। विभाग का ही हूं ताकि अपनी बात कह सकूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य,-आपको मैं रोक नहीं रहा हूं लेकिन कटौती प्रस्ताव में संक्षेप में आपकी पार्टी का समय है और डिप्टी स्पीकर साहब का मार्गदर्शन है कि पांच-पांच और दस-दस मिनट सब जनों को बुलवाएं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : इनके लिए विशेष टाइम दिया जाए।

डा. करण सिंह यादव : मुझे पार्टी के सदस्यों की इजाजत है, सर।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार का कि एक नयी नीति बनायी है, मैं उसका न तो स्वागत कर रहा और न विरोध कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि उसमें सोचना होगा जो सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट संस्थाओं द्वारा बड़ी मशीनें लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिसकी मंशा है कि राज्य सरकार का पैसा खर्च नहीं हो। प्राइवेट आदमी आकर अपनी एम.आर.आई. या सी.टी. स्कैन या कोई बड़ी मशीन लगा दे, राज्य सरकार पैसा तय कर दे और वह अपना पैसा लेता रहे, उसकी मैंटिनेंस करता रहे। यह भावना संभवतः इस वजह से हो सकती है कि हमारे पास में राशि की कमी है। यह भावना इसलिए भी हो सकती है कि कई बार इन बड़े उपकरणों के रख-रखाव के अन्दर जैसा पहले समय में हुआ करता था, कोताही बरती जाती थी। ढंग से मैंटिनेंस नहीं कर पाते थे, उपकरण खराब पड़े रहते थे। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस दिन से यह मेडिकल रिलीफ सोसायटी बनी है उस दिन के बाद में आपको इन बड़े अस्पतालों के उपकरण खराब नहीं मिले हैं। वे बार-बार मेन्टेन होते जा रहे हैं। जिस दिन से सुपरिंटेंडेंट को और प्रिंसिपल को अपनी मशीनों को ठीक कराने का अधिकार मिला है उस दिन से मशीनें ठीक रहती हैं। ये अड़चने पहले होती थी जब हर फाइल सैक्रेटेरिएट में जाती थी और वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाती थी। आज सुबह मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा था। मेडिकल रिलीफ सोसायटी राजस्थान में एक अभिनव प्रयोग है और इसकी तारीफ यही नहीं देश-विदेश के अन्दर हो रही है। मेरे पास लिटरेचर है जहां लोगों ने इस सोसायटी की तारीफ की है। फ्लूड स्टोर जिसकी बात कह रहे थे, एक जमाना ऐसा था जब 30 रुपये की ग्लूकोज की बोतल मिलती थी। इस फ्लूड स्टोर ने 10 रुपये में बोतल उपलब्ध करायी जिससे सिर्फ राजस्थान ही नहीं भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि जब राजस्थान में इसकी कीमत 10 रुपये की जा सकती है तो केन्द्र की संस्थाएं जो हैं उनके अन्दर यह कीमत कम क्यों नहीं हो सकती। विरोध होता है। विरोध है सामने

(डा. करण सिंह यादव)

बैठे दुकानदारों से। उनके बड़ा भारी कटौती हुई है मुनाफे में। विरोध था उनका जो राज्य सरकार की क्रय-विक्रय संस्थाएं हैं, क्योंकि वे लोग भी 20-25 और 30 रुपये की उस चीज को बेच रहे थे। एक अभिनव प्रयोग चालू किया था। एक नया प्रयोग चालू किया था। हमनें किसी आदमी को आइडेंटिफाई करके उसको चालू किया और उसकी वजह से आज सारे राजस्थान के बड़े अस्पतालों में सोसायटीन हैं। बड़े अस्पतालों में फ्लूड स्टोर्स हैं, लोगों को अच्छी कीमत पर फ्लूड मिलती है। खुशी होती है जब गांव का आम आदमी कहता है कि पहले इस दुकान से दवाई खरीदना, उसके बाद कहीं बाहर जाना। ऐसा प्रयोग हुआ है। हो सकता है शुरू के अन्दर हमने टेण्डर नहीं किए। आज जब आप सवाई मानसिंह अस्पताल की दुकान का टेण्डर करेंगे तो लोग तैयार हो जाएंगे कि हम बिना पैसे भी इस दुकान को ले लेंगे। ठीक इसी तरह से इन बड़ी मशीनों को लगाने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। शुरू-शुरू में सेवाऐं देंगे लेकिन एक बार आने के बाद उन पर सरकार का नियंत्रण कितना रहेगा? दो साल, तीन साल बादें आप और हम उनको कितना पाबन्द कर सकेंगे? क्योंकि अस्पताल में एक बार जो आदमी घुस गया चाहे अस्पताल में किसी ने मन्दिर बना लिया, तो उसने नहीं छोड़ा।

सवाई मानसिंह अस्पताल में चाय की एक थड़ी है 40 साल से कोर्ट कचहरी में केस वह कर रहा है लेकिन उसको आप खाली नहीं करवा सकते। जिसको हमने एक टेलीफोन का बूथ दे दिया वह जाकर कोर्ट से स्टे लेकर आ गया, उसको नहीं करवा सकते। इन बातों को देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार तो आदमी आ जाएगा, उसके बाद आप और हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि क्यों नहीं इन मशीनों को मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से खरीदें। सरकार गारन्टी दे। जिस तरह से पहले उपकरण खरीदे गये हैं सोसायटी से, उन सब उपकरणों की कीमतें लगभग वसूल की जा चुकी हैं। इसलिए मैं एक काशन देना चाहूंगा कि जब भी आप इसको करें, बहुत सोच-विचार कर करें। ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट सैक्टर इन अस्पतालों में जाकर बैठ जाएं और फिर कोर्ट-कचहरी का सहारा लेकर आप और हम इनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकें। इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा। मुझे चिन्ता होती है कटौती के नाम पर। राजस्थान की भ्रमणशील सर्जिकल यूनिट है वह अपने आप मे एक अनूठी इकाई थी, गांवों में जाकर, कस्बों में जाकर ढाणियों में जाकर कैम्प लगाते थे। बड़े-बड़े कैम्प। अब तक के आपके जितने ब्रोशर आये हैं उनके अन्दर उसका

(डा. करण सिंह यादव)

गुणगान लिखा जाता है कि राजस्थान की भ्रमणशील इकाई एशिया महाद्वीप में एकमात्र ऐसी अद्‌भुत इकाई है जो राजस्थान के दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में असहाय और गरीब वर्ग को शल्य चिकित्सा और नेत्र की बीमारियों की जांच निःशुल्क प्रदान करते हैं और सोच-समझकर प्रदान करते हैं। इनका अपना इतिहास रहा है। कहीं भी कोई कैलेमिटीज हुई, बांग्ला देश के अन्दर बाढ़ आ गयी तो राजस्थान की इकाई को भेज दिया। बाद में जरूरत पड़ी तो राजस्थान की यूनिट चली गयी। बड़े-बड़े कैम्प होते हैं। कई दानदाता धमार्थ संस्थान हैं, सेठ हैं जो कैम्प्स को लगवाते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आप सोने का टका दे दो तो वे जयपुर नहीं आएंगे, उदयपुर नहीं आएंगे लेकिन उनके गांव के पास अगर कोई कार्यकर्ता उनका आपरेशन करवाये तो वे करवा सकते हैं। हो सकता है कि आज की तारीख में जब इकोनोमिक बायेबिलिटी की बात होती है तो मोबाइल सर्जिकल यूनिट इकोनोमिक्स में कमजोर पड़ती हो। लेकिन इसमें मामला सिर्फ इकोनोमिक्स का नहीं है। मामला यह है कि दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले आदमी को घर पर यह चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमने सब जगह रैफरल सेन्टर खोल दिए लेकिन रैफरल सेन्टर्स में आपरेशंस नहीं हो रहे हैं। पी.एच.सी. के अन्दर आपरेशंस नहीं हो रहे हैं, सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस चिकित्सा इकाई के अन्दर डाक्टर जी.सी. शर्मा जैसे वरिष्ठ सर्जन रहे हैं, जब वे गांवों में जाते थे कैम्प लगाने तो लोग कहते थे कि जी.सी. शर्मा आये हैं, लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी। इसके मैनेजमैंट में हो सकता है कहीं कमजोरी हो। आप ऐसे अच्छे सर्जन को चूज कीजिए और आप इस इकाई को सवाई मानसिंह अस्पताल के अन्दर कर दीजिए। जब कैम्प लगे तब इनसे कहिए, ये अपने वरिष्ठ सर्जन को वहां पर भेजें हर कैम्प में यहां के प्रोफेसर्स उस कैम्प के अन्दर जाएं बाकी टीम के साथ जिससे लोगों को यह आकर्षण रहे कि मेडिकल कालेज के बड़े डाक्टर हमारे यहां पर आपरेशन करने के लिए आ रहे हैं इकाई के साथ। इस इकाई को तोड़िए मत। इस इकाई में कहीं कमियां हैं तो बैठकर इसको दूर कीजिए। अभी राजस्थान में, मैं समझता हूं इस इकाई की बहुत भारी जरूरत है।

सभापति महोदय, एक बात आ रही है कि डाक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दीजिए। प्राइवेट प्रैक्टिस पहले भी एक बार बन्द की गयी थी। लोगों को ऐसा लगता है कि डाक्टर जो बैठे हैं वे चारों तरफ लूट-खसोट कर रहे हैं। लेकिन मैं डाक्टर होने के नाते और डाक्टर के अलावा पब्लिक लाइफ में होने के नाते ईमानदारी

(डा. करण सिंह यादव)

से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी सुविधा है, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कि वह डाक्टर के घर पर जाकर, उसकी परामर्श की फीस देकर सुबह-शाम के टाइम में दिखाकर अपना तारतम्य बैठा लेता है।

हर आदमी के मन में एक सैटिस्फैक्शन होता है कि मैंने डाक्टर को दिखा लिया, फीस दे दी। मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता कि डाक्टर मनचाहे जितनी फीस लें। जो फीस आपने प्रैस्क्राइव की वह फीस लें। धारकर साहब का नाम ले रहे थे, आज यहां मौजूद भी हैं। ये प्रेक्टिस नहीं किया करते थे। मैंने और कुछ लोगों ने मिलकर इनसे कहा कि आपका आउट डोर तो हफ्ते में सिर्फ दो दिन आता है, आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे तो मरीज आपसे कब मिल सकता है। तो एक अच्छे डाक्टर से या अच्छे डाक्टरों से मिलने की एक सुविधा मरीज को मिल जाती है पचास रुपये या सौ रुपये देकर। यह सही है कि आज फीस पचास रुपये है। मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि आज हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, फिफ्थ पे-कमीशन लग रहा है, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, डाक्टर की फीस को पचास रुपये कितने साल हो गये किये? आखिर हम उनको बेईमान होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आजकल मैं प्राइवेट अस्पताल में, टोंग्या अस्पताल में बैठकर मरीज देखता हूं, मेरी फीस वहां पर लिखी जाती है 150 रुपये और जब मैं सवाई मानसिंह अस्पताल में था तो मेरी फीस लिखी जाती थी पचास रुपये। आपको हमको कहीं देखना होगा। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम कोई गरीब आदमी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन जो फीस आज से दस साल, पन्द्रह साल पहले की है तो उसका भी पुनर्निर्धारण कीजिये जिससे कि जो डाक्टर ईमानदार हैं वे ईमानदार रह सकें और जो थोड़े बहुत बिगड़ चुके थे वे भी अपने सही रास्ते पर आ सकें।

यह सही बात है कि सरकार की मजबूती का सन्देश आज आम डाक्टरों में गया और मन में जो थोड़ा बहुत गड़बड़ करने वाले डाक्टर थे उनके मन में भी यह दहशत है कि अब हमको सीधे रास्ते पर चलना होगा। यह मैं समझता हूं अशोक गहलोत सरकार की एक उपलब्धि रही है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पांच मिनट और लेना चाहूंगा। परिवार कल्याण सारी प्लानिंग की बुनियाद है। अगर हम परिवार कल्याण के कार्यक्रमों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हम कितनी ही योजनाएं बनाते रहे, कितने ही स्वास्थ्य केन्द्र खोलते रहें, इस मामले में आपके ब्रोशर से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार वर्ष 2000 तक निम्न स्वास्थ्य सूचक निर्धारित किये गये थे। जन्म दर 21 प्रति हजार। राजस्थान में अभी है 31.3।

(डा. करण सिंह यादव)

नहीं है और पानी नहीं है। पीडब्ल्यूडी. वालों से बात करते हैं तो वे कहते हैं हमें तो तीस लाख रुपया आवंटित है हमने बना दिया, अब हमारे को आप एक्स्ट्रा बजट दो। ये स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़े हुए हैं, 1997 से, 1998 से, 1999 से और आज चौथा साल चल रहा है। इन बिल्डिंगों के दरवाजे, खिड़कियां, फिटिंग्स लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी के पास गया, तब परिवार कल्याण मंत्रालय अलग होता था। मैं दोनों सैक्रेटरी महोदय के पास गया। जब मेडिकल सैक्रेटरी के पास में गया तो उन्होंने कहा, यह परिवार कल्याण के सैक्रेटरी साहब देखते हैं। परिवार कल्याण के सैक्रेटरी के पास गया तो उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, यह उनका काम है। परिवार कल्याण वाले सैक्रेटरी साहब को यह मालूम नहीं था कि यह प्रोजैक्ट मेरे अंडर में आता है। मैंने मुख्य मन्त्रीजी के सचिव स्तर पर बात की लेकिन इन सब बातों का अभी तक परिणाम नहीं निकला और राजस्थान में लगभग 200 बिल्डिंग हैं जो सोशल सेफ्टी नैट, आई.पी.पी.-9 और अन्य प्रोजैक्ट के तहत गांवों के अन्दर पड़ी हैं। लोग जब हम विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो दिखाकर कहते हैं कि इस बिल्डिंग में हम कब शिफ्ट होंगे। उनमें छोटी-छोटी कमियां हैं, किसी में पानी नहीं है, किसी में बिजली नहीं है, किसी में बाउण्ड्री वाल नहीं है। इनको ध्यान में रखकर इन बिल्डिंग्स का अधिग्रहण इसी साल करवाया जाए, यह मैं प्रार्थना करना चाहूंगा।

अपनी बात मैं समाप्त करूं इससे पहले मेरा शुरू से यह मानना रहा है कि टेक्निकल डिपार्टमैंट का हैड जितना टेक्निकल आदमी समझकर के कर सकता है उसका दूसरा आदमी नहीं कर सकता। कोई कितना ही इंटैलीजैंट ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं हो, 6-8 महीने तो उसको समझने में लग जाते हैं डिपार्टमैंट में। मुझे ध्यान में है मैं सुपरिंटेंडेंट था, जब नये सैक्रेटरी बनकर आते थे तो पूछते थे कि ये आपके पद कैसे हैं, ये डिपार्टमैंट कौनसे हैं, इनके नाम क्या हैं। मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है जब हम सब तरफ टैक्नोक्रेट की बात करते हैं तो क्यों नहीं रैस्ट आफ दी डिपार्टमैंट से अलग एक मेडिकल सैक्रेटरी हो और बाकी का सारा काम दूसरा सैक्रेटरी सम्भाले। मेडिकल एजुकेशन का काम अलग सैक्रेटरी सम्भाले और वह मेडिकल एजुकेशन का सैक्रेटरी डाक्टर हो। हमारे डायरेक्ट्रेट में जितने पद हैं वे डाक्टर्स द्वारा भरे जाएं। फाइनेन्स के या दूसरे कोई एक्पर्ट पद हैं उनके लिए आप कोई दूसरे एक्सपर्ट रखिये, लेकिन जहां तक डाक्टरी का सवाल है, प्रोग्राम का सवाल है, इम्प्लीमैंटेशन का सवाल है, मैं प्रार्थना करूंगा कि डाक्टर्स को प्रायोरिटी दें।

मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिमांड हम करते रहे हैं। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

(डा. करण सिंह यादव)

खुल गया, राजस्थान में ला का विश्वविद्यालय खुल गया, राजस्थान में अन्य विश्वविद्यालय हैं, मैं समझता हूं कि अब मेडिकल एजुकेशन या टैक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी हो, इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना चाहिए जब भी हमारे वित्तीय प्रावधान हों। क्योंकि आज बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण से नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे फिजियो थैरेपी, आकुपेशनल थैरेपी का डिप्लोमा, जब डाक्टर पी.के. सेठी साहब थे, मिलता था। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम था। आज वे कार्यक्रम बंद पड़े हुए हैं। 8 साल से, 6 साल से वे कार्यक्रम बंद पड़े हुए हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जिसमें मेडिकल, आयुर्वेद, नर्सिंग, टैक्निकल, जितने भी सब्जैक्ट हैं। ये सारे उसके नीचे एफिलिएट हों। ऐसी यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान में हैं, दक्षिण के अन्दर है। उनकी कापी करके, उनको देखकर, उनकी अच्छाइयां या बुराइयां देख करके उस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं स्वास्थ्य विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : डा. के.सी. चौधरी।

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर्वप्रथम तो जैसे बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे, मैं उनका समर्थन करता हूं। सरकार ने पिछले बजट में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की थी, वह प्रयोग राजस्थान के गरीब और असहाय को एक आशा की किरण दिखाने में बड़ा कामयाब हुआ है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से राजस्थान के दूर-दराज में बैठे हुए हर गरीब और हैल्पलैस आदमी को यह उम्मीद बनी है कि मेरा इलाज और कहीं से नहीं होगा तो माननीय मुख्य मंत्री के इस जीवन रक्षा कोष के माध्यम से होगा। मुख्य मंत्रीजी राजस्थान भर में जहां भी जाते हैं इस जीवन रक्षा कोष के बारे में खुलकर अपने विचार रखते हैं, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को, स्वास्थ्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

एक और अभिनव प्रयोग जो राजस्थान में किया गया है वह यह है कि सुचनाओं के अधिकार का आन्दोलन राजस्थान से शुरू हुआ है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नागरिक अधिकार पत्र राजस्थान में आपने जारी किया और यह करीब-करीब हर जिला मुख्यालय में जारी हो चुका है। ब्यावर सब-डिवीजन में भी जारी हो चुका

(डा. के.सी. चौधरी)

है। आज तक अस्पतालों में लोग घूमते रहते थे कि यहां क्या सुविधा उपलब्ध है, क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे यह कंफ्यूजन खतम हो जाएगा, क्या जांच की सुविधा उपलब्ध है, क्या इलाज की सुविधा उपलब्ध है, इसे आम पब्लिक को समझने में बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे ही मेडिकेयर रिलीफ कार्ड हमने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनाये हैं। ये वाकई बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। बी.पी.एल. फैमिलिज को इसका सुखद फायदा मिल रहा है।

मैं आज सवेरे प्रतिवेदन पढ़ रहा था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का। विभाग ने मांगे रखी थीं पहले 11,139,79 लाख की ओर कटौती के बाद में पास हुई 8,500 लाख की। कुलमिलाकर 2,639.79 लाख कम कर दिये गये आपके प्लान में। इधर तो चिकिसा एवं स्वास्थ्यं विभाग के बजट में कटौती की गई है उधर, सभापति महोदय, 14 मार्च, को अखबार में एक खबर छपी है जिसको बड़ी गम्भीरता से ध्यान देंगे कि स्वास्थ्य विभाग को मिल रही सहायता में कटौती कछुआ चाल से विश्व बैंक नाखुश। अधिकारियों के अहम और आपसी संवादहीनता के कारण विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से मिले करोड़ों रुपये खर्च नहीं हो पाये। इन संगठनों ने राज्य सरकार की कछुआ चाल को देखते हुए अगले वर्ष की सहायता राशि में कटौती कर ली है। विश्व बैंक ने तो अब और नहीं की चेतावनी तक दें दी है। यह बड़ा गम्भीर विषय है। इधर तो सरकार की वित्तीय हालत ऐसी है, संसाधनों की कमी है और उधर हमारे यहां प्रशासन में सामंजस्य नहीं है। वह चाहे दो डाइरेटर्स के बीच में अहम तकरार हो, चाहे सैक्रेटरी मेडिकल और सैक्रेटरी फैमिली प्लानिंग में तकरार हो। कुलमिलाकर जो अपने को घाटा उठाना पड़ रहा है उसका आप अन्दाजा लगाइयेगा। विश्व बैंक की प्रस्तावित योजना थी 700 करोड़ की विश्व बैंक ने अगले साल से ठीक 50 प्रतिशत कम कर दिया। 350 करोड़ रुपये दे रहा है। अपनी खुद की एफिशिएंसी देखें तो इण्डिया पापुलेशन प्रोजेक्ट का जैसे बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, 124 करोड़ रुपये की सहायता थी उसके एवज में पिछले 6 वर्षों में 50 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। आई.पी.पी. के तहत अस्पताल बनाने थे, मेरे यहां जवाजा में भी हमने प्रोजैक्ट बनाकर दे दिया था, अनफारचुनेटली कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। यू.एन.एफ.पी.ए. में जो पैसे आये हैं, 17.50 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में 5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यू.एन.एफ.पी.ए. अगले वर्ष जो सहायता देना, 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित थे उसका घटाकर 8 करोड़ रुपये कर दिये। मदर एण्ड चाइल्ड केयर में 25 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, खर्चा हुआ सिर्फ 2 करोड़ रुपये।

(डा. के.सी. चौधरी)

हास्पिटल बनवाने के 80 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे उसमें से 36 करोड़ रुपये खर्च हुए। दवाइयों और उपकरणों के लिए 25 करोड़ आबंटित किये गये थे, खर्चा शून्य। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जो अपने को मदद करना चाहती हैं इस क्षेत्र में जैसे बिल गेट फाउंडेशन, यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए., आई.पी.पी.-9, वर्ल्ड बैंक, लेकिन अपन मदद लेना नहीं चाहते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें रोज आवश्यकताएं बढ़ेंगी और कोई भी सरकार इतने ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाऐंगी कि वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

इसी उद्देश्य से हमने पिछली बार माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को सुझाव दिया था और मुझे सदन में बताते हुए खुशी है आपने उस सुझाव को माना कि चिकित्सा के क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित किया जाए। निजी निवेश हुआ शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह मेडिकल कालेज हो, नर्सिंग कालेज हो, डेंटल कालेज हो। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने सुझावों को मानकर निजी क्षेत्र में लोगों को इंवाइट किया। विचारणीय बिन्दु, मंत्री महोदय, यह है कि सालभर में मेडिकल कालेज लग कितने पाये। चिट्ठियां तो अपन ने सबको दे दी थीं जिन-जिनकी एप्लीकेशंस आई थीं। तो कहीं न कहीं सरकार और एण्टर प्रिन्योर के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है। मेरा निवेदन है कि इस गैप को फिल-अप करने की कृपा करें। जैसा अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि मेडिकल में प्राइवेट इंवैस्टमैंट गवर्नमैंट की मंशा है लेने की। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज की स्थिति अलग है, जिला अस्पतालों की स्थिति अलग है और उससे बाद वाले अस्पतालों की स्थिति अलग है। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में मैंने देखा है कि कई सारी सुविधाएं धन के अभाव में नहीं आ पाई और मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी भी काफी हद तक सरकारी मैनेजमैंट के साथ ही है। सोचा यह गया था कि अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सरकार दे, अस्पताल में जगह सरकार दे, बिजली का कनैक्शन सरकार दे, पानी का कनेक्शन सरकार दे तो प्राइवेट एण्टर प्रिन्योर आकर उसमें इक्विपमेंट लगा दें चाहे वह 2 लाख का हो चाहे 2 करोड़ का हो और सरकार उस पर सम्पूर्ण नियन्त्रण रखे जैसे मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी में है। वैसे के वैसे नियन्त्रण रखते हुए अगर सरकार निजी इंवैस्टमैंट मांगती है तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुराई होगी क्योंकि सारी शर्तें तो सरकार तय करेगी निजी इंवैस्टर की। इसलिए माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि अगर वह आ गया एक बार तो बाहर नहीं निकल पाएगा, मैं नहीं समझता हूं कि वह चिंता

(डा. के.सी. चौधरी)

वास्तविक रूप से स्टैंड कर पाएगी। वह नहीं खड़ी रहेगी।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जब भी कभी बहुत गम्भीरता से हैल्थ पालिसी बनेगी तो यह सोचने की बात है कि क्या हमारे पास उसके उचित आंकड़े हैं? हमें आज क्या यह पता है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र में कितनी बैड स्ट्रैंथ अवेलेबल है? कितनी डाइग्नोसिस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? या कितने प्राइवेट क्लीनिक बाहर चल रहे हैं, कितनी लेबोरेटरीज बाहर चल रही हैं, कितने हास्पिटल्स बाहर चल रहे हैं? जब कभी भी काम्प्रीहैंसिव पालिसी बनेगी तो आंकड़े बहुत आवश्यक हैं। सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लीनिक के, लेबोरेटरीज के, इन सबका सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब यहां एक समस्या आती है कि जैसे ही अपन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं इंस्पैक्टर बीच में आऐगा। तो मेरा निवेदन यह है कि अच्छे काम की कल बुराई न मिले इसके लिये इंस्पैक्टर को बीच में नहीं डाल करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर मेडिकल प्रोफेशन, के लोग, इसमें रिटायर्ड जुडिशियल आफिसर और कोई स्पेशल बर्कर, इन लोगों की एक कमेटी बना दें। ये लोग महीने में एक दिन, दो दिन, तीन दिन रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर बीच में आएगा तो फिर दूसरे विभागों की तरह समस्या आऐगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हैल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है वह हो रहा है नीम-हकीमों के द्वारा। हर गांव में नीम-हकीम पैदा हो चुके हैं। अपन कोई अभियान चलाते हैं, 10-20 दिन के लिये अभियान चलता हैं, पुलिस वाले जाते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। 15 दिन उनका अस्पताल या क्लीनिक जो भी कह दें, वह बंद रहता है। 16वें दिन वापस खुल जाता है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी सस्टेनेबल मशीनरी को इनवाल्व करें ताकि हम इन नीम-हकीमों से राजस्थान की जनता को राहत दिला सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान की ड्रग परचेज पालिसी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मंत्री महोदय, काटन में अभी डिस्क्रेपेंसी थी, आप बधाई के पात्र के हैं कि आपने हिम्मत करके एक फैसला लिया और राजस्थान की यूनिट को उसमें पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिली है। ड्रग्स की अच्छी क्वालिटी मेनटेन करते हुए भी राजस्थान के दवा निर्माताओं को यहां टेंडर में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं है आज तक। टेंडर आप उनका सलैक्ट करें, रिजैक्ट करें, वह दूसरा इश्यू है लेकिन

(डा. के.सी. चौधरी)

टेंडर में पार्टिसिपेट करने की इजाजत तो उनको हर हालत में मिलनी चाहिये। वे भी राजस्थान के ड्रग्स मैन्यूफैक्चरर हैं। आप शर्त लगाइये कि यह मस्ट है कि गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उनके पास हो। उसके बाद में उनको टेंडर में पार्टिसिपेट करने को तो उनको मना करना ही नहीं चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, जिस किस्म से मेडिकल डिपार्टमैंट का एक्सपांशन हो रहा है, मैं मेरे ब्यावर अस्पताल की एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हम दानदाताओं को बुला लाते हैं। एक ट्रोमा यूनिट बन गयी, एक बर्न यूनिट बन गयी, कुछ काटेज वार्ड बन गये। दानदाता आकर बिल्डिंग बना जाता है। होता यह है कि साल-छः महीने में वह बिल्डिंग गोदाम बन जाती है। क्योंकि स्टाफ की कमी हमेशा रहती है। तो दानदाता यह महसूस करते हैं कि उसको हमने कहीं न कहीं धोखा दे दिया है। मेरा निवेदन यह है कि जब कभी भी हम डोनेशन मांगे तो हमारे पास पूरा प्लान रहना चाहिये कि किस काम के लिये हम डोनेशन मांग रहे हैं और उसकी बाद में मेंटिनेंस कैसे होगी।

मैं माननीय मंत्रीजी को यहां बधाई देना चाहूंगा एक बार फिर से आपने पहली बार हिम्मत करके मेडिकल कालेजेज में जो बरसों से लोग लगे हुए हैं और जिनकी प्रासंगिकता सिद्ध नहीं हुई उनको हटाने की हिम्मत की। यह बहुत बड़ी बात है कि हैल्थ सैक्रेटरी साहब को आपने सब जगह भेजा। हर मेडिकल कालेज में वे गये, मीटिंग ली। उन्होंने हर इनडिवीजुअल का उसी से कहा कि आप खुद ही बता दो, आपका वर्क लोड कितना है, आप एक मरीज को देखने के लिये कितना समय लेते हो। यह सारा होम वर्क करने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एज ए मेडिकल आफिसर एस.एम.एस. में ही नौकरी जोइन की, एस.एम.एस. से रिटायर हुए और उनकी अगली पीढ़ी भी आफिसर की नौकरी जोइन कर रही है। तो ऐसे केसेज में आप बधाई के पात्र हैं कि आप यह हिम्मत बटोर पाये। सौ, दो सौ, ढाई सौ ऐसे डाक्टर थे जो यह सोच नहीं सकते थे कि हम यहां से बाहर निकलेंगे। इसलिये मैं बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से जरा-सा डिफर करूंगा, कुछ जगह हो सकता है सी.ए.एस. की जरूरत हो। जहां जरूरत है वहां आप पुनर्विचार कीजियेगा। जैसे अजमेर में हमने बहुत मेहनत करके एक हृदय रोग संस्थान पब्लिक डोनेशन से बनवाया, माननीय मंत्री महोदय, लोगों को सैक्रेटरी साहब की विजिट के बाद यह भ्रम हो गया कि यह हार्ट इंस्टीट्यूट जिसके लिए करोड़ों रुपये अजमेर के शहरवासियों से हमने इकट्ठे किये उसे ये लोग बंद करने जा रहे हैं। फर्क इतना-सा है कि हैल्थ

(डा. के.सी. चौधरी)

सैक्रेटरी साहब ने उसकी इमरजेंसी को बंद किया। मेरा निवेदन यह है यह पूरा का पूरा जनभावना से जुड़ा हुआ किस्सा है, पब्लिक डोनेशन से हमने पैसे इकट्ठे किये हैं हार्ट इंस्टीट्यूट के जैसी यह इंस्टीट्यूशन चल रही है वैसी चलने दें, अगर अपन उसको आगे नहीं बढ़ा सकें तो भले ही अपनी मंशा ठीक है, मगर एक गलत मैसेज पब्लिक में जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि जैसे वह हृदय रोग संस्थान अजमेर का चल रहा है उसको चालू रहने दें।

मोबाइल सर्जिकल यूनिट के बारे में भी माननीय सदस्य ने बड़े अच्छे विचार प्रकट किये हैं। 25 साल पहले की बात है, मैं भी मोबाइल सर्जिकल यूनिट के कैम्प अटैंड किया करता था। उस जमाने में देखता था कि यह यूनिट बहुत अच्छा काम करती है। जहां जाती थी इसका जबरदस्त वैलकम होता था। हुआ यह कि पिछले 25-30 सालों में मेडिकल फैसिलिटीज का एक्सपेंशन सब जगह हो गया। इसलिये विचारणीय बिन्दु यह है कि मोबाइल सर्जिकल यूनिट जिस जगह जाया करती थी, वहां अब कितनी उपयोगिता उसकी बच गयी। वर्तमान सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखेंगे।

एक बात आयी थी डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस की कि प्राइवेट प्रेक्टिस डाक्टर्स की बंद कर दी जाए।

इसें दो चीजें आती हैं। एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, एक नान टीचिंग इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहां प्राब्लम यह हो रही है कि मेडिकल कालेजेज के स्टूडेंटस को वहां के टीचर्स पढ़ाई पर कितना समय दे पाते हैं। जो जनता को तकलीफ है वह इस बात की तकलीफ है कि लड़कों को पढ़ाई का समय नहीं दिया जाएगा और वही समय प्राइवेट प्रेक्टिस में जाएगा। इसलिये टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में तो आप यह बहुत क्लीयर कर लें कि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस।

डा. करण सिंह यादव : कालेज टाइम में प्रैक्टिस थोड़े ही करते हैं?

डा. के.सी. चौधरी : टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी आफ टीचिंग इम्प्रूव करने के लिये और स्टूडेंट और टीचर में बैटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिलेशनशिप पैदा करने के लिये। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंटस में भी यह गलतफ़हमी होने लग गयी कि यह जो प्राइवेट पेशेंट है, अगर बड़े सेठ का आदमी है और इसकी सिफारिश करा देंगे तो अपने को पास करा देंगे। ऐसे भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो टीचिंग इंस्टीट्यूशन में तो प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होनी ही चाहिये। नान टीचिंग के लिये यह समस्या नहीं है। टीचिंग वालों को कैसे भी आप कम्पनसेट करिये उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस के अगेंस्ट में। लेकिन आज यह हो रहा है, पिछले 5-10 साल में जो नये मेडिकल ग्रेजुएट निकले हैं, आप देखें कि संवेदनशीलता की बेहद कमी है। पुराने

(डा. के.सी. चौधरी)

डाक्टर्स का ज्यादा रेस्पेक्ट क्यों था? शायद उनमें संवेदनशीलता ज्यादा थी। तो टीचिंग में भी मैं चाहूंगा कि ह्युमिनिटी का एक सब्जैक्ट इनक्लूड कराया जाए। यह टीचिंग का एक इंटीग्रल हिस्सा होना चाहिये। मेडिकल टीचिंग में किसी जगह डिफैक्ट रहा है कि पहले दिन से ही कामर्शियलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान गया, एकेडेमिक एटीटयूड ही कोई नहीं बदल पाया।

माननीय सभापति महोदय, आज सवेरे भी एक बात आयी थी प्रश्नकाल के दौरान। सवाई मानसिंह अस्पताल में लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर के बारे में एक अजीव बात जो सामने आयी थी वह यह थी कि लाइफ लाइन फ्लुड स्टोर को अपन देंगे किसी न किसी फार्मासिस्ट को, क्योंकि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट तो होना ही चाहिये। इस जगह ट्रेज़डी यह है कि जो फार्मासिस्ट है वह तो खुद सरकारी नौकर है। वह सरकारी नौकरी करता है या दुकान चलाता है। यह बड़ा गंभीर मसला है जिसको सम्पूर्ण गंभीरता से लेना होगा। लाइटली इसको लेंगे तो दूसरी जगह लोग इसको फालो कर लेंगे–

श्री सभापति : दोनों काम चला रहा है। दोनों ही काम कर रहा है।

डा. के. सी. चौधरी : एक ही आदमी जिसके नाम लाइसेंस है, वह सरकारी कर्मचारी है। दोनों काम कर रहा है और सरकार ने पाबंदी लगा रखी है कि 10,000 रुपये महीने से ज्यादा का प्रोफिट नहीं दिया जाए। इस एक एक्सैप्शनल केस में इसको 10,000 का प्रोफिट तो एक जगह दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : जानकारी दे रहे हैं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि दोनों काम कर रहा है।

डा. के. सी. चौधरी : दोनों काम कर रहा है और 10,000 की पाबंदी लगा रखी है गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में कि उससे ज्यादा उसको नहीं दिया जाए। इस पर्टीकुलर केस में 20,000 रुपये का तो फायदा एक दे रहे हैं, 5,000 रुपये का फायदा एक दे रहे हैं और उसके बाद में उसको बिक्री का एक परसेंट प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह एक्सैप्शनल केस बाकी सभी जगह भी जाएगा। इसमें टेंडर के आधार पर तो हमने लिया ही नहीं, हमने उसको अनुभव के आधार पर लिया है। तो आधार में भी शक की गुंजाइश रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने टू दी पाइंट और बहुत कम समय में सही बात कही। नैक्स्ट, माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एप्रीशिएट करना आसन का काम नहीं है।

श्री सभापति : एप्रीशिएट करना आसन का काम है। It is a part of my duty.

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-26 पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। मानव की पहली तीन आवश्यकताओं कपड़ा, रोटी और मकान के बाद चौथी आवश्यकता स्वास्थ्य सेवा की होती है जिसके लिये मनुष्य को बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है। मान्यवर, इस बजट में हमने लक्ष्य रखा है 2001 तक स्वास्थ्य सबके लिये। यह हमारी राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस हेतु गत बजट में हमने कई प्रोविजंस किये हैं और काफी सेवाओं का सुधार किया है। जैसा कि इस बजट का मुख्य लक्ष्य है हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं उन सारी योजनाओं को जो गत वर्ष हमने प्रारम्भ की। वित्तीय व्यवस्था जो इस राज्य की है उसके अनुसार हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मान्यवर, जितना काम इस स्वास्थ्य के मद में करें वह सब कम रहता है। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, दो पहलू होते हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मैं देख रही हूं कि धीरे-धीरे बड़ी गलत परम्परा पड़ रही है। वैसे तो यहां पर जो काम करने वाले हैं फोर्थ क्लास, वही जाकर आपको पकड़ाएंगे, लेकिन मैं देख रही हूं कि कभी तो मुख्य सचेतक, कभी कोई और सीधे जाकर आसन से बात करते हैं। यह बहुत गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिये। यह नियमों के विपरीत है।

श्री सभापति : मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बार जे.वी. मावलंकर साहब ने तो इस पर व्यवस्था दी थी कि मैं एक भी माननीय सदस्य को नहीं देखूं कि वह सीधे मेरे पास आये, लेकिन आज स्थिति यह हो गयी, माननीय सदस्या। मैंने पार्लियामेंट को भी देखा कि प्रत्येक माननीय सदस्य स्पीकर तक सीधा जा रहा है, इस टेबल तक।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन पर हों तब मत अलाउ किया करें।

श्री सभापति : फिर मैंने यहां पर भी देखा। यह एक रोजमर्रा का कार्यक्रम बन गया। लेकिन आपने जो पाइन्ट उठाया है वह बहुत ही वैलिड है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि जहां तक हो सके...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : व्यवस्था भी दे दीजिये।

श्री सभापति : व्यवस्था देने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी पालना होनी चाहिये। जो कुछ माननीय सदस्यों को कहना है वह उधर चिट दे दें और वह सैक्रेटरी से होते हुए यहां तक आ जाएगी। यह एक मान्य परंपरा है, संसदीय परंपरा

(श्री सभापति)

है। मावलंकर साहब की इस संबंध में व्यवस्था है, बहुत स्ट्रांग व्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य सीधा इस टेबल तक नहीं आए। यह तो आप माननीय सदस्यों के आब्जर्व करने की बात है..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मुख्य सचेतक महोदय भी नहीं आ सकते क्या? वे फिर लिस्ट कैसे पेश करेंगे?

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सम्बन्ध में आगे के लिये क्या व्यवस्था है?

श्री रामस्वरूप : मुख्य सचेतक महोदय को तो जाना पड़ेगा..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, आप हैल्दी ट्रेडीशन को मेनटेन करने के लिये क्या निर्देशित कर रहे हैं जिसकी अनुपालना हम माननीय सदस्य करें?

श्री सभापति : मैंने तो कहा है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। संसदीय परंपरा यही है जो माननीय सदस्या ने उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सुमित्रा जी की बात पर शायद पहली बार इस तरह की सहमति प्रकट की है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा स्वास्थ्य के दो पहलू हैं। पहला, हम बीमार न पड़े, प्रीवेन्शन के लिए व्यवस्था करें। यह राज्य का लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्थाएं करें समाज में शिक्षण व्यवस्थाओं कि हर बीमारी पर रोक लगे। ऐसा प्रचार करना चाहिये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में हमने कई बीमारियों का उन्मूलन किया। स्माल पोक्स का उन्मूलन हुआ, नारू का उन्मूलन हुआ और अभी हम लगे हुए हैं कि पीलिया का उन्मूलन हो। हम लगे हुए हैं कि अंधता निवारण हो, हम लगे हुए हैं कि एड्स की बीमारी पर रोक लगायी जाए। हम लगे हुए हैं कि अन्य जो भी बीमारियां हैं जिससे मानव क्षति होती है उस पर रोक लगायी जाएं।

मेरी पहली बात तो यह है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में है कि हमारी सारी बीमारियों का निदान हमारा घर हुआ करता था। हमारी माएं हुआ करती थीं। हमारा चौका हुआ करता था, हमारा रसोई घर हुआ करता था। इसमें कई मेडिसिन, कई चीजें रखकर हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते थे। हमारा खान-पान, हमारा रहना, उठना यह सारा प्रीवेन्शन में आता है। इस ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय का कि शिक्षा मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, कि हम हमारे शिक्षण में ऐसी चीजें दें जिसमें आवश्यक हो कि मनुष्य बीमार न पड़े और स्वास्थ्य ठीक रख सके।

जहां तक बीमार पड़ने के बाद में प्रिकोशन की बात है, उसमें जैसा हमेशा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उद्देश्य होता है कि हम हमेशा पिछड़े से शुरू करते हैं कि पहले हम उसको सुविधा दें। उस ओर हमारी राज्य सरकार ने विशेष प्रोविजन्स किये हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा जो कार्डस इश्यू किये गये, कम से कम इतना तो हुआ कि गरीब आदमी के पास कार्ड है। गत बजट में भी एक करोड़ का प्रोविजन किया गया था। व्यवस्था नहीं हो पायी, मैं इसे मानता हूं परन्तु कम से कम हमने यह तो किया कि गरीब आदमी के हाथ में एक कार्ड है। वह जाकर कहता है कि मुझे दवाई मिलनी चाहिये। अब रिलीफ सोसायटी की 25 प्रतिशत दवाई हो या दवाई उपलब्ध हो उनमें से उसको मिलेगी। कम से कम यह तो हमने किया कि गरीब आदमी के हाथ में एक कार्ड पकड़ाया कि उसको दवाई मिलेगी।

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की चर्चा आयी, इस बजट में 15 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। ऐसे असाध्य रोग जिनके ऊपर लाखों रुपये खर्च होते हैं, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता, उस व्यवस्था के लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

मान्यवर, कई ऐसी बीमारियां हैं, विशेषकर मेरे क्षेत्र में जहां इंदिरा गांधी नहर आयी है, पानी बढ़ रहा है। गत वर्ष मैंने देखा कि मलेरिया का बहुत प्रकोप जैसलमेर में हुआ, आज भी जैसलमेर मलेरिया के बारे में रैड लाइट में आता है। जहां ऐसे केसेज ज्यादा होते हैं, मेहरबानी करके मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उस ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। उसके लिये डी.डी.टी. का समय पर छिड़काव आदि जो प्रीवेन्शन काम है उसको हम करवाएं।

मान्यवर, मेडिकल पर हमारे पूर्व वक्ता डा. साहब अभी चर्चा कर रहे थे कि प्राइवेट धंधा जोर पकड़ रहा है। हमारे सरकारी हास्पिटलों से गरीब लोग भी मुंह मोड़कर आज पैसे उधार लेकर भी प्राइवेट धंधे में जा रहे हैं। हमने मेडिकल रिलीफ सोसायटी का निर्माण करवाया, हम व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि यह प्राइवेट धंधा दिनों दिन देश में बढ़ता जा रहा है इस ओर हमें विशेष ध्यान करना पड़ेगा। हमारे एलोपैथी और दूसरी जो भी पैथियां हैं, हमारे जो डाक्टर्स हैं, सरकारी नौकर जो बने फिरते हैं, उनमें सिम्पैथी की थोड़ी-सी कमी आ गयी है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा। तो मेरा विशेष निवेदन है कि हमारे देश का गरीब आदमी हास्पिटल की तरफ मुखातिब हो, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी जैसे अखबार में पढ़ा, अमेरिकी प्रीसिडेंट आये तो हमें कमैंट्स पढ़ने को मिला कि दुर्लभजी हास्पिटल की ओर उनको डायरेक्ट किया गया है कि कोई आवश्यकता हो तो वहां जाएं। हमारा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मेडिकल कालेज हॉस्पिटल था यहां पर एस.एम.एस. था, उस ओर क्यों नहीं कहा गया? यह एक चर्चा का विषय बनता है कि क्यों नहीं हम व्यवस्था दे पा रहे हैं अपने सरकारी हास्पिटलों में। इस ओर हमें चिंतित होना चाहिये।

अभी चर्चा चल रही थी कि डाक्टर हास्पिटल में जाने पर चिट देते हैं कि जाएं, इंवेस्टिगेशन करवा कर लें आए बाहर से। यह सिस्टम जो बन गया है डाक्टर और जो इंवेस्टिगेशन एजेन्सी बाहर की है उनका कम से कम इस पर रोक लगनी चाहिये। प्राइवेट प्रैक्टिस की बात नहीं करता, परन्तु यह जो बहुत बड़ी दुकानदारी हो गयी है। सरकारी डाक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम्स में शाम को जाकर सेवाएं देते हैं। यह सारी व्यवस्था कम से कम रुकनी चाहिए। प्राइवेट प्रैक्टिस करें, उस पर नहीं है। स्पेशलाइज्ड व्यक्ति शाम को प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाकर सेवाएं देते हैं और लाखों रुपए उनसे वसूल करते हैं, यह सारी अव्यवस्था है। वही डाक्टर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं जिनकी सरकारी अस्पतालों में रुचि नहीं रहती है। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं सीमान्त क्षेत्र जैसलमेर से आ रहा हूं, जो तीनों तरफ से अंतराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। हमें थोड़ी बहुत भी आवश्यकता होती है तो तीन सौ किलोमीटर की जर्नी करके जोधपुर आना पड़ता है। सीमा के प्रहरी हों, चाहे सीमा के जवान हों, पर्यटक आते हैं और वहां अभी उपनिवेशन क्षेत्र बना है, 212 नये गांव सृजित हुए हैं, जिसमें 40 गांव अभी घोषित हो चुके हैं। अभी इस वर्ष हमने वहां 12 हजार नये किसान परिवारों को बसाया है। मैं हमेशा इनसे कहा करता हूं कि आपको इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मोहनगढ़ जैसे कस्बे में एक डाक्टर पी.एच.सी. में बैठा हुआ है, वह दसों ड्यूटियों में घूमता फिरता है। कभी जाता है फैमिली प्लानिंग में, कभी जाता है डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर। यदि कोई वित्तीय संकट हमारा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि नये क्षेत्र जो खोल रहे हैं, नयी पापुलेशन जहां बसा रहे हैं, वहां हमें पी.एच.सी. भी खोलनी पड़ेगी, वहां अस्पतालों को बढ़ाना पड़ेगा।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर में 150 बैड का अस्पताल है और नर्सिंग स्टाफ 100 बैड का है। कई वर्षों से मैं कह रहा हूं कि आपने 150 बैड का रेज कर दिया कई वर्षों पहले लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ है, वह अभी भी 100 बैड का है। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर वहां है, तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वहां एम्बुलेंस है लेकिन उनके ड्राइवर के पद समाप्त कर दिए। बिना ड्राइवर एम्बुलेंस कैसे चलेगी,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मान लो दो वर्ष पद रिक्त हुए हो गए हों। ऐसे जो आदेश हैं वे पागलपन के आदेश हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो आवश्यक पद हैं जैसे दो-दो एम्बुलेंस लेकिन ड्राइवर का पद नहीं है, इस ओर हमें बैठकर सोचना चाहिए। मुझे इस बात का खेद भी है। मंत्री महोदय जो जोधपुर डिविजन से हैं, मैं कई बार उनसे निवेदन कर चुका हूं, अपने पास के जिलों में भी थोड़ा बहुत देखें कि व्यवस्था का क्या हाल है।

अभी जो आंकड़ों की किताब मुझे मिली है उसके अनुसार 261 वर्ग किलोमीटर के अंदर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब हिसाब लगाइए कि अन्य जिलों में दस और ग्यारह किलोमीटर के अंदर सेन्टर्स और सब सेन्टर्स हैं और जैसलमेर जिले में 261 वर्ग किलोमीटर के अंदर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि बाहर गांव का आदमी यदि बीमार पड़ जाए तो कहां जाएगा। इसको लेकर हमने प्रोविजन किया गत वर्ष और इस वर्ष भी चल रहा है, हमने आरोग्य रथ चालू किया। ऐसे गांव जहां कभी लोगों ने डाक्टर का मुंह नहीं देखा पहली बार डाक्टर को भेजा रथ में कि आप जाइए। भ्रमण इकाई के माध्यम से हम गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम सेन्टर्स नहीं खोल सकते। दुर्भाग्य से इस वर्ष और गत वर्ष मेरे जिले में कोई सेन्टर और सब सेन्टर नहीं खोला गया। तो हमने ऐसा प्रोविजन किया। आरोग्य रथ की व्यवस्था जो हम करना चाहते थे दूर-दराज के एरिया में यदि इसको रिकाग्नाइज करके चालू करना चाहे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

अभी टी.बी. हास्पिटल की चर्चा चली। हमारे जैसलमेर जिले में हमेशा अकाल पड़ता रहता है। टी.बी. सेन्टर वहां चल रहा है, इस बजट में भी विशेष प्रोविजन किया है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। अन्य बातें जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहीं, केन्द्रीय योजनाएं जो स्वास्थ्य के बारे में आ रही हैं, उनका निराकरण नहीं हो रहा है, यह खेद का विषय है। पिचहत्तर प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता है, 25 प्रतिशत स्टेट का शेयर होता है, वह शेयर नहीं देकर हम अपनी कई योजनाएं यदि नहीं चला पाए हैं तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम उन सारी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को चला सकें, इस पर हम विशेष ध्यान दें।

श्रीमान्, परिवार नियोजन के ऊपर 215 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है, परिवार नियोजन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। देश में बढ़ती हुई आबादी मुख्य समस्या है, इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। एड्स के बारे में अभी चर्चा चली। जैसलमेर एक ट्यूरिज्म सेन्टर हौवा क्रिएट किया जा रहा है कि वहां एड्स है टयूरिस्ट सेन्टर्स में मैंने दो-चार बार उनके

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

शिविर अटैण्ड किये हैं। प्रचार माध्यमों के प्रचार के कारण यह असर पड़ा कि हमारा ट्यूरिज्म अफैक्ट होने लगा और जो पर्यटक बाहर से आते थे, वे सोचने लगे कि जैसलमेर जाएंगे तो वहां एड्स के रोगी हैं। ऐसा प्रचार गवर्नमैंट के माध्यम से या प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से बम्बई में आकर करते हैं तो अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर कहीं एड्स भी है तो ब्लड बैंक्स की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।

आयुर्वेद की चर्चा भी साथ में है। जैसलमेर जिले में एक ए-क्लास आयुर्वेद औषधालय है। अभी मंत्री महोदया विराजी हुई हैं, ये वहां देखकर आई हैं कि वह किस हालत में है। एक प्राइवेट मकान में पांच बैड कहीं पड़े हुए हैं। जितने भी वैद्य होते हैं, वे पूरे राजस्थान में जयपुर या सीकर जिले से आते हैं और सारे औषधालय खाली पड़े हैं। मेहरबानी करके जो भी औषधालय आपने खोले हैं, उस ओर विशेष ध्यान दें।

अंत में मैं एक चर्चा और करूंगा। मेरे कई विद्वान साथी बैठे हुए हैं, हमारी जो पुरानी आयुर्वेद की औषधियां हैं, हर्बल्स हैं, अब समय आ गया है, देश की मांग है कि आयुर्वेद जो देशी पद्धति है इस ओर हम विशेष ध्यान दें। कई जड़ी बूंटियां जो विलुप्त होती जा रही है, उनके अनुसंधान की जरूरत है और राजस्थान इसके लिए उपयुक्त स्थान है, जहां आयुर्वेद के बारे में अच्छा ज्ञान है। गांव-गांव में अच्छे वैद्य बैठे हुए हैं। इनकी सेवाएं लेकर आयुर्वेद के अनुसंधान की ओर विशेष प्रोविजन बजट में करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ में जो मांग प्रस्तुत की गई है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री डाक्टर सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 42, पैरा 86 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेडिकल कालेजेज में प्रवेश के दबाव को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में 10 मेडिकल कालेज और 17 डेंटल कालेजेज की राज्य में स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

सभापति महोदय, यह तो एक पालिसी स्टेटमैंट है कि इन्होंने प्राइवेट मेडिकल कालेजेज को और प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजेज को स्टेट में इन्वाइट किया है। एण्ड इन फरदरेंस ऑफ दिस पालिसी, इन्होंने आगे क्या किया है? अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य डाक्टर करण सिंहजी सदन में बात बता रहे थे कि मेडिकल एजुकेशन अलग डिपार्टमैंट होना चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वे एक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, मैं उन्हीं से समझना चाहता हूं कि चिकित्सालय से अलग हटकर कोई मेडिकल कालेज कभी हो सकता है क्या ? जो अटैच्ड हास्पिटल होता है। it is an integral part of the college. मैं बहुत लम्बी-चौड़ी डिबेट न करके मेरे मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। एक आदेश राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित किया गया है, मैं आपकी अनुमति से वह आदेश पढ़ता हूं। Apparently this is an innocuous document where the mischief lies. I will point out before the House and Mr. Chairman you will also get it.

महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा स्थापित किये जाने वाले दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से आगामी पांच वर्षों के लिए सम्बद्धता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है। यह सम्बद्धता महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर को भारत सरकार द्वारा दंत चिकित्सा परिषद से महाविद्यालय स्थापना संबंधी अनुमति मिलने के बाद ही प्रभावी होगी। यह सम्बद्धता प्रभावी होने की तिथी से पांच वर्षों के लिए मान्य होगी। महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा सम्बद्धता शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये देय होंगे। संस्था चिकित्सालय में उपलब्ध केवल भौतिक संसाधनों का ही उपयोग कर सकेगी। संस्था अपने छात्रों के शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु स्वयं अध्यापक नियुक्त करेगी। संस्था के छात्रों द्वारा चिकित्सालय सेवाओं में बाधा पहुंचाने एवं चिकित्सालय को किसी भी प्रकार की हानि होने की स्थिति में संस्था द्वारा किये गये नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगी, अन्यथा सम्बद्धता समाप्त की जा सकेगी।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। (2) सचिव, दंत चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। (3) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। (4) प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर। (5) डा. पूनम प्रसाद, अध्यक्ष, महाराज विनायक डेंटल कालेज।

सभापति महोदय, इस प्रकार के आदेश सितम्बर, 1999 में टू बी प्रिसाइज 21 सितम्बर, 1999 बीकानेर और गंगानगर में भी, बीकानेर में एजुकेशनल रिसर्च एण्ड डवलपमैंट सोसायटी है और विद्यावती लादूराम फाउण्डेशन फोर साइंस रिसर्च एण्ड सोशल

(14.31 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष। पदासीन)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हैल्थ गंगानगर में है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के दो आदेश तो मेरी जानकारी में हैं, लेकिन प्रिजम्प्शन यह है कि 17 डेंटल कालेज अगर खुलेंगे तो 17 के ही आदेश प्रसारित होंगे। (व्यवधान) अब दांत तो किसके निकलते हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं नहीं कह सकता, फिलहाल तो इन्होंने सरकार के दांत निकाल दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इसी डाकुमैंट से चलता हूं। डेंटिस्ट एक्ट के तहत, यह डेंटिस्ट एक्ट है, डेंटल कालेज की स्थापना डेंटिस्ट एक्ट के तहत होगी, उपाध्यक्ष महोदय, समझना यह पड़ेगा कि अटैचमैंट अलग चीज है, एफिलिएशन अलग चीज है, रिकोग्नाइजेशन अलग चीज है, परमिशन अलग चीज है, नो आब्जेक्शन अलग चीज है। नो आब्जेक्शन गवर्नमैंट ने दिया, एफिलिएशन यूनिवर्सिटी देती है, रिकाग्नाइजेशन डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया देती है और अटैचमैंट के लिए उसका अपना एक अस्पताल हो तो डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया या मेडिकल कालेज हो तो मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया देती है। जो भी रिक्वायरमैंट है वह अस्पताल के अंदर पूरी होनी चाहिए।

डेंटिस्ट एक्ट में—"Every person, authority or institution granting recognised dental qualification shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the central Government a scheme in accordance with the provisions of clause (b) and the Central Government shall refer the said scheme to the Council for its recommendations."

पहले तो वह स्कीम सब्मिट करेंगे। स्कीम सब्मिट कर दी, आपने प्रभावित कर दिया सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्राथमिक आवश्यकता है अस्पताल की। सवाई मानसिंह अस्पताल संभवतया राजस्थान का सबसे पुराना अस्पताल है, स्टेट के जमाने का खुला हुआ है और सबसे बड़ा अस्पताल है, उससे आपने सम्बद्ध कर ही दिया। एक तो आपने धरातल प्रदान कर दिया इस सोसायटी को। आगे चल कर मैं सदन को शायद यह संतुष्ट कर पाऊंगा कि यह संस्था कतई फर्जी है। डेंटल कौंसिल इसका एग्जामिन करेगी।

"Whether the proposed authority or institution for grant of recognized dental qualification or the existing authority or institution seeking to open a new or higher course of study or training would be in a position to offer the minimum standards of dental education in conformity with the requirements referred to in sec. 16

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(a) and the regulations made under sub-section (1) of sec. 20."

अब इसका क्लाज "डी" पढ़ता हूं—

"Whether adequate hospital facilities, having regard to the number of students likely to attend such authority or institution or course of study or training or as a result of the increased admission capacity, have been provided or would be provided within the time limit specified in the scheme."

यह स्टेट्युटरी रिक्वायरमैंट है। उपाध्यक्ष महोदय, डेंटल कौंसिल के जो नार्म्स बने हुए हैं, सैक्शन 20 के तहत आपने सुना कि डेंटल कौंसिल अपने रूल्स और रैगुलेशन तैयार करेगी जिनकी कम्प्लायंस डेंटल कोर्स नया भी खोलेगी या हायर कोर्स खोलेगी तो करना जरूरी है।

यह पत्र जो गवर्नमैंट आफ राजस्थान का है, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, नई दिल्ली, 17th February, 1972. "All State Governments."

इसके क्लाज दो से पढ़ रहा हूं—

"Before the Dental College or post-graduate dental department is set up, it should essentially fulfil certain minimum requirements in respect of the staff, equipment, building etc. Without these pre-requisites, it is hardly possible to ensure that the students joining these institutions will be able to attain the dental education of the prescribed standard. In fact, recognition of the qualification of the students hinges on the fulfillment of these pre-requisites."

(3) With a view to maintain high standards of academic institutions, for introducing new dental courses it is requested that the State (Union Territory) Government and Universities may kindly ensure that no dental college is permitted to start functioning unless and until the Dental Council of India has satisfied itself through inspection or otherwise that the teaching staff, equipments, buildings etc. provided for are in conformity with the minimum requirements as laid down by the council and approved by the Central Governement.

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह तो लैटर है और ये नार्म्स हैं। नार्म्स में बहुत लम्बा-चौड़ा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है, मैं पूरा सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन यह सेंट्रल लाइब्रेरी हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में पूरा है।

I will not take valuable time of this House but I hope the Hon'ble minister is in possession of these rules.

"(3) General photographic and audio-visual sections with accommodation for studio, dark room enlarging any photostat work. Accommodation ,should also be provided for artists and dental/ medical illustrators, modulars etc."

(5) dental workshop. — Accommodation and facilities for repair of mechanical, electrical and electronic equipment, facilities for carpentary and plumbing should also be available."

"The college should be housed...." This is very important, Mr. Deputy Speaker, you will kindly note it. "The college should be housed, preferably, in a unitary building having adequate dental hospital facilities and it should be located near a medical college...."

बाद में आ सकती है, इसलिए आपको यह निवेदन किया है, इसको आप नोट फर्माएं कि कूकस में उसकी बिल्डिंग बन रही है।

'Unitary', emphasis is on 'unitary'.

अब इक्विपमैंट पर आइए। एकोमोडेशन आया, स्टोर रूम, इंक्वायरी ऑफिस, रिसेप्शन ऑफिस सब छोड़िये।

"...either in the dental college in hospital or in medical college and hospital associate with dental college teaching programmes, provisions should be made for a minimum of 10 beds for in-patients." The number of dental chairs and dental units, each required, shall be twice the number of students admitted annually to the institution."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप यह प्रूव करना चाहते हैं कि सैंक्शन गलत हुई?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गलत नहीं हुई, असल में हुई कहां? सैंक्शन कहां हुई?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? What do you want to prove?

(श्री उपाध्यक्ष)

जिस चीज को प्रूव करना चाहते हैं आप वह बोलो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सब के पास है, यह रूल और नियम तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सब के पास नहीं है, आपके पास है सिर्फ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जिसको इन्ट्रेस्ट है उन सब के पास है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सब के पास नहीं है। यहीं आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कट मोशन में दिया है, बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : What do you want to prove ? इस पर जाओ न आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am coming to it.

"The number of dental chairs and dental units each required shall be twice the number of students admitted annually to the institution."

उपाध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपये, 20 अगर स्टूडेंट हुए तो 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति लेंगे व ये। 2 लाख रुपये में तो एक डेंटल यूनिट बनती है। अब आप समझने की कोशिश कीजिये, जिस पाइंट पर मैं आना चाहता हूं। आप फर्मा रहे हैं तो आपके आदेश की पालना करता हूं। 2 लाख रुपये जो देगी राज्य सरकार पूरे दो वर्ष के लिए, अब जब आपने मुझे बीच में आदेश दे दिया कि "Distribution of chairs." ये तमाम् नार्म्स है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो सवाई मानसिंह मेडिकल हास्पिटल जो है, यह अटैच है सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से, और सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में एक डेंटल यूनिट 1983 में स्टार्ट हुई। डेंटल कालेज तो आज तक बना नहीं, दो वर्ष पूर्व आदेश पारित हुए है। But it has not been formalized. Orders apart, it has not been formalized so far. आदेश हो गये कि इसको डेंटल कालेज बनाया जाए but it has not been formalized so far. और इंस्पेक्शन होता है, 1996 में, Let the Hon'ble Health Minister apprise me and add to my knowledge if any improvment at all has been made in the situation there. यह आप देखिये, मैं डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया का लैटर पढ़ रहा हूं।

"Periodic joint inspection report of the Council. That the E.C. recommends to the Council that the proceedings for withdrawal of the recognition of the B.D.S.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

qualification of the Rajasthan University in respect of B.D.S. students of the dental wing, S. M. S. Medical College, Jaipur may be initiated for the following reasons if the concerned college authority does not comply with D.C.I. norms and fulfil the deficiency within a period of 6 months."

"They have admitted excess B.D.S. students against the sanctioned strength of 20 B.D.S. admissions." You may kindly note it. उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट की डेन्टल विंग है, वहां पर जो प्रैस्क्राइब्ड स्ट्रैंथ है 20 स्टूडेंट्स की, उसको एक्सीड सरकारी डेंटल विंग में किया गया है। you may call it dental college. जो हमारा गवर्नमेंट डेंटल कालेज है उसमें एक्सीड किया है "...teaching staff is grossly inadequate." थर्ड इम्पोर्टेंट पाइंट है—"insufficient equipment and inadequacy of journals." यह लैटर है। अब आप रिपोर्ट पर आइये—"the college or dental wing was found deficient in all respects."

लेकिन इस वक्त मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इक्विपमैंट्स पर क्योंकि इक्विपमैंट आपने इस कागज पर अलाउ किया है। 10 हजार रुपये के नाम से दो लाख रुपये आपने करोड़ों रुपयों की सुविधा इस प्राइवेट बोगस इंस्टीट्यूट को जो प्रोवाइड की है इसलिए मैं इस वक्त इस पर आता हूं, The equipment position is much to be desired for. It is in poor state & grossly inadequate. There are only 37 chairs, out of which only 10 are in working condition.

उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको याद होगा, मैंने पढ़कर सुनाया नार्म्स में, जो नम्बर स्टूडेंट को होने चाहिए, इतने स्टूडेंट के मुकाबले में भी,—"most of the chairs do not have provision of instruments, trolleys, stools and lights. There are only 9 units including 5 air rotors, out of which only 6 are in working condition. There are 5 cavitrons in total. One air rotor and one cavitron each are provided to the oral diagnosis, oral surgery...." (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं पूरा, आपकी भावना को मैं समझ रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो डेंटल कालेज के बारे में कह रहे हो, डेंटल विंग की बातें कर रहे हैं, यह रेलेवेंसी बताएं बगैर रेलेवेंसी के यहां पर समय व्यर्थ करने के लिए हम सुनने

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के लिए तैयार नहीं है। आप जो बोले हैं, हम समझते हैं, इंगलिश में भी समझते हैं, हिन्दी में भी समझते हैं लेकिन पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, समझना सफिशिएंट है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप डेंटल विंग के बारे में बोल रहे हैं। आपने आपरेशन जो शुरू में बोला, मेडिकल कालेज के लिए बोला, दोनों अलग चीज हैं, सैपरेट चीज हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : दोनों में फर्क है साहब, सेपरेट हैं दोनों।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मात्र इंगलिश में भाषण देना कोई विद्वता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : हमारे पास सारा लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : यह रखा, हमारे पास कम्प्लीट है सारा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसका प्रिएम्बल हमारे पास भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष : Please come to what you want to...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कोई सीनियर नहीं हो जो ए.बी.सी. सुना रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप देखिये, समय बहुत खराब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : औरों को भी बोलना है, इस पूरी + + + को आप बाद में रखिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई बात हुई क्या? ए.बी.सी. समझने के लिए हम यहां बैठे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारा वैल्युएबल टाइम है, हम यहां ए.बी.सी. सीखने के लिए नहीं है। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : एम.एल.एज. की क्लास ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : यह रेलेवेंसी किसी भी चीज की बताएं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या हम मेडिकल साइंस की एबीसी. का ज्ञान नहीं रखते जो एबीसी. हमको बतायी जा रही है? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आप क्या कहना चाहते हैं, यह तो समझ ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : और हम सुनने के लिए मजबूर हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप विराजें। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि... (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये आप, मैं रोक थोड़े ही रहा हूं आपको। (व्यवधान) मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं न, यह हाउस में मोस्टली मैम्बर्स के पास सर्कुलेटेड है if you come to the point, what exactly you want to express. क्या कहना चाहते हो आप? इस पर आओगे तो बहस थोड़ी सार्थक होगी। पढ़ें आप, पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : With due apolocy, I am trying to...

श्री उपाध्यक्ष : What do you want to prove, इसलिए कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह रहे हैं कि हाउस में जो पढ़ा जा रहा है वह सबके पास है, ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में नहीं, जिसके लिए कहा है उन्होंने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह हमारी प्रोपर्टी है पर्सनल।

श्री उपाध्यक्ष : हमने सर्कुलेट नहीं किया है। We have not circulated it. If you are interested, you have got it. If you are not interested, you have not got it.

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 273 के तहत मंत्रिमण्डल के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये जा सकते

श्री सी.पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। I wish that everything should be clear in the House. माननीय सदस्य ने 273 का नोटिस दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अभी आया ही नहीं रूल पर।

श्री सी. पी. जोशी : Let me speak. आप बोल लें, but let me speak. अब आप बोलते रहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी तक तो मैं बहस में ही चल रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : 273 का नोटिस दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और 273 की भूमिका में जो चीज इनको कहनी चाहिए वह बताना नहीं चाहते। मेरा पाइंट आफ ऑर्डर यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो 273 का नोटिस माननीय सदस्य ने दिया है, it pertains only to procedures regarding allegations against a person.

श्री उपाध्यक्ष : इस पाइंट पर आएंगे तब रूलिंग दूंगा न।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपको वह नहीं कह रहा हूं, आप मेरी पूरी बात सुन लें।

When I have raised a point of order, you can accept it or you can reject it.

273 में प्रोसीजर रिगार्डिंग एलीगेशन अगेंस्ट द पर्सन लिख रखा है और माननीय सदस्य ने जो यह सचिव को दिया है उसमें माननीय सदस्य ने लिखा है चूंकि यह निर्णय विभागीय स्तर पर न होकर मंत्रिमण्डल द्वारा किया गया है, मुख्य मंत्रीजी सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन यह है कि 273 pertains to allegations against a person, not against the decision of the council of Ministers.

माननीय सदस्य अपनी बात कहें उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको आपने परमिशन दी है, वह बात बोले लेकिन वे बोल रहे हैं 273 की बात को जनरेट करने के लिए तो मेरा आपसे निवेदन है, पहले 273 पर आप यह व्यवस्था दे दें। माननीय सदस्य 273 पर नहीं बोल रहे हैं। वे बात कहें इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 273 के केस को जस्टिफाई करने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने नोटिस दिया है, एक तो उसमें दिया है माननीय मंत्री महोदय के लिए। माननीय मंत्री महोदय पर एलीगेशन था, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वे अपनी बात कह सकते हैं लेकिन उसी में 273 में उन्होंने यह बात भी और लिखी है, 273 cannot have a scope for allegation against the council of Ministers whose head is the Chief Minister.

273 में एक पर्सन के...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप, मंत्री महोदय, स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, let him finish. (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : With the permission of the Chair, I am speaking. आप बोल रहे होंगे, आप अपनी बात कहें। मेरा 273 में आपका ध्यान आकर्षित करने के पीछे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मंशा है कि 273 is against a person. He has every right. इन्होंने अपनी बात

(श्री सी. पी. जोशी)

कही, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन 273 में यह चीजें और मेंशन कर रखी हैं और उसके साथ ही अपार्ट कर रखा है, 273 cannot be part of this. Either he has to say very frankly that 273 pertains to allegation against a minister. That minister will give the reply. That is a different issue but when he is mentioning this thing, क्योंकि यह निर्णय विभागीय स्तर पर न होकर मंत्रिमण्डल द्वारा किया गया है, मुख्य मंत्रीजी इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है, this cannot be part of 273. इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि पहले इस बारे में माननीय सदस्य यह बात कह लें कि 273 में वे मंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, वह मंत्री जवाब दे देंगे। लेकिन 273 में जो सब्मिट किया है उसका यह पार्ट है तो मैं आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रूलिंग चाहूंगा कि 273 आप देख लें, 273 में क्लीयर लिखा हुआ है, हैडिंग यह दे रखा है।

"Procedure regarding allegation against a person." So I think that this cannot be the scope of 273. 273 के स्कोप को बिल्ड करने के लिए यदि मंत्रिमण्डल के ऊपर आरोप लगाने की प्रक्रिया बनाना चाहते हैं तो यह 273 की जो परमिशन दे रहे हैं, यह हमारे कानून का खुला उल्लंघन होगा। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमें यह जानकारी दें कि 273 में आपने परमिशन दी है तो 273 will have to be confined to allegations against a person. It cannot be against the entire, conscious decision of the Council of Ministers. पहले आप निर्णय कर दें और माननीय सदस्य इस बात को कह दें कि 273 में मंत्री के खिलाफ लगा रहा हूं तो वे अपनी बात कहें, मंत्री जवाब देंगे। लेकिन यदि इनका पार्ट इसके साथ है तब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसकी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि आप देखिये, डिबेट करने के सम्बन्ध में भी यह लिख रखा है कि डिबेट में क्या-क्या चीजें ध्यान रखेंगे। उसमें एक चीज लिख रखी है कि "reflect upon the conduct of persons in high authority unless the dicussion is based on a substantive motion drawn in proper terms." यदि इनको मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध में कोई बात कहनी है तो प्रोपर जो उसका तरीका है उस तरीके में लाकर अपनी बात कहें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक लैटीट्यूड ले लें 273 का और against the decision of the council of Ministers के ऊपर करें, इसकी परमिशन देते हैं तो it will set a very wrong precedent in this Assembly.

(श्री सी. पी. जोशी)

इसलिए सबसे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप 273 का जो स्कोप है उसको पहले डिफाइन कर लें। आप परमिट करिये लेकिन 273 में उन्होंने लिखा है, यदि इस केस को आप परमिट कर रहे हैं तो it will be a very wrong precedent in the history of the Rajasthan Legislative Assembly. इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप इस पर रूलिंग दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, न तो मैं अभी 273 पर आया हूं। मेरा कट मोशन है...

श्री सी. पी. जोशी : I am not concerned...(interruptions)...I request you to decide it first.

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के फैसले को यहां आधार बनाकर जिसको कि मुख्य मंत्री प्रिसाइड करते हैं, यहां चैलेंज किया जाए, तो कलेक्टिव विजडम जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी वह आया ही नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : We want a ruling from the chair.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा कट मोशन है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये। पहली बात तो यह है कि अभी तक वे 273 वाले मसले पर पहुंचे ही नहीं। वे अभी 273 के अगेंस्ट बोल नहीं रहे हैं, कट मोशन पर, अपनी मेडिकल की डिमांड पर बोल रहे हैं। जब तक ये डिमांड पर बोल रहे हैं तब तक तो आप किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। When he comes to 273, then I will give my ruling.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्यों का ज्ञानवर्द्धन किया। यह मेरा कट मोशन है। माननीय जोशीजी, यह किताब बाद में पढ़ना, पहले कट मोशन पढ़ो।

श्री सी. पी. जोशी : It is my right to raise a point of order. I don't want advice from anybody. It is my right to raise a point of order. It is the Chair who is to decide it.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है Why do you name him? आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है राज्य...

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed.

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me read it. Only two lines. राज्य में अनियमित तरीके से निजी डेंटल कालेज को राजकीय चिकित्सालयों से सम्बद्धता प्रदान करने पर चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा करो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो यह हुआ। मैं यह जो इन्क्वायरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं इसका प्रयोजन स्पष्ट है कि डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया की एक विजिटर्स कमेटी यहां आती है जिसके एन. एस. यादव और दूसरे एक सज्जन मैम्बर होते हैं। उस इन्क्वायरी रिपोर्ट के अन्दर आपके तमाम् जो इक्विपमेंट हैं, डैफीशिएंट मिलते हैं। आपका जो फंक्शनिंग है कालेज का, डेंटल विंग का, डेंटल कालेज का, टीचिंग स्टाफ के लिहाज से, लाइब्रेरी के लिहाज से, लेबोरेटरी के लिहाज से, डार्करूम के लिहाज से डेंटल चेयर्स के नाम से, डेंटल यूनिट्स के लिहाज से मिलता है सब इक्विपमेंट के लिहाज से डैफीशिएंट मिलता है। उसकी रिकमंडेशन के ऊपर डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, 1996 में आपको चिट्ठी लिखती है और यह चिट्ठी लिखती है कि आपकी मान्यता वापस क्यों न ले ली जाए। यहां पाइंट है, उपाध्यक्ष महोदय। उस पाइंट के अंदर बिना किसी इक्विपमेंट के आपने यह सम्बद्धता प्रदान कर दी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मान्यता रद्द कर दी क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा है, यह गम्भीर मसला है, शैलेन्द्रजी, आपको समझ में नहीं आता तो बैठे रहो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप रिजल्ट एण्ड रिजल्ट बताइये न कि कांसीक्वेंशल इम्पैक्ट, इफैक्ट क्या हुआ उसका? Is there any consequential impact because of the report of the Central Council ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिये न। You will get an opportunity. आपको बोलना है तो बोलने देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब, उपाध्यक्ष महोदय, संस्था चिकित्सालय में उपलब्ध केवल भौतिक संसाधनों का ही उपयोग कर सकेगी। भौतिक संसाधनों का उपयोग करने के बाद रहा क्या? डेंटल चेयर्स आपके पास आपकी खुद की डेंटल विंग के लिए पर्याप्त नहीं है, यूनिट्स आपके खुद के डेंटल कालेज के लिए पर्याप्त नहीं है और 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपने लेकर इनको सम्बद्धता प्रदान कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : यह 10 हजार की स्वीकृति किसने दी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार ने दी है। शर्त में लिखा है। नहीं, नहीं, गवर्नमैंट आफ राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार नहीं देती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार नहीं देती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न। (व्यवधान) जोशीजी, प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Please sit down. If you are not aware of facts...

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा है, आप जो गलत वाचन कर रहे हैं.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह डाकुमैंट पढ़ो न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे, प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह डाकुमैंट क्या, यह सैण्ट्रल गजट पढ़ो। सैण्ट्रल गजट है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डांट करके उनको बिठा रहे हो जबरदस्ती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप क्यों बोलते हो? आपके वश की बात ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस आदेश में लिखा हुआ है.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 25 सितम्बर, 1993 का सैण्ट्रल गजट है। उसमें पूरे प्रोविजन हैं कि किस तरह डेंटल कालेज खुलेगा, कौन इंस्पेक्शन करेगा, कौन मान्यता देगा, कितनी फीस होगी, क्या एडमिशन की बात होगी। जो बेसिक कंसैप्ट है वह क्लीयर नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मुझे मालूम है। I am conducting the proceedings of the House, इतना इरीटेट क्यों हो रहे हो आप? मुझे मालूम है न, you recheck it. गवर्नमैंट सैंक्शन नहीं देती है। इसको कौन देता है, इसको आप अपने आप चैक करिये और कंटीन्यू करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आपने देखा है तो आप बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्यों बताऊं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्योंकि आप जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्यों बताऊं वे बताएं। मैं तो उनको आगाह कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पूछा क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो पूछा इसलिए कि उनको करेक्ट करना चाहता हूं, I am helping him. मैं उनकी मदद कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं विपक्ष के नेता महोदय की जानकारी के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उनको बोलने दीजिये। ये तो जानते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें क्लीयर लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 25 सितम्बर, 1993 का सैण्ट्रल गजट पढ़ लीजिये। (व्यवधान) 25 सितम्बर, 1993 का सैण्ट्रल गवर्नमैंट का गजट पढ़ लीजिये, उसमें टैक्नीकली स्पष्ट लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : He knows it. माननीय विपक्ष के नेता महोदय जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन 10 हजार का नहीं है, क्वेश्चन वहां...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन 10 हजार का नहीं है, क्वेश्चन सैंक्शन कौन देता है उसका है।

श्री सी. पी. जोशी : काहे की सैंक्शन?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैंक्शन देती है, दें या न दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो आपका पैसा है वह कौन तय करता है इसका है क्वेश्चन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, फीस की बात नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या है, 10 हजार क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप सुनेंगे नहीं निष्कर्ष निकालेंगे तो आपकी मर्जी है। अगर यह सदन यही चाहता है, कोई पूर्व निर्णय करके बैठे हुए हैं जो बार-बार खड़े होते हैं। आप सुनते क्यों नहीं हैं? पूरे विश्व में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इसमें लिखा हुआ है कि डेंटल कालेज खोलने के लिए स्टेजेज हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें डेंटल फैसीलिटी हो। कौंसिल उसका रिवेल्यूशन करेगी, उसके बाद करेगी। आप फैक्ट्स को ट्विस्ट करके कर रहे हैं। आप एस. एम. एस. के मेडिकल डेंटल कालेज को लिंक करना चाहते हैं इससे। दो अलग-अलग चीजें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। एस. एम. एस. कालेज में जो डेंटल विंग है उसका सम्बन्ध अलग चीजों से है और प्राइवेट डेंटल कालेज की परमिशन देने की जो व्यवस्था है वह अलग चीज है। आप

(श्री सी. पी. जोशी)

उस फैसीलिटी को लिंक करना चाहते हैं, उसके साथ में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह क्लीयर लिखा हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, आप बहुत समझदार हैं, मैसेज यह जाएगा कि बहुमत से बात को दबाया जा रहा है। बिलकुल बात दबाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : Not at all.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बहुमत के आधार पर..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अल्पमत का इनका झूठा आरोप मान लिया जाए?(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप उसके आधार पर कोई स्टोरी बनाना चाहे तो यह सदन परमिशन नहीं देगा। (व्यवधान) हमारे पास भी कागज है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपका आदेश है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सैण्ट्रल गवर्नमैंट का गजट है 25 सितम्बर, 1993 का, इसको पढ़िये Section-9 of the central Gazzettz. Dated 25th September, 1993. रूल नम्बर 9 में देख लीजिये आप, क्या लिखा है कौन एडमिशन लेगा, एडमिशन की क्या कंडीशन होगी, सर्वे कौन करेगा, फीस कौन तय करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसे पढ़ लीजिये। + + + जानकारी के आधार पर यहां आरोप लगा दिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : .. कमेटी बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सैण्ट्रल गवर्नमैंट के खिलाफ आरोप लगाइये। (व्यवधान) यह गजट है। (व्यवधान) हम कोई भी गलत बात सुनने को तैयार नहीं है। Error apparent on the face of record की बात करते हैं, नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। सैण्ट्रल गवर्नमैंट के गजट को आप गलत कर रहे हैं, क्या गजट नोटिफिकेशन गलत है? यह कोई फर्जी गजट की कापी है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान) मैं आपको रिपीटेडली यही निवेदन कर रहा हूं..

(15.00 बजे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समझने की चेष्टा कीजिये, मैं तीसरी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तीसरी बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं ना। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह जरूरी नहीं है कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक झगड़ा खतम हो जाए, उपाध्यक्ष महोदय, let the hon'ble minister rise and say.

श्री उपाध्यक्ष : You sit down and he will rise.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, यह डाकुमैंट एग्जिस्ट नहीं करता and I am out. अगर यह डाकुमैंट एग्जिस्ट करता है तो यह आदेश है, सरकारी आदेश है। राजस्थान सरकार का आदेश है।

श्री उपाध्यक्ष : उनका जवाब सुन लीजिये अब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जवाब सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि मंत्रीजी अगर जवाब देने को तैयार हैं तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं यह बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बार-बार मुझे टोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कह रहे हैं कि अगर मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं तो I will sit down. So sit down and let him reply.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा था मैंने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी तो कोई बात सच नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने यह कहा है कि लैटर को डिसओन करना चाहे तो कर दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारे विद्वान मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप सुनो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Whatever he wants to disown, he will speak. वह निपट लें, जब वे बोलेंगे। ये बोल रहे हैं ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उन्होंने ही कहा था कि डिसओन करना चाहे तो कर दें। (व्यवधान) लेकिन वह नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is there. There is nothing wrong in it. हमारा है, we own it. कोई गलती नहीं है। We own it. कहीं कोई गलती नहीं है इसके अन्दर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके अन्दर मैं गलती की नहीं कह रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसी भी अस्पताल से अटैच होना जरूरी है और within a radius of 10 kms. from the main hospital.

श्री रामस्वरूप : यह स्टेट गवर्नमैंट का मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विनम्र शब्दों में सदन से यह निवेदन किया था कि अटैचमेंट अलग चीज है, एफीलिएशन अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलग चीज है और रिकाग्नाइजेशन अलग चीज है। (व्यवधान) अब यह निकाग्निशन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि हमने एन.ओ.सी. 17 डेंटल कालेज खोलने के लिए दी है, वहां तक ठीक है। उसके बाद आपने यह आदेश प्रसारित किया है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि कोई भी डेंटल कालेज अथवा मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए अनिवार्यतः वैल-इक्विप्ड हास्पिटल अटैच होना जरूरी है। जो सोसायटी या संस्था डेंटल कालेज या मेडिकल कालेज खोलना चाहती है तो वह एक स्कीम बनाकर through the State of Rajasthan or whatever state it is, वह सैण्ट्रल गवर्नमैंट को सब्मिट करते हैं और सैण्ट्रल गवर्नमैंट वहां से डेंटल कौंसिल को भेजती है। डेंटल कौंसिल वहां से विजिटर्स को भेजती है और फिर रिकग्निशन होता है। यह बात मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, इसको कन्फ्यूज करने की, वित्त मंत्रीजी, कोशिश मत कीजिये। मैं सिर्फ आपका डाकुमेंट पढ़ रहा हूं। अभी आपने यह कापी सबसे पहले भेजी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कोई भी-स्कीम जब जाएगी। तो सबसे पहले नजर आएगी कि इनके प्रपोज्ड कालेज में अस्पताल कौनसा है? वह आपने धरातल तैयार किया है। वह आपने मिसचीफ जो इस कामन ने कर का है और इस मिसचीफ के आपने दस हजार रुपये चार्ज किये हैं, वह मेरा आरोप है और यह आरोप कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात है...

डा. करण सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डाक्टर साहब, बैठिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप बाद में बोल लेना। लैट हिम फिनिश।

डा. करण सिंह यादव : मैं बहुत रेलेवेंट बात करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जो यह कह रहा हूं आपको, इसमें

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपने खुद ने लिखा है कि "महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा सम्बद्धता शुल्क के रूप में प्रति छात्र 10,000 रुपये देय है"। 20 स्टूडेंट एडमिट करेंगे आप, अधिकतम दो लाख रुपये मिलेंगे। दो लाख रुपये में तो एक डेंटल यूनिट बनती है। मैं गलत क्या कह रहा हूं इसमें? आपके अस्पताल के थियेटर हैं, आपके अस्पताल के बैड्स, आपके डेंटल चेयर्स हैं, आपके डेंटल यूनिट्स, आपके सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंटस, आपके लेबोरेटरी, आपके डार्क रूम, दुनिया भर का काम, आपका नर्सिंग स्टाफ। और डाक्टर करण सिंहजी, मैं आपकी बात को निश्चित रूप से मानूंगा ईमानदारी से, मुझे एक बात समझा दीजिये, यह संभव है क्या? वह कहते हैं, इसमें एक जगह लिखा है कि "संस्था अपने छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु स्वयं के अध्यापक नियुक्त करेगी।" This is a cover. संभव है क्या यह कि एक क्लास रूम अटैच होता है डेंटल कालेज के अन्दर और मेडिकल कालेज के अन्दर, जिन टीचर्स को आप अपाइंट करेंगे, वे क्या अस्पताल में नहीं आएंगे? वे अस्पताल में तमाम् इन संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे? क्या वे डेंटल चेयर्स का उपयोग नहीं करेंगे? क्या डेंटल यूनिट्स का उपयोग नहीं करेंगे? क्या थियेटर्स का उपयोग नहीं करेंगे? Virtually every ward is a class-room. Dr. Karan Singh Yadav will bear me out. You only correct me. बाकी अननेसेसरी सरकार का केस इंडिफेंसिबल है। आप जैसे आदमी को डिफेंस में नहीं आना चाहिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। यह आपने आगे क्या कहा है? एक जगह कहा है कि यह जो है जब प्रभावी होगी, यह सम्बद्धता प्रस्तावित महाराज विनायक डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर, भारत सरकार तथा दंत चिकित्सा परिषद से महाविद्यालय स्थापना संबंधी अनुमति मिलने के बाद ही प्रभावी होगी। बाद में ही प्रभावी होगी। जब तक स्कीम सैंक्शन नहीं हो जाती है, जब तक डेंटल कौंसिल आफ इंडिया से रिकाग्निशन नहीं मिल जाता है तब तक तो कालेज चालू नहीं होगा और कालेज चालू नहीं होगा तो_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय_

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये, यह आपका सब्जैक्ट नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं नहीं, एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : धारीवालजी, मैं आपकी डिमांड पर नहीं बोला हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, मैं आपके इस विषय पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां.तो आप बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कृपया मुझे सुनने का कष्ट करेंगे दो मिनट? मैं आपकी इजाजत से ही बोलूंगा। उपाध्यक्षजी की तो इजाजत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, हरेक आदमी बोलने लगेगा, यह कोई तरीका है क्या ? Let me speak. Let your turn come.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात सुनें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I seek your protection. यह क्या तरीका हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Everybody will stand up. नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप यह चाहते हैं कि_

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : जब ये अतिक्रमण हटा दिये तो वे बोल भी नहीं सकते क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका मैसेज क्या जाएगा पब्लिक के अन्दर कि आप हमारी बात को दबाना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरी बात को सुनने का कष्ट करेंगे। माननीय सदस्य आप मेरी बात को सुनने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, एक नयी बात कहना चाह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not permit. I will not permit.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : No. No. I will not permit.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not permit.

श्री उपाध्यक्ष : उनको जरूरत नहीं है आपकी जानकारी की।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कृपया मुझे सुनें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I don't want to be educated by you.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे सुनेंगे तो आप खुद मुझे एप्रिशिएट करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Mr. Dhariwal, please resume your seat.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, आप मुझे एप्रिशिएट करेंगे। मुझे सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, I need your protection.

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, प्लीज इनको बोलने दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको पुराने समय की नयी जानकारी देना चाह रहा हूं जो आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठो।

श्री मदन दिलावर : मंत्रीजी को कुछ तो रोको। (व्यवधान) बीच बीच में + + + बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो। मैं एक को रोकूं मंत्रीजी, लैट हिम फिनिश। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार ने कोटा में मेडिकल कालेज खोला। पुरानी सरकार के मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं आप कृपया इनसे यह पूछें कि कब तो वह मेडिकल कालेज खोला था और कितने सालों के बाद में मेडिकल कौंसिल ने इनको रिकाग्नाइज किया? चार साल तक कक्षाएं चलती रहीं उस कालेज के अन्दर और चार साल तक वहां के छात्र मानसिक पीड़ा से पीड़ित थे। उसके बाद में जाकर मेडिकल कौंसिल की इजाजत ली है। (व्यवधान) माननीय, गैर रिकाग्नाइजेशन के कालेज खुलता है और यह कोटा का मेडिकल कालेज इसका उदाहरण है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह क्या बोल रहे हैं, किसकी अनुमति से बोल रहे हैं? मंत्रीजी को प्रताड़ना दीजिये।

श्री रामस्वरूप : किसको दिला रहे हैं प्रताड़ना?

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लेना ना। आप कौन को प्रताड़ना दिला रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको प्रताड़ना दीजिये, ये क्या बोल रहे हैं। किसकी अनुमति से बोल रहे हैं? इनको प्रताड़ना दीजिये। प्रताड़ना दीजिये इनको। (व्यवधान) किस नियम के तहत ये बोल रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं, अच्छी नयी बात आपने बताई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप ऐसे बोलते रहेंगे तो कोई एण्ड ही नहीं आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अभी स्वायत्त शासन मंत्री ने बहस में इंटरवीन करते हुए कहा है कि कोटा के मेडिकल कालेज को चार साल बाद में मान्यता मिली है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कोटा के मेडिकल कालेज को चार साल बाद में मान्यता मिली लेकिन मान्यता मिलने के पहले उसका इंस्पेक्शन एम.सी.आई. ने तीन बार किया

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेंद्र जोशी)

नहीं हो सकती। अगर किसी को नजले का जुकाम है तो उसकी दवा हमारे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप बार-बार बीजेपी गवर्नमैंट की बात कर रहे हैं, वे बीजेपी रैफर ही नहीं कर रहे हैं। आप काहे को इस झगड़े में पड़ रहे हैं? वे अपनी बात कह रहे हैं, let him say. बीजेपी गवर्नमैंट ने क्या किया, बीजेपी वाले बोलें तब आप लगाना एलीगेशन।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकर ऐसा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : He is not trying to defend the BJP.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये कहीं उधर टिल्ट नहीं हो जाएं, मुझे इनको रोकना है।

श्री उपाध्यक्ष : Please, try to conclude.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि यह परम्परा दक्षिण भारत के अंदर प्रचलित थी अनेक बार यह मसला उठा और फाइनली यह सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। आप अगर, माननीय सदस्य, जानना चाहते हैं तो प्रद्युम्न सिंहजी जो वित्त मंत्रीजी हैं, उनको याद है और उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद है कि मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज का मैंने भी रखा था। यह अकेली बीजेपी गवर्नमैंट नहीं है, उससे पहले कांग्रेस गवर्नमैंट थी उन्होंने भी यही किया, कैपिटेशन फीस से बाहर एडमिट होते थे, उनको लाकर बैठाया। तो खाली बीजेपी गवर्नमैंट का सवाल नहीं है, कोई भी गवर्नमैंट हो, इसमें पार्टी-पोलिटिक्स नहीं है, अपन मेरिट के ऊपर एकेडेमिक स्टैण्डर्ड्स मेनटेन करने के लिए बात कर रहे हैं राज्य के अंदर। उपाध्यक्ष महोदय, 93 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया यह उन्नीकृष्णन वाला, मुख्य सचेतक महोदय, सुनने का कष्ट करें, यह जजमैंट बहुत लम्बा-चौड़ा है।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Please, try to conclude now. बहुत लम्बा हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I cannot conclude with these interruptions. It the Chair provides me protection, I will conclude within 10 minutes.

श्री उपाध्यक्ष : I am not telling you to sit down.

श्री सुरेन्द्र व्यास : If the Chair protects me, I will conclude within 10 minutes.

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो I permit you 10 minutes.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Kindly exclude the time that the hon'ble minister...

श्री उपाध्यक्ष : But you also don't address anybody. Go on with your speach.

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो माननीय मंत्रीगण का इन्टरप्शन है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए उससे। आज तो गवर्नमैंट पर जोशीजी को और धारीवालजी को, मेरे मित्रों को ही भिड़ाया है...

श्री उपाध्यक्ष : वही बात हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये।

"Several authorities mentioned in sub-para A & B shall decide whether a private educational institution is entitled to charge only that fee as is required to run a college or whether the capital cost involved in establishing a college can also be passed on to the students ? and if so, in what manner ? keeping in view the need, interest of general public and the nation, a policy decision may be taken. If would be more appropriate if the Central Government and these several authorities- U.G.C., I.M.C. and SCTs coordinate their efforts to evolve a broadly uniform criterion in this behalf."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने बाकायदा स्कीम भी वही की है जो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उसके अंदर उन्होंने फिफ्टी परसेंट फ्री सीट्स, फिफ्टी परसेंट पेमेन्ट सीट्स। इसको मोडिफाइड किया है इन्होंने बाद में, जजमैंट को और पांच प्रतिशत एन.आर.आई. सीट्स। अब जो यह बार-बार कह रहे थे कि कौन डिसाइड करता है, वे यह डिसीजन वह लेते हैं। काहे की? ट्यूशन फीस की। Rs. 75000 पर हैड जो चार्ज करते हैं वह आपने डिसाइड किये हैं, कमेटी ने। मैं बात दूसरी कर रहा था, आप उसको कन्फ्यूज करके, मिक्स-अप करके गवर्नमैंट को डिफेण्ड करना चाह रहे थे, बिलकुल गलत है। वह चीज एक अलग है लेकिन एक प्राइवेट डेंटल कालेज कितना पैसा कमाएगा, बीस एडमिशन तो कम से कम करेगा वह, permissible under the law. और आपने बीस के चालीस कर दिये। गवर्नमैंट डेंटल कालेज के अंदर, एस. एम. एस. हास्पिटल के डेंटल विंग के अंदर। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा चिंताजनक या आपत्तिजनक क्या बात हो सकती है कि गवर्नमैंट इंस्टीट्यूशन ने खुद बीस के चालीस कर दिये हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन at your behest and in collusion with you. बीस के चालीस क्यों नहीं करेगी? कितना पैसा कमाएगी, वित्त मंत्रीजी? आप तो सर्वज्ञाता हैं, आंकड़े बताइये। पांच-पांच लाख रुपये एक-एक के और एन.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आर. आई. की फीस तो कोई तय भी नहीं करेगा। 17 डेंटल कालेज, दो लाख आपको, बिल्डिंग का पता नहीं। (व्यवधान) हास्पिटल तो दे दिया न, हास्पिटल तो सरकारी अस्पताल दे दिया। किसी का अता और पता नहीं है, दो लाख रुपये आपको दे दिये, अब रिकाग्नाइजेशन ले आएंगे। एक करोड़, अब यह एक साल का मसला नहीं है, पांच साल, पूरा एनुअल प्रोग्राम है, असैम्बली का टेन्योर पांच साल का और आपका एग्रीमैंट पांच साल का। बहुत बढ़िया किया आपने क्योंकि इनकी गवर्नमैंट, पता नहीं इस एग्रीमैंट...

श्री शैलेन्द्र जोशी : इण्डिया में फर्स्ट टाइम हुआ है क्या? और डेंटल कालेज नहीं खुले? राजस्थान के विकास के विरोधी के रूप में हम आपकी बातें सुनते रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, बैठिये-बैठिये। आपको मौका देंगे बोलने का, आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, साफ बात सीधी-सादी है, आपने जो कैपिटेशन फीस की कही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसका अक्षरशः पालन मेंडेटरी है। आप नयी बात कहना क्या चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप जो भी कहना चाहेंगे, आपको मौका देंगे, इनको खतम करने दो न।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मतलब राजस्थान के विकास में विरोधी के रूप में आप जो बात कर रहे थे कि एक भी प्राइवेट डेंटल कालेज नहीं खुले, एक भी मेडिकल कालेज नहीं खुले...

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप बोलें तब कह देना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज महाराष्ट्र में, आज आंध्र में, आज जगह-जगह मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज खुले हुए हैं और विकास है और यहां पर विकास की जगह विनाश हो क्योंकि यह कहते हैं कैपिटेशन फीस लगेगी। एन.आर.आई. आएंगे तो उनको हैवी फीस देनी पड़ेगी, फोरेनर स्टूडेंट आएंगे, उनको देनी पड़ेगी। जिसकी कैपेसिटी है वह देगा और एडमिशन लेगा। 85 परसेंट हमारे भू-भाग और राष्ट्रीय स्तर के जो सदस्य हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप नयी बात क्या सिखा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को बोल रहे हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप करो न, आपने कोल्यूजन का शब्द लिया है, What do you mean by callusion ?

श्री उपाध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि आप कहें जो वह एग्री करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने जो कहा है कि गवर्नमैंट के कोल्यूजन...

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दो न आप, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनकी खुद की एम्बीग्यूटी है। ये खुद नहीं समझ रहे हैं कि सही बात क्या है...

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि ये बोलें उससे आप एग्री करो। यह कोई जरूरी थोड़े ही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह बात समझ नहीं रहे हैं और कोल्यूजन के लिए गवर्नमैंट को एलेज कर रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : कोल्यूजन का मतलब क्या हुआ, यह बताओ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई बात समझ में आये, यह कोई वाचन है? कोई कथावाचन की जगह है जो बोल रहे हैं? क्या हम नहीं समझते? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी समझ में नहीं आये तो क्या करें अब।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कोल्यूजन वर्ड को तो बाहर निकालना पड़ेगा। What does he mean by collusion कोल्यूजन वर्ड का मतलब हमारा कोल्यूजन है, यह आरोप लगाना चाहते हैं। कोल्यूजन वर्ड उन्होंने यूज किया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान का विकास ठप हो जाए, एक भी डेंटल कालेज, मेडिकल कालेज प्राइवेट बने ही नहीं, कभी नहीं बने जिंदगी भर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : इसका क्या मतलब हुआ? You ask him to use the right word.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री रामस्वरूप : आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं...

श्री शैलेन्द्र जोशी : सैंट्रल गवर्नमैंट के कौन से प्रोवीजन का बायोलेशन किया है...

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप तो विराजें कम से कम।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्टेट गवर्नमैंट की कौन सी पालिसी का बायोलेशन हुआ है? सैंट्रल गवर्नमैंट के कौन से प्रोवीजन का बायोलेशन हुआ है? यह पूछना...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कोल्यूजन तो फिर राज्य सभा के उप चुनाव का भी आएगा, कोल्यूजन का अंत ही नहीं रहेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसमें एनक्लोजर लिखा है कि परमिशन लेने से पहले कौन से एनक्लोजर्स देने पड़ेंगे। उसमें यह

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है—attachment fee, hospital minimum 100 beded...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोल्यूजन तो फिर राज्य सभा के चुनाव का भी आएगा, फिर राज्य सभा के कोल्यूजन का क्या होगा? राज्य सभा के चुनाव का कोल्यूजन भी आएगा उपाध्यक्ष महोदय, तो कोल्यूजन वर्ड तो वे ही यूज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। अब हो गया न।

श्री सी. पी. जोशी : कोल्यूजन का मतलब क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके इसको समाप्त कीजिये न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष माहदेय, आपको पहले मैंने निवेदन किया, माननीय मंत्रीगण के हस्तक्षेप को एक्सक्लूड करिये आप...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी इतनी लम्बी तकरीर में you have not come to the point till now.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक मिनट भी दुबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक वर्ड भी दुबारा रिपीट नहीं करूंगा। एक डेंटल कालेज के कमाये एक करोड़ रुपये, दो लाख दिये सरकार को, पूरे का पूरा हास्पिटल मिल गया। ज्यादा से ज्यादा खींचतान करो तो तीन लाख रुपये से ज्यादा और कोई खर्चा होने वाला नहीं है। टोटल फर्जी संस्था है, 95 लाख 17 से गुणा करो, कितने करोड़? 15 करोड़ बैठते हैं, कितने बैठते हैं...

श्री सी. पी. जोशी : मुंगेरी लाल के हसीन सपने कम क्यों कर रहे हैं, 95 करोड़ कहो न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बैठिये, बैठिये।

श्री सी. पी. जोशी : मुंगेरी लाल के हसीन सपने 95 लाख क्यों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने 95 करोड़ होते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो रेलेवेंट और हम कहें तो इर्रेलेवेंट।(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कालेज शुरू ही नहीं हुआ तब कहां से ये सारा का सारा...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कब कहा कि कालेज चालू हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं आप क्या बोल रहे हैं?(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कहते हैं न उसकी रेलेवेंसी है और हम कहते हैं उसकी इर्रेलेवेंसी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कुछ कहा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : और आप क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : भैंस तो अभी आयी नहीं, पहले ही लड़ रहे हैं खेतों पर कि आपकी भैंस चरेगी। कालेज खुला ही नहीं और पहले से बात कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मतलब अब इंडिया में डेंटल कालेज प्राइवेट कैपेसिटी में खुलने ही नहीं चाहिए, आपका यह प्रिपोजिशन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपा करके..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास अब, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में बी.डी.एस. की जगह एम.डी.एस. की क्लासेज चालू करते तो बात समझ में आती। संसाधन बढ़ाते, डेंटल हास्पिटल के अंदर अच्छे डाक्टर्स डेंटिस्ट बैठाते तो समझ में आता। आप क्या करना चाहते हैं? सब स्टेण्डर्ड क्वेक्स पैदा करना चाहते हैं, राजस्थान में बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं आप। और इसमें अब मैं 273 पर आता हूं, जोशीजी, आप फैसला ले लीजिये। 15 करोड़ रुपये साल के ये, 10 करोड़ वो..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 273 पर फैसला हो जाए, साहब, 273 पर जो आपने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : 273 का तो अभी प्रश्न ही नहीं आया न। इश्यू ही नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आ रहा है, साहब, वह आ गया है। आप फरमा रहे हैं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं 273 के बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : क्या? आर्डर-आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : He has spoken about this. He wants to come to 273. You, please, give your ruling.

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप पहले रूलिंग दे दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : उन्होंने खुद ने कहा कि 273 पर आ रहा हूं मैं। पहले रूलिंग दे दीजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : वे 273 बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप 273 पर बोल रहे हैं क्या? आपने नोटिस दिया है उस पर बोल रहे हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों नहीं बोलूंगा मैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर : ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू कर रहे हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नोटिस दिया है मैंने। अब आऊंगा उस पर।

श्री उपाध्यक्ष : आ गये या आओगे? अभी तक तो नहीं आये न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी तक तो मैंने फैक्चुअल बैकग्राउंड दिया है। अभी तो नहीं आया मैं। देखिये, सीधी-सीधी बात यह है, मैं माननीय सी. पी. जोशी साहब, आदरणीय मंत्री महोदय जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, मुझे नहीं पता कि यह डिसीजन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने स्तर पर लिया है या स्वास्थ्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी से अनुमति लेकर लिया है या मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया है, सब कमेटी बना कर लिया है क्योंकि यह जानकारी तो मुझे हो नहीं सकती। आपकी और मेरी मित्रता अलग जगह है लेकिन अपन यह बात तो नहीं करते हैं, आप जानते हैं। सदन में कहें ये जो बात ये तो आपके संग मित्रता नहीं है। तो इसलिये यह बात तो मुझे मालूम नहीं पड़ सकती। अब मेरे पास...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, अपन तो हर तरह की बातें करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं बता दूं कि हमारी मित्रता दूसरी किस्म की है, माननीय नेता महोदय। ऐसी बातें हम कभी नहीं करते हैं। उनकी लायल्टी पर आप शक मत कीजिये, तो मेरी लायल्टी पर भी शक मत कीजिये। मैं अपनी जगह अटल हूं लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात पूछना चाहता हूं, जो यह रूल्स आफ बिजनस है यह मुझे पढ़ने का मौका मिला है और रूल्स आफ बिजनस में यह प्रोवाइडेड है। ऐसा मैटर नया पालिसी डिसीजन है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ईमानदारी से दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। यह तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, चुनोतीपूर्वक, बहुत विनम्रतापूर्वक पूरे मंत्रिमण्डल के सदस्यों को करबद्ध निवेदन करता हूं और चुनौती देता हूं इस बात की कि विश्व के इतिहास में बता दें ऐसा एग्ज़ाम्पल, जहां एक अस्पताल के ऊपर दो मेडिल कालेज अटैच हों। चुनौती देता हूं इस बात की आपको। आप बार-बार व्यवधान पैदा करते हैं, आप मेरी बात का जवाब दीजिये और आप मुझे मर्जी आये जो सजा दीजिये सदन में...(व्यवधान)...

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्षजी, मेडिकल कालेज और डेंटल कौंसिल ने...

श्री रामस्वरूप : भारत विश्व का गुरु है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सौ बैड पर एक अस्पताल अटैच हो सकता है, एस. एम. एस. की कैपेसिटी 13 सौ बैड की है...

डा. करण सिंह यादव : मेडिल कौंसिल और डेंटल कौंसिल का यह प्रोविजन है कि गवर्नमैंट कॉलेज को हायर कर सकते हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मिनिमम सौ बैड के अस्पताल पर डेंटल कालेज अटैच हो सकता है, आप देख लीजिये सैक्शन 9 में। आपने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, यह मेरी गलती नहीं है। देखिये आप।

श्री सी. पी. जोशी : डाक्टर साहब, इसमें सौ के हिसाब से पांच कालेज हो सकते हैं। Rule says one dental hospital per 100 bed. 500 बैड पर पांच डेंटल कालेज हो सकते हैं, बोलिये आप। हमने इसका प्रोविजन कर रखा है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास :.Only 20 bedded.

श्री शैलेन्द्र जोशी : और 10 किलोमीटर के रेडियस तक हास्पिटल है तो भी चलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : ..(व्यवधान)...नहीं, आप इसमें देखिये, डेंटल कालेज के लिए सौ बैड चाहिए, पांच सौ के लिए पांच का है। यह लिख रखा है, पढ़ लीजिये आप। लिख रखा है इसमें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ए पेयर मिनिमम असेंशल इनग्रेडियेंट्स हैं, वे भी आपने नहीं पढ़े।

श्री सी. पी. जोशी : ..(व्यवधान)... एस. एम. एस. कालेज में यदि पांच सौ बैड हैं तो पांच डेंटल कालेज अटैच हो सकते हैं, बोलिये आप। इसमें क्या तकलीफ है? पांच लगेंगे। एक नहीं पांच डेंटल कालेज की जरूरत पड़ेगी तो पांच डेंटल कालेज एस.एम.एस. के साथ अटैच करेगी। क्या तकलीफ है इसमें? we own it. हमने फैसला किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप करेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : हां, करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप करेंगे तो आपकी + + + नहीं है यह, हाई कोर्ट में जाऊंगा मैं।

श्री सी. पी. जोशी : करेंगे। हां + + + नहीं है, कानून में है। आपकी मर्जी पर नहीं है। आपकी मर्जी पर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाइये आप। हम करेंगे, एक नहीं चार करेंगे, इसमें क्या तकलीफ है? माननीय सदस्य, अब मैं निवेदन करना चाहूं कि हम एक नहीं, यह कांशस डिसीजन है। हम प्राइवेट कालेज को अलाउ करेंगे, एक नहीं 10 को अलाउ करेंगे। यह इतना बड़ा कोशंस डिसीजन है। यदि एस. एम. एस. में पांच और एफिलिएट करने हैं तो पांच को और एफिलिएट करेंगे हम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : और उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में ही नहीं जहां पर भी मेडिकल कालेजेज हैं, 100% हास्पिटल्स हैं वहां आवश्यकता होगी तो यह सरकार का निर्णय है। हमने इसको पब्लिसाइज किया है, बड़ी वाइड पब्लिसिटी की है कि राजस्थान में प्राइवेट सैक्टर में मेडिकल कालेजेज आएं, डेंटल कालेजेज आएं, इंजीनियरिंग कालेजेज आएं और नर्सिंग कालेजेज आएं। मैंने अपने बजट में यह बात कही है, किसी से छिपा कर गुपचुप तरीके से सरकार ने फैसला

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं लिया है। एक मेडिकल कालेज लगता है तो सर्विस सैक्टर कितना बड़ा पनपता है। अपने आप ही इनडाइरेक्टली कितने लोगों को एम्प्लायमैंट मिलता हैं। आज राजस्थान के लोगों को एम्प्लायमैंट देने की बात है। मैं दक्षिण में गया, उपाध्यक्ष महोदय, बंगलौर में आई.टी. के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके यहां तो इंजीनियर अवेलेबल ही नहीं है, मैन पावर कहां है आपकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्या बोल रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके यहां मैन पावर नहीं है हम वहां कैसे आएं? राजस्थान में सरकार का यह निर्णय है, हम इसको स्वीकार करते हैं। कोई चीज गुपचुप नहीं की गई है। इन्होंने जो नोटिस दिया है, जिस भाषा का प्रयोग किया है उसके ऊपर सख्त एतराज है हमको। हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और अधिक से अधिक लोगों को बुलाएंगे यहां पर जो सुविधाएं राज्य सरकार दे सकती है इन मेडिकल कालेजों को खोलने में, डेंटल कालेजों को खोलने में, हम निश्चित रूप से देंगे, हमारा निर्णय है इसके बारे में।

श्री सी. पी. जोशी : और अगर इनके मन में कटुता हो तो ये इंतजार करें, जब सरकार में आवें तो सोचें। हमारा कन्सैप्ट बहुत क्लीयर है। 95 लाख क्या 55 करोड़ रुपये भी हमको खरीद नहीं सकते। हमने ओपन निर्णय लिया है कि प्राइवेट सैक्टर को अलाउ करेंगे। आपका मोटिव लगाना है, आपके मन में विचार हो सकता है। हमारे मन में विचार है इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए। हमारे एग्जस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़कर हम प्राइवेट सैक्टर में सब काम करेंगे। पैसे का मोटिव आप सोच सकते हैं, हमारी सोच नहीं है इस बारे में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अगर संतोकबा दुर्लभजी आज कोई मेडिकल कालेज का प्रपोजल लेकर आवें तो समझ में आती है बात। हास्पिटल है इतना बड़ा। मूल भावना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भाषण दिया तब ये कहने लगे। मैं अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में आप मेडिकल कालेजेज को, डेंटल कालेजेज को इसलिए इन्वाइट करते हैं कि वे हास्पिटल बनाएंगे और आपको हास्पिटल प्रोवाइड करेंगे। उस हास्पिटल में अटैच होगा उनका, Hospital is an integral part. लेकिन यह उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... आप अब बोलने दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : यह क्या बोले आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : तो कौनसा तरीका है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप नहीं बोलने देंगे तो...(व्यवधान)...

श्री सी. पी. जोशी : ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी असत्य बातें कहते जाएं। हम सुनने के लिए बाध्य थोड़े ही हैं आपके लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तरीका है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया जाए। आपके कहने से?

श्री सी. पी. जोशी : ...(व्यवधान)...सुनते रहें आपकी बात यह दो लाख रुपये...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बोलने नहीं देंगे हमको, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप : नहीं, आप मंत्री को नहीं डांट सकते इस तरह। कैसे बोलने नहीं देंगे? क्यों नहीं बालेंगे? मंत्री हैं, राजस्थान सरकार है, बोलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : ...(व्यवधान)...वह ड्यू कोर्स आफ टाइम कालेज में आएगा। आप अपने मोटिव्स लगाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कम टू द पाइंट। रेलेवेंट बात करके आप बोलें न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो ये बोलने देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दे रहे हैं, आप तो...

श्री सी. पी. जोशी : आप क्या बोल रहे हैं? दो सीटें दो लाख रुपये, पांच करोड़ रुपये, यह सुन लें हम आपकी बात? यह हमारा कांशस डिसीजन है हम कहना चाहते हैं इस बात को हमारा कांशस डिसीजन है। आपका मोटिव होगा आपका सोच होगा। मुंगेरीलाल के हसीन सपने होंगे लेकिन हम प्राइवेट सैक्टर में इस तरह बढ़ाकर कालेज लाएंगे और पांच साल में देखना कि और डेंटल कालेज नये बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और कालेज आते हैं कि नहीं आते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, कैसे आएगा? खाली अपने मन से आएगा क्या? एम. एस. एस. में आज जो भी कुछ कर रहे हैं, यदि पांच और डेंटल कालेज को एफिलिएशन देना है तो इन्हीं शर्तों पर पांच डेंटल कॉलेजों को एफिलिएशन देंगे। पांच सौ बैड तो करेंगे और पांच डेंटल कालेजों को लाएंगे हम।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं क्या आपत्तिजनक बोला? मुझे तो नहीं पता लगा, मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी यह जानना चाहता हूं कि आप क्या प्रेस करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बता रहा हूं न, मैं यह कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर में You have not pressed your point.

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इनकी भावना क्या है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक घंटे में तो ये बता नहीं सके कि यह...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

एक माननीय सदस्य : सदन का समय बेकार हो रहा है। साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।

श्री रामस्वरूप : यह समय की सीमा हमारे ऊपर लागू होती है, इनके ऊपर लागू नहीं होती है?

एक माननीय सदस्य : दो-दो मंत्रियों ने समझा दिया तो भी समझ में नहीं आता है। और इनकी बात हमारी समझ में नहीं आएगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान का विकास अवरुद्ध करना चाहते हैं। अवरुद्ध नहीं होगा, राजस्थान में लगातार विकास होगा। इंजीनियरिंग कालेज बनेंगे, डेंटल कालेज बनेंगे प्राइवेट सैक्टर में। ये लोग राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, खतम करना चाहते हैं। इनकी बात सुनने लायक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, प्लीज। आपका यह ख्याल है कि ये मेडिकल कालेज या जो हास्पिटल की सैंक्शन दी, वह गलत है। आपका यह ख्याल है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सदस्य कन्फ्यूज हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : Please try to press that point कि वो गलत कैसे हैं। यह सर्कुलर वगैरह सब के पास है, What is wrong in this Act, यह आप बताइये न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट इन्होंने कौन-सी आपत्तिजनक बात कही है जिस पर मंत्रिमण्डल के सदस्य और माननीय सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपत्तिजनक की, यह आपत्ति कहां कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप बोल रहे हैं न यह।

श्री उपाध्यक्ष : ये आपत्ति नहीं कर रहे हैं। ये तो एक यह जानने की...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपत्तिजनक कौन-सी बात कहीं है ? यह सब कोई मेडिकल कालेज...(व्यवधान)... एक मिनट सुनिये। बैठे प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : ...(व्यवधान)... दो लाख रुपये की...(व्यवधान)...

श्री जुगल काबरा : सारी बातें आपत्तिजनक कहीं हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उन्होंने कहा है कि कोल्यूजन हास्पिटल की परमिशन दे दी गई है। यहां कोल्यूजन का शब्द है यह आपत्तिजनक है। कोल्यूजन का शब्द आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है।

श्री जुगल काबरा : यह आपत्तिजनक है।

श्री रामस्वरूप : आपका नोटिस है, खूब दो नोटिस तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, न तो इन्होंने यह कहा कि मेडिकल कालेज प्राइवेट सैक्टर में राजस्थान में नहीं खुलने चाहिए, न इन्होंने यह कहा डेंटल कालेज राजस्थान में नहीं खुलने चाहिये। डेंटल कालेज खुलने चाहिये, मेडिकल कालेज खुलने चाहिये, इसमें कौनसी आपत्तिजनक बात आ गई ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने कहा है कि सरकार ने कोल्यूजन किया है, कोल्यूजन अपने आप में घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई आपत्तिजनक बात नहीं कहो। (व्यवधान) मैं तो समझा कि नहीं समझा लेकिन...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : चार साल तक आप खिलाफ आरोप लगाते रहे और आप बिलकुल नहीं समझे। आप जानते हैं, माननीय सदस्य बहुत कन्फ्यूज्ड हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप हाउस को इस ढंग से चलाएंगे कि मर्जी आये जो बोल जाएं और किसी को बोलने नहीं दें तो फिर कैसे चलेगा हाउस ? आपको बोलने की छूट है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो बोलिए। अभी आरोप लगाया नहीं है, केवल यह कहा है कि मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज खुल रहा है। इसमें अनियमितता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उसमें मैंने अभी यह पढ़ा जो इन्होंने नोटिस दिया है, मेरी समझ में नहीं आता कि नोटिस की कापी सर्कुलेट कैसे हुई। यह सर्कुलेट या तो विधान सभा सैक्रेटेरिएट ने की। यह सीरियस मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी कापी सर्कुलेट हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कापी है जो सर्कुलेट हुई है, यह जो बार-बार दिखा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कापी विधान सभा की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधान सभा में दिया है इन्होंने नोटिस।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : कापी आई है मिनिस्टर के पास।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने बांटी है?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मिनिस्टर को कापी आई है।

श्री रामस्वरूप : जो आपने दी है हमको। यह कापी हमको व्यासजी ने दी है, वह कापी है हमारे पास। क्यों नहीं आ सकती यह कापी हमारे पास?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। जो नोटिस इन्होंने दिया है वह विधान सभा ने सर्कुलेट नहीं किया है। इन्होंने नोटिस दिया माननीय मंत्रीजी को और मंत्रीजी ने माननीय मैम्बर को सर्कुलेट किया है, विधान सभा का क्या लेना-देना है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, फिर अब तो जवाब भी आ गया। इसमें गलत यह हो गया कि कोई मैम्बर बोलना चाहे, कोई आपत्तिजनक बात कहें नहीं और मंत्रिमण्डल के सदस्य खड़े होकर उसका विरोध करें। मुझे खुशी है कि प्रद्युम्न सिंहजी ने कम से कम एक बात स्वीकार कर ली कि हम मेडिकल कालेज खोलेंगे, हमने बजट भाषण में या गवर्नर के एड्रेस में इन सब बातों का उल्लेख किया है। यह सब जानते हैं कि गवर्नर के भाषण में या बजट भाषण में कोई भी चीज आएगी, इंडिविजुअल जो मिनिस्टर चाहता है वह नहीं लिखी जाएगी, केबिनेट जो चाहती है वह लिखी जाएगी। इन्होंने इसमें कहा है कि केबिनेट का यह फैसला है, इसमें आपत्ति करने की क्या जरूरत है?

श्री उपाध्यक्ष : आपत्ति थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : इसको पढ़िये आप, इसमें लिखा है, आपत्ति करने की जरूरत यह है कि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस बात पर आने दीजिए। जिस समय कोई बात आती है तो उस समय आप आपत्ति कीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपत्ति करने की आवश्यकता यह है कि माननीय सदस्य अपनी बात समझा नहीं पाये इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, यह आप समझा रहे हैं। यह है आपत्तिजनक। वे कन्फ्यूज है, अपनी बात ठीक ढंग से समझा नहीं पाये, नहीं तो आपको बोलने की तकलीफ ही नहीं उठानी पड़ती। वे अपनी बात नहीं समझा पाये, आप समझा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एटीट्यूट है, यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, आप इनको बोलने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक इन्होंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही और इसके ऊपर इतने मंत्रिमण्डल के सदस्य खड़े होकर माननीय सदस्य को बोलने नहीं दें। चेयर की तरफ से प्रोटैक्शन मिलना चाहिये। कोई आपत्तिजनक बात हो तो उसी समय खड़े हो सकते हैं, पाइंट आफ आर्डर रेज कर सकते हैं, आब्जेक्शन प्लेस कर सकते हैं लेकिन अभी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। कई मैम्बर और मिनिस्टर बोल रहे हैं और मिनिस्टर बोल गये तो उसका सफाया कर दिया प्रद्युम्न सिंहजी ने कि हमारा फैसला है, हमारा मतलब केबिनेट का, गवर्नमैंट का फैसला है। इससे ज्यादा तो इन्होंने कोई बात कही नहीं। कौनसी बात पर आपको आपत्ति हो रही है? इसलिए ये जो कुछ कह रहे हैं उनको कहने दिया जाऐ उसके बाद आप फ्री हैं, जो चाहे वह बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने से कोई रोक थोड़े ही रहे हैं, टाइम लिमिट की कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाइम का सवाल नहीं है, बोलने ही नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सारी प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बोल पाये हैं। टाइम जरूर लगा होगा घड़ी में। इस मैटर को इंट्रोड्यूस करने से लेकर अब तक टाइम ज्यादा लगा होगा लेकिन इंडिपेंडेंटली 10 मिनट ही बोले होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिए। Please try to conclude. कन्क्लूड करने की कोशिश कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार का यह फैसला है कि इस प्रकार से मेडिकल कालेज खोलेंगे तो यह आपका फैसला परवर्स है, राज्य के हित में नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो यह बोलो ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डेंटल कौंसिल की यह रिपोर्ट है। आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके कालेज डेफिशिएंट हैं इन आल रैस्पैक्ट इक्विपमैंट में, टीचिंग स्टाफ में और उसके बावजूद आप प्राइवेट कालेजेज को एनकरेज करके अटैचमैंट दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार कह रहे हैं, मुझे खुशी होती इस बात की, जैसे मैंने संतोकबा का उदाहरण दिया, अपना खुद का हास्पिटल बनाते। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में एक मेडिकल कालेज को परमिशन दी, डेंटल कालेज को। वह परमिशन अबेयंस में रख दी दिसम्बर में। सितम्बर में तो वह परमिशन दी और दिसम्बर में उसको अबेयंस में रख दिया। क्यों अबेयंस में रख दी, मुझे पता नहीं पर उस डेंटल कालेज ने अपना एक अलग हास्पिटल बनाया है। कहते हैं कि 10-10 लाख रुपये उसने लिये, तो क्या

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हुआ है। मैंने अभी कहा क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बताओ। बात सीधी सीधी यह है कि कभी यह मनी की ट्रांजेक्शन साबित होती है, कि कमरे के अंदर किस आदमी ने कितना लिया, कितना दिया? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सभा के चुनाव के अंदर इण्डियन करेंसी का किसने यूज किया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप मंत्री को बेईमान बता रहे हो, हमारी सरकार बहुत ईमानदार सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सभा के चुनावों के लिये किसने इण्डियन करेंसी का यूज किया, आपको पता ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पूरे देश में शर्मिन्दा कर दिया, पूरे राजस्थान की राजनीति को शर्मिन्दा कर दिया, उस खेल के नायक आप थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 273 (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे सुने बिना आप व्यवस्था देंगे? (व्यवधान) आप उत्तर देंगे मुझे सुने बिना? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं रैफर कर रहा हूं 273 को। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सभा के चुनाव में एम. एल. ए. को खरीदने के लिये किसने इण्डियन करेंसी का प्रयोग किया पूछ तो लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं 273 के (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी बात सुनें, पहले आप मेरे को सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझे नहीं सुनेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर से आपको ही सुन रहा हूं, और किसको सुन रहा हूं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 273 पर जो आपके... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। 273 पर आपको सुनना या नहीं सुनना यह अलग बात है, माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर रेज किया उस पर व्यवस्था देना मेरा कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पाइंट आफ आर्डर पर बोलूंगा ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पाइंट आफ आर्डर का जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं रूलिंग दे रहा हूं ना। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसमें आब्जेक्शन मेरा होगा ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I know what you will say. मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आब्जेक्शन करूंगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले मैं उत्तर दूंगा ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे समझने में सब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उनको कहां बोलने का मौका मिल रहा है? उन्होंने खुद ने रूलिंग रिजर्व रख ली, रिजर्व रूलिंग की आपको जरूरत ही कहां पड़ रही है? यह स्टेज ही नहीं है जिस पर आप बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी नहीं सुनेंगे? अगर मैं कहूं, इफ यू आर नोट सेटिसफाइड आप बोल लेना, तसल्ली रखो। (व्यवधान) 273 में बहुत स्पष्ट है, माननीय अध्यक्ष ने 273 में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की है। 273 यह कहता है—

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the minister concerned so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply..." आगे यह कहते हैं—

"Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation." अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति नहीं दी। (व्यवधान) 273 में परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, 273 में केवल नोटिस देना। कन्सर्ड माननीय सदस्य/मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)

जिसके खिलाफ एलीगेशन लगाते हैं उसको नोटिस देना होता है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : As I said,...to a person. मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं निवेदन करूं, आप मेरी एक बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात को समझिये। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी :– to a person. It cannot consider everything.

श्री उपाध्यक्ष : आप सिंगल परसन कह रहे हैं ना।

श्री सी. पी. जोशी : जी हां, उन्होंने इसमें कौंसिल आफ मिनिस्टर भी लिखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये He has not alleged against the Council of Ministers.

श्री सी. पी. जोशी : Sir he has put allegations against the Chief Minister, being Head of the Council of Ministers. You read rule 273. And he has no right.

श्री उपाध्यक्ष : It is not an allegation against the Council of Ministers.

श्री सी. पी. जोशी : He has to say only about a person.

श्री उपाध्यक्ष : He has referred to the Chief Minister.

श्री सी. पी. जोशी : सर, मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट आप इसको पढ़ लें। नोटिस दिया है उनको, उन्होंने दो बातें लिखी हैं 273, ए तो मंत्रीजी के संबंध में लिखा है जो उनको अधिकार है, देना चाहिये। मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उसके साथ जो नीचे लिखा है उसको आप पढ़िये। 273 में मंत्री के खिलाफ दें, मंत्री उसकी इन्वेस्टीगेशन करे, रिप्लाई करे, यह 273 का प्रोविजन है, इसमें हैडिंग यह दे रखा है—

"Procedure regarding allegation against a person". That is his right. Whatever he has given about the minister, that is his right. उसी में आपने नीचे लिख रखा है चूंकि यह निर्णय विभागीय स्तर पर न होकर मंत्रि-मण्डल द्वारा किया गया, मुख्य मंत्री सीधे इसके जिम्मेदार हैं। नीचे और कुछ लिखा है 273 के अंदर। ये दो चीजें नहीं हो सकती। 273 is specific about a person, about a minister. नीचे आपने लिख रखा है इसलिये मैंने निवेदन किया कि यह 273 का स्कोप लिमिटेड है। Only for a person. It is not having this

(श्री सी. पी. जोशी)

scope. मैं आपका खाली इसलिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह 273 एक मंत्री के खिलाफ लिख कर दें, यह उनका अधिकार है। मंत्री उनका जवाब दें, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन 273 के साथ इन्होंने जो चीजें इनकापोरेट की हैं और जिसमें आगे लिख दिया उन्होंने, इसमें हैडिंग के अंदर मुख्य मंत्रीजी साथ में लिख रखा है और उसके साथ मंत्रीजी ने यह रैफरेंस कर रखा है। यह 273 का लिबरल इन्टरप्रिटेशन होगा, इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे शैल्टर चाहता हूं। यह आगे 273 कोट किया जाएगा, so 273 should be restricted to only a person. That is his right. It should not include all these things. (व्यवधान) चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डिसकस कर रहे हैं। चैलेंज का क्या सवाल है, इसमें चैलेंज थोड़े ही हो रहा है? (व्यवधान) 273 में 'ए परसन' लिखा है, it can be referred to the Chief Minister.

श्री सी. पी. जोशी : सर, आई एम सॉरी, आप एक बार पढ़ लें, Even the Chief Minister is allowed, पर इन्होंने यह नहीं कहा है मंत्रिमण्डल के हैड होने के कारण वे जिम्मेदार हैं, It is reflection on the Council of Minister also. Council of Ministers cannot be a person, It is very clear. सर, मैं 273 के इन्टरप्रिटेशन पर फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसका स्कोप इतना बड़ा नहीं हो सकता। एक परसन के बारे में आप कह रहे हैं, उनको अधिकार है लेकिन it will be a very liberal interpretation of 273. And please, for God's sake, if you want to set this precedent, it will be a very wrong precedent in the history of the democracy. मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि आप इस स्कोप को मानते हैं कि ठीक है, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें हम इस चीज को करते रहेंगे। यह ठीक इन्टरप्रिटेशन नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : It is not an allegation against the Council of Ministers. Due notice has been given by the member against two ministers. The Chief Minister...

श्री सी. पी. जोशी : Once again may I submit very politely. Sir, you please go through the words. Once again I repeat very politely. I mean what I say, with all sincerity,

(श्री सी. पी. जोशी)

humbleness. I want to bring to your notice, Sir, please go through the contents of the letter. It is very derogatory and I don't want to repeat this thing.

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं?

श्री सी. पी. जोशी : मैं यह चाहता हूं कि 273 में माननीय सदस्य यह बात कहें, 273 में उन्होंने मंत्री के ख़िलाफ जो बात लिखी है, मंत्री जवाब देंगे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप यह इन्फरेंस निकालना चाहते हैं कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स ने यह निर्णय लिया और मुख्य मंत्रीजी के कहने से हुआ है इसलिये मुख्य मंत्रीजी इसमें भागीदार हैं यह जो इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार है, वह 273 में नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे कलैक्टिव रैस्पान्सिलिटी रिफ्लैक्ट होती है। (व्यवधान) क्लैक्टिव रैस्पान्सिबिलिटी रिफ्लैक्शन का जो एलिगेशन है वह गलत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके मिनिस्टर ने निर्णय लिया या नहीं? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : I am a member of the Council of Ministers. It is a reflection on me also. I cannot give this liberty. If he has to, he has to give to me in writing. As a member of the Council of Ministers, it is my right. कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के आधार पर यह निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय में मैं भी भागीदार हूं। उस 273 का इन्क्लूड हो सकता है, मुझे भी नोटिस देना चाहिये। If he has taken the liberty of 273 including all the ministers, then notices will have to be served to every minister. Otherwise 273 is having very limited scope. It should be linked only with the minister concerned. इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, it will be a very wrong precedent, if you give this latitude to 273. interpretation.

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर, यह नीतिगत निर्णय हुआ, एक नीतिगत निर्णय हुआ और मंत्रिमण्डल... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले तो यह बताइये कि मंत्रिमण्डल में निर्णय हुआ कि नहीं? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, एक नीतिगत निर्णय हुआ। मंत्रिमण्डल के नीतिगत निर्णय को, कलैक्टिव विजडम को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि मंत्रिमण्डल की बैठक को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मुख्य मंत्रीजी प्रिसाइड करते हैं। मुख्य मंत्रीजी प्रिसाइड करते हैं, वहां पर खुलकर डेलिबरेशंस होते हैं, लोग अपनी राय वहां पर प्रकट करते हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता लंबे समय तक मुख्य मंत्री रहे हैं, मंत्रिमण्डल की बैठक होती है, कई प्रस्ताव आते हैं। बहुत से मंत्री कई दफे जब नीतिगत मामला होता है, मुख्य मंत्रीजी के समक्ष भेज देते हैं और मुख्य मंत्रीजी, इस मामले में ही नहीं कई अन्य मामलों में मुख्य मंत्री जी लिख देते हैं फाइल के ऊपर कि इसको मंत्रिमण्डल के समक्ष पेश किया जाए। जब मंत्रिमण्डल के समक्ष वह मामला प्रस्तुत होता है तो अगर कोई फाइनेंशल इम्प्लीकेशंस हैं तो वित्त मंत्री, वित्त विभाग की क्या राय है वह भी उसके ऊपर रिकार्ड होता है, फाइल के ऊपर नोट बनकर डिपार्टमैंट की तरफ से मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत होता है। अंदर की कार्यविधि से आपको अवगत करा रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे डेलिबरेशंस के बाद, प्रोस एंड कांस सारे देखने के बाद, पक्ष-विपक्ष दोनों की बातें सुनने के बाद एक आम सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। उस आम सहमति के निर्णय के ऊपर, आज दिन तक मंत्रिमण्डल के किसी निर्णय को या मंत्रिमण्डल की सब कमेटी के किसी निर्णय को, मेरा भी एक लंबा अनुभव है इस सदन के अंदर, मैं भी लंबे समय तक इस सदन के अंदर रहा हूं (व्यवधान) चूंकि एज ए स्टेट मिनिस्टर जब डिपार्टमैंट के सब्जेक्ट आते थे तो हमारे डिपार्टमैंट की बात होती थी तब हमको बुलाया जाता था, उप मंत्री की हैसियत से मंत्रिमण्डल की बैठक में नहीं बुलाया जाता है। अब एक निर्णय होने के बाद अगर इस तरह से यहां पर मंत्रिमण्डल के निर्णयों को चैलेंज किया जाने लगा जो आज दिन तक कभी नहीं हुआ है, आप नीतिगत आधार पर उसकी आलोचना कर सकते हैं। नीतिगत आधार पर आपने जो नीतिगत निर्णय लिया, वह गलत निर्णय है, मैं इस आधार पर आलोचना करता हूं। लेकिन उसके अन्दर मोटिव इम्प्यूट करना, जो इन्होंने 273 का नोटिस दिया है उसमें मोटिव इम्प्यूट करने की चेष्टा की गयी है, उसके अन्दर हमको सख्त एतराज है। आज मैंने यहां खड़े होकर कहा है कि हमारी नीति है, हम उस नीति को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस नीति के अन्तर्गत हम कार्य करेंगे। इसके ऊपर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि 273 के अन्दर क्या मंत्रिमण्डल के निर्णयों को यहां पर चुनौती दी जा सकती है या नहीं। यह निर्णय आपको यहां पर लेना पड़ेगा। इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है और उसमें मोटिव इम्प्यूट किया जाए यह कहां तक मुनासिब रहेगा, यह फैसला आसन को करना है, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि मंत्रिमण्डल के निर्णय के ऊपर

(श्री सी. पी. जोशी)

आर्थिक आधार पर आरोप लगाने की परम्परा यदि शुरू हो गयी तो यह केवल राजस्थान के मंत्रिमण्डल का सवाल नहीं है, डैमोक्रेसी में यह खतरा हो जाएगा कि जो भी कोई निर्णय होगा उसमें मोटिव लगा दिये जाएंगे कि यह निर्णय इन कारणों से लिये गये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि 273 का स्कोप, it is restricted to a person. उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य लगाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के निर्णय के ऊपर ये मोटिव लगाएं कि उन्होंने यह निर्णय इसलिये लिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह डैमोक्रेसी के लिये सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा। और इस टेंडेंसी को रोका जाना चाहिए। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 273 का इन्टरप्रिटेशन बिलकुल आप कन्सल्ट विद् 273 करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक मिनट का निवेदन है कि 273 की एम्बिट में यह नहीं आता है। मंत्रिमण्डल के सामूहिक निर्णय के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है जिसको यहां चैलेंज नहीं किया जा सकता है जिसके लिये यहां पर माननीय सदस्य... (व्यवधान) नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात को...

श्री उपाध्यक्ष : कह दी ना वह बात तो। उन्होंने यह कह दी ना यह बात। (व्यवधान) फिर आप क्या रिपीट कर रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं इस बात के लिये समर्थन करता हूं कि यही भावना रखी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रस्ताव है क्या जो समर्थन करते हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : समर्थन की बात यह है कि जब कोई गलत तौर पर बात कही जाती है तो उसके लिये यह कहा जाता है कि आपका कहना गलत है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : या तो आप कोई समय सीमा निर्धारित करें। कोई समय ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लोग 273 के एम्बिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। यह कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी रिफ्लैक्ट करता है। जिस तरीके से माननीय सदस्य हर रोज नई-नई बात कहेंगे, इससे मंत्रिमण्डल कोई निर्णय ले नहीं पाएगा। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जितने भी मेडिकल कालेज हैं... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पार्लियामैंट्री फार्म आफ डैमोक्रेसी है, इसमें कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से ही निर्णय लिये जाते हैं। आप पार्लियामैंट्री फार्म आफ डैमोक्रेसी के घोर विरोधी हैं तो आपको इस समय दूसरे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

तरह की व्यवस्था के लिये हामी रहना चाहिए और वह व्यवस्था अपनानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री शैलेन्द्र जोशी : लेकिन इसमें तो कलेक्टिव लीडरशिप ही आएगी और रेस्पांसिबिलिटी रिफलैक्ट होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जितने भी मेडिकल कालेजेज प्राइवेट सैक्टर में खोले गये हैं उन सबको...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह इश्यू नहीं है, इश्यू 273 पर है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, 273 पर ही आना चाहता हूं। इसमें सब लोगों को, जितने लोगों द्वारा मान्यता मांगी गयी सबको दी गयी और यहां पर यह भी वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की कि जो सुविधाएं दी गयी हैं वे सबको दी जाएंगी। तो जिस तरीके से 273 का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके बारे में मेरा एतराज है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दुरुपयोग क्या है, यह बताओ ना आप? दुरुपयोग क्या है, यह बताओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दुरुपयोग तो यह है कि जिस तरह से मोटिव इम्प्यूटर करना चाहते हैं, जिस तरह से सारे लोगों को बिना वजह एक तरीके से उलझन में डालना चाहते हैं यह ठीक नहीं है और न ही... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, let him finish.

श्री बुलाकीदास कल्ला : और सारे निर्णय जो किये गये हैं, वे जनहित में किये गये हैं। आज हम ब्रेन-ड्रेन करने वाले देश के नागरिक हैं। लेकिन राजस्थान में मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज की संख्या कम होने से यहां मैन पावर बहुत कम रह पाई है इसलिये इन डिसीजंस के होने से काफी बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। (व्यवधान) दुरुपयोग यह है कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जिस तरीके से 273 के माध्यम से पूरे मंत्रिमण्डल के निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। यह एक तरीके से गलत है और जो भी इन्होंने बातें गढ़कर कही हैं वे निराधार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ फरमा रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर एवरीथिंग इरप्ट हो जाएगी। (व्यवधान) एक मिनट, मैं पढ़कर सुना देता हूं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

"...that the applicant shall locate the proposed college in proximity of medical college and shall get an undertaking of the said medical college to the effect that the said medical college shall facilitate training in the students of the proposed dental college at the subject of medicine, surgery and allied medical sciences." कहने का अभिप्राय यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए हमने परमिशन दे दी। परमिशन दे दी, उस पर भी एतराज है। लेकिन परमिशन देने के बाद, जब तक क्लीयरेंस दिल्ली से डेंटल कौंसिल से या गवर्नमैंट से नहीं होगा तब तक उस पर कुछ नहीं होगा। आपका आरोप है कि इस संस्था को मेडिकल हास्पिटल से सम्बद्ध नहीं करना चाहिए था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही तो है, वही कह रहा हूं मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, वही आपका कहना है, वही आप कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही कह रहा हूं मैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब तो मिनिस्टर देंगे ना। आप क्या देंगे जवाब, आपका क्या जवाब है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, नो, मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, नीतिगत निर्णय यह है कि इसके अन्दर दिक्कत कहां है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट का जवाब शुरू हो गया क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिबेट नहीं और चालू हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल के फैसले के बारे में मंत्रिमण्डल के सदस्य खुद स्पष्ट नहीं हैं। वित्त मंत्रीजी ने बारबार यह बात सदन में कही है। यह तो आपके बजट भाषण में भी लिखा है कि राज्य में निजीकरण करके मेडिकल कालेज खोले जाएं, डेंटल कालेज खोले जाएं। यह तो फैसला है आपका। इस फैसले में किसको दिक्कत है? हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई सदस्य इस पर आपत्ति नहीं कर रहा है। यहां मसला, माननीय वित्त मंत्रीजी, समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ महाराजा विनायक डेंटल कालेज और ऐसे डेंटल कालेजेज को सरकारी अस्पताल विशेषकर सवाई मानसिंह अस्पताल से सम्बद्धता प्रदान करने का है। जो आप बारबार कह रहे हैं कि मेडिकल कौंसिल से, डेंटल कौंसिल से, गवर्नमैंट आफ इण्डिया से आएगी उनको रिकाग्निशन मिले, जो स्कीम सब्मिट हो और उनको रिकाग्निशन मिले और फर्जी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तरीके से रिकाग्निशन मिले, उसको फैसिलिटेट करने के लिये आपने अटैचमैंट किया। यही तो मेरा आरोप है। इसमें गलत क्या है? (व्यवधान) आप बताएं, फिर क्या बात है। यह क्या बात है? (व्यवधान)_

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो हमारी नीति है, इन परसुएंस आफ अवर पॉलिसी, उपाध्यक्ष महोदय_

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनका यह कहना है_ (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब उनको फैसिलिटी देंगे। जब तक इनको फ़ैसिलिटी नहीं मिलेगी, वे आगे बढ़ेंगे कैसे? (व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं मत दो, और आप कह रहे हैं दो। दो-ना, इसमें बहस क्या है? उनका मानना गलत है और आप सही मान रहे हो। सही है। बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल_ (व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह बात कह दीं कि इनका निर्णय गलत है। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, एतराज इस बात पर है कि इसके अन्दर हेराफेरी के आरोप लगा रहे हैं। आरोप सीधे सीधे लगाएं कि निर्णय गलत है, नीतिगत आधार के ऊपर बात कहें। किन्तु इन्होंने मंत्रिमण्डल के निर्णय के ऊपर कहा है कि इसके अन्दर हेराफेरी हो रही है या इसके अन्दर लेन-देन की बू आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहना सिर्फ यही है ना, माननीय सदस्य? (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये।

श्री जुगल काबरा : इसके ऊपर इस सदन को एतराज है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह संरक्षण चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल का जो भी फैसला होता है_

श्री उपाध्यक्ष : इसको कन्फ्यूज मत करिये। प्लीज, विराजिये।

श्री जुगल काबरा : उस फैसले को अगर इस तरह से चैलेंज किया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिये गलत परम्परा हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप संतोकबा दुर्लभजी से अटैचमैंट चाहते हैं, आप तीन बार कह चुके हैं कि संतोकबा दुर्लभजी से अटैचमैंट, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अटैचमैंट क्यों नहीं किया जाता?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसमें क्या गलत था कि जो अटैचमैंट नहीं किया जाना चाहिए

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

था, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से और हास्पिटल से? और वह क्या वजह है कि जिससे एस. डी. एम. एच. हास्पिटल से हो? आप तीन बार कह चुके हैं। आप अपनी मंशा दर्शा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय सदस्य, आपके सारे का अर्थ यह है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये, 5 मिनट..

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर मुझे आसन 5 मिनट का समय अनइन्टरप्ट दे दे..

श्री उपाध्यक्ष : बारबार ही आप 5-10 मिनट कह रहे हो, खतम तो कर ही नहीं रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह लगातार ही इन्टरप्शन हो रहा है। यह क्या बात हुई, लगातार कह रहे हैं। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी यह भावना है कि मैं जो चाहूं वह नहीं बोलूं तो मत बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, हम चाह रहे हैं कि जल्दी बोलो। हम चाह रहे हैं कि आप जैसा चाहो, जल्दी बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिलकुल नहीं चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, मुझे आपका प्रोटेक्शन क्यों नहीं देते हैं? Nobody will disturb me for five minutes. Let me speak.

श्री उपाध्यक्ष : आप उनका नाम लेते हैं इसलिये डिस्टर्ब होते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आब्जेक्शनल बात कहता हूं तो आपको अधिकार है कि आप मुझे टोकें, आप मेरे वर्ड्स को एक्सपंज कीजिए। मेरे लेजिस्लैटिव कैरियर में कभी कोई वर्ड एक्सपंज नहीं हुआ है। मैं कितना भी स्ट्रांग टोन में होऊं, मैं कभी गलत बात नहीं बोलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह डेफिशिएंट है डेंटल कालेज आप अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जो मैं लगातार कह रहा हूं उसको समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि एक नया हास्पिटल आप खोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यधिक विनम्रता से, with all humility at my command, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मंत्रिमण्डल के सदस्य इतने अनभिज्ञ हैं कि इनको पता नहीं है। कभी 300 बोलते हैं, कभी 100 बोल जाते हैं। 20 बैडेड हास्पिटल तो चाहिए डेंटल कालेज के लिये और 300 बैडेड हास्पिटल चाहिए मेडिकल कालेज के लिये।

(16.00 बजे)

आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, पढ़ लेना। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डेंटल कालेज की बात हो रही है, और दस परसेंट इन-पेशेंट चाहिए। यह सब रिक्वायरमैंट मैंने सदन के सामने पढ़कर सुनाये हैं। आपका यह डेफिशिएंट होने के बावजूद भी जो बारबार यह कह रहे हैं आप या तो यहां खड़े होकर कह दीजिए। अभी तक यह भी क्लीयर नहीं है कि यह फैसला अटैचमैंट का कैबिनेट का फैंसला है या नहीं है। अभी किसी मंत्री ने खड़े होकर नहीं कहा। वह फैसला आपका मंत्रिमण्डल का है, उसका वैलकम करते हैं, उसमें हमने कोई आपत्ति नहीं की कि राज्य के अन्दर निजीकरण किये जाएं, मेडिकल कालेजेज खोले जाएं, डेंटल कालेज खोले जाएं। मैंने तो, उपाध्यक्ष महोदय, हिसाब ही तो लगाया था और कहा क्या था? एक करोड़ रुपये एक डेंटल कालेज कमाएगा और 17 करोड़, उनमें दो-दो लाख सरकार के निकाल कर, फिगर्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। मैंने कुछ नहीं कहा इसमें। आप ही इसकी गणना कीजिए और इसमें थोड़ा-बहुत खर्चा और निकाल दीजिए तो 17 करोड़ में से करोड़-दो करोड़ निकाल दो तो 15 करोड़ तो हो ही गया। 15 करोड़ अकेले-अकेले मैनेजमैंट जीम जाए, इतना + + + मुख्य मंत्री की बिना मर्जी के खुल जाए डेण्टल कालेज, यह भी सम्भव नहीं है। 'टायरेनी आफ ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर' किताब के अन्दर पढ़ लेना, प्रायः पार्लियामैंट के अन्दर... (व्यवधान)...

श्री सी. पी. जोशी : क्या कहना चाहते हैं यहां?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब आप देखिये, यह गलत बात है। this is wrong.

श्री सी. पी. जोशी : This is the latitude क्या मतलब चाहते हैं आप? (व्यवधान) पहले आप रूलिंग दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : You cannot disturb me.

श्री सी. पी. जोशी : यह कोई सिस्टम ही नहीं है। (व्यवधान) ये कह दें और कोई नहीं कहे? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कालेज ही नहीं खुला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कब कहा?

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको मन में आये जो बोलने का मौका दे दिया जाए? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ये फैसिलीटीज सबके लिए हैं न कि केवल डेंटल कालेज के लिए हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनके आरोपों को हम... (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : राजस्थान में नये कालेज खुले हैं, डेंटल कालेज खुले हैं... (व्यवधान)...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 करोड़ तो... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन कोई परिकल्पनाओं के आधार पर थोड़े ही चलता है, फैक्ट्स के आधार पर चलता है।

श्री सी. पी. जोशी : वहां 4000... (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : स्टार्ट ही नहीं हुआ है और यह बहुत गलत बात है कि इस तरह का आरोप... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं हैं। ऐसे थोड़े ही होता है कोई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री जुगल काबरा : अनुचित आरोप लगाना किसी भी तरीके से... + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भारत में पहला डेण्टल कालेज नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोल और केरोसीन के भाव बढ़ाये भारत सरकार ने। भारत सरकार के मंत्री ने पैट्रोल और केरोसीन के भाव बढ़ाये, अगर उसका हिसाब-किताब लगाएं एक लीटर पर पैट्रोल का इतना भाव बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कितने पैसे हुए? इस तरह लोकतंत्र चलता है क्या? (व्यवधान) मन के लड्डू और मुंगेरी लाल के सपने ले सकते हैं वे, क्या करें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह वेग है, ऐसे मत कहो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या कहा मैंने?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी अनर्गल बात को सुनने के लिए हम कतई तैयार नहीं है, हर्गिज तैयार नहीं है, बिलकुल तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने क्या कहा?

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कहा कि 15 करोड़ रुपये वह कमाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां।

श्री उपाध्यक्ष : + + + जो रहेगा, यह बात गलत है। Don't say anything hypothetical. No, I will not allow.

डा. के. सी. चौधरी : एक्सपंज करो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक्सपंज करेंगे इसको। बिलकुल एक्सपंज करेंगे। It will be expunged. एक्सपंज करेंगे।

श्री जुगल काबरा : मुख्य मंत्रीजी के लिए यह बिलकुल ही गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : This I will not allow.

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी कालेज ही स्टार्ट नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाओ। मैं कर रहा हूं न। (व्यवधान) आप काहे पर कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : यह जो आरोप लगा रहे हैं बिलकुल गलत है। एक्सपंज करिये न (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका क्या आधार है What is your basis ? आप बिना बेसिस के, बिना कोई बात के आरोप लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दिया न। निकाल दिया, बस। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान में (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए बोले (व्यवधान) आप इनसे पूछें कि इनके बोलने का आधार क्या है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इनसे पूछें कि इनके बोलने का आधार क्या है, क्या इंफोरमेशन है, क्या क्लू है। (व्यवधान) हम इनकी बात सुनते रहे, हम यह बात सुनते रहे, हम आधारहीन बात सुनेंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका खतम होने दो न।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो इनको आधारहीन आरोप कैसे लगाने देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप खतम ही नहीं होने दे रहे हो उनका। आप बारबार उठ जाते हो, कहां से खतम होगा? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री बहुत भोले हैं, 15 करोड़ रुपये में नहीं होंगे। माननीय मालपुरा से आने वाले सदस्य, माननीय भैरोंसिहजी इसको कितने में करेंगे, यह बता दीजिए। आपको बहुत जानकारी है, सरकार इतने फैसलें करती हैं, 15 करोड़ रुपये में यह हुआ तो माननीय भैरोंसिहजी मुख्य मंत्री होते, ये भोले मुख्य मंत्री 15 करोड़ रुपये में ही कर रहे हैं, चतुर मुख्य मंत्री होते तो कितने में फैसला करते, यह भी बता दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कोई ताल्लुक नहीं है आज की तारीख में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय जोशीजी।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आपने खुद ने कितना खाया, यह बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, वेग एलीगेशन नहीं लगाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं लगाये हैं, इन्होंने लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : It is absolutely vague.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो साफ हो गयी न_ (व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : क्या साफ हो गयी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : _कि मंत्रिमण्डल के सदस्य यह कहते हैं कि मैं यह कहूं कि साढ़े आठ करोड़ रुपये राजेन्द्र चौधरी खा गया तो लगा सकता हूं मैं आरोप।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां कहा? यह कहां कहा उन्होंने?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, कहा है इन्होंने। लगातार कहा है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : This is your apprehension. शैलेन्द्रजी जोशी। (व्यवधान) आप इस तरह की बातें इस सदन में नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आरोप नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते आप। We will not allow you. We will not allow you. हम नहीं लगाते। काहे पर लगा रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने कहा है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने क्या, हम कह रहे हैं कि +++ बोलिए आप हम आपके ऊपर आरोप लगाएं तो बोलेंगे क्या? (व्यवधान) हम कहते हैं कि आपने_ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह असैम्बली की प्रोसीडिंग्स निकलवाइये।

श्री महेश जोशी : +++ (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : एस. एम. एस. की जगह संतोकबा दुर्लभजी को_ (व्यवधान) हम यह आरोप लगाएं आप पर, यह आरोप ठीक है क्या? आप क्या बात करना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : हम यह आरोप लगाते हैं आप पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। जब तक you don't have any correct information, पर्सनल एलीगेशन मत लगाइये। I will not allow it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के बारे में कोई आरोप लगा सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : 273.

श्री उपाध्यक्ष : 273 में आरोप लगा सकते हैं।

श्री जुगल काबरा : वह केवल इन्होंने 273 का_ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोसीडिंग पढ़िये। प्रोसीडिंग पढ़िये।

श्री जुगल काबरा : 273 के बारे में ही उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह नहीं कहा कि आप कह दो कि 15 करोड़ रुपये खा गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं कहा।

श्री जुगल काबरा : शिक्षा मंत्रीजी ने नहीं कहा है कि इस मुद्दे के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काबराजी, प्लीज विराजिए। इन्होंने यह नहीं कहा, इन्होंने यह कहा है... (व्यवधान) इन्होंने यह थोड़े ही कहा है कि 15 करोड़ का इन पर एलीगेशन लगा दो? यह थोड़े ही कहा है? यह बात कहां कही है इन्होंने?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो आरोप यह लगाऊंगा मैं कि ये गोविन्द देवजी के मंदिर जाते हैं शाम को? यह आरोप लगाऊंगा क्या कि ये गोविन्द देवजी जाते हैं शाम को?

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास जो तथ्यात्मक आरोप हो वह लगाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आरोप के फैक्ट्स भी दे रहा हूं मैं। फैक्ट्स भी दे रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां तो फैक्ट्स पर ही कहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने यह बात कही कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ आरोप मैं इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने उसमें मंत्रिमण्डल के निर्णय का हवाला दिया है। आपत्ति तो यही थी न, उपाध्यक्ष महोदय? आप प्रोसीडिंग्स चैक कर लीजिए, मैं आपसे कोई असत्य बात निवेदन नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, या यूं आ जाइये, 15 करोड़ के अन्दर आधा मान लीजिए, साढ़े आठ, गिनने तो कोई मैं गया नहीं, पांच करोड़, छह करोड़ अब... (व्यवधान)...

श्री सी. पी. जोशी : यह आर. डी. शर्मा का मामला नहीं है। (व्यवधान) आप नहीं कहें और बी. जे. पी. को कह लें, यह आर. डी. शर्मा का मामला नहीं है। जब आर. डी. शर्मा का मामला था, बी. जे. पी. (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं और हम सुनते रहेंगे?

श्री जुगल काबरा : ये सारहीन बातों से सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कयासों के आधार पर यहां पर कोई अनुमति नहीं दी जाए। माननीय सदस्य मात्र कयासों के आधार पर यह कहना चाहते हैं, इसकी अनुमति नहीं दी जाए। आपके पास कोई सब्स्टेंटिव या कांक्रीट बात है? आप केवल कयासों के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आधार पर बात बोलना चाहते हैं तो कोई मखौल हो रहा है? यह हाउस है, कयासों के आधार पर... (व्यवधान)...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : मन में आये जो आरोप आप मंडित कर लें और हम सुनते रहें? (व्यवधान) वेग आरोप, तथ्यहीन आरोप हम इस तरह नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि गणना कर रहे हैं इसका आधार क्या है? किस आधार पर कहना चाहते हैं यह? गणना जो कर रहे हैं, गणित जो लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है और किस के खिलाफ चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आधार जो डेंटल कालेज कमाएगा, वह आधार है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर हिम्मत हो तो आप चार्ज लगाइये और आप गणित के आधार पर... (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : राज्य सभा के चुनावों में विधायकों की खरीद-फरोख्त में कौन लिप्त था, आपको खुद को मालूम है। क्या बोलेगे ये? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आधार जो डेंटल कालेज कमाएगा, वह आधार है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह कमाएगा, वह बात आप छोड़िये। (व्यवधान) क्या यह नहीं है कि इसको सम्बद्धता प्रदान की? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे भारत में डेंटल कालेज चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। राजेन्द्रजी राठौड़, आप शुरू कीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनके कयास के कारण... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बात खतम हुई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनके असत्य कयासों के कारण डेंटल कालेज नहीं खोलें, इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोलें, मेडिकल कॉलेज नहीं खोलें? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र राठौड़, आपका नम्बर है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर माननीय सदस्य कयास है तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी राठौड़, आप बोलिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको पार्टी से निकाल दिया गया और टिकट नहीं दिया गया इसलिए यह ईर्ष्यावश... (व्यवधान) भावना से पीड़ित होकर कह रहे हैं। इनको पार्टी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

से निकाल दिया गया, हमारी पार्टी में रहने नहीं दिया गया। निकाल दिया गया, यह सब जानते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not repeat anything.

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नो नो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनकी हरकतों के कारण इनको पार्टी से निकाल दिया गया इसलिए प्रिजुडिस और मैलाफाइड होकर कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not repeat anything.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नो नो।

श्री शैलेन्द्र जोशी :.. malafide and prejudiced.

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. यह खतम हो गया। आप कहते रहे और मैंने मौका दे दिया। एक मिनट।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको पीड़ा है पार्टी से निकाले जाने की, इनको टिकट नहीं मिलने की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? आप विराजिये। बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me finish. I will not repeat.

श्री उपाध्यक्ष : You have finished. You will never finish.

डा. के. सी. चौधरी : आपको मालूम तो है न कि आप क्या बोल रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : इनको बैठाइये, साहब, पहले।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज, let him speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : You please sit down now. I have called upon the minister, Let him reply.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me finish properly. Let me sum up.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप प्लीज बैठिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप विराजिए, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह आरोप इसलिए लगा रहा था.. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई सदन का मखौल नहीं है कि आप वेग आरोप लगाये जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I have called upon the minister, please let him speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गया आपका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, ऐसे कैसे खतम हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, सिट डाउन। आप तो बैठो। इनको समझाओ न। आपके जवाब दे रहे हैं, डिमांड पर नहीं दे रहे हैं। नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान) राठौड़ साहब, इतनी देर से सुन रहा हूं, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : सारी व्यवस्था आपकी ही चलेगी, इनकी तो चलेगी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो उनके पास सूचनाएं थीं उसके आधार पर खड़े होकर अपनी बात कही। डेंटल कौंसिल आफ इंडिया की जो एक टीम आयी थी, डेंटल विंग का जिसने इंस्पैक्शन किया था इसमें उन्होंने कुछ कमियों के बारे में बताया था। उसके आधार पर ये कहना चाहते हैं कि यह सम्बद्धता विनायक डेंटल कालेज की उसके साथ कैसे की, जब वहां पर कमी है पहले से। आपका मतलब यह है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि नीतिगत निर्णय तो हमारी सरकार ने भी लिया और इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने भी यह नीतिगत निर्णय ले लिया था। जहां तक विनायक डेंटल कालेज खोलने की बात है, इसकी परमिशन अक्टूबर, 1998 में पूर्ववर्ती सरकार ने इसको दे दी थी। अब इसमें जो सम्बद्धता की बात है इसके बारे में यह जो कल्पना की जा रही है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से सारे सदन को और राज्य की जनता को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें सच्चाई क्या है। इतनी बात हो गयी, क्योंकि ये बातें भी सब आएंगी तो सच्चाई का जो वर्जन है वह भी आना चाहिए। मैं एज ए मिनिस्टर यह बात कहना चाहूंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया के जो रेगुलेशन हैं, रेगुलेशन-9 में यह प्रावधान है कि कोई भी निजी क्षेत्र का डेंटल कालेज आना चाहता है तो अपना प्रार्थना-पत्र वह दे। मेडिकल कालेज से उसकी सम्बद्धता का प्रार्थना-पत्र

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उसके साथ होना चाहिए, तभी वह एप्लाई कर सकता है। राज्य में निजी क्षेत्र में कोई मेडिकल कालेज आज की तारीख में नहीं है। नम्बर-दो, क्लॉज-9 में यह प्रोविजन है कि यदि मेडिकल कालेज नहीं है तो 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी 100 बैडेड हास्पिटल होगा, उससे उसकी सम्बद्धता होनी चाहिए। यह पहली शर्त है एप्लाई करने की। स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से जो नीति बनायी है अशोक गहलोतजी की सरकार ने, उसमें हम यह चाहते थे कि आज हमारा जो स्टूडेंट बाहर जा रहा है उसको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सारा पैसा खर्च होता है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इसको महसूस किया था, हमने भी इसको महसूस किया था। उसके आधार पर आज एक बहुत ही लो-इनकम ग्रुप के स्टूडेंट को भी मैरिट के आधार पर यहां पर एडमिशन मिल सकेगा यदि यहां पर डेंटल मेडिकल कालेज खोलते हैं तो। उस नीति के अन्तर्गत, उस प्रावधान के अन्तर्गत डी.सी.आई. का जो प्रावधान है उसके अनुसार हमने उसमें सम्बद्धता दी। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सम्बद्धता के साथ में हमने जो आर्डर जारी किया है हमारे देश के अंदर दूसरे राज्य पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, दूसरे राज्य भी हैं वहां पर भी निजी क्षेत्र में ये कालेजेज खुल रहे हैं। हमने इसमें यह कहा है, इसमें यह कहीं नहीं है, यह जो शुरू होंगे तो अब डी.सी.आई. की टीम यहां पर आएगी। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जिस बात की तरफ चिन्ता कर रहे हैं, मैं उनकी चिन्ता को दूर करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I know everything.

श्री उपाध्यक्ष : If you know everything then let him not speak.

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे तो अभी डिप्टी स्पीकर साहब ने कॉल किया है, इसलिए बोला हूं। जब डी. सी. आई. की टीम आएगी वह टीम देखेगी कि यहां पर विनायक के पास में डेंटल हास्पिटल है कि नहीं, उसके पास में फैसिलिटी है कि नहीं। यह रेस्पांसिबिलिटी डी.सी.आई. की है। स्टेट गवर्नमैंट का यह जिम्मा नहीं है कि उसमें फैसिलिटी वह प्रोवाइड करे। मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, जिस कमी की बात की तरफ इन्होंने इशारा किया है, वह बात ठीक है। जो इंस्पैक्शन हुआ था, 1995 में, उसके बाद में हमने वापस रिपोर्ट भेज दी है डी.सी. आई. को कि हमने इन चीजों को पूरा किया है। इस बात की रिपोर्ट भेज दी है तो डि-रिकाग्नाइज हमारा डेंटल कालेज नहीं हुआ है। जो राजस्थान में डेंटल कालेज चल रहा है उसमें हर साल स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। इसलिए यह भ्रांति भी दूर होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि जिस समय

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

वह टीम आएगी और वह इंस्पैक्शन करेगी, यदि विनायक डेंटल कॉलेज के पास बिल्डिंग नहीं है, हास्पिटल नहीं है तो वह अपने आप उसको मान्यता नहीं देगी। यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, चैक करने के बाद में वह देगी। हमने केवल इस नीति के अन्तर्गत, चूंकि उसमें प्रावधान था, वह एप्लाई नहीं कर सकती निजी क्षेत्र में। उपाध्यक्ष महोदय, यदि डी.सी.आई. के रैगुलेशन को मानना हमारे लिए बाध्यता है, हमारे राज्य में कोई निजी मेडिकल कालेज नहीं है उससे सम्बद्धता हमने की है और इसके लिए आपको उद्देश्य यह देखना चाहिए कि क्या हम वास्तव में राज्य के नौजवानों के वैलफेयर के लिए सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है कि नहीं सोच रही है। तो आज इस नीति के अन्तर्गत हमने सोचकर यह किया। अब इसमें यह सोचना, काल्पनिक बातें सोचना कि इसमें इतना पैसा वह कमाएगा, इतना पैसा वह कमाएगा, ये जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के आधार पर एक इस तरह का आरोप बिल्ड करने की कोशिश करना या उसका एटमोस्फियर क्रिएट करना, क्या इस तरह का एटमोस्फियर राज्य के नौजवानों के हित में है?

मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, आज हमने यह कोशिश की, राज्य के अंदर हमने ईवनिंग कालेजेज को भी मान्यता दी जो दो जयपुर में चल रहे हैं। एक सीकर में निजी क्षेत्र में चल रहा है और उसमें 40 प्रतिशत ज्यादा नामांकन हुए हैं। इसके अंदर मैरिट का जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला आपने दिया, बिलकुल ठीक है कि आप इस बात को जानते हैं कि एडमिशन उस कैटेगीरी के अनुसार ही हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। इस नोटिस में यह कहा गया कि करोड़ों रुपये वसूल किये जाएंगे। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें डी.सी.आई. फीस के लिए रिकमण्ड करेगी, गवर्नमेंट आफ इंडिया उस फीस को लागू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट का उस फीस से कोई संबंध नहीं है। यहां वसूलने की कोई बात नहीं है। उसमें भी फीस शीट और पेमेंट शीट का अलग-अलग प्रावधान रखा हुआ है। फैसला साफ है जो आपने भी फरमाया है तो इसमें कहां घपला है, किस तरह की बात है? इस तरह से यह बात कहकर ये हमारा पवित्र सदन है, हम एक-दूसरे को सब जानते हैं। हमारे अच्छे संबंध हैं आपस के अंदर, इस तरह की भावना को समझने की जरूरत है। क्या अशोक गहलोत की सरकार ने यह जो निर्णय लिया है, यह राज्य के नौजवानों के हित में नहीं लिया है? इसमें सोचने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, सम्बद्धता से इनको एतराज है। हमने यहां पर 10 हजार रुपये पर स्टूडेंट फीस की बात

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

कही। पंजाब के अंदर भी एफिलिएशन होता है, उत्तर प्रदेश में भी है। वहां पर वह कोई चार्जेज नहीं लेते एफिलिएशन के। वे चाहते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन आएं और हमारे यहां पर हमारे नौजवान पढ़े। वहां पर ऐसा नहीं है। फिर भी उनसे चार्जेज लेने की हमने हमारी तरफ से कोशिश की है। जितनी भी इनके दिमाग में शंकाएं हैं कि वहां पर वह है नहीं और वह कैसे होगा, यह काम जब डेंटल कौंसिल आफ इंडिया की टीम आएगी यहां इंस्पैक्शन करने के लिए तो वह परमिशन देगी या नहीं देगी, यह तो उनके सोचने की बात है। इसके लिए पिछले डेढ़ घंटे से इतनी सदन के अंदर चर्चा चल रही है। मैं एक एक शब्द को बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं थोड़ा-सा व्यथित हुआ। मैं व्यथित इसलिए हुआ कि कुछ राजनीतिक हमारे विरोधी भी हो सकते हैं, किसी बात को लेकर हमारे कोई मतभेद भी हो सकते हैं पर मैं निजी तौर पर यह सारा सदन जानता है कि सबका आदर करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। पर इसमें 15 का आधा हो गया या साढ़े आठ करोड़ इस तरह की बात कहना, यह कोई मजाक नहीं है। मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी अनुरोध करता हूं, वे मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इस तरह की बात करके किसी भी हितों को अपना पूरा करना चाहें, यह किसी भी रूप से न तो हमारे लिए ठीक है, न इस सदन के लिए ठीक है और न इस राज्य के लिए ठीक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। अब कोई इश्यू रहा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। हो गयी बात बस। आप बिराजें प्लीज श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? उपाध्यक्ष महोदय, सम्बद्धता का इससे सवाल है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट थोड़े ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिबेट ही है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, आप अपनी डिमाण्ड पर बोले हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिप्लाई के वक्त... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रिप्लाई तो अभी और आएगी, बाकी है। रिप्लाई के वक्त आप पूछ लेना। मंत्रीजी का रिप्लाई नहीं है यह, This is a clarification towards your statement. मंत्रीजी का रिप्लाई आएगा तब आप क्वेश्चन कर लेना। आई अलाउ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि एम. सी. आई. और डी. सी. आई. के अन्दर प्रावधान है कि कोई भी मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज आएगा उसके साथ एक अटैच हास्पिटल होना आवश्यक है। उसके साथ जो डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया ने निश्चित मापदंड तय कर रखे हैं उन मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। वे मापदंड पूरे होंगे, उसके साथ इस क्षेत्र में मेडिकल कालेज खुलेगा, उस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मुहैया होगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अलवर में, सीकर में, गंगानगर में आपने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये, एन. ओ. सी. दी है। वहां भी लोग मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज खोलना चाहते हैं। जिस तरह विनायक डेंटल कालेज के मामले में आपने सम्बद्धता के लिए अधिकृत किया है, सभापति महोदय, वहां भी विभाग वाले उस डेंटल कालेज के लिए जो सीकर में, अलवर में और गंगानगर में खुलेगा, नर्सिंग कालेज खुलेगा, यह अनुमति दे रहे है कि वहां के जनरल हास्पिटल को अटैच हास्पिटल मान लिया जाए। यह आपने सही कहा कि एम. सी. आई., डी. सी. आई. की गाइड लाइन है उस गाइड लाइन में आपको जो अपनी तरफ से फार्म देना है उस एप्लीकेशन फार्म को ही तब एक्सैप्ट करेंगे जब आप यह प्रमाण पत्र साथ में देंगे कि उसके साथ 100 बैडेड हास्पिटल है, लाइब्रेरी है, एडीक्वेट स्टाफ है,उपकरण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस तरह के डाक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हैं? सभापति महोदय, आज राजस्थान के जितने भी मेडिकल कालेज हैं उनसे निकले हुए चिकित्सकों का एक स्थान है। परन्तु एक चिकित्सक जो अलवर के एक प्राइवेट डेंटल कालेज में पढ़ेगा, वह जाकर प्रैक्टिकल शिक्षा लेगा, प्रायोगिक शिक्षा लेगा, मंत्रीजी, अलवर के हास्पिटल के अन्दर जहां डेंटल यूनिट के नाम पर एक कुर्सी है, आप किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं? मंत्रिमण्डल ने नीतिगत निर्णय निश्चित तौर पर निजीकरण का ले लिया, इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु यह निर्णय मंत्रिमण्डल कभी नहीं ले सकता कि गवर्नमैंट हास्पिटल को अटैच हास्पिटल मान लिया जाए। इस पर आप विचार करें।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सदस्य, इस काम को डी. सी. आई. भी देखेगी या नहीं देखेगी? या अकेली गवर्नमैंट का ही काम है? वो भी मान्यता देती है तब जाकर यह होता है। इसका थोड़ा-बहुत मुझे भी मालूम है। एम.सी.आई. और डी.सी.आई. के... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मानता हूं आप ज्ञानवान आदमी हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, ज्ञान है, इसमें क्या बात है?

श्री सभापति : आप विराजें जो ठीक रहेगा। आप विराजें। (व्यवधान) पहले इनको कहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उनको परमिशन मिल जाएगी, यह कोई स्टेट का अकेले का वो नहीं है, यह उनका भी आउटलुक है।

श्री सभापति : माननीय दायमाजी, आप इनको बोलने दीजिये, अपने समय में आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं एक खतरे से आपको और आगाह करना चाहता हूं। आप उदयपुर पधारे थे, वहां के एक नर्सिंग कालेज के शिलान्यास या उद्‌घाटन का कोई अवसर था। मान्यता मिली नहीं, नर्सिंग कौंसिल ने अभी इंस्पैक्शन किया नहीं और प्रवेश हो गये। इसी तरह गंगानगर में चले जाएं, आपने सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आड़ में बिना डी. सी. आई. एम. सी. आई. के इंस्पैक्शन के, बिना मान्यता के जो प्रदेश के अन्दर पिछले दरवाजे से प्रवेश लिये जा रहे हैं, उनमें कितनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टचार हो रहा है, इस खतरे से भी मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित तौर पर एम. सी. आई. इंस्पैक्शन करेगी, डी. सी. आई. इंस्पैक्शन करेगी परन्तु एम. सी. आई. डी. सी. आई. इंस्पैक्शन करे उसके लिए जो प्रीरिक्विजिट आवश्यकताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी फार्म देने के साथ हैं उनको पूरा करने के लिए आप जिस एस. एम. एस. की यहां अटैच करने की बात कर रहे हो, आप गंगानगर में जनरल हास्पिटल को अटैच करने की बात कह रहे हो, आप यह सुविधा क्यों मुहैया कराना चाहते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज खोलना है तो उसके साथ बेस हास्पिटल जो एम. सी. आई., डी. सी. आई. की गाइड लाइन है, वह बेस हास्पिटल बनाओ। वहां के लोगों को इससे बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

मंत्री महोदय, इसके साथ आपने एक फैसला और कर लिया। फैसला यह कर लिया कि अब अस्पताल में जो उपकरण लगेंगे वे भी निजी क्षेत्र में लगेंगे। निश्चित तौर पर संसाधन सीमित हैं परन्तु आपने कभी यह भी सोचा कि जिन मेडिकल हास्पिटल के अन्दर निजी क्षेत्र के उपकरण आ रहे हैं ये मेडिकल कालेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं? यहां मशीन से विद्यार्थी सीखता है, यहां मशीन से विद्यार्थी सीखने के साथ-साथ उस रोग के निदान के ऊपर अपने सीनियर से गाइड लाइन लेता है। अब आप नयी जो मशीन खरीदेंगे वह निजी क्षेत्र के लोगों को हास्पिटल के अन्दर एक बना बनाया बाजार दे रहे हैं, अमूल्य जमीन दे रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, आप एक बात बताएं, मशीन लग गयी, मशीन लगने के बाद जो निजी क्षेत्र का व्यक्ति, जो संस्था मशीन लगाएगी वे कहेंगे कि उस मशीन का संचालन भी हमारा व्यक्ति करेगा। डाक्टर कहेगा कि इसका प्रोसीजर मैं करूंगा इसको रेडियो थेरेपी देनी है या इसकी सी. टी. स्कैन करनी है या कलर डोप्लर से इसकी बीमारी को देखना है, या हार्ट लंग्स मशीन का यूज करना है। जो डाक्टर उस मरीज को ट्रीट कर रहा है वह कहेगा इस मशीन का संचालन मैं करूंगा, प्रोसीजर मैं करूंगा। उसका टैक्नीशियन कहेगा, नहीं, यह मशीन निजी क्षेत्र में है, आप तो निश्चित फीस दे ते जाओ, हम करेंगे। यह इस तरह का विरोधाभास हो जाएगा, इसके बारे में आप सोचें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कंसैप्ट उस वक्त था जब मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी का कंसैप्ट नहीं आया था। आज, मंत्रीजी, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि अकेले एस. एम. एस. में लाइफ लाइन ड्रग स्टोर और मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, इन दोनों से चार करोड़ से ज्यादा की आय होती है। जब से मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी का कंसैप्ट आया है, आप के कुछ साथियों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। आपके कार्मिक मंत्रीजी बीकानेर में धरने पर बैठ गये थे। आपके बड़े स्टेटमैंट आये थे कि मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिकित्सालयों पर शुल्क लाद दिया। परन्तु आज मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के कारण आपके हास्पिटल की माली हालत सुधर गयी। आप के हास्पिटल में रि-एजेंट्स, केमिकल एजेंट और सारी चीजें तो उपलब्ध नहीं हुआ करती थीं, आपकी लैब चला नहीं करती थी, मशीनों को मेंटिनेंस नहीं हुआ करती थी, वह सारी होने लग गयी। पिछले तीन वर्षों में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक-दो नहीं, दस करोड़ से ज्यादा के उपकरण आये हैं। अब आपके सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में लगी हुई सी. टी. स्कैन अगर एक वर्ष में डेढ़ करोड़ से ज्यादा रुपया कमा ले तो कहां आवश्यकता आ पड़ी है कि आप निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करें और निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित कर अमूल्य जमीन दें। आपको मालूम होगा, मंत्री महोदय, संतोकबा दुर्लभजी में पिछले कुछ समय पहले एक दवाई की दुकान नीलाम हुई थी। सिर्फ दवाई की दुकान की उस जमीन को 60 लाख रुपये में नीलाम किया गया तो आपके हास्पिटल के अन्दर एक-एक इंच भूमि की अथाह कीमत है। इसके साथ-साथ आपके दिमाग में यह बात भी आनी चाहिए कि ये सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं, मेडिकल कालेज से जुड़े हुए हास्पिटल हैं, ये शिक्षण संस्थान हैं। और अब आपके पास मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी भी है इसलिए कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आवश्यकता नहीं है। आपकी इस मेडिकयर रिलीफ सोसाइटी ने कलर डोप्लर खरीदा, वेंटिलेटर खरीदा, हार्ट लंग्स मशीन खरीदी, कितने-कितने मैं गिनाऊं। परन्तु कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिनेस रिटर्न नहीं मिलता। अब आप निजीकरण के अन्दर मशीन लगाने की स्वीकृति दे रहे हैं, उस मशीन को कौन लगाएंगे? यदा-कदा हार्ट लाइन मशीन उसी वक्त काम में आऐगी जब आपरेशन होता है। बाई-पास इतनी बड़ी संख्या में होते ही नहीं हैं। कौन लगाऐगा वह डेढ़ करोड़ रुपये की मशीन? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है वह बहुत त्रुटिपूर्ण है, आपको पुनः खुले मन से विचार करना चाहिए। यह विषय इस तरह का विषय है जो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है।

अभी मुख्य मंत्रीजी बात कर रहे थे, वे मानव संसाधनों के विकास के साथ प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। मंत्रीजी, हमारे स्वास्थ्य के मापदण्ड जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक मानव संसाधनों को हम आगे बढ़ाने की बात चाहे कर लें, सारी चीजें स्वास्थ्य के मापदण्ड से जुड़ी हुई हैं। जब देश के पैमाने पर स्वास्थ्य के मापदण्डों की चर्चा होती है तब राजस्थान को बीमारू श्रेणी के प्रदेशों में गिना जाता है। यह बात मेरे समय में भी थी, यह बात आज भी है। आज राजस्थान के अन्दर शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। यहां जन्म दर में एक तरह से प्रतिस्पर्धा में कभी पहले और कभी दूसरे नम्बर पर रहते हैं। मातृ मृत्यु दर ज्यादा है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि अन्धता से ग्रसित लोग एशिया के अन्दर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा और हिन्दुस्तान के अन्दर जो लोग आंखों से जमाना नहीं देख सकें, राजस्थान में सबसे ज्यादा। क्षय रोगियों की संख्या, मंत्री महोदय, पिछली बार आपने जब बजट की रिप्लाई दी थी तब आप बोले थे, वह मैं लेकर आया हूं। आपने खुद ने माना है कि सात लाख रोगी राजस्थान की धरती पर क्षय रोग से पीड़ित हैं और प्रति वर्ष तीस हजार व्यक्ति काल कवलित हो जाते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब हम इस सदन के अन्दर आए, कुछ बातें हम कहें और कुछ बातें आप सुनें, हम इन्हेरेंट वीकनैसेस की बातें नहीं करें। पूरे सिस्टम में कहां-कहां कमी है, किस तरह से पूरे सेवा के क्षेत्र के साथ समाज को जोड़ते चलें, इस पर चर्चा नहीं करें तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा।

अब मैं आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य के मापदण्डों के बारे में बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, सन् 2000 में 'सबको स्वास्थ्य', विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लक्ष्य निर्धारित किए बड़े जोर-शोर से। हिन्दुस्तान की सरकार और राजस्थान की सरकार जब हमारी सरकार थी, हमने उस लक्ष्य को गौण मानकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बढ़ना प्रारम्भ किया। सभापति महोदय, अभी नयी जनसंख्या नीति जो भारत सरकार ने जारी की है, इस जनसंख्या नीति के अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित किए और जो सन् 2000 में पूरे करने थे, 2011 में पूरा करने के लिए हमने उन्हीं लक्ष्यों को निर्धारित किया है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर आज की तारीख में जन्म दर हैं 31.3 और 1991 में यह थी 34.3 हम लोगों ने कोशिश की परन्तु लक्ष्य हमें प्राप्त करना था 21 प्रति हजार। बहुत दूर खड़े हैं इस लक्ष्य से। शिशु मृत्यु दर है 83 प्रति हजार और जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना था वह है 60, 1991 में। आप यह कहेंगे कि आपके समय भी थे। 1991 में 94 थी। हमने लगभग 11 प्रति हजार शिशु मृत्यु दर को कम किया है लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर खड़े हैं। मातृ मृत्यु दर 677 और हमने लक्ष्य रखा था सन् 2000 तक 200 का। दम्पती संरक्षण दर 36.4 है राजस्थान के अन्दर और लक्ष्य निर्धारित था 60। टी. एफ. आर. में 4.5, लक्ष्य था एक। मातृ मृत्यु दर 2.4 और लक्ष्य था 1.2 मंत्री महोदय, जिस चीज की चर्चा यहां कई माननीय सदस्यों ने की, बहुत अच्छी सरकार की बात की और यह कहा कि सरकार ने कार्ड वितरित करके गरीब के आंसू पोंछने का काम किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित तौर पर पिछली बार जब आप बजट का रिप्लाई दे रहे थे तब आपने इस बात की चर्चा की थीं कि राजस्थान में वे व्यक्ति जिन्होंने जमाना नहीं देखा अपनी आंखों से उनकी संख्या बढ़ी है, शायद नौ लाख को पार कर रही है। कुष्ठ रोगियों की संख्या कुछ ज्यादा है, क्षय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा है। शायद इसी कारण आपने कार्ड वितरण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। आपने अभियान चलाया था 15 मार्च से 15 अप्रैल। अभियान चलाकर आपने तय किया कि अन्धता से ग्रसित व्यक्ति की पहचान करेंगे चिन्हित करेंगे और हरा कार्ड देंगे। क्षय रोगियों से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान करेंगे और लाल कार्ड देंगे और कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको पीला कार्ड देंगे। यह कार्ड लेकर जो नजदीक का चिकित्सालय है, वहां वह आएगा और उसको चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको तकलीफ यह है कि आप केसरिया कार्ड दिलवाना चाहते हैं। वह नहीं देंगे हम।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : आपने कभी अस्पतालों की सुध ही नहीं ली, हमारी सरकार ने कार्ड दिए तो सही इसलिए आप धन्यवाद दो हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को, आखिर इन्होंने शुरूआत तो की। (व्यवधान) इससे साफ जाहिर है कि आपने जो भट्टा बैठाया है वह किसी ने नहीं बैठाया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एक प्रोजैक्ट आया था राजस्थान में अन्धता निवारण के लिए कैटरेक्ट ब्लाइण्डनैस प्रोजैक्ट। 1994 में हमारी सरकार के समय में आया 65 करोड़ का प्रोजैक्ट कि राजस्थान में अन्धता का प्रतिशत 2.4 है जिसे सन् 2000 तक मात्र 0.3 लाने की थी। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, प्रत्येक जिले में अन्धता निवारण समिति बनी थी। अन्धता निवारण समिति बनाकर हमने लक्ष्य रखा कि प्रत्येक पंचायत समिति में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम तीन कैम्प एक साल में जरूर लग जाएं। सभापि महोदय, अब इन्होंने कितने लक्ष्य प्राप्त किए, मैं इसके बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं। यह आप ही का दिया हुआ प्रगति प्रतिवेदन है जिसमें आपने उल्लेख किया है। सन् 1997-98 नेत्र आपरेशन हेतु लक्ष्य रखा था एक लाख 79 हजार 200 और आपरेशन किए गये थे 01 लाख 57 हजार 242 कैम्प लगे थे 1387. सभापति महोदय, जब हम शासन से अलग हुए तब तक यह सारा कार्यक्रम गति पकड़ चुका था। 1998-99 में लक्ष्य रखा हमने कि 01 लाख 97 हजार 200 आपरेशन करेंगे और कैम्प के माध्यम से करेंगे। हमने आपरेशन किए 01 लाख 76 हजार 295 और कैम्प लगाये 1648। अब यह कार्ड बांटने वाली सरकार क्या कर रही है? 1999-2000, मंत्री महोदय, लक्ष्य रखा 01 लाख 94 हजार और आपरेशन आपने किए 81653 और कैम्प लगाये 670। हमने कार्ड नहीं बांटे, हमारे समय में आपरेशंस ज्यादा हुए। आप कार्ड बांटकर क्या करना चाहते हैं राजस्थान के लोगों के साथ, जो अपनी आंखों से जमाना देखने को तरस रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं एक और निवेदन करूं, आप किसी से भी जानकारी कर लें। ये आपरेशंस हुए कैम्पों के माध्यम से, आपके सरकारी चिकित्सालयों में कितने आपरेशंस हुए हैं, इसके बारे में मालूम कर लें। विश्व बैंक का पैसा, स्वयं सेवी संस्थाओं में हम सहायता देते परन्तु आपकी इच्छाशक्ति कोरी वाहवाही लूटने की थी। आपकी इच्छाशक्ति काम करने की होती तो शायद इस प्रोग्राम का यह हश्र नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने क्षय रोगियों की खोज करने का अभियान चलाया लाल कार्ड देकर। यह निश्चित तौर पर गरीब का रोग है। आप भी उस क्षेत्र से आते हैं। गांवों में चले जाएं, गांवों की चौपाल पर कोई न कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति आज टी. बी. से ग्रसित मिलेगा। आज यही कारण है कि तीस हजार से ज्यादा लोग हर वर्ष काल कलवित होते हैं। सात लाख लोग आज इस रोग से पीड़ित हैं। आपने कहा कि इस वर्ष संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में बीस करोड़ का प्रावधान रखा है। निश्चित तौर पर यह जो प्रावधान रखा है, मंत्री महोदय, यह कार्यक्रम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधित कार्यक्रम किसके लिए आया है? संशोधित कार्यक्रम इसलिए आया है कि यह गरीब का रोग है और गरीब व्यक्ति मजदूरी करते-करते जब ज्यादा पीड़ित हो जाता है तो दवाई ले लेता है, थोड़ा वह ठीक हुआ और दवाई छोड़ देता है। ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होने लग गया और जहां ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गये वहां इस टी. बी. का इलाज लाइलाज हो जाता है, इस पर कोई दवाई असर नहीं करती। इसलिए डॉट्स के नाम से संशोधित कार्यक्रम आया कि आप अपने हास्पीटल्स के पी. एच. सी. के अन्दर, सी. एच. सी. के अन्दर सारी दवाइयां दे दें। मरीज वहीं आऐ और डाक्टर या पैरा मेडिकल स्टाफ का कोई आदमी अपने सामने दवाई खिलाये। अगर मरीज नहीं आये तो उसका सारा रिकार्ड रहता है, घर पर जाकर उनको दवाई पिलाने की व्यवस्था है। इस तरह की बात थी। यह कार्यक्रम है, पूरे राष्ट्र में चल रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि ये कार्ड बांटने में मशगूल हो गये। इन्होंने लक्ष्य क्या अर्जित किये? मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1997-98 में नये रोगियों की खोज 145.72 प्रतिशत हमने लक्ष्य प्राप्त किये। थूक की जांच 102.13। 1998-99 नये रोगियों को खोजा हमने 86.93 और थूक की जांच की 56.95. अब आता है आपका समय, कार्ड बांटने का समय। आप लक्ष्य अर्जित करते हैं, आपके प्रगति प्रतिवेदन में है, 83.05 और थूक की जांच करते हैं 34.7. यह गम्भीर है। कि आज उस क्षय रोग का निवारण के लिए रखकर कितनी गम्भीर है। हमने तय किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो स्थानों में एक महीने में कैम्प लगे, रोगियों की खोज हो, दवाइयां हों परन्तु आपको तो शायद यह कह दिया कि पिछली सरकार ने जो किया वह सारा खराब किया इसलिए आप उस कार्यक्रम को लागू नहीं करें। अब आपने पीला कार्ड बांटा कुष्ठ रोगियों के रोग के उन्मूलन के लिए और 15 माह का भी अभियान चलाया परन्तु आपने लक्ष्य क्या किया? मैं 1998-99, 1999-2000 की बात भी बताऊं, 1998-99 में आपने नवीन कुष्ठ रोगियों की खोज की 329.05 और केस डिस्चार्ज 42.22। 1999-2000 में आपने अभियान चलाया उस समय नवीन रोगियों की खोज आपने की 76.16 और आपने डिस्चार्ज किया 30.80। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, इसके साथ आपने नया काम क्या किया? इन कार्डों के लिए जितने कार्यक्रम चल रहे हैं ये सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। इनको स्वायत्ता देने के लिए अलग-अलग जिले में समितियां बनायी परन्तु आपको तो अपना फोटो छापना था और फोटो भी छोटा मोटा नहीं, 32 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया इन कार्डों को प्रिंट कराने में, अपना फोटो लगवाने में। जितनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समिति थीं उन सारी स्वायत्त समितियों को यह कह दिया कि साठ हजार रुपये लेकर आओ। मैं समझता हूं, यह जिस तरह का काम किया है, मंत्री जी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। कम से कम आपकी जानकारी में था या नहीं था इसके बारे में? अगर जानकारी में नहीं था तो मुझे लगता है कि आपकी विभाग पर पकड़ नहीं और जानकारी में था तब जिस तरह का काम आप कर रहे थे, मेरे मन में जो बात थी वह यह थी।

अब यहां बड़ी चर्चा हुई। मुझे तकलीफ हुई कि जिस व्यक्ति का चिकित्सक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में मैं ज्यादा सम्मान करता हूं, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं परन्तु उनका सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं कि चुनाव और राजनीति के चस्के के अन्दर बहरोड से चुनाव लड़ लिये। सभापति महोदय, मुझे सदन में यह कहते हुए संकोच नहीं कि सदन के अन्दर एक अच्छा पार्लियामैंटेरियन तो आ गया परन्तु राजस्थान की जनता ने एक उस चिकित्सक को खो दिया जिसके हाथों की अंगुलियों में जादू था। मुझे तकलीफ उस वक्त हुई जब आपने बी. पी. एल. कार्ड की बात कही। बड़े जोर से आपने कहा कि बी. पी. एल. कार्ड बांट दिये, आपकी सरकार ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। आपने 22 लाख परिवारों को लाभान्वित करने की बात की है, और वैसे तो आप पढ़ते हो पर कहां किस कारण से आपने यह प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा होगा। आपने प्रावधान कितना किया 150 लाख का। 22 लाख लोग, एक साल, 150 लाख की राशि का प्रावधान बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य, सात रुपये एक परिवार एक साल और एक यह आपका कार्ड उसके साथ आपने कह दिया कि इसमें राशि कम पड़ेगी तो मेडिकल रिलीफ सोसायटी की आय में से 25 प्रतिशत राशि हम इसको देंगे। आपको मालूम है मेडिकल रिलीफ सोसायटी के जनकों में से आप भी हो, मेडिकल रिलीफ सोसायटी राजस्थान के अन्दर हन्ड्रैड बैडेड से नीचे नहीं है। मैं दूर नहीं जाना चाहता, बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य, जिस हास्पिटल को आपके कुशल हाथों से कई साल आपने चलाया है, पिछले वर्ष आपका दवाइयों का बजट एस्टीमेट था साढ़े चार करोड़। पर आप जैसी जागरूकता, आप जैसी पकड़ वर्तमान सुपरिंटेंडेंट साहब में नहीं रही होगी या मन्त्री जी के ज्यादा दबाव में रहे होंगे, आप आर. ई. में गये और बजट कट कर आपका हो गया ढाई करोड़। अब चलो ढाई करोड़ के हिसाब से मान लें, एक महीने में आप दवाई वितरित करते हैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय जो राजस्थान की नाक है, उसके अन्दर 21 और 22 लाख के बीच की। आप अपने रिकार्ड से देख लेना, मंत्रीजी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने अलग से रजिस्टर संधारण की बात कही है, बी.पी.एल. परिवार को किसी महीने के अन्दर आपने साठ से लेकर सत्तर हजार के बीच से ज्यादा की दवाई नहीं दी। अब काहे का आपने कार्ड यह दे दिया? ये कार्ड कहां खोकर रह गये, यह तो मुझे मालूम नहीं, हां यह जरूर बात है कि आपने राजस्थान के चिकित्सकों को प्लेइंग कार्ड की तरह से इधर से उधर जरूर कर दिया। आपका आउट लुक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी कि आपने बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी पिछली बार, कि राजस्थान के अन्दर खाली चिकित्सकों के पद हम भर देंगे। इसके लिए आपने प्रयास भी किया, आपने जिला स्तर पर भर्ती करने की कोशिश भी की पर नतीजा क्या निकला? आप पूर्ववर्ती सरकार को दोषारोपण करते रहते हैं, आज राजस्थान के अन्दर 652 सी.ए.एस. के पद रिक्त हैं। यह सारा आंकड़ा आप ही ने एक दिन सदन के अन्दर जवाब दिया था उससे मैंने लिया है। राजस्थान के अन्दर कुल पद हैं 3579, रिक्त हैं 652, लगभग बीस प्रतिशत। 1748 पद पैरा मेडिकल के रिक्त हैं। सभापति महोदय, आप भी गांव से आते हो, निश्चित तौर पर यह भावना आ गयी कि कोई भी डाक्टर गांवों में रहना नहीं चाहता। इसके पीछे कारण भी है, चाहे गांव का लड़का शहर में आकर मेडिकल कालेज में पढ़े। मेडिकल कालेज हमारे डिवीजनल हैडक्वार्टर पर हैं, वहां जब लड़का पढ़ता है तो वह शहरीकरण और वहां की जो सुख-सुविधा है उसका आदी हो जाता है। गांवों में चाहे आप उसको पदस्थापित कर दें, कुछ समय बाद वह गांव से भगकर आता है। ये जितने पद रिक्त रहते हैं ये गांवों के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के रहते हैं। इसलिए, मंत्रीजी, आपने जिला स्तर पर कोशिश की, हमने भी की थी परन्तु आप इसमें सफल नहीं हो पाये, यह तो अलग बात है।

मेरा आपसे निवेदन है और सुझाव भी है। यह हमारे समय में भी बात चली थी। कुछ इस तरह के काम थे जो हम नहीं कर पाये परन्तु आप करें तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को लाभ होगा। आप क्यों नहीं रूरल मेडिकल हैल्थ सर्विस अलग कर देते? आप इस तरह की सर्विसिज करके उन्हीं लोगों को सलैक्ट करें जिनका पदस्थापन गांवों में ही हो, जो कभी शहर में स्थानान्तरण होकर आ ही नहीं सके। आप इसके लिए इन्सेन्टिव्ज दीजिये, हार्ड ड्यूटी अलाउंस दीजिए। अगर राजस्थान के अन्दर पद खाली रहेंगे तो चिकित्सा-स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होगी चाहे किसी तरह का कार्ड पकड़ा दें। चाहे हरा नीला, पीला काला जो भी पकड़ाना है पकड़ा दो परन्तु राजस्थान के लोगों को जिस तरह की सुविधा देना चाहते हो उन सेवाओं से वे दूर रहेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज, सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जो सेवा का क्षेत्र था वह व्यवसाय के क्षेत्र में तब्दील हो गया। कोई भी चिकित्सक जब चिकित्सा के अध्ययन का काम पूरा करता है, हिप्पोक्रेट की शपथ लेता है और कहता है कि मुझे जो ज्ञान है, अनुभव है मैं लगन से मरीज को भगवान मानकर उसकी सेवा करूंगा। परन्तु ये बातें आज कहने को रह गयीं। आज हुआ क्या है? यह चिकित्सा का क्षेत्र जो व्यवसाय में तब्दील हो गया तो निजी क्षेत्रों में अन्दर, सभापति महोदय, जितने भी मेडिकल कालेज आ रहे हैं, जितनी भी रोज डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज लोग खोल रहे हैं, हास्पिटल खोल रहे हैं तो कोई चेरिटीकली नहीं खोल रहा है। सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर आप चाहे टोंग्या में जाएं, अपैक्स में जाए, सोनी में जाएं, किसी हास्पिटल में चले जाएं, गरीब आदमी उसकी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। हमने एस्टैब्लिशमेंट आफ क्लीनिकल सर्विस एक्ट का प्रारूप बनाया था। जब तक इन निजी क्षेत्रों में आने वाले हास्पिटलों का चैक एण्ड बैलेन्स नहीं रखेंगे, यह जरूर हो जाएगा कि सरमायेदार लोग और धनवान लोग इन हास्पिटलों में जाकर अपना ईलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब को इससे लाभ नहीं होगा इसलिए कुछ न कुछ इस तरह की व्यवस्था भी आप करें।

आपने पिछली बार चिन्ता व्यक्त की थी कि क्लीनिकल सब्जैक्ट के अन्दर और नॉन क्लीनिकल सब्जैक्ट के अन्दर जो नये चिकित्सक तैयार हो रहे हैं उनका अनुपात बढ़ता है। क्लीनिकल को ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं, नॉन क्लीनिकल को बहुत कम। इसी तरह माइक्रो बायोलोजी, फिजियोलोजी, एनाटामी, बी.एम.एम. बायो कैमिस्ट्री, इन सबमें अब हमें यह लगने लगा कि अब इनके अन्दर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे कैसे क्योंकि इसमें शिक्षक ही अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए जिसके बारे में पिछली बार चिन्ता प्रकट करके आप छोड़ गये थे मैं समझता हूं इस बार कोई ठोस काम करे, इन्सैंटिव बात करें वरना इन सारे सब्जैक्ट को पढ़ाने वाला कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस बात को बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे खुद को अचरज हुआ जब मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि अब सवाई मान सिंह हास्पिटल के अन्दर जितनी बैड आक्यूपैंसी है उतने ही मरीज भर्ती होंगे। मंत्री महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान की थाती है, एस. एम. एस. जयपुर का नहीं है। आज कोई बाहर कैजुअल्टी हो जाए, आज जिस तरह भागमभाग का युग है, कोई बड़ा रोड एक्सीडैंट हो जाए, दूरदराज के मरीज को लेकर यहां पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आएं और यहां आते ही उसको यह कह दें कि आर्डर जारी हो गया सरकार की तरफ से कि बैड आक्यूपैंसी 100 है, तो 100 भर गये, अब यहां से लेकर जाओ। कहां लेकर जाएंगे? इस तरह के तुगलकी फरमान किस स्तर पर कैसे जारी हो रहे हैं, कम से कम इस पर तो आपको जरूर सोचना चाहिए।

मैं इस राय से भी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं कि आप व्यय कटौती के नाम पर, मितव्ययता के नाम पर राजस्थान के मेडिकल कालेजों के साथ क्या करने जा रहे हैं। आप राजस्थान के सारे मेडिकल कालेजों के सारे सी. ए. एस. के डेढ़ सौ पद समाप्त कर रहे हैं। सी. ए. एस. में अधिकांश एम. सी. एच. हैं जो सुपर स्पेशिलिटी के अन्दर इन यूनिट्स को चलाने में सहायक हैं। सारी के सारी आपातकालीन सेवाएं जिनके दम पर चल रही हैं, आप इन सबको एक साथ हटा रहे हैं। यह कहां की मितव्ययता है? सरकार लोक कल्याणकारी है, आप पारदर्शिता, सुदर्शिता की बात करते हो और इस तरह का काम कर रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव सभापति महोदय, आम व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पर भी आपको निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, हो सकता है मैं गलत होऊं। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि मोबाइल सर्जिकल यूनिट जो 650 बैड का चलता-फिरता चिकित्सालय है, सरकार उस चिकित्सालय को बंद करने की योजना बना रही है। आप किसी की चाल में मत आ जाना, मंत्री महोदय। हर एक कागज जो अधिकारी दे उसी पर डीटो करने की आदत तो छोड़ो, आप इन्टैलीजैंट आदमी हो, कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भी चालू करो। यह मोबाइल सर्जिकल यूनिट 1956 में प्रारम्भ हुई थी, आपकी पार्टी के नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जिसकी प्रशंसा की थी और जो अब तक 1,30,000 से ज्यादा आपरेशन गांवों में जाकर कर चुकी है। वह मोबाइल सर्जिकल यूनिट अगर बंद हो जाएगी तो उन लोगों को महरूम कर दोगे जो शहरों में आकर अपना आपरेशन नहीं करा सकते।

मंत्रीजी, अभी बड़ी चर्चा चल रही थी डेंटल कालेज की। निश्चित तौर पर हमारे समय में डेंटल कालेज बनना प्रारम्भ हुआ, डेन्टल कालेज बन कर लगभग पूरा हो गया। पिछले बजट में तो आपने उसके लिए प्रावधान किया था पर अब न जाने क्या किसका दबाव है कि निजी क्षेत्र के अन्दर डेन्टल कालेज आए, मेडिकल कालेज आए और वहां कैपिटेशन फीस 15 परसेन्ट हो सुप्रीम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोर्ट के आदेश के पश्चात। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई चैरिटी करने नहीं आ रहा है, सारे व्यवसाय करने आ रहे हैं और उनको बढ़ावा तब मिलेगा जब आपका गवर्नमैंट का डेंटल कालेज नहीं बने। कम से कम आप इस पर तो सोचिये। हमारा डेंटल कालेज जिस पर करोड़ों रुपया सरकार का लग गया, इसको पूरा कराने का काम आपको करना चाहिए। अखबार का पन्ना पलटो, कितनी बड़ी संख्या में रोज एक्सीडेंट होते हैं। सभापति महोदय, पहले फ्रैक्चर होते थे 1-2, अब तो मल्टीपल फ्रैक्चर हैं। जिस तेजी से वाहन चलते हैं और भिड़ते हैं, उन सबका इलाज ट्रोमा हॉस्पिटल के माध्यम से हो सकता था परन्तु पिछली सरकार ने ट्रोमा हॉस्पिटल का शिलान्यास कर दिया...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाऐ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछली सरकार ने ट्रोमा हास्पिटल का वित्तीय प्रावधान भी किया, परन्तु पिछली सरकार का काम था चाहे इसमें 6 करोड़ रुपये लग गये हों, आपने इस वित्तीय वर्ष में ट्रोमा हास्पिटल को बनाने के लिए एक पैसा नहीं दिया। इसी तरह इन्स्टीट्यूट आफ न्यूरो साइन्स है। आज आपके यहां न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर धारकर और दूसरे डॉक्टर की ख्याति है। यह ख्याति कम नहीं है, हमारे सबके लिए गौरव की बात है इसलिए दूर-दराज से राजस्थान में हिन्दुस्तान के लोग आते हैं। उसी दबाव को देखते हुए तय हुआ था कि इन्स्टीट्यूट आफ न्यूरो साइंस अलग से बन जाए, पर वह योजना आज अधरझूल में है। निश्चित तौर पर वित्तीय सुविधा देने की बात हो सकती है परन्तु कुछ इस तरह के इन्स्टीट्यूशन हैं जिनको बनाना बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस पर आप विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

मंत्री महोदय, आप कहते हैं कि चिकित्सा और चिकित्सालय में सुविधाएं ठीक हो और सेवाएं ठीक हो उसके साथ जन प्रतिनिधि हास्पिटल के बारे में क्या महसूस करता है कि किस तरह की व्यवस्था है, क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खामी है उसको इंगित कर सके। हमने चिकित्सा सलाहकार समितियां बनाई थी और तय किया था कि प्रत्येक जिला स्तर की चिकित्सा सलाहकार समिति प्रत्येक माह में एक दिन मिलेगी, उप खंड स्तर की इस दिन मिलेगी। आपने आकर उस कंसैप्ट को तोड़ दिया। चिकित्सा सलाहकार समिति में जन प्रतिनिधि थे, अब तो जन प्रतिनिधि ज्यादा आपके आये हैं। जिस काम से व्यवस्था सुधर सकती है उसको क्यों आप बंद करना चाहते हैं?

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, उन डेढ़ वर्षों में_ (व्यवधान) 5 मिनट में खतम कर रहा हूं। मैं तो बोलता ही कम हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज राजस्थान के राजकीय हास्पिटल में कोई अंकुश नहीं है। कोई चिकित्सक जाए तो जाए, कोई डाक्टर आए तो आए, इन्स्पैक्शन के सारे काम बंद हो गये। मंत्री महोदय का सुनते हैं कि अचानक पहुंच गये, अच्छी बात है, परन्तु आपके पास इतने बड़े अधिकारी हैं। पहले हमने तय किया था कि एक डाइरेक्टर इतने महीने में इतने हास्पिटल इन्स्पैक्ट करेगा, जोइंट डाइरेक्टर इतने करेगा, सी. एम. एच. ओ. इतने करेगा। कम से कम इस पर तो आपको विचार करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपने कैन्सर अवेयरनैस डे बंद कर दिया। आप उसकी तारीख बदल दो। कैन्सर अवेयरनैस डे आपने इसलिए बंद कर दिया कि वह तत्कालीन मुख्य मंत्री के जन्म दिन या और किसी दिन एक ही दिन थे। आपको मालूम है 40 हजार नये कैन्सर के रोगी प्रति वर्ष राजस्थान में होते हैं। इस पर आपको निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अन्त में मैं इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो आज हमारे विकास को लील कर रहा है, विनाश को उगल रहा है। जनसंख्या और जनसंख्या का बढ़ता हुआ प्रभाव मैं समझता हूं, हम सबके लिए चिंता का विषय है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नगर से आने वाले माननीय सदस्य का बड़े मौलिक आपके विचार हैं। अल्पसंख्यक लोगों के बीच में जाकर भी, अभी आप चूरू पधारे थे वहां भी आपने लोगों के बीच में जाकर कहा। यह बात हमें ऊपर उठकर सोचनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, इस हिन्दुस्तान में डेढ सैकण्ड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक मिनट में 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक घंटे में 3000 और 24 घंटे में 72 हजार नये मेहमान आ रहे हैं। 13 लाख बच्चे राजस्थान की धरती पर हर वर्ष आ रहे हैं। इन 13 लाख में से 1,20,000 तो ऐसे हैं जो अपने जीवन का प्रथम बसंत इसलिए नहीं देख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सकते कि कुपोषण के कारण, उल्टी-दस्त के कारण एक वर्षके अन्दर काल कवलित हो जाते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में आपने राजस्थान की जो जनसंख्या नीति बनाई है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, परन्तु आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस सारी चीज का वातावरण कैसे बने। आपको मालूम होगा, मंत्रीजी, टारगेट फ्री एप्रोच, सबसे पहले हमारे जमाने में पूरे हिन्दुस्तान में आगे होकर हमने कहा था कि अब वह समय नहीं है कि परिवार नियोजन और नसबंदियों के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए लोभ दें। टारगेट फ्री एप्रोच। आज पूरा हिन्दुस्तान उस पर चल रहा है। विकल्प है, राजलक्ष्मी है, जनमंगल है। अपने प्रजनन-बाल स्वास्थ्य को आधार बनाने की बात तो कह दी परन्तु गांव में फैसिलिटीज कितनी हैं? आज छिपी हुई मांग कितनी है? मैं कहीं का लेख पढ़ रहा था, यूनिसेफ के किसी ने शोध किया है उसमें कहा है कि राजस्थान के अन्दर 13 लाख दम्पत्ती ऐसे हैं जो बच्चा नहीं चाहते हैं, परन्तु परिवार नियोजन के साधन अपनाते ही नहीं हैं। जिस तरह का हमारा वातावरण है, आज गांव के किसी व्यक्ति से चाहे आप प्रायोगिक रूप से देख लें बड़े भाई छोटे भाई से कह दे कि गांव में जाओ और निरोध खरीद कर ले आओ। गांव की दुकान पर, शहर की दुकान पर जाने में वह संकोच करता है। इन सारी चीजों के लिए निश्चित तौर पर कोई इस तरह की योजना बनानी पड़ेगी कि इस छिपी हुई मांग को हम कैसे पूरा करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अच्छा हो कि इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सारे लोग, अच्छे ख्यालों वाले नगर से आने वाले माननीय सदस्य जैसे बैठ कर हम रचना करें वरना यह टारगेट तय करने से काम नहीं चलेगा। हमने बर्थ रेट कितना कम किया? जो प्रसव होते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उनकी संख्या कितनी है? आज राजस्थान के अन्दर 34 प्रतिशत डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल है। प्रशिक्षित दाई से है, प्राइवेट हास्पिटल से है, गवर्नमैंट हास्पिटल से है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप चैम्बर में बैठकर बात कर लेना। आसन की तरफ मुखातिब होकर कहिये।

(17.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज राजस्थान में जिस तरह के हालात है, प्रसव के लिये महिला जाती नहीं। मैं अभी पढ़ रहा था, आदिवासी क्षेत्र के अन्दर तो और भी बुरी हालत है।

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जहां 92 परसेंट प्रसव से पहले तो कोई जांच नहीं होती और 75 परसेंट प्रसव परम्परागत डिलीवरी होती है। इसी तरह की हालत कमोवेश है। जब तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं बढ़ेंगी, जब तक बच्चा पैदा करने वाले मां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और बाप के मन में यह बात नहीं आएगी कि मैंने बच्चा पैदा कर लिया है, यह मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, समाज का अंग बनेगा तब तक यह सारा काम नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं अंत में एक निवेदन करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी चिन्ता और चुनौती जो हमारे सामने आ रही है, मानव सभ्यता के सामने आ रही है वह है एड्स का फैलता हुआ रोग। आज हिन्दुस्तान में 40 लाख एच.आई.वी. पोजीटिव हैं और 20,000 प्रतिवर्ष मर रहे हैं। 30,000 बच्चे तो वे हैं जो जन्म के साथ ही एच. आई. वी. से संक्रमित होकर धरती पर आते हैं। आपने योजना बनायी है, राष्ट्रीय कार्यक्रम में बीस करोड़ का प्रावधान रखा है परन्तु इस सारे काम को प्रायोगिक रूप से राजस्थान में कैसे लागू करें? जहां राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत, खास तौर पर महिलाओं के बीच में कम है, पुरुषों के बीच में कम है, रैड लाइट एरिये में जाकर किस तरह लोगों को जागृत करें कि आप जिस काम को कर रहे हैं, आप भी मौत की तरफ खिसक रहे हैं और आने वाले आदमी को भी मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? इस सारे काम के बारे में खुले मन से विचार करना चाहिये...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक निवेदन करके बात समाप्त करूंगा। मंत्रीजी, पिछली बार बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि हमने दवाइयों का बजट मापदंड दुगुना कर दिया। बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट, 2639 लाख रुपये कट गये। बिना मतलब की बात कहकर हम थोथी वाहवाही ले लें। मैं समझता हूं दूसरे किसी विभाग का इतनी बड़ी राशि का बजट कटा नहीं होगा। आपके 11,139 करोड़ का बजट एस्टीमेट था और रिवाइज एस्टीमेट आया है आपका 85,00 का 2639 करोड़ कट। इन सारी चीजों पर आपको विचार करना चाहिये।

अंत में एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। पिछली बार तो खानपुर में पीलिया फैला था, अभी अटरू से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि पीलिया रोग ने पूरे हाड़ौती को अपनी जकड़ में ले लिया है। समय रहते आप संभालें और संभाल कर लोगों को आईईसी. के माध्यम से या कैसे ही यह बताए कि उनको खान-पान कैसा करना चाहिये ताकि वे पीलिया रोग से बचें। मंत्री महोदय, किसी टीम को भेजें, सर्वे करवाएं, वरना इस पीलिया से बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोग काल-कवलित हो जाएंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन करके बात समाप्त करूंगा कि मेडिकल रिलीफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सोसायटी के अन्दर हमने एम. एल. ए. को मैम्बर बनाया था। अब ये जिस तरह मेडिकल रिलीफ सोसायटी देख लें, इतना छोटा मन तो मत रखो कि जिस चीज को हमने बनाया है, आपने यहां से आदेश जारी करा दिये कि स्थानीय विधायकों को नहीं बुलाया जाएं। हालांकि जाने-आने में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, मैंने आपको एक-दो नहीं कम से कम 5-6 पत्र इस बात के लिये लिखे कि एक बार चूरू के अन्दर जिस तरह से हास्पिटल की हालत बनी है आप किसी अधिकारी को भेजकर निरीक्षण तो करवा लें। आपने निरीक्षण नहीं करवाया मेरे जिले में। चाहे किसी भी क्षेत्र का कोई भी विधायक हो, विधायक अपने क्षेत्र में अव्यवस्था तो नहीं चाहेगा कोई। इतना बड़ा मन तो आपको रखना चाहिये। यह विषय इस तरह का विषय है कि जो आम व्यक्ति के जन जीवन से जुड़ा हुआ है कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिये, मंत्रीजी, आप ठोस धरातल पर बैठकर बात करेंगे। जिस तरह मेडिकल कालेज खोलने की वाहवाही ले रहे हैं, गवर्नमैंट हास्पिटल प्राइवेट मेडिकल कालेज के लोगों को फायदा देने के लिये अटैच करते जा रहे हैं, अगर इसी तरह का काम करेंगे तो नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-26 के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, राजस्थान की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की स्थिति आजादी के 52 साल बाद भी जिस रूप में होनी चाहिये थी वह पूरी तरह से मुकम्मिल नहीं हो पायी है। आज इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात से निश्चित रूप से चिंतित है कि राजस्थान की तमाम् जनता को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिये जो साधन उपलब्ध होने चाहिये थे वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास प्रत्येक सरकार ने जरूर किये, किन्तु साधनों की सीमितता के कारण पीड़ितों को हम पूरी तरह से राहत नहीं दे पाये। शहरी क्षेत्रों में जरूर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की ओर समय-समय पर ध्यान दिया गया, किन्तु ग्रामीण इलाके चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से हमेशा महरूम रहे। चाहे स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये हों, चाहे अस्पताल खोल दिये गये हों, चाहे अन्य कोई उप-केन्द्र

(श्री जुगल काबरा)

खोल दिये गये हों, किन्तु जब कभी भी डाक्टर्स की नियुक्ति का सवाल आया, ये चिकित्सा केन्द्र डाक्टर्स के अभाव के अन्दर ही चलते रहे। डाक्टर कम्पाउंडर और नर्स भी समय पर इन अस्पतालों और चिकित्सालयों के अन्दर उपलब्ध नहीं होते रहे। किन्तु मैं बधाई देना चाहता हूं वर्तमान राजस्थान सरकार और चिकित्सा मंत्रीजी को कि उन्होंने यह प्रयास किया है कि समान रूप से शहरी क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था की तरह ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार किया जाए। इस हेतु उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रयास किया है, ट्रेंड कम्पाउंडर्स और नर्सेज को इन चिकित्सालयों में भेजने की कोशिश की है।

मान्यवर, दवाइयों का जहां तक सवाल रहा है, उसकी स्थिति भी इसी तरह रही। शहरी क्षेत्रों में आवाज हो जाती है, हल्ला हो जाता है। आने-जाने वाले लोग रहते हैं, पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी आते-जाते रहते हैं इसलिये वहां अगर दवाई नहीं मिलती तो शोर-शराबा हो जाता है। किन्तु ग्रामीण इलाकों के अन्दर दवाइयां नहीं मिलती तब भी कोई आवाज नहीं होती। यही स्थिति लम्बे समय तक बदस्तूर जारी रही। किन्तु कांग्रेस की नयी सरकार ने दवाइयों के बजट को बढ़ा कर यह प्रयास किया कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को भी पूरी दवाइयां उपलब्ध हों। गरीबी की रेखा के नीचे जो परिवार रहते हैं उन्हें पूरी तरह से सरकारी साधनों का लाभ मिले, इस बात के प्रयास के तहत मेडिकेयर कार्ड उपलब्ध करवाये गये। यह कोशिश की गयी कि जिन परिवारों का चयन किया गया है गरीबी की रेखा के नीचे, उन सभी परिवारों को मेडिकेयर कार्ड देकर उनके इलाज का मुकम्मिल प्रबंध कर दिया जाएं ताकि हरेक व्यक्ति अपने आप में यह आश्वस्त हो सके कि मेरे इलाज का सरकार प्रबंध करेगी। यह बात अभी कही जा रही थी, आंकड़े बताये जा रहे थे कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 30 लाख लोगों को कार्ड बांट दिये गये, बजट इतना रखा गया। आवश्यक नहीं होता कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला हर व्यक्ति हमेशा बीमार रहे। कुछेक लोग बीमार होते हैं उनके लिये सरकार ने प्रबंध किया है और कोशिश की है कि उन लोगों को हर तरीके से दवाइयां उपलब्ध करवायी जाएं। हरेक अस्पताल के अन्दर वे दवाइयां उपलब्ध रहने लगी हैं जो कि पहले कभी रहती नहीं थीं। पहले जो स्थितियां थीं वे आपसे छिपी हुई नहीं हैं। किसी भी अस्पताल में चले जाइये, अगर कोई घाव हो जाता तो मरीज को कहा जाता था कि पट्टी बाहर से लेकर आओ। कोई

(श्री जुगल काबरा)

भी दवाई की मांग होती थी, उसको इस तरह से दवाइयां लिख दी जाती थीं कि वह जाकर किसी एक विशेष दुकान से खरीदता था। इस तरह का जो कुचक्र चल रहा था, जो कमीशनबाजी चल रही थी उसको रोकने के लिए मेडिकेयर कार्ड योजना एक बहुत बड़ा काम कर सकेगी, ऐसी मेरी धारणा है।

मान्यवर, इसी तरह से गरीबी रेखा के नीच जीवन-यापन करने वाले लोगों को असाध्य रोग हो जाने की स्थिति में उनकी कोई खैर-खबर लेने वाला नहीं था। आज हर व्यक्ति को विश्वास है कि राज्य सरकार ने हमको संबल दिया है कि अगर इस तरह की आपदा, पीड़ा हमारे ऊपर आ गयी यदि कोई असाध्य रोग हो गया तो सरकार हमारी मदद करने के लिए आगे आएगी चाहे एक लाख रुपये खर्च हों, चाहे डेढ़ लाख रुपये खर्च हों, चाहे हृदय रोग की चिकित्सा का मामला हो, चाहे किडनी की चिकित्सा का मामला हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो, चाहे कैन्सर का इलाज कराने की आवश्यकता हो। उसे सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है कि राज्य सरकार हमारे लिये आगे आकर मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से हमें सहयोग करेगी ताकि इस तरह के रोगों का इलाज हो सके। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को तथा चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का बहुत अच्छा फैसला लिया।

मान्यवर, आज सरकारी अस्पतालों में जितने साधन होने चाहिए वे नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी इलाकों में भी जो छोटे अस्पताल हैं उनकी इमारतों की हालत जर्जर है, बैठने के लिये डाक्टरों के पास साधन नहीं हैं। उन अस्पतालों के रख-रखाव के लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई प्रावधान किया जाना चाहिये कि अस्पतालों के रखरखाव की पूरी व्यवस्था हो। बहुत ही आवश्यक जो उपकरण हैं, एक्सरे मशीन जैसी आवश्यकता है या अन्य कोई छोटे-मोटे जांच के सामान और उपकरणों की आवश्यकता है उनका प्रबन्ध भी छोटे अस्पतालों में करने के लिये राज्य सरकार को आगे आना चाहिये। मान्यवर, सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट बेसिस के ऊपर तकनीकी उपकरण लगाने का राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का भी आम जनता को लाभ मिलेगा। बड़ी-बड़ी मशीनें राज्य सरकार के संसाधन से नहीं लगायी जा सकती हैं, किन्तु निजी क्षेत्र के लोग सरकारी अस्पतालों में आकर इस तरह के उपकरण लगाए ताकि दुर्घटना की स्थिति में चाहे सी. टी. स्कैन मशीन की आवश्यकता हो या और किसी उपकरण की आवश्यकता हो, उसकी तत्काल जांच हो सके और उसका इलाज हो सके। इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं को बुलाकर कराने

(श्री जुगल काबरा)

का जो फैसला किया है, वह बहुत ही लाभकारी होगा। चाहे डायलीसिस की आवश्यकता हो या अन्य कोई आवश्यकता हो, इस तरह की निजी संस्थाएं आगे आकर आम जनता को राहत दे सकेंगी।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें विश्व बैंक से या अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो स्वास्थ्य और चिकित्सा मद में पैसा मिलता है, उसके सदुपयोग के लिये प्रयास करने चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अपने अधिकारियों पर इस बात का अंकुश रखना चाहिये कि जो ग्रांट के रूप में आ रहा है सारे पैसे का सही तरीके से उपयोग हो ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा जोधपुर की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। जोधपुर की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत विकास और विस्तार की आवश्यकता है। जोधपुर, जयपुर के बाद में सबसे बड़ा शहर है और बहुत बड़ी आबादी के क्षेत्र को प्रभावित करता है। पूरा पश्चिमी राजस्थान आज जोधपुर के अस्पतालों की तरफ देख रहा है। वहां पर कैंसर के लिये कोबाल्ट यूनिट की आवश्यकता है। उसकी मशीन का तो आर्डर दे दिया है किन्तु उसकी स्थापना के लिये फंड्स की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसकी स्थापना के लिये फंड्स की व्यवस्था करें। मान्यवर, इसी तरह से ट्रोमा सेंटर बनाये जाने के लिये पिछले वर्ष में स्वीकृति दी गयी थी किन्तु उसके लिये पर्याप्त धन राशि का आबंटन नहीं किया गया है। ट्रोमा सेंटर की आज बहुत आवश्यकता है क्योंकि दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ट्रोमा सेंटर के लिये पर्याप्त धनराशि का प्रबन्ध करें। न्यूरो सर्जरी यूनिट के सुदृढ़ीकरण के लिये एक्स्ट्रा डाक्टर्स का प्रबंध किया जाए। इसी तरह से जोधपुर शहर के जो छोटे अस्पताल हैं, महिला बाग अस्पताल और नौचोकिया अस्पताल जो कि जोधपुर शहर के अंदर सघन आबादी में बसे हुए हैं, वहां पर पर्याप्त भवन व्यवस्था उपलब्ध है, आपरेशन थियेटर बने हुए हैं, पर्याप्त वार्ड बने हुए हैं, उनमें अगर अधिक डाक्टरों को लगा दिया जाए तो वहां हर तरह के इलाज हो सकेंगे। मरीजों के आपरेशन वहां करवाये जा सकते हैं। नौचोकिया के अंदर प्रसूति गृह बना हुआ है, आपरेशन थियेटर बना हुआ है। अगर पर्याप्त संख्या में डाक्टरों की नियुक्ति वहां कर दी जाती है तो मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा और शहर के बाहर भीड़-भाड़ के इलाकों को चीरकर दूरदराज

(श्री जुगल काबरा)

के अस्पतालों में उनको जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जुगल काबरा : मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यह प्रयास करेंगे कि जोधपुर के तमाम् अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और विकास के लिये पूरा प्रबन्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती पूनम गोयल।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, हमें समय नहीं मिलेगा?

श्री सभापति : कैसे नहीं मिलेगा? रात भर बैठेंगे, क्यों चिंता करते हो।

श्रीमती पूनम गोयल : सभापति महोदय, आज हम एक ऐसी मांग पर विचार करने जा रहे हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मानव की सबसे महती आवश्यकता है— (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा भी ध्यान रखना चाहिये।

श्री सभापति : महिला सदस्या बोल रही हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : अगर बहुजन समाज पार्टी— (व्यवधान)

श्री सभापति : महिला सदस्या बोल रही हैं, माननीय सदस्या। पहली बार बोल रही हैं, माननीय सदस्या।

श्री जगत सिंह दायमा : महिला तो हमारे दलित में ही आती हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए इनके लिये तो मैं छूट देता हूं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें एक बार।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : सभापति महोदय, आज हम एक ऐसी मांग पर विचार करने जा रहे हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद मानव की सबसे महती आवश्यकता है। सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बड़ा भारी महत्व है। परन्तु आज आप और हम सब देख रहे हैं कि चिकित्सा कराना दिन-प्रतिदिन बहुत महंगा होता जा रहा है, चिकित्सक की फीस, दवाई की कीमत, टैस्टों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और व्यक्ति के स्वस्थ होने में लगने वाला समय भी बढ़ रहा है। करोड़ों रुपये खर्च करने और 50 वर्ष से भी अधिक आजादी के पश्चात् भी गरीब तक चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंची है बल्कि हर दिन वह उससे दूर होती जा रही है। ऐसे में हमारे जनप्रिय उदारमना मुख्य मंत्री जी ने गरीब को भगवान मानकर गरीबी

(श्रीमती पूनम गोयल)

रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को गंभीर रोगों की निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा हेतु जो मेडिकेयर काड्र्स शुरू करने की योजना पिछले वर्ष शुरू की, उसमें अब तक 20 लाख परिवारों को मेडिकेयर काड्र्स जारी किये जा चुके हैं। इसने गरीब तक चिकित्सा पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूं।

परन्तु माननीय चिकित्सा राज्य मंत्रीजी का ध्यान डाक्टरों द्वारा लिखी जा रही कमीशन की दवाई की ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं। आज शहर में डाक्टर्स मरीज से उसका हाल बाद में पूछते हैं पहले यह पूछते हैं कि क्या वह सरकारी कर्मचारी है? उसके हां कहते ही चाहे मरीज को जुकाम ही क्यों न हो, उसे 300-400 रु. का नुस्खा थमा दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत डाक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं वे भारी कमीशन वाली होती हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस प्रकरण की जांच करानी चाहिए कि जो दवाई मरीज को लिख दी जा रही है उसकी कितनी आवश्यकता थी और क्या उससे अच्छी कम्पनी की उससे सस्ती दवाई उपलब्ध नहीं थी। मेरी मांग है कि सरकारी कर्मचारियों के कम से कम पांच प्रतिशत ऐसे बिल, जिनमें 90 प्रतिशत दवाइयां प्राइवेट दुकानों से खरीदी गयी हों, उनकी नमूना जांच करायी जाए। एक अभियान के तौर पर इसकी जांच की जाए तो इस संबंध में हो रहे षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो सकता है। इससे सरकार को भी करोड़ों रुपये की बचत होगी।

आज स्थिति यह है कि जयपुर और कोटा में आप किसी भी सरकारी डिस्पेंसरी की ओर चले जाएं, वहां पर आपको उपभोक्ता भंडार की दवाई की दुकान में जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी प्राइवेट दुकान में चले जाए, वह आपको एन. ओ. सी. स्वयं कटाने और सब व्यवस्था करने का जिम्मा ले लेगा। मैं मंत्री महोदय को चैलेंज करती हूं कि आप किसी भी सरकारी दुकान के आस-पास स्थित प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर अभी इसी समय छापा मारकर चैक करें तो आपको उस दुकान पर सैकड़ों पर्ची मिल जाएंगी। एक कच्ची पर्ची होगी जिस पर रोगी का नाम, नौकरी करने वाले का नाम, विभाग का नाम लिखा होगा। दवाई उस व्यक्ति को पहले ही दी जा चुकी होती है। यदि एक व्यक्ति के घर पर जाकर चैक की जाए तो जिस बैच नम्बर की दवाई उसे दी गयी है और जिसकी पर्ची है उसमें भिन्नता नजर आ जाएगी। होता यह है कि निश्चित धनराशि के बदले में उपभोक्ता भंडार वाला 5 प्रतिशत दवाई अपने यहां से बिकी हुई बताकर शेष की एन.ओ.सी.

(श्रीमती पूनम गोयल)

दे देता है। यह करोड़ों रुपये का स्कैंडल है जो संपूर्ण राजस्थान में जारी है। इसमें उपभोक्ता भंडार में कार्यरत कर्मचारी, उसके अफसर, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, वह डाक्टर जिसने पर्ची लिखी है, शामिल हैं और राज्य सरकार को चिकित्सा पुनर्भरण के नाम पर करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि वे इसी समय आदेश जारी करें। अभी जयपुर में स्थित डिस्पेंसरियों के सामने स्थित सभी निजी दुकानों पर छापे मारेंगे तो करोड़ों के घोटाले का पता चल जाएगा। अगर आपने इसमें देरी की तो हो सकता है कि रिकार्ड को खुर्दबुर्द करने की कोशिश की जाए। मैं यह भी चाहूंगी कि इस संबंध में आप तीव्रता दिखाते हुए जो कार्यवाही करें वह भी अपने जवाब में आज ही बताएं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि निजी डेंटल कालेज खोलने हेतु राज्य सरकार ने क्या मानदण्ड बनाए हैं, अब तक क्या-क्या, कहां-कहां पर ऐसे कालेज खोलने की स्वीकृति दी है इस के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आम जनता को दी जानी चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं और लोग मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज खोलना चाहते हैं परन्तु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी के अभाव में वे खोल नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को अखबारों में विज्ञापन देकर खुले आवेदन-पत्र मांगने चाहिए ताकि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर सरकारी स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, निजी स्तर पर चिकित्सा की व्यवस्था हो सके।

एक मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि 1999-2000 के बजट में उप केन्द्र व शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जो घोषणा की थी वे अब तक चालू नहीं हुई हैं। वे कब तक चालू कर दी जाएंगी, इस बाबत कृपया बताने व उन्हें शीघ्र चालू कराने की कृपा करें।

कोटा शहर में जिला चिकित्सालय नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरी आपसे मांग है कि मेडिकल कालेज के नये भवन में जाने पर जो वर्तमान भवन रिक्त होगा उसमें जिला अस्पताल खोलने की सरकार स्वीकृति प्रदान करे। आज राजस्थान के लगभग सभी जिलों में जिला चिकित्सालय है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कोटा के सैटेलाइट अस्पताल में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चिकित्सकों के पद न होने, पैथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, वार्ड बाय एवं स्वीपर के पदों की स्वीकृति न होने से वहां पर चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध नहीं है और चिकित्सा सुविधा काफी प्रभावित हो रही है। वहां पर सफाई की व्यवस्था भी अन्य अस्पतालों की तरह ठेके पर दी जाए, ऐसी

(श्रीमती पूनम गोयल)

मेरी आपसे मांग है ताकि सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके।

मैं आपका ध्यान कैथून नगरपालिका में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद स्वीकृत नहीं है, इससे महिला रोगियों को बहुत परेशानी होती है। अतः महिला डाक्टर की तुरन्त व्यवस्था कराएं और आपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम की भी व्यवस्था कराई जाए।

मैं आपका ध्यान एलिजा टैस्ट की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिसे एच. आई. वी. टैस्ट भी कहा जाता है। यह असल में एंटी बाडी टैस्ट होता है। इसका मतलब है कि एच. आई. वी. का प्रतिरोध करने वाला तत्व शरीर में है यानी शरीर में एच. आई. वी. है। दूसरी तरफ एच. आई. वी. वायरस को आज तक अलग कर देखने का कोई प्रमाण नहीं है और टैस्ट यह कभी नहीं बताता कि कौनसा वायरस टैस्ट के दौरान पाया गया है। 72 बीमारियों में वही लक्षण होते हैं जो एच.आई.वी. टैस्ट में होते हैं। टी.बी., मलेरिया, कालाजार, बुखार जैसे अनेक रोगों में भी यही लक्षण होते हैं। तब यह एच.आई.वी. टैस्ट हुआ या साधारण बीमारियों का टैस्ट हुआ? यही नहीं, मंत्री महोदय, देखिए, अन्तर्राष्ट्रीय दवा कम्पनियां कितनी चालाकी से काम ले रही हैं। वे एच.आई.वी. टैस्ट करने वाली किट पर लिखती हैं, मानव रक्त में एच.आई.वी. वायरस से लड़ने वाले एंटी बाडी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी बताने वाला कोई मान्य व मानक टैस्ट अभी तक नहीं है। यही नहीं, उस पर यह भी लिखा है कि यह किट सिर्फ सुरक्षित खून लेने-देने के लिए तैयार किए गए हैं।

मंत्री महोदय को यह तो जानकारी होगी कि अधिकतर मामलो में परिणाम पोजिटिव ही होता है। आज होता यह है कि एड्स नहीं होते हुए भी टैस्ट में चूंकि एच.आई.वी. पाजिटिव बता दिया जाता है तो आदमी मानसिक रूप से टूट जाता है, सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाता है और धीरे-धीरे बिना बीमारी ही मौत का शिकार हो जाता है। अतः मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि इस षड्यंत्र से प्रदेश की जनता को बचाने के लिए उपाय किए जाएं। एक विशेषज्ञों की समिति गठित कर एलिजा टैस्ट के औचित्य को परखा जाए, जांचा जाए। मेरा तो यहां तक दावा है, विभाग के अनुसार 1998 तक सेंटीनेल सर्वेलेंस पर आधारित आंकड़ों के अनुसार 50470 व्यक्ति एच.आई.वी. से ग्रसित हैं वे असल में एलिजा टैस्ट के कारण ही हैं। यदि मंत्री महोदय इनकी दुबारा जांच की व्यवस्था कर सकें तो शायद इनमें से 90 प्रतिशत व्यक्ति एच.आई.वी. से ग्रसित ही नहीं पाये जाएं।

(श्रीमती पूनम गोयल)

हरियाणा के छोछी गांव में पाये गये एड्स के रोगियों की पड़ताल करने पर विशेषज्ञों ने उन्हें रोगी नहीं पाया। एलिजा टैस्ट के कारण ही पहले उन्हें रोगी माना गया था। अतः मेरी एक बार पुनः मंत्री महोदय से मांग है कि इस दिशा में विशेषज्ञों से जांच कराई जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आज के दैनिक भास्कर के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन की ओर दिलाना चाहती हूं जिसका शीर्षक है, "ध्यान दें हृदय रोगी" तथा भारत ने एड्स की सही दवा खोज निकाली। यह विज्ञापन टी.ए. मजीद नामक शख्स ने फेयर फार्मा नामक अपनी एजेंसी का दिया है जो कोच्चि (केरल) में है। इसमें दावा किया गया है कि उसने एड्स की सही दवा खोज निकाली है और अनेक रोगियों को ठीक कर दिया है। एक रोगी परिवार की फोटो भी छापी है। यह टी.ए. मजीद नामक व्यक्ति जिसके पास न तो कोई डाक्टरी की डिग्री है और न ही किसी अन्य चिकित्सा विधि की डिग्री है, पिछले दिनों इसको केरल में गिरफ्तार भी किया गया था। पहले यह अपना कारोबार दक्षिण भारत तक सीमित रखे था, अब इसने लाखों रुपए के विज्ञापन के साथ राजस्थान में प्रवेश किया है। एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सब जगह से निराश होकर ऐसे लोगों के जाल में फंस रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि यदि इस व्यक्ति का दावा सही है तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि यह कोई नीम-हकीम है तो इसको सिर्फ इस विज्ञापन के आधार पर ही गिरफ्तार करके कार्यवाही की जानी चाहिए। चिकित्सा विभाग को इस विज्ञापन का खण्डन करते हुए इससे बचने की चेतावनी भी अखबार को देनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दैनिक भास्कर के प्रबन्धकों से भी निवेदन करूंगी कि आज भास्कर एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसे विज्ञापन की आय के लालच में इस तरह के भ्रामक, धोखेबाज लोगों के विज्ञापन नहीं छापने चाहिए। एक प्रतिष्ठित अखबार में छपे विज्ञापन को लोग अखबार की प्रतिष्ठा के कारण अनेक बार सच भी मान लेते हैं। प्रकारान्तर से अखबार लोगों को लूटने की शाजिश में शामिल हो जाते हैं। यह विज्ञापन आज के अखबार में छपा था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-26 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जिस मांग पर चर्चा हो रही है चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, मानव जाति के लिए यह एक अहम मुद्दा है।

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

जहां तक सरकारों का सवाल है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी ओर से बढ़-चढ़कर के अवेयरनैस बताई जाती रही है। मैं राजस्थान के सीमावर्ती बांसवाड़ा जिले से आता हूं, वहां आदिवासी बहुल इलाके में लोक स्वास्थ्य की जो दशा है वह निश्चित रूप से आज के दिन हमारे लिए चिंतनीय है। सरकार बड़ा मन करके, अपनी नीयत बहुत साफ रखकर, जनता का भला करने के लिए अपनी नीति लेकर आई है। इस नयी सरकार से न केवल जनप्रतिनिधियों को बल्कि जनता को भी निश्चित रूप से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य की जो दशा है, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस तरह से मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना करके गरीबों के प्रति अपनी भावना बताई है, उसका मैं स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि मैं जो कि आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, इस भावना से मुझे और मेरे वहां के नागरिकों को बल मिलेगा।

मैंने अपने कट मोशन का जो शीर्षक दिया था अपनी ओर से, वह यही था कि किस तरह से आदिवासी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति है, चिकित्सा की स्थिति है और किस तरह से वहां नीम-हकीमों का अड्डा लगा हुआ है। वे लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वे लोग जिनके पास प्रशिक्षण नहीं है। हमारे गांवों और दूर-दराज की ढाणियों में अपने क्लीनिक खोलकर बैठे हैं। महोदय, ऐसी संख्या आपके सरकारी आंकड़ों में नहीं हो सकती, लेकिन मैं व्यावहारिक आंकड़ा देना चाहता हूं। पिछले साल ही हमारे वहां के लगभग 36 व्यक्ति उन नीम-हकीमों का शिकार होकर मर गये। उस गरीब के पास इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वह किसी अदालत का दरवाजा खटखटा सके या उस नीम-हकीम के खिलाफ कोई केस कर सके। मगर यह बहुत बड़ा सच है और इसका कारण है कि हमारी स्वास्थ्य की जो एजेन्सियां हैं चाहे वह स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे पी.एच.सी. हो, चाहे बड़े अस्पताल हों, वहां पर डाक्टरों की कमी है। उस कमी की वजह से बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी व्यक्ति नीम-हकीमों के चक्कर में आता है। आज गरीब की हालत यह है कि वह अपनी जान से भी जाता है, अपने धन से भी जाता है और पूरा परिवार उसके पीछे बर्बाद होता है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 10 तरह की फार्मल्टीज होती है, 10 तरह की बातें देखी जाती हैं कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास प्रशिक्षण है, आपके पास योग्यता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिला स्तर पर कोई अधिकारी

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

ऐसा नहीं है जो इन नीम-हकीमों के सर्टिफिकेट की जांच कर सके, उनके क्लीनिक पर जाकर उनकी योग्यता का प्रमाण-पत्र मांग सके।

ऐसा हमारे चिकित्सा अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं है। हम पिछले कई सालों से ये बातें देख रहे हैं कि ये लोग जिनकी न कोई उम्र है, टीन एज के लोग हैं, बच्चे जिनको हम कह सकते हैं 25-25, 30-30 साल के बच्चे, मैं तो उनको बच्चे ही कहूंगा, वे आकर एक छोटी-सी टेबल व कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, प्लस का निशान लगाया और अपना धंधा चालू कर देते हैं। जिलाधिकारी कभी यह जाकर नहीं पूछता कि आखिर आप किस डिग्री के तहत यह धंधा चला रहे हो। आखिर मेडिकल का धंधा इतना सस्ता कैसे हो गया? इतना लापरवाही वाला कैसे हो सकता है। अगर लोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रति हमारी धारणा यह है कि हमको जनता की सेवा करनी है, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो मेरा निवेदन है कि ऐसे नीम-हकीमों की निश्चित रूप से जिला स्तर पर आपको जानकारी लेनी चाहिए कि किस जिले के अंदर इस तरह के कितने लोग बैठे हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महोदय, मैं तो पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, पांच मिनट के लिए मुझे कह दिया है, मेरे दल के सचेतकजी ने भी मुझे पाबंद कर दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर मैं यह बात नहीं कहूंगा तो मैं निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाऊंगा।

मैंने उन 36 लोगों को मरते हुए देखा है, जो आंकड़े मैंने आपके सामने दिये हैं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो परम्परागत एजेंसियां हैं, जो हमारे केन्द्र हैं वहां स्टाफ की कमी के कारण ये सारी चीजें पनप रही हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आपको बड़े अस्पतालों में, शहरों के अंदर तो इतने लोग मिल जाएंगे, डाक्टर भी हैं। एक नहीं होगा तो दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे के पास चले जाएंगे, लेकिन जहां पर एक ही स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहा है वहां पर किस दूसरे के पास जाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राम स्तर पर जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी अविलम्ब पोस्टिंग होनी चाहिए, उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि हमारी जनता को राहत मिल सके।

एड्स और क्षय की बातें हम कर रहे हैं, क्षय हमारे बांसवाड़ा के अंदर काफी है। अभी बजट के अंदर हमने सुना कि 12 जिलों को आपने लिया है और इसके बाद आपने यह भी कहा है कि अगली साल हम संपूर्ण जिलों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं आपको

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

धन्यवाद देता हूं क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक क्षय रोगी हैं और चिकित्सा के अभाव में कई व्यक्ति काल-कवलित हो रहे हैं। उनकी चिकित्सा का निश्चित रूप से हमारा दायित्व है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा बी.पी.एल. के बारे में। हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया था कि बी.पी.एल. के कार्ड कई अयोग्य लोगों ने भी ले लिये हैं। योग्य लोगों को तो नहीं मिले और जो पात्रता नहीं रखते थे, जो पैंट, बुशर्ट और एक मोटरसाइकिल मेनटेन करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के हाथों में भी बी.पी.एल. के कार्ड गये हैं। महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में परतापुरा में एक अस्पताल है, वहां पर एक गरीब आदमी आया जिसके पास आप अतिशयोक्ति न समझें, डिस्टिल वाटर खरीदने के लिए भी उसकी जेब में पैसे नहीं थे। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास बी.पी.एल. का कार्ड है तो उसने पूछा कि बी.पी.एल. क्या होता है। हो सकता है हम जन-प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी हो और हमने उसका प्रचार-प्रसार करने में कहीं कमी रखी होगी।

एक दूसरा उदाहरण उसी के समकक्ष देना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने सात हजार रुपये देकर स्वयं का आपरेशन कराया एक प्राइवेट क्लीनिक के अंदर। उसको जब बाद में मालूम पड़ा कि बी.पी.एल. कार्ड का उपयोग यह है कि सरकार स्वयं इसका खर्चा देती है तो वह उस डाक्टर के पास गया, उसने कहा कि बी.पी.एल. कार्ड मेरे पास है, यह सात हजार रुपया जो मेरा खर्चा हुआ मुझे वापस मिलेगा? उस डाक्टर का स्टेटमैंट है, उसका बहुत अच्छा पहनावा था, पैंट, शर्ट, बूट और स्वयं का स्कूटर लेकर वह डाक्टर के पास आया, सात हजार रुपया प्राइवेट क्लीनिक में खर्चा किया उस व्यक्ति के हाथों में बी.पी.एल. का कार्ड कैसे आया। निश्चित रूप से हमारे लिये ये अभी भी शोचनीय बातें हैं। हमारे गरीबों को उनका हक मिले, इसके लिए मेरा निवेदन है।

बी.पी.एल. के अंदर दूसरी विसंगति है। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन विसंगति की बात मैं करना चाहता हूं और वह यह है कि बी.पी.एल. का कार्ड लेकर एक व्यक्ति जाएगा, अस्पताल के अंदर निश्चित रूप से उसका इलाज होना है। हमारे बीच में बैठे हुए कई डाक्टर लोग भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र के जानने वाले लोग भी हैं, आज व्यक्ति का रेजिस्टैंस घट गया है, उसकी प्रतिरोध की क्षमता घटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा हाई डोज देकर इन प्राइवेट प्रैक्टिशनरों ने मरीज का हाल बुरा कर दिया है। हमारे व्यक्ति का इतना बुरा हाल कर दिया है कि क्लोरोक्वीन की दवाई, हमारे

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

आदिवासी क्षेत्र के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर असर नहीं करती है। उसको ऊंची मेडिसिन चाहिए बी.पी.एल. के कार्ड का उसके पास हवाला भी है, मगर हमारे पास जो सरकारी सप्लाई है उस सप्लाई में वह दवाई नहीं है, सिर्फ क्लोरोक्वीन है। हमारे वहां पर जेंटामाइसिन जैसे इंजेक्शन की सप्लाई है, किन्तु आज हमारे वहां जरूरत पहुंच चुकी है बोनोफैक्साइड की। उस महंगे इंजेक्शन को लाकर कैसे वह व्यक्ति इलाज कराएगा? मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इतने अधिक साधन हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनरों के अस्पताल पनप रहे हैं। वो के वो लोग इलाज करवा रहे हैं, चाहे वे अपना खेत बेचकर करा रहे हैं, चाहे अपनी जमीन बेचकर करवा रहे हैं, चाहे अपना घर बेचकर करवा रहे हैं। किन्तु उस व्यक्ति को इलाज हमारे अस्पताल में इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि हमारे पास साधनों की कमी है, डाक्टरों की कमी है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर हमारे वहां पर इतने पनप रहे हैं क्योंकि अच्छे से अच्छे अस्पतालों के उपकरण लाकर रखे हुए हैं। हर आदमी रिजल्ट चाहता है, बहुत जल्दी अपना डाइग्नोस चाहता है और इलाज करवाकर वह अपने घर जाना चाहता है। यही काम हमारे सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारी मंशा, हमारी नीयत बहुत साफ है लेकिन हमको चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है तो इस नयी तकनीक को भी हमारी चिकित्सा प्रणाली में उतारना पड़ेगा।

एक छोटा-सा ध्यानाकर्षण और करूंगा कि हमारे वहां पर जो चीजें आती हैं, अप्रेंटिस आते हैं, जो सरकारी सप्लाई होती है वे आपके दो-चार हैड हैं, चादर आ रही है तो चादर ही आ रही है, हर हैड से आ रही है। पलंग की मांग नहीं है तो भी पलंग आ रहा है, टेबल की मांग नहीं है तो भी टेबल आ रही है। जिन चीजों की रिपेयर की जरूरत है उस रिपेयरिंग के लिए हमको पैसा नहीं मिल रहा है और उसकी बजाय ऐसी चीजें हमारे पास आ जाती हैं जिनका हमारे अस्पतालों में कोई भी उपयोग नहीं है। मेरा निवेदन है कि छोटे से छोटा हैड है, आप अगर पंचायत समिति स्तर पर या जिला स्तर पर आपका हैड है, बजट कम से कम उनको सप्लाई कीजिए ताकि वहां की क्या जरूरत है, वहां की आवश्यकता क्या है उसको वे आइडेंटिफाई कर सकें और उन लोगों को जिन चीजों की वाकई जरूरत है उस क्षेत्र के लिए उन चीजों को वे खरीद सकें।

मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से पूनमजी ने अभी ध्यानाकर्षण किया था करप्शन की ओर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मार्च के महीने में बजट के समायोजन के या बजट के खर्च करने की आपाधापी में इस तरह की चीजें खरीद ली जाती हैं जिन चीजों की जरूरत ही नहीं

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

होती। एक्सपायरी डेट की दवाइयां, मैं बता सकता हूं जो हमको अभी सप्लाई हुई हैं, 3-4 महीने बाद एक्सपायर होने वाली दवाइयां हैं। वह दवाई आखिर किसने खरीदी और क्यों खरीदी? दो या तीन महीने के बाद उसी अस्पताल के अंदर वह दवाई दम तोड़ देगी, वह मरीज के काम नहीं आएगी। मेरा निवेदन था कि इस तरह की कोई अनियमितताएं हैं तो उसके बारे में आप कृपया ध्यान दें।

आयुर्वेद आज इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आयुर्वेद के लिए छोटी-सी बात कह देना चाहूंगा कि आयुर्वेद के चिकित्सालय हैं वहां पर भी क्लोरोक्वीन दी जा रही है। हमारे 34 स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर भी क्लोरोक्वीन दी जा रही है। मेरा निवेदन था कि जिस ढंग से हमारे आयुर्वेद की उपयोगिता है उस उपयोगिता को केन्द्रों के ऊपर हमें सिद्ध करना है। लेकिन एक-एक जगह पर तीन-तीन स्वास्थ्य केन्द्र और मरीज वो के वो, उनका इलाज वो का वो। अपना पूरा कंसैप्ट लेकर अगर जनता के बीच में खड़ा रहेगा तभी आयुर्वेद हमारे लोक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद के जो भी केन्द्र हैं वे ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की दवाइयों का और आयुर्वेद के उस कंसैप्ट का प्रचार करें ताकि हमारी जनता के अन्दर स्वास्थ्य का लाभ हो सके।

मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, एक अन्तिम बात कहनी है। हमारा आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा बल्कि प्रतापगढ़ इन दो तीन जिलों के बीच में रक्त बैंक की कमी है। वहां पर रक्त बैंक नहीं होने की वजह से प्राइवेट डोनेटर भी आज इतने नहीं रह गये हैं, न लोग स्वेच्छा से वहां रक्तदान कर रहे हैं। कई लोग रक्त के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रक्त बैंक की यहां स्थापना करवा सकें तो निश्चित रूप से हमारे वहां का बहुत-बहुत भला होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री माहिर आजाद। समय सीमा 8 मिनट है, आपके दूसरे माननीय सदस्य ने भी दावा पेश कर दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि देर आये, दुरूस्त आये, चलो आपने मुझे बोलने का अवसर तो दिया और समय की सीमा भी आप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : दूसरे माननीय सदस्य ने दावा पेश कर दिया है, मैं क्या करूं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : किसने? नहीं, वह खैर कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह सदन आज चिकित्सा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद और यूनानी की मांग संख्या-26 पर विचार कर रहा है। सभापति महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि जन कल्याणकारी राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों को उसकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये और उन मूलभूत सुविधाओं में चिकित्सा सेवा एक अहम सुविधा है, चाहे हम यह कह दें कि पहला सुख निरोगी काया, चाहे यह कह दें कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। जहां एक ओर हम इस देश में प्रति वर्ष एक नया आस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं, वही राजस्थान की हम प्रति वर्ष 13 लाख की आबादी बढ़ा रहे हैं यानी एक नया जोधपुर पैदा कर रहे हैं। उस परिस्थिति में यह देखने की बात है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा संस्थाओं के जरिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, कार्यक्रमों में वृद्धि होनी चाहिए थी। नयी सरकार आयी थी, आपने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलीं, क्या बच्चों को सिर्फ शिक्षा अर्जित करना जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए जो नयी-नयी घोषणाएं की थी उनको कितना अमलीजामा पहनाया गया? मैं कुछ उदाहरण आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो पिछले बजट भाषण में घोषणाएं की थीं, यह एक पुस्तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 1999-2000 इसके पेज संख्या-13 का जरा अवलोकन करें। आपके जो इंस्टीट्यूशन थे उन इंस्टीट्यूशंस में बिलकुल भी वृद्धि आपने नहीं की, जितने 1999 में थे वो के वो ही आपके 2000 में है। एक-एक उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं। इसी तरीके से आप टीकाकरण का ले लें। टीकाकरण में पेज संख्या-50 पर देखें कि जो लक्ष्य 1998-99 में 93 और 94 प्रतिशत थे इस 1999 और 2000 में दिसम्बर तक 61 प्रतिशत, 66 प्रतिशत, 62 प्रतिशत है, इसमें कमी क्यों हो रही है? आप प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या ले लें। जो आपने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इस प्रगति प्रतिवेदन का पेज-21 जरा देखें, मुलाहिजा करें। आपके मार्च, 1999 तक प्रशिक्षित व्यक्ति थे 1233 और अब आपके 225 ही हैं। आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में थे 685 और अब जनवरी, 2000 तक 205, अजमेर में 433 थे परन्तु अब 151 है। जोधपुर में 267 थे, 104 हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जैसे अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, आपके राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम, इस टी.बी. वाले को देख लें। पांच वर्ष के आपने जो आंकड़े दिये, पहले 150 प्रतिशत, 130 प्रतिशत, 145 प्रतिशत अचीवमैंट था। आपने लक्ष्य रखा था कि हम इतने लोगों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

का यह करेंगे और उसके बाद अब आपके लक्ष्य से भी आप नीचे जा रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं आखिर इसका कारण क्या है ? (व्यवधान) नहीं, स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं हो रहा है। इसको सीरियसली लें, इसको मजाक में मत लीजिये, इस वे में मत लीजिये। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य विभाग को मिल रही सहायता में कटौती और कछुआ चाल से विश्व बैंक नाखुश, जरा आप मुलाहिजा करें। अधिकारियों के अहम और आपसी संवादहीनता के कारण विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से मिले करोड़ों रुपये खर्च नहीं हो पाये। इन संगठनों ने राज्य सरकार की कछुआ चाल को देखते हुए अगले वर्ष की सहायता राशि में कटौती कर दी है। विश्व बैंक ने तो अब और नहीं देने की चेतावनी भी दे डाली है। यह किस्सा है चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का। विश्व बैंक ने राजस्थान के परिवार कल्याण कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए इण्डिया पापुलेशन प्रोजेक्ट, आई.पी.पी. 9 के तहत 124 करोड़ रुपये दिये थे। यह धनराशि बतौर सहायता थी, सभापति महोदय, कर्जा नहीं था। सहायता की राशि में भी क्या हुआ? 124 करोड़ रुपये दिये थे और यह सहायता की राशि थी लेकिन पिछले 6 वर्षों में सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये हैं। इस परियोजना की अवधि 2001 तक निश्चित है यानी अगले एक वर्ष में शेष 70 करोड़ रुपये की रकम खर्च करना सम्भव नहीं लगता है। विश्व बैंक ने राज्य सरकार के इस आलस्य को देखते हुए अगली परियोजना के लिए प्रस्तावित 700 करोड़ की जो राशि थी उसकी आधी राशि की कटौती करने का फैसला कर लिया है। विश्व बैंक की सहायता पर आधारित परियोजनाएं कर्नाटक में भी चल रही थीं, अब विश्व बैंक ने राजस्थान के कामकाज पर असंतोष प्रकट करते हुए कर्नाटक पर ध्यान केन्द्रित कर लिया है जहां परियोजना की रिपोर्ट संतोषजनक है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाला किस्सा यह अकेला नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के लिए यू.एन.एफ.पी.ए. से राज्य को 17 करोड़ 50 लाख मिले थे जिसमें से केवल 5 करोड़ ही खर्च हो पाये हैं। नतीजन यू.एन.एफ.पी.ए. ने अगले वर्ष में 20 करोड़ देने का जो प्रस्ताव रखा था उसमें भी कटौती करके सिर्फ साढ़े 8 करोड़ रुपये कर दिया है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, विश्व बैंक ने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार को गांव-गांव में प्रसूति गृह की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 25 करोड़ रुपये दिये थे, उसमें से केवल 2 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाये

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हैं। आई.पी.पी.-9 परियोजना के तहत विश्व बैंक ने अस्पताल बनवाने, दवाई और उपकरण खरीदने, चिकित्सकों को नियुक्त करने, संचार सुविधाएं मुहैया कराने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने आदि के लिए भी अलग-अलग राशि दी थी। उदाहरण के लिए अस्पताल बनवाने के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था जिसके एवज में सिर्फ 36 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। दवाइयों, उपकरणों के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान था, इस पर भी एक पैसा खर्च नहीं किया गया है। चिकित्सकों व अन्य सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर 25 करोड़ रुपये खर्च करने थे जिसकी एवज में सिर्फ एक करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अधिकारियों की आपसी खींचतान और कार्यक्रम के प्रति उनकी अरुचि के कारण यूरोपियन कमीशन, बिल गेट फाउंडेशन, यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए., पी.एस.आई. और विश्व बैंक ने अब राजस्थान से हाथ खींचने शुरू कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, कौन लोग दोषी हैं जिन्होंने राजस्थान को सहायता के रूप में मिली इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग भी नहीं करके राजस्थान के लोगों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के साथ... सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

श्री सभापति : कृपया आप समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : या तो आप कहें तो मैं बोलूं ही नहीं। यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप बोलो लेकिन समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी पार्टी का समय है। आप समय बढ़ा लीजिये, इतना महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय सदन की अनुमति से आधा घंटा और बढ़ाया गया।

मांग संख्या-26 पर विचार

मोहम्मद माहिर आज़ाद : माननीय सभापति महोदय, अगर आप समय की सीमा ही लागू कर रहे हैं तो...

श्री सभापति : मैं नहीं लागू कर रहा हूं। माननीय सदस्य, इस आधे घंटे में मंत्री महोदय को जवाब देना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है। जवाब दे देंगे, आठ-साढ़े आठ बजे तक यह सदन चला है। शिक्षा वाले दिन 9 बजे तक चला है।

श्री सभापति : यह मेरे वश में नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतनी इम्पोर्टेंट डिमाण्ड पर बात कर रहे हैं इसलिए इसमें समय की सीमा नहीं लगानी चाहिए। अगर आप यह कहें तो फिर मैं अपनी कुछ बात कहने के बजाय कुछ सुझाव दे दूं। यह क्या बात हुई?

श्री सभापति : वह अच्छा रहेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे अहम बात की तरफ पूरे सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना इस देश के लिए अनिवार्यता हो गयी है और इस जनसंख्या वृद्धि का किसी धर्म और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक शिक्षा से है। जो शिक्षित लोग हैं उनका परिवार सीमित मिलेगा और जो अशिक्षित हैं उनका परिवार बड़ा मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन को और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने दो बच्चों का कानून नगर पालिकाओं और पंचायत संस्थाओं पर लगाया है, जरा बड़प्पन दिखा कर प्रस्ताव पास कीजिये कि विधान सभा का चुनाव भी वे ही लोग लड़ेंगे जिनके दो बच्चे होंगे।

दूसरा सुझाव यह है कि सीमित परिवार और सुखी परिवार पर नियमित रूप से नाइंथ क्लास से ही आपको पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, जम्मू कश्मीर में, केरल में और दूसरे राज्यों के अन्दर सीमित परिवार का विषय नाइंथ क्लास के पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है ताकि जब वह अपने वैवाहिक जीवन में जाए तो उसका दिमाग मेक-अप हो जाए और वह सीमित परिवार की तरफ बढ़े।

दो बच्चों से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाए, इसके लिए आपको कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैं इंडोनेशिया गया था, इंडोनेशिया इस्लामी देश है। इंडोनेशिया ने यह कानून बना लिया कि वहां दो बच्चों से ज्यादा वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और सरकारी नौकरी देने के बाद तीसरा बच्चा हो जाता है तो उनको फिक्स कर दिया जाता है, कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। आप भी इसी तरीके से कोई निर्णय लीजिये। नौकरी में आने के बाद अगर दो बच्चे हो जाएं तो आप उसको प्रमोशन मत दीजिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप आयु सीमा में भी सीमित परिवार के सिद्धांत का पालन करने वालों को छूट दीजिये। आपकी जो राजकीय योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में आपने विभिन्न श्रेणियां रख रखी हैं, एस.सी. की, एस.टी. की, ओ. बी. सी. की, विकलांगों की, भूतपूर्व सैनिकों की, महिलाओं की, विधवा की, परित्यक्ताओं की, उसमें आप एक श्रेणी यह डाल दीजिये कि जो सीमित परिवार को अपना रहा है उसको भी हम कुछ न कुछ उसकी कैटेगरी के पांच प्रतिशत, दो प्रतिशत की छूट देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब सुझाव पढ़ रहा हूं इसमें भी आप घंटी बजा रहे हैं। सभापति महोदय, फिर तो आप कहें तो मैं कागज ही दे दूं स्वास्थ्य मंत्रीजी को, इतना भी नहीं कहूं।

श्री सभापति : वह और भी अच्छा रहेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो कोई बात नहीं हुई।

सभापति महोदय, एनजीओज. की भागीदारी महत्वपूर्ण बढ़ानी चाहिए। सभापति महोदय, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण ने एनजीओज. की एक एडवाइजरी कमेटी बना रखी है। मैं भी पिछले तीन वर्षों से उसका मैम्बर था। नयी सकार आने के बाद उसकी एक साल में मीटिंग नहीं हुई, आज तक मीटिंग ही नहीं हुई।

सभापति महोदय, पुरुष नसबंदी का प्रतिशत बढ़ाया जाए। आप आंकड़े उठाकर देखें की नसबंदी यहां हर साल जो लाख डेढ़ लाख, दो लाख लोग कराते हैं उसमें 99 प्रतिशत महिलाएं हैं और पुरुष केवल एक प्रतिशत है। इससे क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं? इसलिए पुरुष नसबंदी का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। अन्तराल विधियों या अन्य तरीकों को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

चिकित्सा के सम्बन्ध में डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रभावी अंकुश भी लगाना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण सुझाव मैं देना चाहता हूं कि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव डाक्टर्स से हासपिटल में मिलते हैं। उनका ड्यूटी का टाइम है और ड्यूटी पर मरीजों की लाइन लगती रहती है और मेडिकल रिप्रजेंटेटिव उनसे अपनी बात करते रहते हैं। कई बार मैंने भी देखा है, भीड़ लगी रहती है और डाक्टर उनकी बात सुनता रहता है। इस पर रोक लगनी चाहिए कि मेडिकल रिप्रजेंटेटिव डाक्टर से मिले तो उनके घर पर जाकर मिले, उनकी ड्यूटी के समय अस्पताल में नहीं मिले।

अनावश्यक जांच आदि में जो मरीजों की लूट हो रही है उसको रोका जाना चाहिए। सभापति महोदय, आज हास्पिटल का आप रिकार्ड उठाकर देख लें, हास्पिटलों में हालत

(मोहम्मद माहिर आजाद)

यह है कि जो प्राइवेट डाक्टर को दिखाकर आता है उसकी जांच की पर्ची पर फ्री लिखकर जांच करवा ली जाती है और एक आदमी के चाहे बुखार हो रहा हो या छोटी-सी बीमारी ही हो, उससे हजारों रुपये की जांच करायी जाती है। इसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए।

डाक्टरों को एक स्थान पर रखने की समय सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए कि कोई भी डाक्टर एक स्थान पर इससे ज्यादा समय तक नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए दवाइयों आदि के प्रावधान के लिए धनराशि का भी निश्चित प्रावधान किया जाना चाहिए। जो जीर्ण-शीर्ण अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनकी मरम्मत का प्रावधान होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आज कई फण्ड हो गये सांसद कोटा, विधायक कोटा, मेवात विकास कोटा। सरपंच अपना पैसा खाने के लिए, कमीशन खाने के लिए जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत भी नहीं है वहां पर बिल्डिग बना देते हैं। इसलिए जिला कलेक्टर्स को और डी.आर.डी.ए. को निर्देश होने चाहिए कि जो भी संस्था इन कोटों में कोई कार्य स्वीकृत कर रही है तो पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकली है या नहीं निकली। कई स्थानों पर-लाडनता है, कुड़कीदला है, सेमलीकलां है, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं। मैं गांवों में गया तो लोगों ने कहा कि इसमें चिकित्साकर्मी नहीं आते हैं। जब मैंने यहां आकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की तो कहते हैं कि हमारे पास तो वहां स्वीकृत ही नहीं है। वहां भवन बन गया बिना स्वीकृति के, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

पदस्थापन आपने कहीं भी कर रखा हो, जहां अगेंस्ट द पोस्ट लोग लगा रखे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। समय-समय पर जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी निरीक्षण कर रहे हैं, इस निरीक्षण में और गति देनी चाहिए। इसके अलावा जो नागरिक सलाहकार समितियां पहले बनी हुई थीं, उसी तरीके से अब भी अस्पतालों में बनायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, नीम-हकीमों का आप को ताज्जुब होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, नाम बता रहा हूं, मोहल्ला तोपखाना हजूरी में एक मीणा बस्ती है, वहां रमेश कुमार नाम का आदमी गंगापुर सिटी में सब्जी बेचता था। उसकी दुकान नगरपालिका ने तोड़ दी तो वह यहां आकर जनता क्लीनिक का बोर्ड लगाकर दवाई बेच रहा है। ऐसा खिलवाड़ लोगों के साथ हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सभापति महोदय, दवाइयों की जो दुकानें हैं उन पर अप्रशिक्षित लोग बैठे हैं। जैसे अभी एस.एम.एस. की मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बात चली थी, उसके अन्दर जो आदमी बैठा है वह भी अनट्रेण्ड है। उसने जिस आदमी का लाइसेंस काम में ले रखा है वह सरकारी नौकर है। और आप इस तरीके से व्यवस्था बांगड़ हास्पिटल में भी करना चाहते हैं।

अंत में, सभापति महोदय, मैं यूनानी के बारे में भी दो-चार लाइन कहना चाहता हूं। एक बड़ी दुविधा की बात है कि अभी परिवार कल्याण मंत्रीजी इराक, ईरान जाकर यूनानीपैथी का और यूनानीपैथी के जरिये फेमिली वेलफेयर की जांच करके आयीं, उनका विभाग बदल दिया गया। हमारे परिवार कल्याण सचिव जाकर द लेटेस्ट टैक्नीक फार फैमिली वेलफेयर का अध्ययन करके आये, उनसे फैमिली वेलफेयर डिपार्टमैंट छीन लिया गया। जो अधिकारी प्रशिक्षण लेकर आते हैं उनको उस विभाग से हटाकर दूसरी जगह लगा देते हैं। आखिर क्या उनको आप भ्रमण करने के लिए भेजते हैं?

जहां तक यूनानी का सवाल है, आज आयुर्वेद में भी इतने पद खाली पड़े हुए हैं और जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है वे ओवर एज होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आर.पी.एस.सी. रिक्रूटमैंट नहीं कर रही है तो आपको एडहाक जैसे एलोपैथी में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर दिया, उसी तरह से आपको आयुर्वेद में भी नियुक्ति देनी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अंतिम लाइन कह रहा हूं कि यूनानी का जहां तक सवाल है, राजस्थान के अन्दर एक तरफ आप दूसरी जगह के मेडिकल कालेज और डेंटल कालेजेज को उदारता दिखाते हुए आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में जोधपुर में जुबेरिया तिब्बी कालेज था, जयपुर में राजस्थान तिब्बी कालेज था और राजपूताना तिब्बी कालेज था, आज तीनों कालेज बंद पड़े हैं। यूनानी के 79 पद पहले से ही खाली पड़े हैं और 50 पद आपने पिछले बजट में घोषित किये थे हम यूनानी के 50 पद भरेंगे, उन 50 में से एक भी आपने नहीं भरा। आज यूनानी प्रशिक्षण प्राप्त लोग इधर-उधर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आर.पी.एस.सी. नहीं भर रही है, वित्त विभाग स्वीकृति नहीं दे रहा है तो आप प्रयास करके स्वीकृति लें और इन यूनानी प्रशिक्षित हकीमों को तत्काल चाहे आप एडहाक कमेटी बनाकर के नियुक्ति दें पर इनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यूनानीपैथी भी एक पुरानी पैथी है, इसके साथ न्याय करेंगे।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इसी आशा और विश्वास के साथ आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अमराराम। एक दल के दो माननीय सदस्य ठीक नहीं रहेगा। (व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुर्वेद पर विचार चल रहा है। मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में और इस बजट में स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है जीवन का, उन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का कोई प्रोविजन पिछली बार था न अब की बार है और न उन चीजों को मजबूत करने की कोई दिशा इस बजट में है। आम जनता और विशेष रूप से जो वर्ग इससे अछूता है वहां तक इन सेवाओं का पहुंचने का जहां तक सवाल है, आज भी राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में नहीं आकर अंधविश्वासों के दायरे में है। वह आज भीं डोरे और तंत्र के दायरे में है। अंधविश्वासों के कारण आज भी वह अस्पताल के दायरे में नहीं आया। अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण, अपने अंधविश्वासों के कारण आज भी वह हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। यह अंधविश्वास केवल अनपढ़ और गरीब के बीच में ही नहीं है, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि आज साइंस का युग है, मेडिकल साइंस की डिग्रियां लेकर डाक्टर आते हैं लेकिन राजस्थान के आपरेशन थियेटर्स का अगर आप इनका अवलोकन करेंगे तो 80 से 90 प्रतिशत आपरेशन थियेटर्स के अन्दर किसी न किसी आराध्य देव की मूर्ति या फोटो आपको जरूर मिलेगी। इस वैज्ञानिक युग में एक भगवान का रूप लेकर बीमार को नया जीवन दान देने की शिक्षा लेकर आये हैं, लेकिन अपनी पढ़ी गई शिक्षा और अनुभव पर उनको भरोसा नहीं होकर उन पर भरोसा है। फिर हम राजस्थान की अधिसंख्यक जनसंख्या जो आज भी अनपढ़ है, उससे यह आशा कैसे करें कि वह इनसे आगे बढ़ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज ऐसे लोग स्वास्थ्य के काम में लगे हुए हैं सरकार की तरफ से कि कहीं भी कोई चेकिंग जैसी चीज आज नहीं है। आज विभाग में जितनी भी वेकेंसियां रहती हैं, उसका सबसे बुरा प्रभाव राजस्थान के ग्रामीण लोगों को भोगना पड़ता है चाहे वह डाक्टर की वेकेंट पोस्ट हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे ए.एन.एम. की हो। राजस्थान के दूरस्थ गांव में जहां ए.एन.एम. के उप केन्द्र हैं, वे भी आप नहीं बढ़ा रहे हैं। गांव का व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट लिखवा सकता है लेकिन एक इंजेक्शन लगवाने के लिए अगर ए.एन.एम. नहीं होगी तो इंजेक्शन जो पांच रुपये का या दस रुपये का है, उसको लगवाने के लिए उसके 50 रुपये का खर्चा होता है। पिछली बार

(श्री अमराराम)

भी आपने व्यवस्था की थी, यहां घोषणा की थी कि हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि दुबारा इस प्रकार की अव्यवस्थाओं का शिकार नहीं

(18.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

होना पड़े लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत बद से बदतर है चाहे वह ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र हो।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोसल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। स्वीकृति के बाद वहां एक्स-रे रूम बनाया, कनेक्शन हुआ लेकिन पांच साल के बाद आज तक वहां एक्स-रे मशीन लागू नहीं हुई।

जहां तक दवाई देने का सवाल है, आज हालत यह है कि जितने भी फार्मासिस्ट हैं, कोई भी सरकारी दवाई की दुकान पर जिसके फोटो लगी हुई है या फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, मुश्किल से एक या दो प्रतिशत वहां फार्मासिस्ट मिलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में "ए" श्रेणी का अस्पताल श्री कल्याण अस्पताल है, वहां भी बड़ी अव्यवस्था है। पहले दवाई गायब हुई, अभी डाक्टर का बैठना गायब हुआ और अब अस्पताल के बैड गायब हुए। कोई कमेटी जाए या स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी जाएं, तब तो अस्पताल में बैड सही मिलेंगे वरना एक भी बैड पर आपको चादर नहीं मिलेगी। मैं उस अस्पताल की कह रहा हूं जो "ए" श्रेणी का अस्पताल है। आज वहां हालत यह है कि वहां पर पी.एम.ओ. का चार्ज लेने वाला कोई नहीं है। आज हालत यह है कि जो पैरा-मेडिकल स्टाफ है जिनकी दवाई की दुकान है, वह पेशेंट को मजबूर करता है और लाइफ लाइन की दुकान से लाई गई दवाइयों को वापस भेज देते हैं। उनकी निजी दुकानों से दवाई नहीं लाएंगे दूसरी दुकानों से लाएंगे तो वे दवाइयां अस्पताल में आने के बाद वापस कर दी जाती है। शिकायत होती है, जांच होती है लेकिन उन पर एक्शन नहीं होगा। अस्पताल को चलाने वालों पर एक्शन होगा। मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है कि आप किसको बदलें, किसको नहीं बदलें लेकिन यह आम जनता के साथ लूटने का सौदा है। सीकर अस्पताल में आज से 20 साल पहले हालत यह थी कि उसमें बैड से ज्यादा मरीज होते थे। आज उसमें ऐसा वार्ड है जिसमें 50 से लेकर 100 बैड हैं और 20 मरीज हैं। आज पूरा का पूरा स्टाफ लोगों को लूटने के लिए आतुर है। जहां तक ई.एस.आई. अस्पताल की बात है, कहीं डाक्टर नहीं है, कहीं डाक्टर है तो दवाई नहीं है। दवाई के लिए जो कमेटी बनी हुई है, आज तक कोई भी काम एक जगह पर बैठकर कमेटी ने नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे

(श्री अमराराम)

निवेदन है कि राजस्थान में स्वास्थ्य के बारे में आम जनता की विभाग से जो अपेक्षाएं हैं, इससे पूरी नहीं हो पा रही हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है फतेहपुरा, जिसके भवन को गिरे पांच साल हो गये। जो भवन बना था वह गिर गया लेकिन विभाग की तरफ से उसको वापस बनाने के लिए विभाग देखने को तैयार नहीं है। वहां लोगों को निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

एस.एम.एस. अस्पताल के लिए माननीय सदस्यों ने बात रखी है, मैं कहना नहीं चाहता। आज हर चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय में भी, वहां पर बैठने वाले चिकित्सक की जितने प्राइवेट क्लीनिक और अस्पताल चलते हैं, उनमें सब में नेम प्लेट मिल जाएगी। वे अस्पताल में बैठकर भी प्राइवेट अस्पताल के लिए सजैस्ट करते हैं। लोग जब डाक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे और वे सजैस्ट करेंगे तो उसकी तो मजबूरी है। जो सक्षम है वह तो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है। लेकिन जो राजकीय चिकित्सालय हैं, उनकी हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं समझता हूं, पूरे राजस्थान में चिकित्सकों का जो अमला है, उस पर हम सख्ती से काम नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा राजस्थान की ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ेगा। यही बात कहते हुए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : रघुवीर सिंह मीणा। (अनुपस्थित) ललित भाटी।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी की मांग संख्या-26 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत कम माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया है, सबका एलोपैथी की तरफ ज्यादा ध्यान गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस देश में यह आयुर्वेद पद्धति विकसित हुई और इसी में से एलोपैथी निकली। मगर आज एलोपैथी का बोलवाला सबसे ज्यादा है और आयुर्वेद की तरफ ध्यान कम है। मगर यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान के उन प्रथम प्रांतों में लिया जाता है जिनमें यह सबसे पहले विकसित होती जा रही है और जहां इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह का दृष्टिकोण तो ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं करता हुआ सिर्फ यह सुझाव देना चाह रहा हूं कि जिस तरह से एलोपैथी नर्सिंग कौंसिल बना हुआ है, उसी तरह से आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल की भी राजस्थान

(श्री ललित भाटी)

में स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि अभी यह नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो नर्सिंग का पाठ्यक्रम है और परीक्षाओं का संचालन है, वह राजस्थान यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की सुविधा होती है उसके हिसाब से वह पाठ्यक्रम चलता है, एग्जाम कण्डक्ट होते हैं और उनका कहीं नियोजन नहीं हो पाता है। जो लोग अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर निकलते हैं, आज की तारीख में भी मैं यह मानता हूं कि हजार, डेढ़ हजार के करीब ऐसे बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं जो कहीं नियोजित नहीं हो पा रहे हैं। एलोपैथी की नर्सिंग कौंसिल इन सब चीजों की तरफ ध्यान देती है, वही उनका पाठ्यक्रम तय करती है, वही उनके नियोजन की बात देखती है। एक कमी यह भी है कि एलोपैथी की नर्स, कम्पाउण्डर को दूसरी जगह कहीं भी चिकित्सा का अधिकार है, वे करते हैं, मगर आयुर्वेद के नर्स, कम्पाउण्डर कहीं दूसरी जगह नौकरी पर नहीं लग पाते। तो हमें, उनके नियोजन की तरफ भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा।

पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जो 'बी' श्रेणी के आयुर्वेद के चिकित्सालय आपने पंचायती राज को स्थानान्तरित किये हैं, यह आपका एक बड़ा साहसिक कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसमें मैं सुझाव देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अब स्थानान्तरण से प्रशासनिक पदों का आप समायोजन करेंगे, वह चार सौ, पांच सौ या छह सौ जो भी संख्या आएगी उसका आप समायोजन करके बड़ी मितव्ययता कर सकते हैं। इन लोगों की जहां आयुर्वेद चिकित्सालय के अंदर जरूरत है, दूसरी जगह लोग कार्यरत नहीं हैं, वहां आप इनका समायोजन कर सकते हैं। यह मेरा इसके अंदर एक सुझाव है। एक महत्वपूर्ण सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि जो चारों रसायनशालाएं हैं, आयुर्वेद औषध निर्माण संस्थान को उनका स्थानान्तरण होना चाहिए और आयुर्वेद निदेशालय का जो उसके ऊपर नियंत्रण है उस नियंत्रण से आप इसको मुक्त करें। हमने पिछले दिनों अखबारों के अंदर पढ़ा कि उसके टेण्डर नहीं हो पा रहे हैं, उसके अंदर घोटाले की बात आ रही है, उसके अंदर कहीं प्रक्रिया की पेचीदगी आ रही है और जो काम होना चाहिए वह इस वजह से नहीं हो पा रहा है। जो आयुर्वेद औषध निर्माण संस्थान का आपका कंसैप्ट है, आप उसके नियंत्रणाधीन इसको कर दें। एक महत्त्वपूर्ण सुझाव मैं यह देना चाहता हूं क्योंकि मितव्ययता भी प्राथमिक के साथ हम लेकर चल रहे हैं, शैय्याओं वाले आयुर्वेद चिकित्सालयों में आपने बहुत बैड सेंक्शन किये हुए हैं मगर उनकी आक्यूपेंसी उतनी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि उनकी

(श्री ललित भाटी)

आक्यूपेंसी के हिसाब से आप वहां पद स्वीकृत करें। जो पद हिसाब से आपको अधिक लगते हैं कि आपके 25 बैड का तो हास्पिटल है मगर वहां महीने के अंदर 25 मरीज भी नहीं आते हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। अगर मैं उदाहरण दूंगा तो समय मेरा काफी लग जाएगा, आप इसकी जांच करवा लें। वैसे यह मैंने लिखित में सुझाव भी आपको दिया है, माननीय मंत्री महोदया, उसके हिसाब से आप करेंगी तो इसके अंदर आपकी सेविंग्स होगी और उन पदों को आप दूसरी जगह समायोजित कर सकती हैं। आप शैय्याओं को भी उनकी आक्यूपेंसी के हिसाब से इसके अंदर देखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में तो कम से कम यह मेरी जानकारी के अंदर है, अलग-अलग अफसर न एलोपैथी का है, न आयुर्वेद का है, न होमियोपैथी का है, वहां एक ही छत के नीचे ये सारी की सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। शहरी क्षेत्रों के अंदर आयुर्वेद है, होमियोपैथी है, यूनानी है, इनको एलोपैथी हास्पिटल के साथ में सम्बद्ध कर दें और वहीं सी.एम.एच.ओ. के अण्डर में आप इनका कंट्रोल करें या डी.एम.एच.ओ. के अण्डर में कंट्रोल करें तो इससे भी मैं सोचता हूं कि एक ही जगह पर सारे रोगियों को सब सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। दिल्ली के अंदर तो यह सब सफलतापूर्वक चल रहा है, अगर इस प्रयोग को आप राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह एक अभिनव प्रयोग भी साबित होगा, आप त्वरित गति से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे और उनका नियंत्रण भी, देखरेख भी, मोनिटरिंग भी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ हो पाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, बस अब मैं दो-तीन पाइंट सैटेलाइट और जनाना अस्पताल की कहकर मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब दो करें, तीन करें, दो मिनट में करें।

श्री ललित भाटी : मैं दो मिनट में कर देता हूं।

एक तो सी.ए.एस. के जो पद समाप्त करने की बात की जा रही है, यह निर्णय सरासर गलत नजर आ रहा है। डाक्टर करण सिंहजी साहब ने भी अपनी बात कही और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी की, इस बात के ऊपर गहराई से सोचा जाना चाहिए। अगर यह महसूस करता है प्रशासन कि जो टीचिंग के अंदर लगे हुए डाक्टर्स हैं वे नहीं बैठ रहे हैं तो उसके लिए आप कोई और व्यवस्था कीजिये। सी.ए.एस. के पद आप समाप्त करके सारे का सारा शटर-डाउन कर देंगे इन हास्पिटल्स की तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। अपन ने संवेदनशीलता की बात की है, जवाबदेह प्रशासन की अपन ने बात की है और पादर्शिता

(श्री ललित भाटी)

की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई निर्णय लेना था तो आपको वहां से जो जन-प्रतिनिधि चुनकर आये हैं उनको इसके अन्दर कांफीडेंस में लेना चाहिए था। वहां जो प्रशासनिक अधिकारी आपने लगा रखे हैं, हास्पिटल सुपरिंटेंडेंट आपने लगा रखे हैं, उनसे आपको इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी कि अगर हम यह कदम उठाते हैं तो क्या हमारी सुव्यवस्थित चिकित्सा सुविधाएं बरकरार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। आज इस एक निर्णय से, जोधपर के अंदर आप हटा नहीं रहे, बीकानेर के अंदर आप हटा नहीं रहे, अजमेर के अंदर हड़कम्प मच गया है, मौखिक आदेश दे दिये गये हैं कि इनको तुरंत यहां से पदमुक्त कर दिया जाए। इस तरीके से जहां हमको चिकित्सा सुविधाएं और सुदृढ़ करनी हैं, उसके अंदर बिखराव आ रहा है। इसके ऊपर तो पुनरावलोकन किया जाना चाहिए कि यह नहीं हो।

जनाना अस्पताल की बात मैं अंतिम रूप से यहां पर करना चाहता हूं। पूर्ण प्रशासनिक स्तर के ऊपर इसकी जमीन और बिल्डिंग बनाने का निर्णय किया गया, इसमें कहीं राजनेताओं को जोड़ा ही नहीं गया और स्थान का उन्होंने चयन कर लिया। भाजपा सरकार के समय में इसका काम शुरू हो गया। इसमें निर्माण के अंदर जो घोटाले हुए वह एक अलग विषय है, वह बात मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं, मैं यह बात करना चाहता हूं कि अचानक सिर्फ तीन दिन में ऐसा क्या घटित हो गया कि आदेश दे दिया गया कि इसका स्थानान्तरण तुरंत कर दिया जाए? हम चाहते थे और हमारी आज भी तमन्ना है कि हम माननीय मुख्य मंत्रीजी को बुलाते, चिकित्सा मंत्रीजी की अध्यक्षता करवाते, और एक समारोहपूर्वक उसका लोकार्पण होता। यह सब बला-ए-ताक रख दिया। प्रशासनिक स्तर पर निर्णय ले लिया और आनन-फानन के अंदर यह प्रक्रिया शुरू हुई। बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है, वहां पर प्रिंसिपल एण्ड कंट्रोलर जे.एल.एन. के थे उनकी 17.4.97 को मीटिंग हुई सारे अधिकारियों के साथ में। पी. डब्लू. डी. के भी थे, आपके यहां से सैक्रेटरी वगैरह भी उसके अंदर गये हुए थे। उसमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया कि नर्सिंग होस्टल वहां होना जरूरी है। एक बेसमैंट बिना मर्जी के वहां पर बना दिया। इसके ऊपर भी उसमें चर्चा हुई है कि ओवरहैड टैंक्स वहां पर पानी के लिए हैं नहीं। इतनी सारी कमियां हैं। रेजीडेंट डाक्टर्स के रूम्स वहां पर बने हुए नहीं हैं, क्यूबिकल्स वहां पर हैं नहीं। कम से भी कम नहीं तो पन्द्रह-बीस ऐसी कमियां हैं जो 1997 के अंदर डिसकस हुई थीं कि इनके बगैर जनाना

(श्री ललित भाटी)

अस्पताल स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। 1999 हो गया, 2000 हो गया, तीन साल में उन कमियों को दूर करने की तरफ कोई काम नहीं किया गया, वे एज इट इज रही और अभी अचानक? इसके पहले भी, मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 2.12.99 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां से निर्देश दिये कि आखिर बात क्या है, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से यह स्थानान्तरित नहीं हो पा रहा है। उसमें भी उन मूलभूत चीजों को कहा गया है जो जनाना हास्पिटल और बच्चों के साथ होने के लिए आवश्यक मानी गई हैं। इस कमी को हास्पिटल सुपरिंटेंडेंट ने भी माना कि यह कमी है, इसके बगैर हम नहीं कर सकते। इसको लेकर एक वाद कोर्ट में भी चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने यह अण्डरटेकिंग दी कि जब तक इन कमियों को हम दूर नहीं कर देते और जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह जब तक नहीं हो जाएगी, इस अस्पताल का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। आज यह कन्टैम्प्ट आफ कोर्ट भी बनेगा क्योंकि वे सब सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और 15 तारीख को यह हास्पिटल वहां स्थानान्तरित कर दिया गया। उपस्थिति हुई, पांच महिला डाक्टर्स बैठा दिये गयें टूटी-फूटी स्टूलों के ऊपर क्योंकि वहां फर्नीचर भी नहीं है अभी। वहां किसी प्रकार के संसाधन और भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जो एक हास्पिटल चलाने के लिए चाहिए। पता नहीं क्या कमजोरी थी, क्या आवश्यकता थी कि अचानक ही इस तरीके का निर्णय लिया गया। वह जांच जो अभी पेंडिंग पड़ी है, वह अपनी तरफ है। 300 शैय्याओं का यह हास्पिटल बनना था 300 शैय्याओं के लिए 340 रुपये का तखमीना तैयार हुआ। आज 126 बैड का यह हास्पिटल है और 126 में भी एन्टी नेंटल काउंट किये जा रहे हैं जो करीब 30 या 35 हैं। डाक्टर साहब समझते हैं उनको अपन अगर माइनस करें, अगर इसको एक्चुअली देखा जाए तो यह सिर्फ 90-95 बैडेड हास्पिटल रहता है और गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया इसको 300 बैड के लिए। 340 करोड़ की जगह 540 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो गये, लिफ्ट जो लगी है उस लिफ्ट का उपयोग अभी नहीं हो सकता, बन नहीं सकी। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, उस नेशनल बिल्डिंग कोड का कहीं ध्यान ही नहीं रखा गया। उसको वाटर प्रूफ नहीं किया गया। सरकारी पैसे का, 200-300 लाख का दुरुपयोग हुआ, वह अलग विषय है। मगर जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन आवश्यक सुविधाओं के बगैर हम वहां हास्पिटल को स्थानान्तिरत करके किस तरीके की संवेदनशीलता चिकित्सा में दिखाना

(श्री ललित भाटी)

चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर माननीय मंत्री महोदय पुनरीक्षण करें और आप (व्यवधान)-

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या वापस हास्पिटल को उधर ले जावें? अब क्या वापस उधर ट्रांसफर करें?

श्री ललित भाटी : वहां एक दिन में एक मरीज पहुंचा है, दूसरे दिन दो पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ट्रांसफर, अब क्या है?

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें रोकने की बात है सामान जब तक उपलब्ध न हो जाए, जो आवश्यक चीजें हैं वे नहीं हो जाएं तब तक जे.एल.एन. हास्पिटल में सारी सुविधाएं मिल रही हैं वे सुविधाएं आप एज इट एज रखें। उनको आप टाइम बाउंड कर दें कि हम 15 दिन में यह सब व्यवस्था करा देंगे, हम 20 दिन में ये व्यवस्थाएं करा देंगे। यह सब कराकर के आप स्थानान्तरण करें। स्थानान्तरण का विरोध नहीं है, सुविधाओं के साथ स्थानान्तरण हो, इसकी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ललित भाटी : और असुविधाओं के साथ हम अगर जनता को लाभान्वित करना चाहते हैं और वह भी महिला और नवजात बच्चों को, तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार अपनी संवेदनशीलता की बात जनता तक पहुंच पाएगी। मैं यह अन्तिम रूप में, माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसके ऊपर वापस से दृष्टिपात करें। एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना कर वे सब सुविधाएं दें जो 2.12.1999 को चिकित्सा अधीक्षकों के साथ में, जिला कलेक्टर के साथ में और सारे जन-प्रतिनिधियों के साथ में बैठ करके इसमें डिस्कशन हुआ है, उसमें जो बातें मानी गई हैं कि ये तो जरूर ही चाहिए, इसके बगैर हास्पिटल चलाना मुमकिन नहीं है। तो उन गैरमुमकिन परिस्थितियों में आप क्यों चलाना चाहते हैं? इसको थोड़ा-सा आप जस्टिफाई करें। मुझे आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल खटीक।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटे से क्या होगा?

श्री महेश जोशी : एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटा और बढ़ाने की अनुमति दी जाए?

(स्वीकृत)

एक घंटा बढ़ाया गया।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय मुख्य मंत्री महोदयजी का, आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदयजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने सरकार बनने के बाद ग्रामीण परिवेश में जो जनता निवास करती है उसके कल्याण के लिए निर्णय लिये। जो आपने चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया था उसमें कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं समझते हुए चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, चाहे शहरी क्षेत्र की जनता हो, चाहे वह दलित वर्ग का हो, चाहे असहाय व्यक्ति हो उन सबके लिए आपने कल्याणकारी कदम उठा कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को विस्तृत करने और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो कदम उठाये वे बहुत ही प्रशंसनीय हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999-2000 में आपके द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आपने ग्रामीण क्षेत्र के 75 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वित्तीय संकट की स्थिति होते हुए भी आपने ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखकर ये सब सेन्टर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति जारी की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के आपने आदेश प्रसारित किये। मैं विशेष तौर से मुख्य मंत्री महोदयजी का व चिकित्सा मंत्री महोदयजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बारां में मेरे आरक्षित क्षेत्र गंगरार में साड़ास में पी.एच.सी. खोली। साथ ही शहरी क्षेत्र में भी आपने पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये हैं। इसके साथ ही बड़े कस्बों में बड़े चिकित्सालयों में भी आपने काफी विस्तार किया, जैसे कि राजकीय चिकित्सालय नाथद्वारा जो 50 शैय्याओं वाला चिकित्सालय था, उसको आपने सौ शैय्याओं में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। यह बहुत ही प्रशंसनीय है।

महोदयजी, ग्रामीण क्षेत्र में बालकों के लिए भी यह सरकार बहुत ही चिन्तित है। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनके हित को ध्यान में रखकर इस 1999-2000 वर्ष में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उसमें 32144 विद्यालयों में 28.77 लाख बच्चों का आपने स्वास्थ्य परीक्षण करने की जो उपलब्धि हासिल की, यह बहुत ही प्रशंसनीय है।

(श्री कालूलाल खटीक)

साथ ही मैं मुख्य मंत्री महोदयजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने गरीब जनता का ध्यान रखते हुए, असहाय लोगों का ध्यान रखते हुए, गम्भीर रोगों से ग्रस्त लोग इलाज के लिए जो दर-दर इधर-उधर भटकते हैं जिनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है उनके लिए मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष प्रारम्भ करके एक बहुत ही कल्याणकारी व प्रशंसनीय कदम उठाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, इसके साथ ही उन गरीबों के लिए जो बिलकुल असहाय हैं, मेडिकेयर रिलीफ कार्ड का जो एक कार्यक्रम चलाया, वह उनके साथ बहुत ही न्याय किया है।

इसके साथ ही राजस्थान में गांवों में बहुत सारे लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। उनके लिए कभी किसी का ध्यान गया या नहीं लेकिन इस बार मुख्य मंत्रीजी महोदय ने एक निर्णय लेकर उनका सर्वे करवाया। 15 मार्च से 15 अप्रेल, 1999 तक जो भी सम्भावित रोगी थे उन सबको सूचीबद्ध किया गया। उनके इलाज के लिए उनके घर-घर जाकर कर्मचारियों-अधिकारियों के माध्यम से जो खोज की गई, यह कदम बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का और चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जहां से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा दोनों करीब 30-30 किलोमीटर दूर स्थित हैं। आये दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं स्वयं वहां पर ऐसी घटना होते वक्त पहुंचा हूं। उनको ले जाने के लिए वे दौड़ कर सी.एच.सी. गंगरार पर आते हैं। वहां पर जो ईलाज की सुविधा मिलती है उसे प्राथमिक उपचार के बाद दूरदराज चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ले जाने में उनको काफी दिक्कत आती है। मैं माननीय मंत्री महोदयजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गंगरार जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और वहां दुर्घटनाएं होने की एक गम्भीर समस्या है वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। आदरणीय मंत्रीजी का मेरी इस मांग पर आप ध्यान दिलावें कि वहां एम्बुलेंस बहुत ही आवश्यक है। गंगरार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं विनम्र निवेदन के साथ कि वहां पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था इसी वर्ष कराने का आप आश्वासन देवें और स्वीकृति प्रदान करावें। साथ ही...

श्री उपाध्यक्ष : साथ ही विराजें।

श्री कालूलाल खटीक : गंगरार और राश्मी में जो सी.एच.सी. हैं वहां पर चिकित्सकों के जो पद रिक्त हैं उनको शीघ्र भराने

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

हो। कम से कम मेरे क्षेत्र में तो आज तक डिप्टी सी.एम.एच.ओ. पोस्ट नहीं हुआ जबकि शायद इस प्रकार के आर्डर 6 महीने पहले ही हो चुके थे। निश्चित रूप से इस व्यवस्था से कुछ लाभ हो सकता है अगर डिप्टी सी.एम.एच.ओ. को भी पद स्थापित कर पाबंद किया जाए कि वहीं रहे। अगर उसने भी अप-डाउन की बीमारी पाल ली तो वह भी फैल हो जाएगा। हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी नजदीकी शहरों के स्वास्थ्यकर्मी हैं वे सब अप-डाउन करते हैं। रात्रि के समय में किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी कोई अवेलेबल नहीं होता है, यह बहुत कड़वी बात है। अगर यही बात सुधार ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग को इसका बहुत लाभ मिलेगा।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आजकल बी.पी.एल. कार्ड का बहुत शोर चल रहा है। मेरे क्षेत्र में भी साढ़े पांच हजार बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, बड़े प्रेम से उसको जेब में लिये फिरते हैं। मुझसे पूछा करते हैं कि इसका क्या लाभ है। मैं बताता हूं कि अपने पास के चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, औषधालय में, बी.डी.एम. कोटपूतली या जयपुर में जाइए आपको सब चीज मुफ्त मिलेगी। वे कहते हैं कि साहब, हम सब जगह चक्कर लगा कर आये, हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। हां, बी.डी.एम. हास्पिटल में उन्हें कुछ हैल्प मिल जाए क्योंकि वहां पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी लागू हो गई है। उससे कुछ आय होती है और उसकी वजह से उन्होंने कुछ पैसा निर्धारित कर रखा है। अन्यथा किसी भी हास्पिटल, पी.एच.सी. सब सेंटर पर कहीं भी उन गरीबों को कुछ भी नहीं मिलता। और मिलेगा कहां से? पहले तो कोई देने वाला नहीं मिलता और अगर होता भी है तो वहां दवा नहीं होती और दवा होगी तो पेरासिटामोल, क्लोरोक्वीन जैसा कि हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने कहा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता। मैं कहूंगा हमारा विभाग इतना भी सक्षम नहीं है कि किसी गरीब की मुफ्त में पट्टी करा सके। किसी भी संस्था में पट्टी उसको लानी पड़ती है, दवाइयों की बात तो अलग है। अगर हम गांवों में इतना भी कर सकें कि लोगों को पट्टी मुफ्त में मिल जाए, मरहम पट्टी हो जाए। वह तो तभी होगी जब वहां पर कोई होगा। उसको कभी सिरदर्द की, दस्त की और बुखार की दवा मिल जाए तो भी मैं उसको बहुत बड़ी बात मानूंगा। मुझे बहुत अफसोस है, दुःख और वेदना है, हम अगर आजादी के 50 साल बाद गांवों में इतनी भी सुविधा नहीं दे सकते हैं तो हमारे करोड़ों रुपये खर्च करने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये सुविधाएं केवल शहरों के लिये ही नहीं होनी चाहिये, हमारे

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

ग्रामीण भाइयों के जब तक आंसू नहीं पोंछे जाएंगे हम कभी सफल नहीं हो सकते।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इनके अनुभव का पूरा लाभ मंत्री महोदय, को लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या इनके हैड मास्टर है? आप क्या कह रहे हैं, वे नहीं ले रहे हैं क्या? यह आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप इनके हैड मास्टर थोड़े ही हैं? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? फालतू में पांच मिनट बिगाड़ दिये। आपका समय जा रहा है।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरे पक्ष की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक ही संस्था है जिसने राजस्थान का कुछ लाभ किया है, गरीबों का कुछ लाभ किया है, उनको कुछ राहत पहुंचायी है और वह है मोबाइल सर्जिकल यूनिट। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि वास्तव में सेवा कोई कर रही है तो यही यूनिट कर रही है। जहां पर गरीब को भर्ती होने के बाद एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। उसकी सेवा सुश्रुषा के लिये किसी को आने की जरूरत नहीं है। उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अस्पताल चलकर उसके पास आता है। महोदय, मैं चाहूंगा कि किसी भी हालत में यह यूनिट बंद नहीं की जानी चाहिये। यह हमारे प्रान्त का गौरव है और निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिये भी बहुत बड़े गौरव की बात है। इसको किसी भी प्रकार बंद करने की न सोचें। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र की सेवा जो कर रही है यही यूनिट कर रही है।

इसी समय यह भी कहना चाहूंगा जैसा कि बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, कि एस.एम.एस. और दूसरे कालेज से सी.ए.एस. को ट्रान्सफर किया जा रहा है। सी.ए.एस. जो मेडिकल कालेज में काम कर रहे हैं, वह कालेज भी उस अस्पताल की रीढ़ है। क्योंकि जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर, लैक्चरर हैं वे इलाज के साथ-साथ प्रशिक्षण और शिक्षण में भी व्यस्त रहते हैं। अस्पताल का सब भार इन्हीं चिकित्सकों के ऊपर, सी.ए.एस. के ऊपर होता है। साथ-साथ चूंकि जे.सी.ए.एस. प्रशिक्षित होते हैं, एम.सी.एच. होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किये हुये होते हैं तो उनको अनुभव भी होता है, इसमें दोहरा लाभ होता है। जब तक सी.ए.एस. वहां होते हैं अपना ज्ञानवर्धन करते हैं और साथ ही साथ पूरे मनोयोग से इस विषय की सेवा भी करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कदम नहीं उठाये जाएं। इससे निश्चित रूप से संस्था कमजोर होगी, मेडिकल कालेज से जुड़े हुए हास्पिटल कमजोर होंगे, क्योंकि इतनी देखभाल करने वाले लैक्चरर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर उतना समय

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

नहीं दे सकेंगे जितना समय यह मरीजों के साथ दे सकते हैं। इसलिये पुनः मेरा निवेदन है कि इस कदम को वापस लिया जाए। इस प्रकार के कदम भी नहीं उठाये जाने चाहिये कि जो विशेषज्ञ हैं जिनके आधार पर ही उस डिपार्टमैंट में काम चलता है उन्हें बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिये अभी एस.एम.एस. हास्पिटल में न्यूरोलोजी डिपार्टमैंट में पी.एस.एन.एल. मशीन को देखने वाला एक ही डाक्टर था और उसको भी हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। निश्चित रूप से वह मशीन भी खराब रहेगी और वह जो सेवा दे रहा था वह सेवा भी लोगों को नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार के जो कदम उठाये जाते हैं निश्चित रूप से जनता की सेवा के लिये नहीं, बल्कि उनको परेशान करने के लिये होते हैं।

दूसरा मैं पल्स पोलियो के बारे में कहना चाहता हूं, कभी हम अति उत्साह में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनसे फायदे के बजाय नुकसान होता है। उदाहरण के लिये पल्स पोलियो का अभियान बहुत अच्छा चला और इस बार ये निर्देश दिये गये कि दूसरी खुराक देने के लिए चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाकर दवाई पिलाएंगे। मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छा अभियान है लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिये, जब तक अपन जनता को ट्रेन नहीं करेंगे निश्चित रूप से वह इसको नहीं समझेगी। पहले अभियान रखा हुआ था कि हर जगह पर केन्द्र बनाये हुए थे। वोटिंग के केन्द्र थे, वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सा अधिकारी को बैठा दिया गया। और यह आशा की थी कि हर घर से आकर वहीं दवा ले। इससे क्या होता है कि जनता में भी जागृति आती है और स्वयं बच्चों को लेकर वहां पहुंचते हैं, तो दूसरे भी देखते हैं, वे भी वहां पर बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था करने से कि घर-घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाए, एक तो जनता भी आलस्यमय होती है, दूसरे स्वास्थ्यकर्मी भी हो सकता है नैग्लीजेंट हो, हो सकता है वह हर घर को नहीं जा सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनमें हम जनता की भी भागीदारी रखें, उनसे हम यह आशा करें कि वे केन्द्र पर जाकर दवाई पिलाएं। हम बाद में चैकअप करवा लें उनके घरों में जाकर की उन्होंने दवा ली या नहीं ली, लेकिन इस प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया जाए कि हम घर पर ही जाकर उनको दवा दे देंगे।

अंत में मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये फिर निवेदन करूंगा कि वास्तव में हमको यह सोचना चाहिये कि इसको किस प्रकार से सुधारा जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य मंत्रीजी ने लागू की, यह बहुत अच्छा प्रयोग है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : डाक्टर्स को इस आधार पर तैयार करें कि उनको केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करना है तो यह सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। या फिर उनको ग्रामीण क्षेत्र में रखने के लिये लंबे अर्से के लिये अनुबंधित किया जाना चाहिये। वे सर्विस में आए उसके पहले 10-15 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में रहें, उसके बाद सर्विस के लिये दूसरे क्षेत्रों में जा सकें, तभी इसमें कुछ उपचार हो सकेगा। नहीं तो आज की चकाचौंध में रहने वाले डाक्टर निश्चित रूप से गांव में नहीं जाना चाहते। दूसरा कारण उनकी फीस का एल्योरमेंट भी होता है जो कि उनको गांवों में अवेलेबल नहीं होती, निश्चित रूप से शहरों में होती है। इसलिये वे अप-डाउन करते हैं, वहां रहते हैं। इस रोग को हमें मिटाना होगा तभी हम स्वास्थ्य सेवाएं भली प्रकार से दे सकेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट सत्र 2000-2001 की मांग संख्या-26 के समर्थन में मैं अपने विचार रखता हूं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने 100-125 नहीं 150 से अधिक कल्याणकारी फैसले करके राजस्थान की जनता को एक संदेश दिया है। गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग का, चयनित परिवार का व्यक्ति इस लोकतंत्र के अंदर आदरणीय अशोक गहलोतजी की सरकार से पहले जब भी असाध्य रोग से पीड़ित होता था, तो ईश्वर को याद करता था लेकिन इस 14 महीने के कार्यकाल के अंदर असाध्य रोग से अंतिम छोर पर बैठा हुआ बी.पी.एल. समाज का वह व्यक्ति राजस्थान के आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को याद करता है। (व्यवधान) क्यों याद करता है? कि चयनित परिवार के व्यक्ति के लिये मेडिकल कार्ड (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : देवता जीवित आदमी को नहीं कहते हैं। जीवित आदमी को देवता नहीं कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिये? हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के लिये आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपको क्या परेशानी हो रही है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपको परेशानी क्या है, आप तो अपनी परेशानी बताइये।

श्री मदन दिलावर : हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो यह चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी शतायु हों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आपको याद दिलाऊं क्या कि कितनी साइकोपेंसी करते थे आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज, लैट हिम फिनिश।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष 'महोदय, असाध्य रोग पहले राज-रजवाड़ों के हुआ करता था लेकिन आज अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी असाध्य रोग होता है। असाध्य रोग से गरीब व्यक्तियों को मरने नहीं दिया जाएगा, उसके लिये मेडिकेयर रिलीफ कार्ड का वितरण किया गया। पूरे राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार के प्रति आभारी है। उस पीले कलर के फार्म के अंदर अशोक गहलोतजी ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि चाहे असाध्य रोग हो, चाहे टी.बी. का पेशेंट हो, उसके शरीर के अंदर वाल्व बदलना हो, चाहे हृदय रोग से पीड़ित हो, चाहे उसके अंग का प्रत्यारोपण करना हो, चाहे उसमें लाख रुपये लगे या दो लाख रुपये लगें, पैसे की कोई सीमा नहीं है, मुख्य मंत्री सहायता कोष से निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उनको मुहैया होती है। इसके लिये राजस्थान की जनता अशोक गहलोतजी के प्रति आभारी है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चयनित परिवार के असाध्य रोग को मिटाने के लिये मुख्य मंत्री सहायता कोष का गठन किया गया है उसी प्रकार से वर्तमान समय के अंदर आये दिन अखबारों में, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, अस्पतालों के अंदर भी देख रहे हैं कि हैपेटाइटिस-बी संक्रामक रोग बनकर फैलता जा रहा है जिसके इंजेक्शन स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगाये जा रहे हैं। वह इंजेक्शन 400 रुपये का एक डोज आता है जो हरेक आदमी को लगाना असम्भव है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से उनको इंजेक्शन लगाये जाते हैं। मेरा सरकार से सुझाव है, आदरणीय' मंत्रीजी से निवेदन है कि हरेक व्यक्ति को हैपेटाइटिस-बी का 400 रुपये का इंजेक्शन लगाने में यदि सरकार असमर्थ है तो कम से कम चयनित परिवार के व्यक्ति को अनिवार्य रूप से हैपेटाइटिस-बी का टीकाकरण लगाने के लिये एक प्रस्ताव पारित कर देना चाहिये, एक अनिवार्य कानून बना देना चाहिये। जिस प्रकार से बी.पी.एल. परिवार के आदमी को अपन निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, हैपेटाइटिस-बी जो एक प्रकार का संक्रामक

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

रोग है उसको मिटाने के लिये मानव सेवा को बचाने के लिये, बी.पी.एल. चयनित परिवार के व्यक्ति के निःशुल्क हैपेटाइटिस-बी का टीकाकरण अनिवार्य कर देना चाहिये, यह मेरा सरकार से सुझाव है। जिस प्रकार से पल्स पोलियो में टीकाकरण का एक अभियान चलता है, उसी प्रकार से हैपेटाइटिस-बी का भी एक अभियान बी.पी.एल. परिवार के लिये चलाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-8 पर जिस प्रकार से ट्रैफिक रहता है, उस ट्रेफिक के अन्तर्गत कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। आदरणीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उस राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत किशनगढ़, दूदू, महला या बगरू के अंदर एक ब्लड बैंक की स्थापना की जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार मानव जीवन को बचाने के लिये, गरीब व्यक्तियों को बचाने के लिये हर प्रकार की योजनाएं बनाती है, समाज को स्वस्थ रखने के लिये, गरीब व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिये हर प्रकार की योजनाएं बनाती हैं। चारों साइड से या सब प्रकार से राजस्व इकट्ठा करके समाज को स्वस्थ रखने के लिये पैसा खर्च किया जाता है। तो उस रोग के पीछे क्या कारण है? सदन के अन्दर तमाम् सदस्यों का एक सहयोग चाहूंगा कि उसके पीछे एक मूल कारण है शराब जैसी कुरीति, वह शराब जिसकी सबसे ज्यादा बिक्री अनुसूचित जाति व जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों के अन्दर होती है और राजस्थान की जो सबसे ज्यादा आय होती है वह आबकारी की आय है। 100 प्रतिशत आय के अन्दर से 90 प्रतिशत आय ठेकेदारों के घरों में जाती है, और 10 प्रतिशत आय सरकार को मिलती है। गरीब परिवारों से या अनुसूचित जाति व जनजाति या पिछड़े वर्गों से शराब के माध्यम से आय का स्रोत बनाकर जो आय अपने पास इकट्ठी होती है वही चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष से या अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वापस उन्हीं पर खर्च की जाती है। ऐसा मेरा मानना है कि आदरणीय अशोक गहलोतजी जहां नयी पीढ़ी को एक नया संदेश देना चाहते हैं, जहां राजस्थान के अन्दर बीयर बार की लाइसेंस पद्धति को खतम कर दिया, नये बीयर बार लाइसेंस पर पाबन्दी लगा दी, उसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर इस नशाखोरी के ऊपर पाबन्दी लगाई जाए तो नयी पीढ़ी को नया संदेश मिलेगा और अनुसूचित जाति व जनजाति का समाज स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। आज करोड़ों रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से चयनित परिवार के व्यक्तियों के ऊपर लगाये जा रहे हैं, मेरा मानना है कि शराबखोरी अगर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

खतम होती है, नशाखोरी पर अगर पाबन्दी लगती है तो निश्चित तौर पर रोग घट जाएंगे और इस प्रकार की योजना के अन्दर पैसा फालतू व्यय नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : त्रिलोक पुर्बिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा, एक मिनट_ (व्यवधान) एक मिनट आपके सहयोग का आश्वासन चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, इतना बढ़िया सुझाव दे दिया आपने। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में पड़े हुए रिक्त जितने भी पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के मेहरू कलां के अन्दर वर्षों से पी.एच.सी. खुलवाने की मांग है, सांखला के अन्दर पी.एच.सी. खुलवाने की मांग चली आ रही है। आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां पर भी पी.एच.सी. खोली जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। आबादी के हिसाब से मेरा निवेदन है कि केकड़ी के अन्दर 3 कृषि उपज मण्डी है और सबसे ज्यादा राजस्व राजस्थान के अन्दर वहां से आता है, ऐसी अवस्था के अन्दर केकड़ी शहर के अस्पताल को केकड़ी के जो बाहर आबादी है वहां पर ले जाकर नया भवन बनाकर शिफ्ट किया जाए तो बढ़िया रहेगा। आपने मेंटिनेंस के 72 लाख रुपये भी स्वीकृत किये लेकिन अभी तक वे वहां पहुंचे नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वे लैप्स नहीं हो जाएं। केकड़ी विधान सभा क्षेत्र एक अनुसूचित जाति का क्षेत्र है तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ न्याय करते हुए कृपया उन 72 लाख रुपयों का उपयोग भी कराएं तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना आपका।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मेरा आपसे निवेदन है कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सरवाड़ अस्पताल और केकड़ी अस्पताल के अन्दर जो सी.एम.एच.ओ. के माध्यम से मेरे अस्पतालों के हक की दवाइयां हैं मैंने पहली बार मांग की तो करीबन डेढ़ से दो लाख की सामग्री आ गयी। लेकिन 14 महीने के बाद में अभी तक सामग्री नहीं आयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी सी.एम.एच.ओ. के माध्यम से मेरे इलाके का हक और हिस्सा बनता है वह निश्चित टाइम पर वहां पहुंच जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पुर्बिया। (व्यवधान) हो गया, हो गया। अब विराजिये आप। त्रिलोकजी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय मंत्रीजी, एक निवेदन है। (व्यवधान) दूसरी बात, जहां मेरी अनुसूचित जाति और जनजाति की बस्तियां हैं_

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, मिल लेना आप इनसे। (व्यवधान) आज ही फैसला नहीं हो रहा है, आप विराजो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : जहां सुलभ शौचालय के अन्दर (व्यवधान) गन्दगी के कारण मलेरिया रोग फैल रहा है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो जिन्दा कर देंगे, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मैं चाहता हूं कि वहां डीडीटी. का छिड़काव होवे। शौचालयों को सुलभ शौचालयों में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा तो समाज के अन्दर एक स्वच्छता कायम होगी, समाज स्वस्थ होगा।

आदरणीय मंत्रीजी, परसों के दिन हमारी जिला परिषद की बैठक हुई। प्रसूति की जो योजना है उसके अन्तर्गत हमारे अजमेर जिले के अन्दर पैसा इतना पड़ा है लेकिन खर्च ही नहीं हो पा रह है। वे लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है। आंकड़े बड़े फर्जी हैं। लोग-बाग डिलेवरी करवाने आते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी या आपके डाक्टर्स या जो मैनेजमैंट है उनके माध्यम से उनको पैसा नहीं मिल पाता है। पैसा एज इट इज पड़ा हुआ है और लोग-बाग डिलीवरी कराके चले जाते हैं। लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया इस तरफ थोड़ा ध्यान दिलाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पुर्बियां। बस हो गया, माननीय सदस्य, विराजिये, प्लीज।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आपको धन्यवाद जो आप विराज रहे हो।

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन में यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ होते ही प्रथम वर्ष के बजट में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के इलाज के लिये मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गयी और इससे सैकड़ों परिवारों को लाभान्वित किया गया। व्यक्ति चाहे किसी भी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो, जितना भी पैसा खर्च होगा वह राजकोष से उन्हें दिया जाएगा। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेवा का कार्य था। यह कल्याणकारी राज्य का बेहतरीन उदाहरण है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने गरीबों को जीने का पूरा अधिकार समाजवाद के पाइंट आफ व्यू से दिया और कांग्रेस ने अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर में चिकित्सा सेवाओं

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

के सुदृढ़ीकरण के क्रम में उदयपुर शहर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में साढ़े 6 करोड़ रुपये की लागत से एक हृदय चिकित्सा परिसर का निर्माण हुआ। कार्डियोलाजी बनकर तैयार है, अभी वहां काफी इलाज हो रहा है। इसी तरह इसी अस्पताल में मानसिक रोग वार्ड के निर्माण का कार्य भी बड़ी तेजी पर चल रहा है और काफी उपकरण उसमें निदान के लिये उपलब्ध कराये गये हैं। इसके लिये भी मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही साथ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर में स्थित सैटेलाइट अस्पताल अम्बा माता स्कीम में चांदपोल हास्पिटल के नाम से चलता है। सैटेलाइट हास्पिटल के नार्म्स में जिस तरह के डाक्टर्स और उसका स्टाफ होना चाहिए, उसमें कुछ कमियां हैं। इसके लिये मैं चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस अस्पताल के अन्दर जहां एकोमोडेशन बहुत ही अच्छा है, आसपास के गांव भी लगते हैं और अम्बा माता क्षेत्र का बड़ा अस्पताल है, एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी और ओ.बी.सी. बहुल क्षेत्र है, काफी तादाद में रोगी वहां आते हैं और इलाज कराते हैं, किन्तु वहां केवल 50 बैड का ही प्रोविजन है। मेरा अनुरोध है कि इस सैटेलाइट हास्पिटल को क्रमोन्नत करके 100 बैड की इसमें व्यवस्था कराई जाए। साथ ही एक्स-रे मशीन, एम्बुलेंस, आदि की इसमें व्यवस्था नहीं है, वह कराने की कृपा करें। उदयपुर शहर में बड़े अस्पताल में काफी रश होता है और यह पिछड़े क्षेत्र में, पिछड़ी बस्ती के लोगों के क्षेत्र में यहां भी काफी तादाद में रोगी आते हैं। उनका अच्छी तरह से इलाज हो सके इस दृष्टि से मेरा अनुरोध है कि जिनका मैंने उल्लेख किया है इनकी व्यवस्था कराने की कृपा करें।

मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

(19.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य की सुपुत्री की शादी है और सब सदस्य जाने के लिये उत्सुक हैं। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप अपना उत्तर दें। आप विराजिए प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आपकी पार्टी के सदस्य को मौका दे दिया। ऐसे नहीं होता, आप दो जनों में से एक ही, आप विराजिए। (व्यवधान)_ वे बोलेंगे तो फिर ये नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा, सिर्फ दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां बुलवा दूंगा। बुलवाऊंगा, बैठ जाओ। बुलवाता हूं, मेरे को क्या तकलीफ है?

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : आप कहेंगे तो बैठ जाता हूं लेकिन सिर्फ दो मिनट चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, आपको बुला दूंगा। दो मिनट में तो कोई खतम करता नहीं है, बुला दूंगा। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : डेढ़ मिनट से ज्यादा लूं तो आप बंद कर देना।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा न बुलवा दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कोई भाषण की बात नहीं रही, दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सात बज गये और सात बजकर दो मिनट में कह दें आप।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : हां, सात बज कर सात मिनट में। पांच मिनट तो वह और दो मिनट यह, सात मिनट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरी चर्चा हो चुकी है परन्तु अगर मेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार, अन्याय होता है, उसका हक मारा जाता है तो उसके लिए मेरी पार्टी के मुताबिक मुझे दो मिनट का समय मिलना चाहिए। वह यह है कि आपके विभाग में और विभागों की तरह.. (व्यवधान) हमारे ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के आरक्षण से जो सम्बन्धित है, वह मारा जा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ए.एन.एम. का सलैक्शन किया। और जगह का तो मुझे मालूम नहीं परन्तु एक मामला मेरे पास झालावाड़ का आया। उसमें जो जनरल मैरिट बनी है लोएस्ट, वह बनी है 55.45 उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या कि एक एस.टी. की हमारी बहन है हेमलता मीणा, उसके आये हैं 64.54 परसेंट, उसको एस.टी. में ले लिया गया। उसको जनरल लिस्ट में लेना चाहिए था, नहीं लिया। अब ओ.बी.सी. के लिए आपको बताता हूं। शीला कुमारी 62.18, उषा किरण 60.50, मनोरमा राठौड़ 60 परसेंट, पिंकी शर्मा 57.81 परसेंट। ये शर्मा और राठौड़ हमारे पिछड़े वर्ग में हैं, यह ऐसे नहीं समझें कि उसमें हैं। वह जांगिड़ बहन है। सुनीता कुमारी सैनी 56.54 परसेंट, हेमलता 56.36, इस तरीके से जो ए.एन.एम. के प्रशिक्षण के लिए रखी हैं, इनका जनरल लिस्ट में ही नम्बर आ गया है परन्तु इनको जानबूझकर ओ.बी.सी. और एस.टी. के कोटे में ले लिया गया है। यह एक बहुत बड़ी गलती है, साजिश है जबकि अधिकारी इस बात को जानते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री ओ.बी.सी. के हैं। जो सैक्रेटरी हैं वे भी आरक्षित वर्ग से हैं और मंत्री भी आरक्षित वर्ग से हैं, फिर भी इस तरह की बातें अधिकारी कर रहे हैं।

(श्री जगत सिंह दायमा)

दूसरी बात, आपने यह भण्डार गृह में पदस्थापन कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 18-18, 20-20 साल से लोग बैठे हैं और एक तरीके से धंधा कर रहे हैं। मैं अलवर का उदाहरण देना चाहता हूं कि अलवर में जोनल मेडिकल स्टोर है, उसमें अठारह साल से एक ही व्यक्ति बैठा है, बाबूलाल स्वामी। परिवार कल्याण स्टोर है, उसमें आठ-दस साल से बैठा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह भी तो ओ.बी.सी. का है।

श्री जगत सिंह दायमा : ओ.बी.सी. का दूसरा तैयार बैठा है आने के लिए। प्रमुख चिकित्सा के अधीन है, पी.एम.ओ. स्टोर में दस-बारह साल से बैठे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे बैठे हैं, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने एक नियम बनाया और अखबार में भी दे दिया कि तीन साल से ज्यादा कोई इस पद के ऊपर नहीं रहेगा और तीन साल के बाद अगर वही व्यक्ति दुबारा लाना पड़े तो कम से कम पांच साल इन्तज़ार करना पड़ेगा आपने नियम निकाल दिया। डाइरेक्टर साहब ने भेज दिया, सैक्रेटरी साहब ने भेज दिया परन्तु आपके सी.एम.एच.ओ. इसको नहीं मानते हैं। तो दो बातें मैंने आपसे निवेदन की है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा एक और सुझाव है कि यह जो एम.आर. होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये टाई बांध-बांध कर हास्पिटल में जाकर बैठ जाते हैं और डाक्टरों के पास मुस्करा-मुस्करा कर टाइम लेते रहते हैं जो जनता का टाइम है। इस पर आपको रोक लगानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे परिवार कल्याण की बात आयी है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार कल्याण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, परन्तु हमारे समाज में आज भी छोटी मां बननी चाहिए, 13-13, 14-14 साल की छोटी बच्चियों की शादी हो रही है। जो बच्ची 18 साल के बाद मां बन जाती है और उनके बच्चे भी उसके अनुसार बहुत ही कम वजन के होते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शारदा एक्ट आपने लागू कर रखा है, सरकार उसके ऊपर भी ध्यान दे क्योंकि इससे इसके ऊपर एक तरह से प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आयी है अंधता की। अब हमारे राजस्थान में बताया है कि बहुत लोग अंधे हो रहे हैं। उसका कारण तो कुछ भी हो परन्तु राजस्थान में चालीस प्रतिशत महिला और 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के कारण इनको पूरी कैलोरी (उष्मा) का भोजन नहीं मिलता है और कुपोषण के कारण वे अंधे हो जाते हैं। मेरी बात यह है कहने के लिए कि जब तक बच्चों के ऊपर और माता के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तब तक यह अंधों की संख्या बढ़ती रहेगी और इस तरीके से हमारे ऊपर भार बढ़ता

(श्री जगत सिंह दायमा)

रहेगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगावतजी। तसल्ली रखो, आपको पहले पुकारा था, आप थे नहीं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में सदन में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे सुझाव दिये। चौदह महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की कल्याणकारी सरकार आयी, उस समय राजस्थान चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। लोगों का सरकारी हास्पिटलों से विश्वास उठ गया था और लोग प्राइवेट क्लीनिकों की तरफ जाने लग गये थे। ऐसी स्थिति आ गयी थी कि आम-आदमी इलाज कराने की स्थिति में नहीं था। कांग्रेस सरकार ने आम आदमी की समस्या को, गरीब आदमी की समस्या को देखते हुए प्रभावशाली कदम उठाये। उसके लिए हमारे जो नवयुवक मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लोगों की पीड़ा को देखा। गरीब आदमी बगैर इलाज के मरता था, प्राइवेट क्लीनिकों में इलाज नहीं करा पाता था, बहुत दयनीय स्थिति थी। लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठ गया था। सरकारी हास्पिटल के अन्दर बिलकुल एक ऐसी स्थिति थी कि गंदगी के ढेर पड़े रहते थे। हास्पीटल के अंदर मक्खियां भिन-भिनाती थीं, वार्डों के अंदर गायें और गधे घुसे रहते थे। ऐसी स्थिति अलवर के बड़े अस्पताल की थी। गांवों की क्या स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं, उपाध्यक्षजी। इसके ऊपर इन्होंने प्रभावी... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप पशु चिकित्सालय की बात कर रहे हैं? नहीं, गाय और गधे, पशु चिकित्सालय की बात कर रहे हैं? कौनसे हास्पिटल की बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इनको नहीं बोलने देना।

श्री मदन दिलावर : नहीं, बोलें, साहब, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो, आप बैठो।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : आज यह स्थिति नहीं है। क्षेत्र के अन्दर प्रभावी कदम उठाने से मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, विपक्ष के माननीय सदस्य मेरे साथ चलें कल और हास्पिटल का अकस्मात निरीक्षण करें, आपको पता लगेगा कि वार्ड में कितनी सफाई है, कितनी व्यवस्था है। डाक्टर टाइम पर आते हैं, डाक्टर ड्रेस पहनकर आते हैं। यह सब जो देन है वह है कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की और राजेन्द्र

(श्री कृष्ण मुरारी गंगावत)

चौधरीजी की। इसलिए इस मौके पर मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरी बात इन्होंने बी.पी.एल. का कदम उठाया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक गरीब आदमी को मुफ्त दवा मिले बड़े से बड़ा इलाज हो, चाहे कैंसर का हो, टीबी का हो, हार्ट बदलने का हो, फ्री इलाज होगा। यह कांग्रेस सरकार की देन है। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का और माननीय अशोक गहलोतजी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

एक माननीय सदस्य : सोनियाजी का।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : हां, सोनिया जी का तो है ही। सोनियाजी के आशीर्वाद से तो है ही। इसमें कोई कहने की बात थोड़े ही है। ये जनरल बातें बतायी हैं।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक जो सबसे बड़ा कदम उठाया है हमारी सरकार ने वह यह है कि हमारे यहां के लड़के डाक्टरी की ट्रेनिंग करने साउथ जाया करते थे, हजारों रुपये आने-जाने में खर्च होते थे पर कई बगैर एडमिशन वापस हो जाते थे। यह पहला ऐसा कदम है, इन्होंने साहस किया है, प्राइवेट वालों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया अपनायी है कि यहां ज्यादा से ज्यादा हास्पिटल खुलें, डेंटल कालेज खुलें, एम.बी.बी.एस. कालेज खुलें। ऐसा पहला कदम उठाया, इस बात के लिए मैं इनका आभारी हूं। (व्यवधान) हास्पिटल तो मैंने पहले ही खुलवा लिए, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको कुछ अलवर जिले की समस्याओं के लिए और मेरे क्षेत्र की समस्याओं के लिए बताना चाहूंगा। अलवर हास्पिटल के अंदर मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हास्पिटल के अंदर सब सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि जयपुर और दिल्ली का दबाव कम हो। माननीय मंत्रीजी, हजारों पेशेंट अलवर में आते हैं जनरल हास्पिटल के अंदर, लेकिन वहां पर चार-चार, पांच-पांच पद स्पेशलिस्ट के रिक्त पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि अच्छे डाक्टर को तो आप रहने नहीं देते, उनको तो आप भेज देते हो और फिर कहते हो कि वहां पर ऐसा होना चाहिए, यह सुविधा होनी चाहिए। आप बताइये इस बात को। आपने किस बिहाफ पर...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो इनका। माननीय जगत सिंहजी।

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : जो हुआ, अपनी बात कह लेना। वह सरकार का काम है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी।

* **श्री कृष्ण मुरारी गंगावत** : वह आपके कहने से नहीं होगा। आपके कहने से नहीं होगा। माननीय जगत सिंहजी। कौन डाक्टर अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, यह आपके_ (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : आप सुनिए। अलवर हास्पिटल के अंदर_ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जगत सिंहजी? आप क्या चाहते हो?

श्री जगत सिंह दायमा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोई हार्ड स्टैप लूं? फिर क्या मतलब है?

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : एनेस्थीसिया विशेषज्ञ दंत विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, ये चार-पांच पोस्टें, माननीय मंत्रीजी, सीनियर स्पेशलिस्ट की खाली हैं। पेशेंट आते हैं चाहे चर्म रोग का हो, चाहे दंत का हो, अगर दांत का भी कोई आपरेशन करना होता है तो उस पेशेंट को जयपुर या दिल्ली रैफर किया जाता है क्योंकि वहां इसके लिए कोई सुविधा नहीं है और यह जो पद हैं करीब आठ सालों से खाली पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति यह है, मेरे सामने साथी लोग बैठे हुए हैं इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वहां कोई दंत विशेषज्ञ की जरूरत है या कोई चर्म रोग विशेषज्ञ की जरूरत है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इनको आप शीघ्र भरें जिससे कि लोगों को राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मेरे इलाके के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा थानागाजी क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। दो तिहाई हिस्सा ट्राइबल एरिया है। सबसे कम वहां पर चिकित्सा सुविधा है। एक मैं उदाहरण देऊंगा कि मेरे वहां गुवाड़े कहलाते हैं, 27 गुवाड़े एक जगह हैं लेकिन 250 से 1000 तक की आबादी के गुवाड़े हैं जो छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं। न वहां कोई चिकित्सा की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है और न कोई वहां शिक्षा की सुविधा है। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां ट्राइबल हैल्थ सेंटर की हर गांव में बिल्डिंग बनी हुई है, स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग बनी हुई है। वे बिल्डिंगें चार-चार, पांच-पांच साल से बनी हुई हैं, न स्वास्थ्य विभाग उनको ले रहा है। अगर ऐसी जगह आप एक कम्पाउंडर भी वहां बिठा दें तो कम से कम टाइम पर लोगों को राहत मिले, उनको पट्टी और छोटे-छोटे बुखार की दवाई तो मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने गांवों की तकलीफ पहचानी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री केसाराम चौधरी)

इलाज कराते वक्त मरीज पसीना-पसीना होता है। उसमें बहुत ज्यादा भीड़ पड़ती है। तो एस.एम.एस. के डेंटल विभाग को अलग से कोई बजट दिया जाए ताकि उसकी सुविधा बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेन्द्रजी व्यास ने सटीक बात कही थी कि डेंटल कालेज जो खोल रहे हैं, जो प्राइवेट में खोल रहा है उसको चाहिए कि वह प्राइवेट में अपना खुद का हास्पिटल बनाएं। फिर वहां पर कालेज खोला जाए तो अच्छा रहेगा। यह बहुत ही महत्ती बात कही है उन्होंने। इस बात पर सभी माननीय मंत्रियों ने इतना रोष जाहिर किया, समझ में नहीं आता। उसमें ऐसा रोष जाहिर करने की क्या बात थी?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अंत में आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर ग्रामीण दुर्गम जगहों पर रहते हैं ऐसी जगहों पर ए.एन.एम. हैडक्वार्टर खोलने चाहिए ताकि एक बार डाक्टर के पास आने के बाद कम से कम इंजेक्शन तो वह अपने गांव में ही लगा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग में आप अच्छी से अच्छी सेवाएं दें ताकि जनता को गांवों में राहत मिल सके। जो डाक्टर्स गांवों में नहीं रहते हैं उनको जबरदस्ती लगाया जाए। धनला में दो डाक्टर हैं मगर केवल गांव में रहने की वजह से वे इलाज करना ही नहीं चाहते। मिस्टर माथुर और मिसेज माथुर दोनों लगे हुए हैं, उन्होंने एक साल में तो वहां बैठे-बैठे अपनी एम.एस. की और बाहर पेशेंट का इलाज ही नहीं करते हैं। ऐसे डाक्टर्स को इमिजिएट हटा देना चाहिए जो गांवों में रहना पसंद नहीं करते और दो तीन साल से वहां बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किस तरह से हो, इसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर राणा।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मीणा हैं, राणा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : राणा हैं राणा हमारे तो। हमारे एरिया में, हमारे सब राणा हैं उधर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाए, अनुदान मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय डिमांड पास होने तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण मांग संख्या-26 चिकित्सा पर चर्चा चल रही है। मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए सीधा सा सुझाव देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजनल हैडक्वार्टर है, यहां राजधानी में अच्छी चिकित्सा सुविधा है, इसको सभी मानने को तैयार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सा का अभाव है उसके पीछे कुछ कारण हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करूं परन्तु एक जिले की बात करता हूं। उदाहरण के तौर पर डूंगरपुर जिला है। अब डूंगरपुर जिला मुख्यालय है, वहां पर कई ऐसे महत्वपूर्ण डाक्टर्स होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए जो होने ही चाहिए क्योंकि वह पूरा जनजाति बहुल क्षेत्र है। रेडियो डाइग्नोसिस, फोरेंसिक मेडिसिन, पैथोलोजी एण्ड माइक्रो बाइलोजी, गाइनिक जैसे विशेषज्ञ बहुत जरूरी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, रेडियो डाइग्नोसिस विशेषज्ञ की जहां तक बात है, एम.एल.सी. आदि गम्भीर बीमारियों के लिए आसपास के क्षेत्र से आने वाले गरीब लोग, साधारण लोग, कमजोर तबके के लोग सौ-सौ किलोमीटर दूर जाएंगे या वे उदयपुर जाएंगे या गुजरात जाएंगे तब जाकर उनकी एम.एल.सी. आदि का अन्य बीमारियों का इंवेस्टीगेशन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, फोरेंसिक मेडिकल की बात जहां है, मेडिकल जूरिस्ट की पोस्ट वहां नहीं है। अब आप अंदाजा लगाओ कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर मेडिकल जूरिस्ट की पोस्ट नहीं है तो वहां के लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। कभी-कभी मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ता है। अमूमन मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो लोग कई तरह की मृत्यु के कारणों आदि से संतुष्ट होते हैं। पैथोलोजी और माइक्रो बाइलोजी आज के समय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पद है और इनके विशेषज्ञ नहीं होने से वहां के लोगों को या तो उदयपुर आना पड़ेगा या गुजरात जाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि आज एड्स जैसी, सिफलिस जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए दूर-दूर जाना पड़ेगा। होता क्या है कि गुण के आधार पर चढ़ा देते हैं, गुण मैच खाया तो चढ़ा देते हैं लेकिन इस सुविधा के अभाव में उस ब्लड की जांच नहीं हो पाती है कि उसमें क्या संक्रमण है। गाइनिक और आर्थोपेडिक्स, ये पोस्टें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गांवों से आने वाले गरीब तबके के लोग, गर्भवती माताएं होती हैं जिनकी प्रसव

(श्री रघुवीर सिंह)

के दौरान मृत्यु हो जाती है, शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि विशेषकर जनजाति बहुल क्षेत्र में आप इसका विशेष ध्यान रखें और इसके लिए जो भी सुविधा चाहिए वह उपलब्ध करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है कि इस साल आपने पी.जी. के लिए पोस्टें निकालीं। जनरल सर्जरी के लिए 17 पोस्टें निकाली मेडिकल कालेज जयपुर के लिए, इसमें से चार तो आल इंडिया की आ जाएंगी और 13 पोस्टें स्टेट की होंगी। तो 13 जने अगर जनरल सर्जरी के आप निकालेंगे तो वह कैसे फुलफिल होगा? इसी तरह से जोधपुर है। उदयपुर में आपने 16 निकाली, 16 में से चार तो आल इंडिया से आएंगे बाकी 12 पोस्टें हैं तो 12 पोस्टों में से कहां-कहां हम भेजेंगे? आज इतनी डिस्पेंसरियां हैं, इतने ए-क्लास हास्पिटल हैं। जैसे जनरल मेडिसिन है, उसमें भी आपने 16 पोस्टें निकाली हैं। उसमें चार तो आल इंडिया से आएंगी, 12 पोस्टें यहां होंगी आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखें कि फोरेंसिक मेडिकल साइंस, मेडिकल जूरिस्ट की कहीं पर नहीं सिर्फ एक पोस्ट आपने निकाली है, वह भी जयपुर के लिए। तो ऐसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञों की जहां आवश्यकता हमें होती है वहां तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक डिप्लोमा कोर्स के लिए आपने सिर्फ तीन मेडिकल कालेजेज अलाउ कर रखे हैं, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। मेरा सुझाव है कि पांचों जगह ये डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए। जैसे डी.सी.एच. शिशु स्वास्थ्य, डी.जी.ओ. स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये डिप्लोमा कोर्स...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी की बात भी कह ही दूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने घंटी बजा ही दी है।

श्री उपाध्यक्ष : बजानी पड़ती है क्या करूं?

श्री रघुवीर सिंह : नेशनल हाई-वे नम्बर-8 इतना महत्वपूर्ण रोड है, वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि हिम्मत नगर से निकलने के बाद उदयपुर आकर कोई आधुनिक सुविधाओं से युक्त हास्पिटल मिलता है। रतनपुरा के बाद खैरवाड़ा है, वहां भी ठीक-ठाक अस्पताल है। केसरियाजी में भी दो किलोमीटर अन्दर है। बीच में परसाद आता है उदयपुर से 50 किलोमीटर आगे, वहां पर पी.एच.सी. है। मेरा सुझाव है कि वहां ए क्लास हास्पिटल होना चाहिए ताकि जहां एक्सीडेंट होता है वहां तत्काल फर्स्ट एड मिल सके और तत्काल सुविधा मिल सके और हमारी जो मृत्यु दर बढ़ रही है उसमें राहत मिले।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक टोकर करके जगह है जिसके चारों तरफ दस ग्राम

(श्री रघुवीर सिंह)

पंचायतें हैं। वहां पर न किसी तरह की कोई फर्स्ट एड पोस्ट है और न पी.एच.सी. है। किसी तरह की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। यद्यपि इस साल तो आपने बजट रखा नहीं है परन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण बात है कि अगर आप टोकर में पी.एच.सी. खोल देते हैं तो कम से कम दस पंचायतों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षकों की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है। 1984 से 1995 तक कोई आर.पी.एस.सी. नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि एस.सी. और एस.टी. के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वह निवेदन करना चाह रहा हूं। इसमें कोई आर.पी.एस.सी. हुई नहीं। अब 1988, 1989 और 1990 में जो लोग एडहाक पर लगे, जो लैक्चरर लिए उन्होंने काम शुरू किया, फिर और एडहाक पर ले लिए। दो-तीन बार ले लिए जबकि आर.पी.एस.सी. हो जानी चाहिए थी। तीन साल में होती, दो साल में होती, हो जानी चाहिए थी। हुई नहीं जिसकी वजह से वे लोग वहीं के वहीं रहे। अब उन्होंने वहां जिस विद्यार्थी को पढ़ाया वह और वे साथ में 1995 में आर.पी.एस.सी. में बैठे, वह और गुरुजी दोनों एक साथ आये और शिष्य तो उनका बॉस बनकर बैठ गया। अब उन लोगों का रिटायरमैंट होगा तो वे तो शिक्षक के शिक्षक ही रह जाते हैं और शिष्य जिसको पढ़ाया था वह प्रोफेसर बनेगा, रीडर बनेगा और जो भी आगे होगा वह बनेगा। माननीय मंत्री महोदय, यह विसंगति है, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आपसे लोग भी मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। हो गया आपका, बहुत हो गया।

श्री रघुवीर सिंह : एक और है। एक ही लाइन में कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया बस, आप मिल लेना। आपके आगे ही बैठते हैं।

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद में 1995 में आर.पी.एस.सी. हुई थी और अभी 31 मार्च को 103 वैद्य लिये गये। एक भी एस.सी. और एस.टी. का वैद्य नहीं लिया, कोई चिकित्सक नहीं लिया। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस वर्ग के लोग थे नहीं? या आपने किसी दुर्भावना से रहने दिये? दूसरा, मेरा सवाल यह है कि 1995 में जो आर.पी.एस.सी. हुई उनको अब कहां लेने की जरूरत पड़ गई आपको? या तो एडहाक पर लेते या पुनः आर.पी.एस.सी. करते। यह मेरा सवाल है, आशा है आप जवाब देंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री आयुर्वेद) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे न, जब दे देना जवाब।

श्री मदन दिलावर : इस मामले में अन्याय हुआ है, आप देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, देख रहे हैं। विराजें प्लीज। मंत्रीजी जवाब देंगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग पर सदन के लगभग 19 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत-से माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा माननीय सदस्य समय-समय पर मिलते रहते हैं तो अपनी बात चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में सुधार के लिए कहते रहते हैं। मैं माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह बात हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में हम आजादी के बाद यदि देखें तो निरन्तर प्रगति हुई है। 1961 में औसत आयु 47 वर्ष थी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण वह 1997-98 में बढ़कर 67 हो गयी। इसी प्रकार राजस्थान में 1975-76 में शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार थी जो अब 83 पर पहुंच गयी है। इसी प्रकार जो मृत्यु दर है समग्र मृत्यु दर, 1991 में 27 प्रति हजार थी, वह 1998 में 8.8 हो गयी है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार काफी हुआ है और जो बहुत-सी भयंकर बीमारियां थीं, प्लेग जैसी बीमारी, नारू रोग और चेचक, ये रोग पूरे समाप्त हो चुके हैं। पल्स पोलियों के बारे में भी हमने काफी प्रयास किया है उसके इरेडिकेशन के लिए और यह बीमारी भी लगभग समाप्ति की ओर है। यह आंकड़ा है, बहुत ही कम पेशेंट अब आये हैं। दवाओं के बारे में भी हम अलग से एस्कार्ट बनाकर सभी जिलों में बच्चों का चयन कर रहे हैं कि कौन दवाओं के बिना रह गये हैं। उनको दवा पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महादेय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो दवाओं की राशि हमने पिछले बजट में बढ़ायी थी। 1998-99 में 31 करोड़ 58 लाख रुपये थी जो 1999-2000 में 54 करोड़ 77 लाख रुपये हुई दुगुना कर दिया था, उससे काफी लाभ हुआ है।

नये चिकित्सा संस्थानों को स्थापित करने के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत सुझाव दिये हैं। वैसे आप जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि राज्य के अन्दर संकट की स्थिति है उसके बावजूद भी राजस्थान में 3517 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जबकि राष्ट्रीय औसत 4595 का है। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान में 20619 की आबादी पर स्थापित है जबकि राष्ट्रीय औसत 27349 का है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हम फिर भी यह चाहते हैं कि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करें। जो बड़े चिकित्सा संस्थान हैं हमारे, उनमें स्टाफिंग पैटर्न अभी ठीक नहीं है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर स्टाफिंग पैटर्न है, हम चाहते हैं कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में भी सुझाव दिये हैं। सी.एच.सी. में यदि सर्जन है तो वहां पर एनेस्थेसिस्ट नहीं है। वहां पर यदि पैडिट्रिशियन नहीं है या गाइनिक का डाक्टर नहीं है तो हमारी कोशिश यह है कि एक स्टाफिंग पैटर्न हो और उसमें सभी लोग वहां पर उपलब्ध रहने चाहिए। उस हिसाब से इस दिशा में काम कर रहे हैं।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि भवन निर्माण कई जगह नहीं हुआ है। हम सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम की जो बाहर की संस्थाएं हैं उनसे धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी जो बिल्डिंग्स बनी हैं, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर दानदाताओं का बहुत ही स्वागत है और वे बहुत ही आगे बढ़कर अपनी सेवाएं देते हैं। माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जहां पर ऐसे दानदाता भवन निर्माण के अन्दर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : 25 लाख रुपये दिये हैं उसमें से देओ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, एक समस्या जो मुख्य रूप से सभी माननीय सदस्यों के सामने आयी है वह है वेकेन्सीज की। रिक्तियों की समस्या है। उस समस्या में मैं भी सहमत हूं। मैं भी मानता हूं इस बात को परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार आने के बाद पिछले एक वर्ष में तमाम् विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने मुझे सैंक्शन दी फाइनेंस डिपार्टमैंट से और 808 चिकित्सा अधिकारियों को हमने नियुक्ति दी, 1342 नर्स (ग्रेड सैकण्ड) के कम्पाउण्डर्स को हमने नियुक्त किया, 272 ए.एन.एम. को नियुक्त किया, 267 लैब टैक्नीशियन को हमने नियुक्त किया, 129 सहायक रेडियो ग्राफर के पदों पर नियुक्तियां दीं। इस तरह आप देखेंगे कि इतने बड़े फिगर को मेडिकल डिपार्टमैंट में हमने नियुक्तियां दीं। उसके बावजूद भी यह फिगर जो माननीय सदस्यों ने कुछ ने कहा, कुछ ने नहीं कहा, पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 264 तो चिकित्सा अधिकारी के पद हमारे पास रिक्त हैं, 543 नर्स (ग्रेड सैकण्ड) के पद हमारे पास रिक्त हैं, 919 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं और 175 लैब टैक्नीशियन के पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विभाग की

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

नीति के तहत हम करना चाहते हैं और इसमें हमने कुछ प्रयास भी किये हैं।

जिस तरह से पहले निजी नर्सिंग होम में डैपुटेशन पर डाक्टर्स लगते थे, आप और हम सब जानते हैं कि चैरिटी के नाम पर लगते थे, उस पर हमने रोक लगाई और हमने यह कहा कि जो सरकारी डाक्टर है वह सरकारी हास्पिटल में ही सेवा देगा। यदि वह जाना चाहता है तो वह सेवा से त्याग पत्र देकर जाए। और उसका हमने कड़ाई से पालन किया। मैंने आने के बाद इस सदन में पिछले बजट भाषण में भी यह बात मेरे रिप्लाई में कही थी। मैं आपसे सहयोग चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सभी सदस्यों को कि मुझे सब ने इसका सहयोग दिया और किसी ने मुझे इस नीति को तोड़ने के लिए दबाव नहीं दिया। उसके कारण से हम इस नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पा रहे हैं।

इसी तरह से विदेश सेवा में जो चिकित्सक पहले यहां पर सेवारत रहते हुए बाहर चले जाते थे और कई वर्षों तक नहीं आते थे, वहां कमाई करते थे। बाद में यहां पर सीनियटी का प्रमोशन लेते और प्रमोशन लेकर फिर चले जाते थे, तो यहां पर रहने वालों को तो उसका लाभ नहीं मिलता था। इस पद्धति को हमने बहुत कड़ाई से लागू किया और इस पर रोक लगा दी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक कड़ा निर्णय और लिया और उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का, हमारे मंत्रिमण्डल के सभी सहयोगियों का भी आभारी हूं कि अर्गेस्ट पद की जो कुप्रथा चलती रही थी विभाग में, और मेरे पूर्ववर्ती चिकित्सा मंत्रीजी भी इस बात से सहमत होंगे कि यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। जे.एस. पोस्ट मान लो आप्थोमोलाजी की हैं वहां पर जे.एस. आर्थोपेडिक्स का लग गया, तो आप्थोमोलाजी में वहां पर उपकरण हैं उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता था। इसके बारे में बहुत ही कड़ाई के साथ आप सभी लोगों के सहयोग से इस योजना को हमने लागू किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सहयोग मुझे अभी तक मिला है, पूरे सदन का मुझे इस सम्बन्ध में आगे भी सहयोग मिलेगा ताकि हम नियमित पोस्ट जिसकी जहां पर है वहां पर उनको नियुक्त कर सकें। इतने कम समय में, उपाध्यक्ष महोदय, पदों को भरने के लिए हमने डी.पी.सी. करवायी है। नर्सिंग ग्रेड में बहुत अरसे से आप जानते हैं, नर्सिंग-टू के प्रमोशन नहीं हुए। हमने उनकी सबकी डी.पी.सी. करवाई। फर्स्ट ग्रेड की करवाई। उनको सुपरिंटेंडेंट बनाने के लिए 78 पदों को काफी समय बाद में पदोन्नति से हमने भरा है। इसी प्रकार 458 डी.पी.सी. हमने की हैं निदेशालय स्तर पर, उसमें 420

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

विशेषज्ञों के पदों को हमने भरा है जो खाली थे। उनको हमने उन्हीं पदों पर लगाया है जो उस पद के लिए थे, जे.एस. गायनिक का हमने प्रमोशन किया तो जे.एस. गायनिक पर ही उनको भेजा है। जे.एस. आर्थोपेडिक्स है तो उसको उसी पद पर भेजा है। इस बात को लेकर मेरे पर दबाव भी आये तो मैंने उन सबसे अनुरोध यह किया कि हमने नीतिगत निर्णय ले लिया, आप हमारा सहयोग कीजिये इस बारे में। इसी प्रकार हमने मेडिकल कालेज में 59 डी.पी.सी. की बैठकें आयोजित कीं जिनमें 117 पद हमने भरे हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा 117 डी.पी.सी. का जो यह किया गया है अपने आप में कीर्तिमान है, इस बात से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं।

एक यह समस्या भी अभी कई माननीय सदस्यों ने कही कि डाक्टर्स ड्यूटी पर नहीं रहते, ग्रामीण सेवा में भेजते हैं वहां जाते नहीं हैं। तो हमने सेवा नियमों में संशोधन करके यह प्रावधान किया है कि नयी नियुक्ति पर अब राजस्थान में मेडिकल सैक्टर में कोई भी आएगा, चाहे डाक्टर आएगा, चाहे चिकित्सक आएगा उसको कम से कम तीन वर्ष तक ग्रामीण सेवा में रहना अनिवार्य है। उसके लिए हम एक प्रावधान और करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक प्रावधान और करने का प्रयास कर रहे हैं। वह यह है कि हम उस चिकित्सक से बॉण्ड भरवाना चाहते हैं पांच लाख रुपये का इस पर भी सरकार विचार कर रही है यदि लगने के बाद में जाएगा तो उसको वह राशि देनी पड़ेगी। यह भी एक बड़ा निर्णय करने का हम विचार कर रहे हैं।

इसी प्रकार हमने पंचायत लेवल पर यह कमेटी बनायी है सरपंच की अध्यक्षता में कि मेडिकल सैक्टर के डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स यदि वहां नहीं रहेंगे तो वह उनकी कम्पलैंट कर सकेगा कलक्टर को और कलक्टर अपनी रिकमन्डेशन के साथ में कमिश्नर को भेजेंगे तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकेगा। उसके बारे में भी हमने निर्णय लिया है ताकि वहां के जो लोकल जन-प्रतिनिधि हैं वे वहां की स्थिति के बारे में अपनी बात सीधी कहें। उसकी कार्यवाही के लिए भी हमने कार्यवाही की है। इसी प्रकार जो इनडिसिप्लिन करने वाले थे उनकी अनुशासनात्मक कार्यवाही हमने की। राज्य में गत वर्ष 840 चिकित्सकों के विरुद्ध हमने आरोप पत्र दिये हैं जो बहुत लम्बे अरसे से पेंडिंग थे। हमने युद्ध स्तर पर इनडिसिप्लनरी कार्यवाही के लिए उनको चार्ज शीट दी है। दस डाक्टर्स को हमने सस्पैण्ड किया है और 43 लोगों को हमने बर्खास्त किया है इनडिसिप्लिन जो करने वाले थे उनको अनुशासन में लाने के लिए।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही है कि हमारा प्रशासन जवाबदेह, संवेदनशील, पारदर्शी होना चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हमने प्रयास किये हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही संवेदनशील विभाग है। एक मरीज जब वहां पहुंचता है और उसके साथ लोग पहुंचते हैं, और उनको वहां पर रेस्पांस नहीं मिलता है तो कितनी उसकी हालत खराब होती है। इस बात को हम महसूस करते हैं, हमने इसके लिए कोशिश की है और हमारे जो हास्पिटल्स हैं राजस्थान में, उन सभी हास्पिटल्स में नागरिक अधिकार-पत्र हमने जारी किये हैं। मैंने इतने मैम्बर्स को सुना, यह जो इतना महत्वपूर्ण कार्य था नागरिक अधिकार-पत्र जारी करने का, उसकी तरफ किसी भी मैम्बर ने इशारा नहीं किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके अन्दर सारी सूचना है हर हास्पिटल की। हर हास्पिटल का नागरिक अधिकार पत्र नहीं, भिजवाने की बात नहीं है वह तो पूरे राजस्थान के हास्पिटल में वह सब थोड़े में भेज सकते हैं। हास्पिटल में वह नागरिक अधिकार पत्र रहेगा और उस हास्पिटल में जो फैसीलिटीज हैं उसकी सारी सूचना उसमें...

श्री मदन दिलावर : एक-एक कापी एम.एल.एज. को भिजवा दें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपके अटरू की भिजवा देंगे।

यहां पर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरों ने भी यह बात की, हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा। मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव की बात आपने कही है, जब डाक्टर्स आउटडोर के अन्दर बैठे हुए देखते हैं। मुझे आपने भी कहा है और दूसरे लोग भी इस बारे में कहते हैं कि आउटडोर का समय तो लिमिटेड है और उस समय भी एम.आर. वगैरह आकर बीच में टाइम ले लेते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। अब एम.आर. आउटडोर में नहीं दिखाएंगे, यह व्यवस्था हमने की है। उनको दिखाना है तो घर पर जाकर या अलग समय पर डाक्टर्स के पास में दिखाएंगे। इसी तरह से दूसरे और सुधार की हम इसमें कोशिश कर रहे हैं जो अक्षम और करप्ट है ए.सी.आर. के हिसाब से ऐसे कर्मचारी, अधिकारी और डाक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ हमने कार्यवाही शुरू कर दी है, उनको बख्शेंगे नहीं और कैटेगरीवाइज कम्पलसरी रिटायर करेंगे। भ्रष्टाचार उन्मूलन के अन्तर्गत हम यह कार्यवाही करना चाहते हैं।

एक बात नगर से आने वाले और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही और दूसरे सदस्यों ने भी कही कि घर से चिट भेजने का सिस्टम बंद होना चाहिए। इमरजेंसी हमारी हमेशा चलती है, कोई भी रात को किसी भी चिकित्सक के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

घर आकर दिखा सकता है तो वह चिकित्सक उसको रैफर करे इमरजेंसी में न कि अपने वार्ड में रैफर करे। इमरजेंसी में जो भी डाक्टर आन ड्यूटी होगा या जिसकी काल पे ड्यूटी होगी, उसको बुलाया जाएगा तो अपने आप इस सिस्टम में सुधार आ सकता है इसलिए हमने इस चिट सिस्टम को बंद करने का निर्णय लिया है। उसमें भी जो भी आएगा वह इमरजेंसी के माध्यम से जाएगा और वहां पर जिसकी भी ड्यूटी होगी उसको लिया जायेगा।

इसी प्रकार हमने, जो शिकायतें आती हैं उसके लिए भी सैक्रेटेरिएट लेवल पर और डायरेक्ट्रेट लेवल के ऊपर भी अभाव अभियोग केन्द्र स्थापित किये हैं। मेरे पास सूचना है कि गत वर्ष 3502 अभाव अभियोग अन्तर्गत शिकायतें हमें प्राप्त हुई थीं, उसमें हमने 2632 का निस्तारण किया है और 870 वर्तमान में जांच चल रही है। हमने शिकायत पुस्तिकाएं भी पी.एम.ओ. और हमारे दूसरे इन्चार्ज हास्पिटल्स हैं, उनके पास रखवाई हैं। कोई भी उसमें जाकर कर सकता है।

इस प्रकार सबकी मांग के आधार पर हमने हास्पिटल के टाइमिंग का किया। सबकी मांग थी, आम जनता की और माननीय सदस्यों की मांग थी कि ओ.पी.डी. दो टाइम होना चाहिए तो वह निर्णय भी हमने किया है। इससे हालांकि कुछ चिकित्सकों को असुविधा हो सकती है क्योंकि उनको दूसरी बार आना पड़ता है, परन्तु हमने जनहित में और आप सबकी भावना के अनुसार यह निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया। माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार व्यक्त किये, मैंने सबके विचार लिखे। बी.पी.एल. फैमिलिज के लिए जो निर्णय मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष का है, मुझे बहुत खुशी होती यदि माननीय सदस्य को इसके पक्ष में जानकारी नहीं थी तो जानकारी प्राप्त करने की बात करते। यह योजना इतनी महत्त्वपूर्ण है। जो बी.पी.एल. फैमिली के लोग हैं उनके असाध्य बीमारी हो गई है, उनको इलाज के लिए चाहे 50 हजार रुपये की राशि लगे, चाहे लाख रुपये लगें, वह मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और उसकी तारीफ मैं समझता हूं सारे सदन को करनी चाहिए। मेरे पास में कुल फिगर्स हैं, 77 मैम्बर्स थे बी.पी.एल. फैमिलीज के जिनको रिकमंड किया था डाक्टर्स ने, हमने उनको 70 लाख से ज्यादा राशि आबंटित कर दी है और उनका इलाज हो गया है। उनकी सारी लिस्ट मेरे पास में है, कोई भी सदस्य उस लिस्ट को देखकर, नाम को देखकर चैक कर सकता है कि इसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास 6 करोड़ की राशि उसमें थी लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उन्होंने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के लिए बजट में 15 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इसका स्वागत भी मैं समझता हूं सारे सदस्यों को करना चाहिए था। आप और हम यदि सम्पन्न हैं, हमारी आवश्यकता नहीं है पर इसका स्वागत सभी लोगों को करना चाहिए था पूरे सदन को करना चाहिए था, यह ऐसी महत्वपूर्ण योजना है।

इसी प्रकार मेडिकेयर कार्ड उपाध्यक्ष महोदय, नयी योजना थी। जब विभाग को मैंने सम्भाला था उस मीटिंग में एक बात पूछी थी कि आप गरीबों को दवा देते हैं, तो मुझे बताया गया कि हां देते हैं। मैंने कहा, आपके पास आधार क्या है गरीबों को दवा देने का। आधार तो नहीं है, शक्ल देखकर देते हैं। तो मैंने कहा कि यह तो बात नहीं हुई। आज जो बी.पी.एल. फैमिलीज हैं, जिनका सर्वे से चयन हुआ है वह लिस्ट हमारे पास है। गवर्नमैंट आफ इण्डिया की और स्टेट गवर्नमैंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके अन्तर्गत इसमें काम होता है। तो वह हमारे पास आधार है। जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज के लोग हैं उनको आधार बनाकर उनको मेडिसिन देनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को माना और एक बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना राज्य के अन्दर शुरू की गई। इसमें 23 लाख कार्ड्स हमने वितरित किये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की इन बातों से भी मैं सहमत हूं क्योंकि यह नयी योजना थी। इसको नीचे तक समझने के लिए हमने मीटिंग की, मैंने खुद ने कई बार मानीटरिंग की। यहां जयपुर लेवल पर जाइंट डाइरेक्टर्स, पी.एम.ओज और सुपरिंटेंडेंट सी.एम.एच.ओ. सबकी मीटिंग ली।

हमारे हैल्थ सैक्रेटरी इसकी हर महीने मानीटरिंग कर रहे हैं। हमने यह समझाने की कोशिश की। आम जन के दिमाग में यह बात है कि ये कार्ड बना दिये इसका पैसा कहां है, इसकी दवा कैसे मिलेगी। इस तरह की भ्रांतियां थीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसमें यह फिक्स कर दिया कि दवा गरीब व्यक्ति को मिलेगी, जिसके बी.पी.एल. कार्ड है उसको दवा हास्पिटल से मिलेगी। इसमें हमने दवाओं की लिस्ट दी। पहले 127 के करीब सूची थी ओन्शियल ड्रग्स की, अभी मुख्य मंत्रीजी ने लोकार्पण किया था उसमें करीब 300 की, असेन्शियल ड्रग लिस्ट को जारी कर दिया है। अब ऐसी कोई दवा नहीं बची है जो उसमें शामिल नहीं है। व्यक्ति बच सके, उसको बचाया जा सके, वह सब दवा उसें शामिल कर दी गई है। इसमें प्रावधान है और सब सैन्टर, पी.एच.सी., सी.एच.सी. सभी जगह अलग-अलग मेडिसिन की राशि सरकार की तरफ से आबंटित है। हर दवा हर जगह मिले यह जरूरी नहीं है क्योंकि केवल

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हास्पिटल से जो गवर्नमेंट की सप्लाई मेडिसिन है वह अवेलेबल होगी। इसमें होता यह है कि कुछ चिकित्सक ऐसी दवा लिख देते हैं जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती। नीचे इसके ज्ञान का भी अभाव है। हम यह चाहते हैं, सभी माननीय सदस्यों से मैं सहयोग का आह्वान करता हूं, सहयोग चाहता हूं कि आप सभी के सहयोग के बिना यह योजना सफल नहीं होगी। इसमें सरकार की मंशा साफ है। सरकार के लिए यह वी.आई.पी. कैटेगरी है बी.पी.एल. फैमिली के लोगों की। हमने साफ तौर पर कहा है और उस कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि कोई भी चिकित्सक यदि इस कार्ड पर दवा देने से मना करेगा तो वह जिला सतर्कता समिति के अन्दर उसकी शिकायत करेगा। जिला सतर्कता समिति में हमारे सभी माननीय सदस्य मैम्बर हैं। मेरे पास में जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार हमारे पास पूरे राजस्थान में किसी जिला सतर्कता समिति से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह कहा है कि हम दवा लेने गये और हमको दवा नहीं मिली। फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि इस तरह का व्यवहार कोई चिकित्सक कर सकता है। दवा उसके पास उपलब्ध नहीं है तो वह उस केस को रैफर कर सकता है, सी.एच.सी. में कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में कर सकता है। उसको सारी तरह की मेडिसिन, सारे टैस्ट जितने भी होंगे वे सारे फ्री होंगे। यह बिलकुल सरकार की मंशा है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी कि 100 बैडेड हास्पिटल हैं वहीं मेडिकेयर सोसायटी है, इसी में 25 परसेंन्ट की राशि का हमने प्रावधान किया है तो वहां तो मिल जाती है। हमने यह विचार किया है और 30 बैडेड हास्पिटल हैं उनमें भी मेडिकेयर सोसायटी बनाने का हम निर्णय कर रहे हैं ताकि यह सुविधा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर लिया या कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र चौधरी : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं बता रहा हूं ना। मैंने अभी यही बात कही है। हम 30 का कर रहे हैं ताकि इसका लाभ सभी...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप कह रहे हैं मानीटरिंग कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान नहीं हुआ। आपके सदस्य जितने बोले सदन में पावर पार्टी के, उन्हीं को ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : ज्ञान नहीं है, कमजोरी है। इसलिए कमजोरी है क्योंकि पिछड़े वर्ग का मुख्य मंत्री है, इसलिए इसका प्रचार अपर क्लास के जो ब्यूरोक्रेटस हैं उन्होंने किया ही नहीं। किसको मालूम है?

एक माननीय सदस्य : डाक्टर साहब बोलें सबसे पहले। (व्यवधान) मंत्रीजी खुद ही पिछड़े वर्ग से हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ये तो पिछड़े वर्ग में अब आये हैं। इनकी भी नीयत साफ नहीं थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आये हो या पहले आओ उससे क्या मतलब है? लेकिन पिछड़े वर्ग से नहीं हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : जो मुख्य मंत्री ने बढ़िया प्रोग्राम दिया... (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : अपर क्लास और लोअर क्लास में इसको डिवाइड मत करिये, सबको समान मानें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मुख्य मंत्री ने बढ़िया प्रोग्राम दिया था उसकी पब्लिसीटी... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने इस पर विचार दिये थे, मैंने सबको नोट किया है। मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बात जो अभी, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमने यह निर्णय लिया है कि 30 बैड तक इसको बना देंगे। यह एक बहुत ही अच्छी योजना पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू की थी। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि यह काम ठीक किया। इसके माध्यम से हास्पिटल्स के अन्दर जो हमारे उपकरण खराब रहते थे, हम खरीद नहीं सकते थे, फाइनेंशल हमारे बाटलनैक्स थे, आज 12 करोड़ रुपये की 1998-99 में समिति द्वारा राशि अर्जित हुई है और वह सारी हास्पिटल के डवलपमैंट में काम आ रही है, उसका सब लाभ मिल रहा है।

इसी प्रकार आज जो स्थिति है, सैलेरीज वगैरह बजट की 80 परसेन्ट राशि तो उसमें खर्च हो जाती है, 20 परसेंन्ट में डवलपमैंट का हम कितना काम करें। इसके बारे में हमने सोचा है कि इसको 30 बैड तक हम कर दें। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है अभी थोड़ी-सी बात है, काफी मैम्बर्स हैं।

(20.00 बजे)

मौसमी बीमारियों के बारे में भी हमने काफी प्रभावी कार्यवाही की है। 1998 में राज्य में मलेरिया के 76,000 रोगी पाये गये थे जिनमें से 10,030 रोगी पी. एफ. केसेज के थे। इसी प्रकार वर्ष 1999 में मलेरिया के 51,000 रोगी पाये गये थे उनकी संख्या कम हो गयी। पी.एफ. केसेज भी आधे हो गये थे करीब 5,542 थे। (व्यवधान) मैं तो आपको इंट्रप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं। आप इंट्रप्ट क्यों कर रहे हो?

वर्ष 1999 में वर्ष 98 की तुलना में कम रोगी पाये गये जिसका श्रेय मैं मेरे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को देना चाहता हूं। फिगर्स में इतनी जो कमी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आयी है, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

आप और हम सभी जानते हैं कि पीलिया वाटर बोर्न डिजीज है। खानपुर में घटना हुई, सांगोद में हुई, बारां में हुई और अभी बूंदी में भी हुई। तो उसमें और कोटा के अन्दर भी पानी मिक्स होकर आता है, आप इस बात को जानते हैं, इसके कारण से यह बीमारी होती है और हेपेटाइटस-बी का कोई निश्चित रूप से इलाज भी नहीं है। (व्यवधान) कौन कहता है मच्छर से होती है? यह मच्छर से नहीं होता है। पीलिया मच्छर से नहीं होता है। जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में हर वीक में सोमवार को मीटिंग होती है इसकी मानीटरिंग करने के लिये जिससे कि कहीं पर भी इस तरह की शिकायतें आए उनका निपटारा हो और आपस के अन्दर सब विभागों में समन्वय स्थापित हो। इसमें मेडिकल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। आज आप और हम सबका दायित्व है, यदि कहीं पानी भरा हुआ है, यदि उसके निकलने की जगह नहीं है तो मिट्टी का तेल डालें। हम खुद को भी शिक्षा लेनी चाहिये और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से भी एजुकेशन देने की जरूरत है। जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें यदि सभी जागरूक नागरिक भाग लें तो उसके अन्दर हम कमी ला सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, टी.वी. कंट्रोल प्रोग्राम, ब्लाइंडनैस और लैप्रोसी को लेकर हमने सर्वे करवाया था पूरे राजस्थान में। 15 मार्च से 15 अप्रेल तक बाड़मेर पिछड़ा जिला है, मैंने वहां से शुरूआत की थी। शिव से आने वाले माननीय सदस्य और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य सभी वहां उपस्थित थे, इसके कारण हमने काफी चयन किया। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ आंकड़े दिये थे, उसके संदर्भ में मैं यह निवेदन चाहूंगा कि हमें काफी उपलब्धि हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आज आप इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हो? थोड़ी जोर से तो बोलो। नींद आ रही है माननीय सदस्यों को।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सुस्ती से नहीं बोल रहा हूं मैं तो।

1999-2000 में 81,500 केसेज हमने आइडेंटिफाई किये, यह अपने आपमें बड़ी उपलब्धि है। (व्यवधान) टी.बी. के केसेज। इसी प्रकार कुष्ठ रोग के अन्दर भी काफी केसेज हमने किये हैं, करीब 94 परसेंट उपलब्धि रही है। इसी प्रकार हमने नया टी.बी. कंट्रोल का प्रोग्राम शुरू किया है पूरे राज्य में। 85 करोड़ की योजना भारत सरकार से मंजूर करायी है। पहले जयपुर और दौसा में चलता था। अच्छा प्रोग्राम चला, उसके कारण से आज हम इसको शुरू कर रहे

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हैं। मार्च में हमने शुरू कर दिया है, 9 जिलों में टौंक, अलवर, सीकर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नागौर भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली। 2 करोड़ की आबादी इससे लाभान्वित होगी। इसी प्रकार 1 जुलाई, 2000 से कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चूरू, करौली एवं झुंझुनूं जिलों में संशोधित प्रणाली के तहत इसको शुरू करेंगे जुलाई से, उसमें 1 करोड़ 20 लाख की जनता लाभान्वित होगी। इसी प्रकार शेष 11 जिलों में इस कार्यक्रम को 1 जनवरी, 2001 से लागू करेंगे। इसमें डोटस आये, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात सही है। टी.बी. के पेशेंट जब दवा ले नहीं पाते तो दवा का रेजिस्टेंस डवलप हो जाता है इसलिये यह डोटस जो नयी थिरैपी है, इसको एडोप्ट किया गया है डाइरेक्ट आब्जर्वेशन थिरैपी। मतलब सप्ताह में तीन बार बुलाकर सामने ही बैठाकर उसको दवा पिलायी जाएगी, उसको वहीं दी जाएगी। यदि वह पेशेंट नहीं आएगा तो हमारे नोटेड रहेगा, हमारा मेडिकल वर्कर उसको घर जाकर मेडिसिन देगा। हमने ये डाइरेक्शन दिये हैं ताकि उसको उस बीमारी से मुक्ति दिला सकें। (व्यवधान) आपकी बात का जवाब भी देंगे।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, एड्स के बारे में भी चिन्ता यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी। उसके लिये हमने पहले प्रोग्राम चलाया था, अब हमारी कोशिश है, पूरे राज्य में एक जून से हम परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान को चलाना चाहते हैं जिसमें कैम्प लगाकर यौन रोगियों की पहचान कर हम उनका ट्रीटमैंट करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से वर्ष 1999 में जो रक्त के नमूने लिये गये, 1,18,214 रक्त के नमूनों की जांच की गयी उसमें से 492 नमूने एच.आई.वी. से संक्रमित पाये गये। इस वर्ष कुल मिलाकर 29 एड्स के रोगी पाये गये। इन्हें मिलाकर अब तक राज्य में 117 एड्स रोगियों का पता चल चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो वर्ल्ड हैल्थ डे 7 अप्रेल को हमने मनाया था, उसमें डब्ल्यू.एच.ओ. ने जो थीम दिया है, safeek blood starts with me means. सुरक्षित रक्त की शुरूआत मुझसे है। मैंने यह देखा, मैं बहुत इंतजार कर रहा था, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य जब यहां बोल रहे थे तो उन्होंने सारी बातें कहीं। सब कमियों ही कमियों की तरफ इशारा किया। पर वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्ताव पेश किया है उसमें कोटपूतली की बहुत मांग थी कि हाइवे पर ब्लड बैंक होना चाहिये, उसका इसमें प्रस्ताव किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में जानकारी ही नहीं दी, एक शब्द भी नहीं कहा कि हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग वहां के लिए थी।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : इसके लिए तो धन्यवाद है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने आपकी बात सुनी ना, आप नहीं बोले थे। यह रिकार्डेड है। उनको याद नहीं आयी। मेरे को चिन्ता यह है कि आज नेशनल हाइवे पर आप और हम सब दिल्ली जाते हैं। मैं खुद कोटपूतली गया था, उस सिटी के अन्दर हास्पिटल के लिये डिमांड थी कि वहां पर भी डाक्टर लगना चाहिये। तो मैंने उसी समय निर्देश दे दिये कि अंदर भी डाक्टर लगना चाहिये। वहां लग गया और वहां पर पब्लिक खुश है। वह बात आपकी जानकारी में थी, पर भूल गये आप। यह जो सबसे बड़ा काम है, जो दो ब्लड बैंक हो रहे हैं, महुवा साहब तो बोल नहीं सकते क्योंकि वे चीफ व्हिप हैं। आपके महुवा में भी हाइवे पर ब्लड बैंक का प्रस्ताव किया और...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मैंने आपको पत्र भी लिख दिया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उसके लिये भी प्रस्ताव किया।

आज हमारी कोशिश यह है कि सेफ ब्लड मिलना चाहिये। आज 42 ब्लड बैंक हैं सरकारी क्षेत्र में और करीब 7 निजी क्षेत्र में हैं। सबसे ज्यादा इसमें सुरक्षा की बात यह है कि सेफ ब्लड देना बहुत जरूरी है। आज चार टैस्ट करके हम ब्लड दे रहे हैं पर डोनर से कोई तरह का खर्चा नहीं लिया जाता। सेफ ब्लड की बहुत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सभी सदन के जो सदस्य हैं, मैं खुद वोलेंटरी ब्लड डोनर हूं और मैंने कई बार ब्लड दिया है, मैं चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम को सभी सामाजिक रीति-रिवाजों से जोड़ा जाएं। किसी के जन्मदिन पर आप जाओ तो दस मित्र लोग उसके नाम से ब्लड डोनेट कर दें। किसी की वर्षगांठ पर जाओ तो कर दें। सामाजिक सिस्टम से इसको जोड़ना चाहिये। आज स्थिति यह है कि वोलेंटरी डोनर 40 परसेंट हैं, 60 परसेंट कामर्शियल लोग देते हैं। इस प्रवृत्ति को बढ़ाना जरूरी है। खुद का ही ब्लड़ सुरक्षित हो सकता है। तो इसकी तरफ भी मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ब्लाइंडनेस के बारे में हमने जो उपलब्धि हासिल की है वह पिछले 1995 से लेकर 1999, 2000 तक देखें तो उसमें 1,86,223 के फिगर्स हमारे पास हैं जो आपरेशन किये गये हैं। 4 जिलों के फिगर्स हमारे पास नहीं है और यह हमारी हाइएस्ट उपलब्धि है। मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं क्षमा चाहूंगा परन्तु आपने जो प्रगति प्रतिवेदन में किया है_

श्री राजेन्द्र चौधरी : कोई बात नहीं_ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले बोल जाए फिर बाद में पूछ लेना ना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उसके बाद में फिगर तो बाद में भी आते रहते हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर तो आपकी विभाग पर पकड़ नहीं है। आप प्रगति प्रतिवेदन सदन में रख दें और फिर फिगर्स अमैंड करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने आपको यह निवेदन किया है कि मैं करैक्ट कर रहा हूं, मैंने यह थोड़े ही कहा है कि आप गलत बोले हैं। आप तो प्रिंटेड बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी, मंत्रीजी, विभाग पर कितनी पकड़ है वह इससे साबित है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, यह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने प्रगति प्रतिवेदन सदन में रख दिया_

श्री राजेन्द्र चौधरी : ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसमें आंकड़े कुछ हैं और अब आप उन्हीं को अमैंड कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान) आप बोले क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैं बोला ना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खाद्य अपमिश्रण का मामला भी महत्त्वपूर्ण मामला था। मैंने नोट किया कि किसी भी मैम्बर ने इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये। हमने यह कोशिश की है। विशेष तौर पर मैं अलवर गया था मुझे वहां पर सिंथेटिक दूध की शिकायत की गयी थी। हमने वहां अभियान चलाया। वहां पर हमने नौ नमूनों की शिकायत पायी है और उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। जो व्यापारी हैं उनकी भी हमने मीटिंग ली, उनसे भी हमने सहयोग की बात की है कि आप हमारा सहयोग कीजिये। जब भी चैक करने के लिये हमारे इंस्पैक्टर आए तो आप उनका सहयोग करें। मैं वित्त मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 29 लाख की राशि का अपमिश्रण के मामले में प्रावधान करवाया है ताकि हम यह चैकिंग के लिये जो खर्च करते हैं उसको कर सकें।

श्री अमीन खान : सांपों का इंतजाम करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सांपों का इंतजाम करो, साहब।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको भी हमने काफी गंभीरता से लिया है। डेढ़ करोड़

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की राशि का प्रावधान 1999-2000 में हमने किया था और राज्य के करीब 36 हजार स्कूलों में 33 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उसमें से 4 लाख 73 हजार के करीब बच्चों में कुछ इन्फैक्शन था, उनका इलाज किया गया। इस बार भी बजट में एक करोड़ रुपये की राशि इस शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रख गयी है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो। इस बात की तरफ हमने ध्यान दिया है। मशीनों के बारे में भी आम तौर पर यह शिकायत आती है कि मशीनें ठीक नहीं होती हैं। हमने इसमें काफी प्रगति की है और पहले जो 20-25 परसेंट तक मशीनें खराब रहती थीं, हम उसको 10 परसेंट तक ले आये हैं। उसके अलावा भी हमने एनुअल कांट्रैक्ट करने का भी निर्णय लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नयी बात बताओ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अब आपने तो पांच सालों में बहुत सारे काम किये हैं, मैं क्या-क्या गिनाऊं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दें_ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मशीनें चूंकि बहुत महंगी आती हैं, उसके बारे में नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया है। जिस मशीन की आवश्यकता होगी उस मशीन के टेंडर जो मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी है वह आमंत्रित करेगी। इसमें जितनी शंकाएं माननीय सदस्यों ने की हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी की हैं, मैं यह आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें सारी बातों को हमने सोचा-विचारा है उसके बाद ही यह किया है। इसमें किसी तरह की_

श्री अमीन खान : यह हार्ट वाल्व की तो सीरियस ले रहे हैं सभी लोग। जो सांप काटता है उसमें कम से कम 20 हजार का इंजेक्शन चाहिये और गरीब आदमी अचानक खतम हो जाता है। (व्यवधान) इस पर तो आप गंभीर हो नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष माहोदय, एक खासौली संस्था है जो बनाती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले थे ना इस डिमान्ड पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह दवाई राजस्थान में कहीं नहीं है सांप काटे की।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिमान्ड पर बोले थे कि नहीं बोले थे? (व्यवधान)आप बोले डिमान्ड पर, उस वक्त सांप कहां चला गया था?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांप एक सैकण्ड में 15-15 बार काट जाता है_ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सांप उस वक्त कहां चला गया था_ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक सैकण्ड में 15 बार काट सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें

श्री राजेन्द्र चौधरी : हमारा जो औषधि नियंत्रण संगठन है उसमें भी हमने कुछ सरलीकरण किया है। पहले जो 30 दिन में लाइसेंस मिलता था उसको 15 दिन में किया है और इसके लिये हमने दूसरी सुविधाएं भी दी हैं। इसमें जो केसेज पकड़े गये हैं उनका चालान भी किया गया है। हम आपसे भी सहयोग चाहते हैं, कहीं भी किसी तरह की ड्रग के बारे में, किसी केमिस्ट की दुकान के बारे में सीधी शिकायत प्राप्त होती है उसमें हम सीधा लिखते हैं और उसकी कार्यवाही भी करते हैं।

आज सबसे बड़ी चिंता की बात नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से कही। आप और हम, पूरा सदन और पूरा देश इस समस्या से ग्रसित है। वह है हमारे परिवार का विस्तार, जनसंख्या विस्तार। इसके लिए राज्य में जनसंख्या नीति, पापुलेशन पालिसी का लोकार्पण हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया और उसमें सभी बातों का समावेश करने की हमने कोशिश की है। आज जितना भी विकास करें, चाहे कितनी भी पानी की योजनाएं बनाए कितनी सड़कें बनाएं, कितने ही मकान बनाए पर यह जनसंख्या विस्तार से वे सारे के सारे सीमित होते जा रहे हैं। आज आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। मृत्यु दर हमारी कम हुई है, शिशु मृत्यु दर कम हुई है। मैंने आपको बताया कि एवरेज जो आयु है वह 47 से 67 तक पहुंच गयी है। जब आबादी इतनी बढ़ रही है तो जनसंख्या के बारे में हमें ठोस कदम उठाने होंगे ये कदम हम सबकी जागृति से, सबके सहयोग से उठा सकते हैं। इसके लिये हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें ऐसे किसी भी सोशल कस्टम में नहीं जाना चाहिये। अभी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शारदा एक्ट को पावरफुल तरीके से लागू करना चाहिये। हमें ऐसी किसी भी शादी में शरीक नहीं होना चाहिये जहां पर हमें बुलाया जाता है, कि यदि आप ऐसी शादी करेंगे तो हम आपके यहां नहीं आएंगे। बहुत से तरीके हो सकते हैं, हमको इसके बारे में बहुत चिन्ता करने की जरूरत है, इसके बारे में सबको मिलकर विचार करने की जरूरत है। इसके बारे में जो भी सुझाव नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं या जो भी देंगे हम उनका स्वागत करेंगे और इस बात को प्रमुखता से लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर कही नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, ब्यावर और बहरोड से आने वाले माननीय सदस्यों ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने आई.पी.पी. प्रौजेक्ट, आई.पी.डी. प्रौजेक्ट और दूसरे प्रोजैक्ट में बाहर से जो सहायता

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मिल रही, उनके सम्बन्ध में। वैसे आप जानते हैं, कि मुझे परिवार कल्याण का विभाग मिले हुए कुछ अरसा ही हुआ है। मैंने विभाग की मीटिंग ली थी तब मैंने इस बात को चिन्हित किया था कि इसमें खर्चा कम क्यों हुआ और उसके क्या कारण रहे। मैंने उसके बारे में विभाग को निर्देश दिये और यह कह दिया कि 15 दिन में आप इसकी मीटिंग करें कि कैसे ये जो 54 करोड़ रुपये जो हमको मिले हुए हैं, इनको खर्च करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे जो खबर छपी है और उस खबर को यहां पर पढ़कर सुनाया गया, उसके बारे में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी कटौती नहीं हो रही है। उलटे बाहर से दूसरी योजनाएं आ रही हैं वह चाहे यूरोपियन कमीशन है, बिल गेट्स फाउंडेशन है, सेफ मदरहुड प्रोजेक्ट है, पी.एस.आई. है। ये प्रोजेक्ट और आ रहे हैं, कटौती नहीं हो रही है। यह प्रोजेक्ट 2001 तक चलना है, उसमें पहला खर्चा नहीं हुआ यह बात सही है, अब उसमें खर्चा करने की जो भी प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत निकलकर खर्चा करना पड़ता है। उसके लिये मैंने विभाग को निर्देश दिये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आप एक बात सांप की बता दें, बाकी खतम करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जनाना हास्पिटल जो शिफ्ट किया है उसके बारे में कहा। हमारी जो नयी बिल्डिंग काफी टाइम से बनी हुई तैयार थी, उसके बारे में लोगों का भी कहना था, मुख्य मंत्री जी भी वहां गये थे और आपने भी यह कहा है कि उसमें कुछ सुविधाओं का अभाव है। मैं विभाग को निर्देश दे रहा हूं, अविलम्ब वहां पर सारी सुविधाएं जो चाहिए, वे उपलब्ध करवा दी जाएगी जिससे कि उस बिल्डिंग का लाभ मिल सके। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज में सी.ए.एस. डाक्टर्स हटाने की बात है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। यह डाक्टर्स की प्राब्लम तो जयपुर की है।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या हुआ? कह दिया न सब दे देंगे।

श्री ललित भाटी : जनाना की बात अलग है, सी.ए.एस. डाक्टर्स की प्रोब्लम तो जयपुर में भी है, बीकानेर में भी है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई मीना है नीम हकीम जिसके बारे में यहां नाम लेकर कहा उसकी जांच के आदेश दे रहा हूं, चैक करके यदि है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री रमेश चन्द्र पण्डया (बांसवाड़ा) : मेरा भी नीम हकीमों के सम्बन्ध में निवेदन था।

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको बोल लेने दो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, आपने स्पेसिफिक बात की है तो स्पेसिफिक ही मैं आपको जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) मैंने यह बात इसलिए कही है कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्टीकुलर एक नाम लेकर इस बात को कहा है। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने चिंता व्यक्त की है, आप मुझे ऐसी कोई शिकायत लिखित में देंगे बाई नेम तो मैं उसकी जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

जोधपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो नौचौकिया अस्पताल के बारे में बात की, दूसरी बात महिला राजकीय चिकित्सालय में सुधार की की। उसमें सुधार के लिए हम वहां कोई न कोई इन्तजाम करेंगे। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि वहां के सैटेलाइट अस्पताल में काफी दबाव रहता है और पदों की बात बताई। इस बारे में आपसे प्रस्ताव लेकर कोई कार्यवाही करेंगे।

ब्यावर और बहरोड से आने वाले माननीय सदस्यों ने सी.एस. डाक्टर्स की बात की। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से यहां पदों पर डाक्टर्स लगे हुए हैं, मैंने हमारे सैक्रेटरी साहब को ये निर्देश दे दिए थे कि इसको चैक करना जरूरी है, इसकी आडिटिंग जरूरी है कि यहां पर जितने लोग लगे हुए हैं, उनका काम क्या है। इसके लिए उन्होंने तीन-चार मेडिकल कालेजेज को चैक कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माननीय सदस्यों और आप से भी निवेदन है कि एक तरफ तो हमारे पास पदों की कमी है, दूसरी तरफ आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने जैसे शिक्षा विभाग में 16 हजार शिक्षकों का समानीकरण किया तो आज गांवों में टीचर्स गए हैं, आज गांवों में डाक्टर्स गए हैं। वहां पर इसका लाभ मिला है, हम सभी इस बात को जानते हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। यह बात भी सही है कि गांवों में डाक्टर्स नहीं जाना चाहते लेकिन हमको कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जिनकी आवश्यकता नहीं है, मैंने हमारे प्रिंसिपल्स, मेडिकल कालेजेज को कह दिया है, हम उनसे बात करके उनकी आवश्यकता को देखते हुए उनको वहां से हटाने का निर्णय लेंगे और जहां पद रिक्त हैं वहां लाएंगे। इसमें आपका भी सहयोग चाहता हूं। हम सबको नहीं हटाएंगे लेकिन जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटाने का निर्णय हम करेंगे। इस बारे में मैं आपसे सहयोग चाहता हूं।

श्री ललित भाटी : आप अगर सरप्लस की बात कर रहे हैं, मैं आपको अजमेर जे.एल.एन. मेडिकल कालेज और हास्पिटल की बात बतला रहा हूं। अभी आपने एक

(श्री ललित भाटी)

आदेश दिया कि सबको एक साथ हटा दें, जबकि पिछली बार आपने 10 पद और स्वीकृत किए हैं, पोस्टें सैंक्शन करके भेजी हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने यह कहा है कि वहां पर पहले डाक्टर्स लगे हुए थे। जब मेडिकल कालेज में डिमोंस्ट्रेटर अस्टिटेंट प्रोफेसर नहीं था। मेडिकल कालेज की आपको जानकारी नहीं है, अब वे भी लग गए और वह भी पोस्टें आ गई इसलिए उसको असेस करके हटाने की बात कही है। मैंने सबको हटाने की बात नहीं कही।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मोबाइल यूनिट की बारे में बात की गई। मेरा यह अनुरोध है कि मोबाइल यूनिट को हम खतम नहीं कर रहे हैं, उसका पुनर्गठन करके उसकी सेवाओं को उपयोग में लेंगे। एक भ्रांति अखबार में आने से हो गई थी, उसको भी मैं दुरूस्त करना चाहता हूं कि एस.एम.एस. में अब मरीज नहीं आ सकेंगे और उनको बिस्तर नहीं मिलेगा। यह बात निराधार है, बेबुनियाद है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किए हैं, क्योंकि हम किसी मरीज को अस्पताल में आने से रोक नहीं सकते। मरीज आएंगे, 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, गवर्नमैंट अस्पताल है, इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

एक बार पुनः मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। (व्यवधान) शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि उनके यहां सांपों की काफी शिकायत है, ये मुझे बार-बार सम्पर्क करते हैं और मैं बराबर वहां के सी.एम.एच.ओ. और पी.एम.ओ. से बात कर रहा हूं। वहां पर वैक्सिन अवेलैबल है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि यदि अवेलेबल नहीं होगी तो जब भी कहेंगे, अवेलेबल करवा देंगे।

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैंने उनको नोट भी किया है। (व्यवधान) कुत्ते वालों की भी सब व्यवस्था करवा देंगे। आप विराजें, आपके वहां कमी है क्या अटरू में?

उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर बात की ओर इशारा किया है। इस बारे में इन्होंने जो कहा है, अभी मैं निर्देश दे रहा हूं कि झालावाड़ में इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और सारी मैरिट दुरूस्त की जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा बहुत साफ है। आपने ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के बारे में बात की, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

कि मेडिकल डिपार्टमैंट में रिजर्वेशन 8 और 12 था, उसे हमने 12 और 16 कर दिया और ओ.बी.सी. को 21 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है। दूसरी ओर पी.जी. क्लासेज में भी रिजर्वेशन देने पर सरकार विचार कर रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी। (व्यवधान) डिमाण्ड के लिए बोलो न। अभी आयुर्वेद मंत्रीजी और बोलेंगी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर, विराजिए। माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी। आप विराजें। (व्यवधान) पूछ लेना आप, अभी विराजें। (व्यवधान) आपको बोलने दूंगा।

एक माननीय सदस्य : मैंने गंगरार में एम्बुलेंस के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : गंगरार से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे आप अपनी बात बता देना, मैं इसको दिखवा लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग को पारित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक स्पष्टीकरण।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बुलवाऊंगा, आप बिराजो। तसल्ली रखो। जवाब आ जाने दो पहले, फिर एक साथ ही पूछेंगे। जवाब आ जाने दो, आप विराजो प्लीज (व्यवधान) माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी, बोलिए। (व्यवधान) आप बैठिए, आपको बुलवाऊंगा। मैंने कहा, मैंने कमिट किया है कि बुलवाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, बोलना नहीं है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या करना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पूछने देऊंगा। आप बैठिए I will let you enquire, उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन का अनुभव है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप अचानक एडजोर्न करके हमें मौका ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : आपको देऊंगा, आप चिंता मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो दिन से आप यही कर रहे हैं। मैं दो सवाल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चिंता मत करो, आप विराजो। आप इन्तजार करो, आपको मौका देऊंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : आप जैसा कर रहे थे वैसा ही हम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वैसा नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरी अपार्चुनिटि दे रहे हैं। ऐसी क्या बात कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौड़ साहब, आप इतना इतरा रहे हैं तो इधर आने के लिए तैयार हो जाना।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरी अपार्चुनिटि देंगे, आप चिंता मत करो। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की सबसे प्राचीन आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जिस तरह से सदन में बहुत ही कम बोला गया है, उससे मुझे बहुत खेद है। सिर्फ चार-पांच सदस्यों ने इस बारे में चर्चा की, बाकी सारी चर्चा एलोपैथी के बारे में हुई जबकि ग्रामीण, सुदूरवर्ती इलाकों, पिछड़े इलाकों में सब जगह हमारी आयुर्वेद और यूनानी पद्धति गरीब जनता की सेवा करती है। इनके बारे में हमारे माननीय सदस्य कितने कम चिंतित हैं, इसका मुझे बार-बार अफसोस है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका काम इतना अच्छा है कि हम आपसे संतुष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे यह खुशी है कि आप लोगों ने कहा कि मेरा काम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा यह खुशी होती कि जिस विभाग की मैं मंत्री बनी हूं और जिस विभाग को लोग उपेक्षित मानते हैं उस विभाग के बारे में हमारे सदस्य बोलते तो यह माना जाता कि यह महत्वपूर्ण विभाग है। जो माननीय सदस्य बोले हैं उनमें सबसे पहले जैसलमेर के कल्ला साहब, ललित भाटी जी, रमेश पण्ड्याजी, माहिर आजाद साहब और गंगावत जी। (व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि हमारी आयुर्वेद और यूनानी पद्धति एक ओर जहां इलाज का काम करती है वहीं दूसरी ओर खान-पान, रहन-सहन, सबके द्वारा जो आप चाहते हैं कि बीमारी होने से पहले ही रुकावट हो, वह काम भी करती है। इसलिए इस पद्धति के बारे में हम सब लोगों को बहुत गंभीर होना चाहिए। उसी के लिए यहां पर 21 कट मोशन आये, बोले चाहे पांच ही हैं, लेकिन कट मोशन 21 आये हैं और उन सब में जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह मैं अलग-अलग नहीं बोलकर एक साथ ही बता दूं। इनमें ज्यादातर रिक्त पदों को भरने के बारे में, दूसरा आयुर्वेद में अस्पताल हैं उनमें वैद्य मिलते कम हैं, इस तरह की कुछ बातें यहां पर आयी हैं। (व्यवधान) मैं बताती हूं-

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चाहते क्या हो आप?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बता रही हूं। रिक्त पद तो हकीमों के भी हैं, रिक्त पद होम्योपैथी के भी हो सकते हैं, रिक्त पद आयुर्वेद के भी हो सकते हैं, सभी के बारे में हैं। दवाइयों के वितरण के बारे में भी है। हमारी जो रसायन-शालाएं चल रही हैं उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, उनके बारे में भी है। जो वन औषधि लुप्त हो रही हैं उनकें रख-रखाव के बारे

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

में भी कुछ कट मोशंस यहां आये हैं। माहिर आजाद साहब ने यूनानी चिकित्सक हैं उनको नौकरी देने के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मुझे भी बहुत चिन्ता है। उसका कारण यह है कि इतने कम तो अस्पताल हैं। हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 यूनानी अस्पतालों की जो घोषणा की है उनमें हम शीघ्र ही आप जो चाहते हैं उनकी भर्ती करेंगे। उनको नौकरी देंगे, रिक्त पदों को भरेंगे। इसलिए आपकी जो चिन्ता है वह दूर हो जाएगी। दूसरा, जो आपने...

श्री अशोक (खण्डार) : आपने आयुर्वेद चिकित्सक नहीं लिये, उसके बारे में भी काफी चिन्ता सदस्यों को है। आप उसके बारे में आश्वस्त करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सुनिए तो सही। आप सुनने की कोशिश करें, मैं कहीं जाऊंगी नहीं जब तक आपका जवाब नहीं दे दूं। आपको जाने की जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं है।

जिला अधिकारियों के निरीक्षण के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली सरकार में पहले जिला अधिकारी थे वे कोई भी बना देते थे... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछली सरकार की बात छोड़ो, आप बताओ आप क्या कर रही हो?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हां, वही बता रही हूं। हमने सीनियरटी से जिला अधिकारी नियुक्त किये उनको बहुत अच्छा सम्मानजनक स्थान देने के लिए। वे बसों में घूमते थे, उनको आने-जाने, निरीक्षण करने का कोई प्रबंध नहीं था। उसके लिए हम अभी जीप तो उनको नहीं दे पाएंगे, हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको यह कहा है कि 5 हजार रुपया एक बार में भेजते हैं उसमें आप जीप में घूमिए, दो बार, चार बार, आठ दिन कभी भी जाइए। हमने उनके लिए 6 लाख रुपये मंजूर किये हैं। (व्यवधान)

दवाइयों के वितरण के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की गयी हैं, उसकी मैं जानकारी बताऊं कि इस साल 1999-2000 में हमने 283 लाख रुपये की औषधियां वितरित की हैं गांवों में। दवाइयां गांवों में भेजी हैं, जो हमारे औषधालय हैं उनमें भेजी हैं।

हमने 103 नयी भर्तियां आयुर्वेद की की है जिसके बारे में आप अभी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। विभागीय रसायनशालाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं उनमें शोध कार्य करने के लिए आयुर्वेद औषधि संस्थान का गठन किया गया है और उसका काम बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। एक हमने राज्य में 5 हजार हैक्टेयर भूमि में औषधि वन लगाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है जो 7 करोड़ का है। उसकी टीम आकर देख गई है, उदयपुर के जंगल में

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

हम यह वन औषधि 5 हजार हैक्टेयर भूमि में लगा रहे हैं ताकि हमारी जो औषधियां लुप्त हो रही हैं वे बच सकें और उनको ज्यादा पैदा कर सकें। (व्यवधान) मैंने सुना नहीं आप क्या कह रहे हैं।

अभी कच्ची औषधियों का परीक्षण और बनने के बाद में परीक्षण करने का कि कितनी औषधि किस दवाई में डाली गयी है, वह हमारे राजस्थान में नहीं है। वह भी भारत सरकार अभी नयी खोल रही है। उसके लिए हमने कहा है और उन्होंने मंजूरी करने की हमें स्वीकृति दी है। तो वह हमारी ड्रग टैस्टिंग लेबोरेटरी राजस्थान में ला रहे हैं, उसको जोधपुर में लगाएंगे।

रमेश पण्ड्याजी ने अस्पताल के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। जैसलमेर से हमारे एम.एल.ए. साहब आये उन्होंने भी जिला कार्यालय के बारे में बात कही। भरोसीलाल जी ने भी कट मोशन दिया है कि करौली में जिला कार्यालय खुलना चाहिए। उसके लिए हमें पद नये बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने लिख दिया है, कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही खोलेंगे। (व्यवधान) मैंने कहा है कार्यवाही चल रही है, जल्दी ही खुल जाएगा। घोषणा कर दी है, बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने...

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदया, बारां जिले के लिए भी कुछ हो रहा है क्या?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी मैं बताती हूं। जो कट मोशन आये पहले मैं उनका जवाब तो दे दूं। (व्यवधान) आप चाहे तो मैं लिखित में भेज दूंगी। (व्यवधान) ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं एक बात और बोल दूं क्योंकि भाटी साहब इसके बारे में अजमेर में भी भाषण में बोले थे और आज यहां सदन में भी बोले हैं कि नर्सिंग कौंसिल होनी चाहिए, जैसी मेडिकल में है वैसी आयुर्वेद में होनी चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं और इस पर कार्यवाही चल रही है, बहुत शीघ्र ही हम बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कराते हैं, एक मिनट। पास कराते हैं इसको।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मंत्री महोदया, हमने 103 व्यक्तियों की आयुर्वेद में नियुक्ति की, लेकिन उसमें एस.सी., एस.टी. के नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुवीर मीणा। आर्डर, आर्डर बैठिए आप। पूछ लेना। (व्यवधान) पूछ लेना, मना थोड़े ही किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से मात्र एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने यह स्वीकार किया... (व्यवधान) आपने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया कि एप्लीकेशन तब तक एंटरटेन नहीं होती जब तक कि हास्पिटल का अटैचमैंट नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होता, इसलिए हमने उसको हास्पिटल के अटैचमैंट का आदेश दिया। मैं सिर्फ यह जनना चाहता हूं कि यह जो पैरा 3 और 4 में आपने लिखा है, "संस्था चिकित्सालय में उपलब्ध केवल भौतिक संसाधनों का ही उपयोग कर सकेगी" और पैरा 3 में लिखा है कि 10 हजार रुपये पर हैड लेंगे, तो आपकी गवर्नमैंट इस कमिटमैंट को तो ओनर करेगी ना, बाकी तो ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो क्वेश्चन पूछ लो ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बस यही पूछ रहा हूं। यह कमिटमैंट है। यह सिर्फ एप्लीकेशन एंटरटेन करने के लिए नहीं है बलकि बाकायदा गवर्नमैंट का आर्डर है, यह कमिटमैंट तो आनर करोगे, अगर उनको वहां से एप्रूव्ल मिल गई? बस इतना-सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आपको क्या पूछना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा है सैल्फ फाइनेंस स्कीम बनाकर आप भवनों का निर्माण करेंगे। तो यह सैल्फ फाइनेंस स्कीम में कौन-कौनसी एजेंसियां हैं (व्यवधान) यह बताएं। नम्बर दो, आपके ध्यान में एक चीज दिलाना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में चिकित्सालयों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति बनी थी। आपने जो नीति हमने बनायी थी उस नीति को 31 मार्च, 1999 तक बढ़ा दिया, फिर आपने उसको 2001 तक बढ़ा दिया। परन्तु उसके साथ जो आपको नोटिफिकेशन निकालने थे, एक साल हो गया सेल्स टैक्स एक्जम्पशन का नोटिफिकेशन नहीं निकला और दूसरी जो रियायतें देने के नोटिफिकेशन निकालने थे वे नहीं निकले। आप उस पर भी ध्यान दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय आपका इधर ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मंत्री जी, आपसे पूछ रहे हैं ये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने अपने जवाब में बताया है कि 283 लाख की हमने दवाइयां वितरित की हैं पब्लिक को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। मंत्री जी, सुनें आप। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : 283 लाख की दवाइयां वितरित की हैं पब्लिक को और फिर आपने अपने जवाब में यह बात कही कि यह वितरण नहीं किया है, हमने हास्पिटल में भेज दीं, कौन सी बात सही है? (व्यवधान) नहीं, आपने हास्पिटल में भेज दी हैं, यह बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। जवाब दे देंगे, बैठो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं मकान-मकान में सारी बांटने जाऊंगी क्या? (व्यवधान) वितरण तो अस्पतालों के थ्रू ही होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, विराजिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्रीजी, विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : अस्पतालों में दवाइयां वितरित की हैं, इसका अर्थ और है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, हो गयी न बात, खतम हो गयी। आपको मौका दे दिया, बात खतम हो गयी। (व्यवधान) सब चीज का समाधान यहां नहीं हो रहा है, आप विराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : अस्पताल में मरीजों को बांटने का अर्थ और है, आपने दोनों बातें कही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जगमाल सिंहजी, बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री अशोक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि वे अनुसूचित जाति के ट्रेंड चिकित्सकों को कब तक भर्ती कर लेंगे। (व्यवधान) आप आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य-- (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : कौन सी बात सही है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री मदन दिलावर : मैं तो बहुत आदेश की पालना करता हूं, आपके हर आदेश की पालना करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दूंगा, इनका जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह दायमा : 18-18, 20-20 साल से जो स्टोर में बैठे हैं उनको हटाने की कोई बात करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया, वह तो पहले ही कह दिया इन्होंने। (व्यवधान) बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत आज्ञाकारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री अशोक : मेरा निवेदन है, मंत्री जी, आप आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बैठिये। सब चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अशोक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है, आप आश्वस्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, यह लिखित में जवाब दे देंगे आपको।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जो अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग आएंगे उनको मैं तुरन्त लेने की कोशिश करूंगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आर्डर जारी किया है विभाग ने, उसके बारे में पूछा है। उसके बारे में आर्डर विभाग ने ही जारी किया है और उसमें सारी जो बातें लिखी भी हैं वे विभाग ने ही जारी की हैं। मैं आपसे वापस एक खुलासा और कर देता हूं कि यह एग्रीमेंट जो सम्बद्धता की है वह कोई डेंटल विंग के साथ में हमने नहीं की है, यह सम्बद्धता एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के साथ की है। उसमें चूंकि दूसरे सब्जैक्ट्स भी पढ़ाये जाते हैं, आपके मेडिसिन के दूसरे हैं, उसमें वो सारी बात है। (व्यवधान) मैंने कह दिया न, कह दिया कि जो इसमें आया है वह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आर्ग्यूमेंट नहीं, आपका जवाब मिल गया। if you are not satisfied तो आप और किसी तरह से उठा लेना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह मैंने कह दिया है। यह जानकारी और दे रहा हूं। दूसरा, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्टोर्स में जो लम्बे अर्से से लगे हुए हैं उनके बारे में जो बात कही है, मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि इसकी जांच करें कि इसमें कहां रुकावट आयी है, इसको लागू किया जाए। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह बाह्य योजना से पोषित कहां करेंगे, तो जो हमारी स्कीम्स हम बना रहे है वह स्कीम बाहर आएगी और उसमें आपका भी मैंने सहयोग मांगा है कि आप भी दानदाताओं से सहयोग करके बिल्डिंग्स बनवाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी को धन्यवाद देता हुआ आपसे अनुरोध करूंगा कि मांग को पारित कराया जाए।

मांग संख्या-26 का पारण

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई (आयुर्वेद, परिवार कल्याण सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये नौ अरब उनतालीस करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाइस हजार (9,39,33,28,000) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री मदन दिलावर, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

सदन की बैठक बुधवार, 19 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.45 बजे 19 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-395 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

राज्य में जनजाति के छात्रों को निम्नप्रकार पूर्व मेट्रिक एवं उत्तर मेट्रिक छात्रवृति दी जाती है

(1) पूर्व मेट्रिक छात्रवृति

यह छात्रवृति कक्षा 6 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को एक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिए दी जाती है। यह वर्ष में दो बार शिक्षा विभाग के छात्रवृति स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा 15 अगस्त को 8 माह की तथा 26 जनवरी को 2 माह की स्वीकृत की जाती है। इस छात्रवृत्ति की दरें निम्नप्रकार है : —

	स्वीकृत राशि (प्रतिमाह)	
	छात्र (लड़के)	छात्राएं (लड़कियां)
कक्षा 6 से 8 तक	15/-	20/-
कक्षा 9 से 10 तक	30/-	40/-

(2) उत्तर मेट्रिक छात्रवृति

भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियमानुसार यह छात्रवृति कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों को स्कूल स्तर पर तथा प्रथम वर्ष से शिक्षा समाप्ति तक कालेज स्तर पर दी जाती है। इस हेतु विभाग द्वारा एक समय सारण (कलेण्डर) निर्धारित किया हुआ है, जिसके अनुसार प्रत्येक तीन माह में छात्रवृति दी जानी है।

छात्रवृत्ति की दरें समूहवार निम्नप्रकार है :

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	डेस्कालर
क	425/-	190/-
ख	290/-	190/-
ग	290/-	190/-
घ	230/-	120/-
ड़	150/-	90/-

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

भूतपूर्व अर्द्ध-सैनिक बलों को सुविधायें

405. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के लिए घोषित पैकेज क्या अर्द्ध-सैनिक बलों के शहीद जवानों के लिए भी लागू है?

(2) राज्य सरकार द्वारा देय भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति एवं अन्य सुविधाएं अर्द्ध-सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को नहीं देने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार भूतपूर्व अर्द्ध-सैनिक बलों को उक्त सुविधा देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा देने का मुख्य कारण उनकी सेवा अवधि अर्द्ध-सैनिक बलों के मुकाबले लगभग आधी है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला अजमेर में रबी की फसल हेतु सिंचाई सुविधा

406. **श्री सांवर लाल (भिनाय)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अजमेर के गांवों/कस्बों/शहरों में रबी की फसल बोई जाती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी?

(2) इस वर्ष कितनी भूमि में फसल बोई गई है और उसमें कितनी-कितनी बार पानी दिया है?

(3) क्या उक्त पानी पर्याप्त है?

(4) क्या जिला अजमेर में पर्याप्त उत्पादन होगा? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां, अजमेर जिले में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, अलसी, जीरा, मैथी, प्याज आदि जो कि रबी की मुख्य फसलें हैं, बोई जाती हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 में अजमेर जिले में विभागीय अनुमानों के अनुसार 1.15 लाख हैक्टेयर में रबी की विभिन्न फसलें बोई गई हैं जिनमें पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई की गई।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं, इस वर्ष अजमेर जिले में पानी की कमी के कारण रबी के अन्तर्गत लक्ष्यों की अपेक्षा कम उत्पादन होने की संभावना है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की अपूर्ण सड़कें

407. **श्री भाणजी (दानपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री भाणजी)

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर (बांसवाड़ा) में कितनी अपूर्ण सड़कें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नवागांव से देवगढ़, विरपुर-से नल्दा, पलासवानी वाया बोरीया, छापरिया से संगेसरी सड़कें अपूर्ण हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 13 सड़के अपूर्ण है। अपूर्ण सड़कों की सूची संलग्न परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। नवागांव से देवगढ़, विरपुर से नल्दा विरपुर से पलासवानी वाया बोरीया, छापरिया से संगेसरी सड़के अपूर्ण है। इनमें से विरपुर से नल्दा सड़क की स्वीकृति वर्ष 99-2000 में योजना मद में बी.एम.एस.पी. के अन्तर्गत 18 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत है। शेष तीनों सड़कों की कोई स्वीकृति नहीं है अतः इन सड़कों को पूर्ण करना उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

(3) अपूर्ण 13 सड़कों को डामर से जोड़ने के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-"अ"

दानपुर विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क क्रमांक	सड़क का नाम	सड़क की वर्तमान स्थिति (कि.मी. में)					अनुमानित लागत	विशेष विवरण
			डामर	मेटल	ग्रेवल	यू.सी.	योग	(लाखों में)	
1	2	3	3					4	5
1.	–	नवागांव से देवगढ़ (240) (3364)	–	–	9	2	11	93.00	
2.	वी आर 28	वीरपुर से पलासवानी वाया बोरीया सड़क (1039) (353) (432)	6	2	–	2	10	26.00	
3.	वी आर 30	संगेसरी छापरिया सड़क (184) (852)	1	2	1	–	4	17.00	
		योग :	7	4	10	4	25	136.00	
4.	वी आर 22	ठीकरिया, करजी वाया, सियापुर सालिया (2561) (4558) (1322)	11	–	4	–	15	28.00	
5.	वी आर 24	बांसवाड़ा सुरवानिया, वाया नवागांव सामरिया (2408) (3364) (3808)	15	–	3	–	18	21.00	
6.	वी आर 31	सम्पर्क सड़क देवगढ़ (240)	1	0.50	–	–	1.5	6.00	

1	2	3	3					4	5
7.	वी आर 26	सम्पर्क सड़क सरवन फेफर (म. प. सीमा तक) (3391) (2463)	4	–	3	–	7	21.00	
8.	वी आर 35	सम्पर्क सड़क जहाजपुरा (1034)	3	–	4	–	7	130.00	मुन्डन नदी पर 150 मी. लंबाई के वेन्टेड काजवे की लागत शामिल है।
9.	वी आर 219	हमीरपुरा घोटिया आम्बा रोड़ (854)	11	–	1	–	12	7.00	
10.	वी आर 222	वडोदिया करजी सड़क (3735) (4558)	4	–	1	–	5	7.00	– 1 –
11.	वी आर 237	चोखला भोयन सड़क (1884)	3	–	3	–	6	21.00	
12.	वी आर 254	जल्दा (1504) वोडीगामा (3104) सड़क	1	–	3	–	4	21.00	
13.	वी आर 266	सम्पर्क सड़क उम्मेदगढ़ी (1543)	0.5	–	1	–	1.5	7.00	
		योग :— (1 से 13)	60.50	4.5	33	4	102	405.00	

जिला बाड़मेर में वृद्धावस्था पेंशन

408. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

जिला बाड़मेर में कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 6389 व्यक्तियों को, राज्य वृद्धावस्था पेंशन 698 व्यक्तियों को, कुल 7087 व्यक्तियों को दी जा रही है।

पुलिस थाना बजाज नगर में नकली घी प्रकरण

409. **श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1999 में जयपुर शहर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में नकली घी का कारखाना पकड़ा गया था? यदि हां, तो कब तथा उक्त कारखाने में छापे के दौरान क्या-क्या मिला?

(2) उक्त नकली घी का कारखाना कब से चलाया जा रहा था और उसमें कौन-कौन व्यक्ति लिप्त थे? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कारखाने में किस प्रकार नकली देशी घी का निर्माण किया जाता था तथा इसमें कितने लोग लिप्त थे और इसका पता कैसे चला?

(4) उक्त प्रकरण में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर से प्राप्त सूचना दिनांक 3.4.2000 के अनुसार बजाज नगर की श्याम कोलोनी मकान नं. बी-30 में पुलिस विभाग द्वारा आरोपित नकली घी बनाने का कारखाना दिनांक 11.12.99 को पकड़ा गया कारखाने में छापे के दौरान पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये माल का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) भारसाधक अधिकारी, थाना बजाज नगर, जयपुर शहर की रिपोर्ट अनुसार कारखाना दो माह से चलाया जाना ज्ञात हुआ तथा इसमें : —

1. श्री प्रहलाद उर्फ हरि शंकर पुत्र श्री रूपनारायण महाजन निवासी मकान नं. 2392 नाहरगढ़ रोड जयपुर।

2. श्री कमल सैनी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण माली निवासी 641 बरकत नगर, जयपुर

3. श्री रामबाबू पुत्र श्री नानगराम महाजन निवासी मानपुर माचेड़ी थाना चंदवाजी हाल किरायेदार मकान नं. 2057 नाहरगढ़ रोड, जयपुर लिप्त पाये गये।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) पुलिस द्वारा जब्त माल के अनुसार संभवतः उक्त कारखाने में वनस्पति, रिफाईंड सोयाबीन तेल में ऐसेंस मिलाकर घी तैयार किया जाता था। इसमें तीन लोग लिप्त पाये गये। उक्त कारखाने का पता पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त के दौरान पकड़ी गई मारुति वैन नं. आर. जे. 14 1सी 2377 व उसमें बैठे ड्राइवर एवं अन्य दो व्यक्तियों में से श्री कमल सैनी द्वारा दिये गये बयान के अनुसार चला।

(4) उक्त प्रकरण में जब्त मारुति वैन में से प्राप्त घी में से चिकित्सा विभाग द्वारा दो नमूने पी.एफ.ए.एक्ट के तहत जांच हेतु लिये गये जो कि जांच बाद दोनों ही नमूने मिलावटी पाये गये। मिलावटियों के विरुद्ध इस्तगासे न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त बजाज नगर थाना प्रभारी द्वारा आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अपराध धारा 420 आई.पी.सी. धारा 76, 78 ट्रेड एण्ड मर्चेन्टाइज अधिनियम में मुकदमें दर्ज किये गये, मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया व प्रकरण का चालान न्यायालय में 13.4.2000 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

परिशिष्ट-"क"

कारखाने में छापे के दौरान पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये माल का विवरण

1. नकली देशी घी के तैयार शुदा 23 टिन
2. दो बोतल ऐसेंस
3. 69 पैकेट 1/2, 1/2 किलों के घी के भरे हुए जिन पर कोई मार्का नहीं था
4. सुदामा ब्राण्ड वनस्पति के 4 टिन
5. रिफाईंड सोयाबीन चम्बल ब्राण्ड के 5 टिन
6. 26 खाली टिन
7. गैस सिलेण्डर मय चूल्हा
8. प्लास्टिक का एक बड़ा टब
9. दो चालनी, एक कीप, 3 मग
10. एक कूलर तैयार घी को ठण्डा करने के लिये
11. 20 ढक्कन प्लास्टिक के
12. एक छोटा तराजू मय बाट
13. फेविकोल डिब्बे 2, प्लास्टिक जरीकिन तारपीन एक
14. रंग के डिब्बे
15. लकड़ी के फ्रेम में स्मृति ब्राण्ड की डाइयां
16. एगमार्का की डाई
17. कन्हैया, मुरली, गोविन्दा मार्का के रेपर्स
18. रबड़ की सीले 4
19. स्टाम्प पैड
20. पेकिंग का सामान एक हथोड़ी, एक इलेक्ट्रिक राड़, एक प्लास, प्लास्टिक की खाली थैलियां, व्हील वांशिग पाउडर टेप पेकिंग

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 मार्च, 2000)

वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान पर रोक

16. **श्री प्रभूलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान कुछ माह से रोक रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त व्यक्तियों का पेंशन का भुगतान रोकने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है?

(3) सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कितने लोगों की पेंशन का भुगतान किया गया? माहवार व्यक्तियों की संख्या व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कितने लोगों की पेंशन स्वीकृत की गई? माहवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कुछ माह में पेंशन स्वीकृति पर अघोषित रोक रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राष्ट्रीय व राज्य वृद्धावस्था पेंशन के 31.3.99 तक स्वीकृत सभी प्रकरणों में पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

(2) उक्त व्यक्तियों को पेंशन भुगतान निरन्तर किया जा रहा है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (संलग्न-1)

(4) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (संलग्न-2)

(5) जी, नहीं।

संलग्न-I

क्र. सं.	जिले का नाम	सितम्बर, 99		अक्टूबर, 99		नवम्बर, 99		दिसम्बर, 99		जनवरी, 2000		फरवरी, 2000	
		व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	15074	2311000	18288	3336025	12763	3918182	14528	5667028	11783	2118000	11783	96000
2.	अलवर	35019	4223092	37393	4534471	37819	6032665	40179	3759085	40176	1035546	40196	115457
3.	बांसवाड़ा	3838	2608000	5481	2821000	6271	3541000	1346	728000	3757	2555000	1349	988000
4.	बारां	9480	1756936	11833	2676281	6916	2191943	7536	2357678	510	102795	2220	448180
5.	बाड़मेर	10318	2517829	7571	1924141	7395	1697922	7445	1817651	7679	1730991	7594	1768746
6.	भरतपुर	8081	1616038	8521	1917587	8669	1375025	8673	1673515	8673	866444	8673	526709
7.	भीलवाड़ा	26031	2577000	17967	2720000	18070	2620000	16824	2628000	17242	2355000	6415	2050000
8.	बीकानेर	4351	913714	5059	1062473	4883	1025252	4063	853100	928	194831	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	बूंदी	15250	1278190	17939	2953513	18630	2049614	18630	1041160	18630	217838	18630	1198044
10.	चित्तौड़गढ़	11089	2218000	11803	2323000	13512	2707000	11236	2240000	–	–	4808	972000
11.	चूरू	13127	8346360	10747	5131036	6958	4119619	1017	624583	49	15855	383	318586
12.	धौलपुर	7105	1155510	7398	1679891	6742	901436	7195	1350383	7045	1083834	4745	493204
13.	दौसा	8066	848151	11483	3377161	9756	5150646	6263	2057235	–	–	–	377912
14.	डूंगरपुर	17817	3563475	19838	4007292	17675	3534871	16440	3327994	11252	2290377	2514	796410
15.	जालौर	6846	1430080	5899	1421970	6806	1609230	6793	1653410	3798	796060	1928	401650
16.	जैसलमेर	1159	450427	1974	497175	195	115098	764	313451	756	383092	–	–
17.	झालावाड़	8763	2235954	10412	2646251	9234	2245956	9782	2388561	1622	344140	–	–
18.	झुन्झुनूं	4877	2654150	5546	3934970	4914	2748006	570	183233	–	–	–	(–)1200
19.	जोधपुर	13984	3469900	13984	3190436	13984	3587598	13984	695708	13984	2282004	–	–
20.	कोटा	2632	1105730	5395	2266009	4616	1938946	10605	4454360	619	260473	2243	942288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	नागौर	12550	2510194	16045	3209000	14642	2928493	14274	2854937	98	19562	17650	3530000
22.	पाली	6478	2871651	6371	2791310	9802	4075411	2961	944428	1003	462263	163	100266
23.	राजसमंद	5540	1948413	5530	1109774	5413	1088789	5081	1056227	5227	1045426	510	109272
24.	सीकर	5223	1499012	13192	6721535	10219	3980431	8701	3958204	4073	1325210	3354	1066834
25.	सिरोही	3844	831177	4776	1151794	2820	582059	3131	821055	916	359100	3	800
26.	गंगानगर	15036	2355300	22231	1778747	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	सवाई माधोपुर	12856	1298957	5679	782692	12008	1219486	8105	824432	–	–	–	–
28.	टौंक	4018	1867085	4154	1815851	4518	2500512	2917	1781720	272	174710	1632	923832
29.	उदयपुर	16729	3345817	13196	2639158	18836	3767279	11506	2301205	615	123019	716	143105
30.	हनुमानगढ़	3148	629659	4308	861694	4189	837984	3163	632624	969	193904	2366	473364
31.	जयपुर	3179	1261221	4064	1707787	6802	3324081	4905	1986604	1395	439572	2105	1039074
32.	करौली	7606	2643632	8136	5180047	5366	1630681	5153	1116709	6143	1817539	5273	1130473
योग		319114	70341654	342213	84170071	310423	79045215	273770	58092280	169234	24592585	147253	20010206

संलग्न-II

क्र.सं.	जिले का नाम	सितम्बर, 99	अक्टूबर, 99	नवम्बर, 99	दिसम्बर, 99	जनवरी, 2000	फरवरी, 2000	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	4896	14	8	17	–	27	4962
2.	अलवर	2374	426	2360	17	–	49	5226
3.	बांसवाड़ा	501	–	–	–	–	–	501
4.	बारां	5110	3390	1163	124	9	–	9796
5.	बाड़मेर	16643	–	–	–	–	–	16643
6.	भरतपुर	76	440	148	4	–	–	668
7.	भीलवाड़ा	5580	2389	1548	620	–	–	10137
8.	बीकानेर	6163	–	–	–	–	–	6163
9.	बूंदी	2335	2689	691	–	–	–	5715
10.	चित्तौड़गढ़	2237	1699	–	488	–	–	4424
11.	चूरू	4761	671	104	–	–	–	5536
12.	धौलपुर	5764	400	26	3	–	–	6193
13.	दौसा	17109	10	–	–	–	–	17119
14.	डूंगरपुर	1328	67	62	2	1	46	1506
15.	जालौर	3697	–	–	–	–	–	3697
16.	जैसलमेर	118	–	6314	–	–	–	6432
17.	झालावाड़	66	1490	2916	–	–	–	4472
18.	झुन्झुनूं	5017	3288	55	–	–	–	8360

1	2	3	4
9.	बूंदी	78	116
10.	चित्तौड़गढ़	319	77
11.	चूरू	78	111
12.	दौसा	179	174
13.	धोलपुर	12	147
14.	डुंगरपुर	69	350
15.	गंगानगर	113	202
16.	हनुमानगढ़	126	108
17.	जयपुर	426	270
18.	जैसलमेर	26	195
19.	जालौर	65	290
20.	झालावाड़	52	155
21.	झुंझुनूं	164	125
22.	जोधपुर	104	499
23.	कोटा	69	79
24.	करौली	184	202
25.	नागौर	266	205
26.	पाली	91	127
27.	राजसमंद	67	373
28.	सवाई माधोपुर	81	119
29.	सीकर	331	192
30.	सिरोही	16	183
31.	टोंक	143	122
32.	उदयपुर	111	703
	योग	**3990**	**7580**

उप खण्ड सिणधरी (बाड़मेर) में ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण

411. **श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वृत बाड़मेर के उप-खण्ड सिणधरी में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन मालपुरा, अणढ़ाणियों की बेरी, सरनू, भाटाला, जूना मीठा खेड़ा, धनवा फांटा की लाइनों/ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो अब तक इनके निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बाड़मेर वृत के उप खण्ड सिणधरी के मालपुरा, अणढ़ानियों की बेरी, सरनू, भाटाला, जूना-मीठा खेड़ा तथा धनवा फांटा में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने हेतु दिनांक 30.09.1999 को स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन सब-स्टेशनों व संबंधित लाईनों का कार्य शुरू करने के लिए ठेके देने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है, जिसके पूर्ण होने पर वित्तीय संसाधनों एवं सामान की उपलब्धता अनुसार कार्य पूरा करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की मरम्मत योग्य सड़कें

412. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितनी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों पर काफी गहरे खड्डे हो रहे हैं जिससे आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं/होती है? सरकार ने इसे रोकने के क्या उपाय किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 तक जीर्ण-क्षीण उक्त सड़कों को दुरूस्त करने हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद एवं योजना में स्वीकृत की गई, उसमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क पर कब-कब व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्ष 1999-2000 में अपूर्ण सड़क/टूटी हुई सड़कों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सानिवि. की कुल सड़कों की लम्बाई 340.60 कि.मी. है। जिसमें से 91.60 कि.मी. की लम्बाई में सड़कों की हालत ठीक है। शेष रही सड़कों पर वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध बजट आबंटन अनुसार आंशिक रूप से साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया है। विधान

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सभा क्षेत्र बस्सी में ऐसी सड़कें जिन पर साधारण मरम्मत पर अत्याधिक कार्य करवाने की आवश्यकता है, उनकी सूची परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र बस्सी की उक्त सड़कों में से किसी भी सड़क पर काफी गहरे खड्डे नहीं है जिनसे दुर्घटना सम्भावित हो। इस विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर समय-समय पर उपलब्ध वित्तीय बजट आवंटन अनुसार मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 99-2000 में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 6 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य तथा 76 कि.मी. में साधारण मरम्मत का कार्य करवाया जा चुका है।

(3) वर्ष 1997 से फरवरी, 2000 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी की सड़कों की मरम्मत हेतु योजना मद में 113.28 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की गई जिसके विरुद्ध 47.19 लाख रुपये की राशि खर्च की गई एवं गैर योजना मद में 38.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से विभिन्न सड़कों पर 36.11 लाख रुपये की राशि मरम्मत एवं रख-रखाव पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ब" में दर्शाया हुआ है।

(4) राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में सड़कों की मरम्मत हेतु विधान सभा क्षेत्र बस्सी में योजना मद में 58.50 लाख रुपये स्वीकृत किये, जिसमें से 6.73 लाख रु. व्यय किये गये एवं गैर योजना मद में 2.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, जिसमें से 1.00 लाख रु. की राशि व्यय की गई। वर्ष 2000-2001 में अपूर्ण/टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

सड़क का नाम 1		लम्बाई किमी. 2
1.	बस्सी तूंगा लालसोट सड़क	15.00
2.	चाकसू तूंगा लवाण सड़क	30.00
3.	हंसमहल से भटेरी	8.60
4.	बांसखों से भटेरी वाया पाटन	8.50
5.	बांसखों फाटक से धूला	7.00
6.	लिंक सड़क बड़वा से जटवाड़ा	8.00
7.	अप्रोच सड़क धूला वाया बड़वा पड़ासोली	13.00
8.	बांसखो से नईनाथ सड़क	4.00
9.	तूंगा से देवगांव सड़क	5.00
10.	बस्सी से देवगांव सड़क	10.00
11.	माधोगढ़ से देवरी	3.50
12.	माधोगढ़ से अनंतपुरा	2.50
13.	लिंक सड़क करनगढ़ वाया मारंडी रूपपुर	6.70
14.	लिंक सड़क खतेपुरा	3.70
15.	बस्सी तूंगा से नईनाथ	5.80
16.	आगरा रोड़ से दूधली सुजानपुरा	2.10
17.	तूंगा से महादेवपुरा	3.00
18.	कानोता से सांभरिया	10.00
19.	बैनाड़ा से कूंथाड़ा	4.00
20.	बैनाड़ा से भावपुरा	3.00

1	2
21. सम्पर्क सड़क पालावाला जाटाना	2.50
22. सम्पर्क सड़क महादेवपुरा	1.50
23. सम्पर्क सड़क जटवाड़ा	2.50
24. काशीपुरा से देवगांव	4.50
25. गठे की कोठी से राजपुरा पातलवास	1.70
26. बस्सी से सांभरिया	4.00
27. रा.रा.स. 11 से रामसर पालावाला	2.60
28. सांझरिया बरेला	2.00
29. बस्सी से जीतवाला	8.90
30. गोनेर से भूरथल	4.00

परिशिष्ट-"ब"

	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
नाबार्ड वर्ष 1997-98 (योजना मद)		
1. सम्पर्क सड़क खेंडारानीवास	35.78	27.21
बी.एम.एस.पी. वर्ष 1998-99		
1. सम्पर्क सड़क बांसखो भूड़ला	4.00	0.11
2. सम्पर्क सड़क बड़ोदिया	15.00	13.14
	54.78	40.46
एसएम. एण्ड आर. वर्ष 1999-2000		
1. चाकसू कोटखावदा तूंगा ढूंढ़ नदी पर रपट का कार्य	15.00	5.03
2. बस्सी तूंगा लालसोट किमी. 11/0 से 14/0	6.50	–
3. बस्सी तूंगा लालसोट किमी. 14/0	2.00	–
4. बस्सी देवगांव सड़क किमी. 0/0 से 2/0	3.00	–
5. कानोता नायला सड़क किमी. 0/0 से 6/0	24.00	1.70
6. गायत्री मन्दिर सड़क	8.00	–
	58.50	6.73
कुल :	113.28 लाख	47.19 लाख

परिशिष्ट-"ब"

	स्वीकृति	व्यय
वर्ष 1997-98 (गैर योजना मद)		
1. 20 एम.एम. पी.एम.सी. ऑन बस्सी तूंगा रोड कि.मी. 17/0 से 18/0 एवं 21/0 से 23/0	9.00 लाख	870074=00
2. 20 एम.एम.पी.एम.सी.ऑन चाकसू कोटखावदा तूंगा रोड़ कि.मी. 5-15	15.00 लाख	1430916=00
वर्ष 1998-99		
3. रिनिवल 20 एम.एम.पी.एम.सी. बाई पेवर ऑन बस्सी तूंगा रोड कि.मी. 20/0 से 26/0	12.00 लाख	1209598=00
वर्ष 1999-2000		
4. मिसिंग लिंक निर्माण कार्य बांसखो लवाण वाया भूड़ला रोड	2.00 लाख	100193=00
	38.00 लाख	**36.11 लाख**

रावत भाटा (बेगूं) में माडा योजनान्तर्गत छात्रावास निर्माण

413. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) रावत भाटा (बेगूं) में छात्राओं के लिए माडा योजना के तहत कौनसी तारीख को छात्रावास खोलने व भवन निर्माण की स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त छात्रावास भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है? यदि हां, तो कब व कितने रुपयों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राशि स्वीकृति के बाद भी आज तक भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं? अब कब कार्य प्रारम्भ करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रावतभाटा तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ में माडा. योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में छात्राओं के आश्रम छात्रावास भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त छात्रावास भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 3-10-96 को जारी हो चुकी है तथा रुपये 33.37 लाख की राशि डी.आर.डी.ए. चित्तौड़गढ़ पी.डी. खातें में जमा हो चुकी है।

(3) निर्माण एर्जेसी निर्धारण में विलम्ब होने से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया था। अब निर्माण एर्जेसी का निर्धारण किया जा चुका है, तथा निर्माण एर्जेसी को 25 प्रतिशत राशि अग्रिम 31-3-2000 को दी जा चुकी है अतः कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : एफ2(20)माडा/टी.ए.डी./लेखा/96-97/ जयपुर दिनांक 31.12.96

आयुक्त,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

उदयपुर।

विषय : माडा योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जारी 77.74 लाख की स्वीकृति में आंशिक संशोधन बाबत।

प्रसंग : राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के नोट क्रमांक 705/एस.एम./टी.ए.डी./96 दिनांक 13-12-96.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि विभागीय स्वीकृति सम्संख्यक दिनांक 3-10-96 रुपये 77.74 लाख (स्वीकृति संख्या-35) में जो आश्रम छात्रावास भवन निर्माण हेतु थी में वर्णित स्थानों के स्थान पर निम्न संशोधन किया जाता है—

पूर्व में जारी	स्थानपरिवर्तित स्थान
1. जिला कोटा	1. रावतभाटा तहसील बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़
2. जिला राजसमंद	2. राजसमंद

शेष स्वीकृति यथावत रहेगी।

भवदीय,

उप शासन सचिव

विधान सभा क्षेत्र नदबई के चिकित्सालयों में रिक्त पद

414. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व चिकित्सालय कहां-कहां एवं कब से संचालित किये जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय/केन्द्रों पर कितना-कितना चिकित्सा स्टाफ स्वीकृत है एवं उनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी किस-किस वर्ग के वर्तमान में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिकतर पद रिक्त हैं? अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व चिकित्सालय के स्थान तथा संचालन की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त चिकित्सालय/केन्द्रों पर स्वीकृत एवं कार्यरत चिकित्सा स्टाफ (अधिकारी/कर्मचारी) की चिकित्सालय/केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं, चिकित्सालयों में चिकित्सक संवर्ग के स्वीकृत 10 पदों में से 1 कनिष्ठ विशेषज्ञ व 1 चिकित्सा अधिकारी का पद, नर्सिंग संवर्ग के स्वीकृत 73 पदों में से 3 प्रसाविकाओं के पद, पैरामेडिकल के स्वीकृत 7 पदों में से 1 सहायक रेडियोग्राफर का पद तथा अन्य स्वीकृत चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत 32 पदों में से 2 सेक्टर सुपरवाइजर के पद रिक्त है, इस प्रकार उक्त चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल स्वीकृत अधिकारी/कर्मचारी के 122 पदों में से केवल 8 पद रिक्त है।

कनिष्ठ विशेषज्ञ व सेक्टर सुपरवाइजर के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने पर चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर एवं सहायक रेडियोग्राफर व प्रसाविका के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र नदबई में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व चिकित्सालय के स्थान तथा संचालन की अवधि

क्र.सं. संस्था का नाम	कब से संचालित है
1	2
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई	1991-92
1. ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई	1995-96
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हन्तरा	1997-98
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाड़सर	1990-91
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरोलीछार	1990-91
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेड़ली गडसीया	1990-91
उच्चीकृत उप केन्द्र/उप केन्द्र	
1. उच्चीकृत उप केन्द्र, कुवई	1988-89
2. उच्चीकृत उप केन्द्र, पीगोरा	1988-89
3. उच्चीकृत उप केन्द्र, कटारा	1988-89
4. उच्चीकृत उप केन्द्र, वैलारा	1988-89
5. उप केन्द्र, झाकई	1978-79 से पूर्व
6. उप केन्द्र, गुदावली	1978-79 से पूर्व
7. उप केन्द्र, लालपुर	1978-79 से पूर्व
8. उप केन्द्र, मदीरा	1978-79 से पूर्व
9. उप केन्द्र, मांढ़ी	1978-79 से पूर्व
10. उप केन्द्र, ऊंच	1978-79 से पूर्व
11. उप केन्द्र, रोनीजा	1978-79 से पूर्व
12. उप केन्द्र, रायसीर	1978-79 से पूर्व
13. उप केन्द्र, बरौलीरान	1978-79 से पूर्व

1		2
14.	उप केन्द्र, खंगरी	1978-79 से पूर्व
15.	उप केन्द्र, गांगरोली	1978-79 से पूर्व
16.	उप केन्द्र, करई	1978-79 से पूर्व
17.	उप केन्द्र, ड़हरा	1978-79 से पूर्व
18.	उप केन्द्र, मई	1988-89 से पूर्व
19.	उप केन्द्र, नगला-मई	1988-89 से पूर्व
20.	उप केन्द्र, जहांगीरपुर	1988-89 से पूर्व
21.	उप केन्द्र, लखनपुर	1988-89 से पूर्व
22.	उप केन्द्र, नाम	1988-89 से पूर्व
23.	उप केन्द्र, परसवाड़ा	1988-89 से पूर्व
24.	उप केन्द्र, गंगवाना	1988-89 से पूर्व
25.	उप केन्द्र, बछामदीं	1988-89 से पूर्व
26.	उप केन्द्र, बहरामदा	1988-89 से पूर्व
27.	उप केन्द्र, पीपरऊ	1995-96
28.	उप केन्द्र, एचेरा	1995-96
29.	उप केन्द्र, लुहासा	1995-96
30.	उप केन्द्र, करीली	1995-96
31.	उप केन्द्र, अटारी	1996-97
32.	उप केन्द्र, उरारदा	1996-97
33.	उप केन्द्र, बीलोढ़	1996-97
34.	उप केन्द्र, व्योढ़ा	1996-97
35.	उप केन्द्र, दमावली	1996-97

1	2
36. उप केन्द्र, अखेगढ़	1997-98
37. उप केन्द्र, नगला वछामदरा	1998-99
38. उच्चीकृत उप केन्द्र, गुरदानदी	1996-97
39. उच्चीकृत उप केन्द्र, नावली	1989-90
40. उप केन्द्र, बरखेड़ा	1988-89
41. उप केन्द्र, फरसो	1988-89
42. उप केन्द्र, खोहरा	1978-79
43. उप केन्द्र, दहगांव	1988-89
44. उप केन्द्र, सालावाद	1995-96
45. उप केन्द्र, मिलकपुर	1988-89
46. उप केन्द्र, बीरमपुरा	1996-97
47. उप केन्द्र, लहचोरा कलां	1988-89
48. उप केन्द्र, बावड़ी	1988-89

संस्था का नाम	पद नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	कार्यरत पदो की संख्या	रिक्त पदो की संख्या
1	2	3	4	5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी)	2	1 (सर्जरी)	1-3/96
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	चिकित्सा अधिकारी	3	3	–
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	–
	नर्स श्रेणी द्वितीय	6	6	–
	ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर (मेल/फिमेल)	2	2	–
	प्रसाविका	2	2	–
	मलेरिया निरीक्षक	1	1	–
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	2	2	–
	सहायक रेडियोग्राफर	1	–	1-10/99
	नेत्र सहायक	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
प्राथमिक स्वास्थ्य, केन्द्र, हन्तरा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–
	प्रसाविका	1	1	–

1	2	3	4	5
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–
	सैक्टर सुपरवाइजर	1	1	–
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
केन्द्र, पहाड़सर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	प्रसाविका	1	1	–
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–
	सैक्टर सुपरवाइजर	1	–	1-10/98
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	–	1-5/99
केन्द्र, बरौलीछार	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–
	प्रसाविका	1	1	–
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–
	लैब. टैक्नीशियन	1	1	–
	सैक्टर सुपरवाइजर	1	–	1-10/98
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–
खेड़ली गड़ासीया	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–
	प्रसाविका	1	1	–
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–

1	2	3	4	5
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
	सैक्टर सुपरवाइजर	1	1	–
उच्चीकृत उपकेन्द्र, गुरदानदी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	प्रसाविका	1	1	–
उच्चीकृत उपकेन्द्र, नावली	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	प्रसाविका	1	–	1 10/99
उप केन्द्र, बरखेड़ा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, फरसो	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, खोहरा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, दहगांव	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, सालाबाद	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, मिलकपुर	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, वीरमपुरा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, लडचोरा कलां	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, बावड़ी	प्रसाविका	1	1	–
उच्चीकृत उपकेन्द्र, वैलारा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उच्चीकृत उपकेन्द्र, कवई	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–
	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उच्चीकृत उपकेन्द्र, कटारा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–

1	2	3	4	5
	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, अटारी	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, पीपरऊ	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, अखेगढ़	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, ऊटारदा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, न्योठा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, दयावली	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, उहरा	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, मई	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, नगलामई	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, लखनपुर	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, परसवाड़ा	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, बहामंदी	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, भदीरा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, माजी	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, रोनीजा	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, गागरोली	प्रसाविका	1	1	–

1	2	3	4	5
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, बहरामदा	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, करई	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, गवाना	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, नाम	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, लालपुर	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, बरोलीरान	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, खागरी	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, रायसीस	प्रसाविका	1	–	1-1/2000
उप केन्द्र, नगलाव बछामदरा	प्रसाविका	1	–	1-1/2000
उप केन्द्र, करीली	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, जहांगीरपुर	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, गुढ़ावली	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, झारकई	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, ऊंच	प्रसाविका	1	1	–
	एम.पी.डब्लू.	1	1	–
उप केन्द्र, एचेरा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, लुहासा	प्रसाविका	1	1	–
उप केन्द्र, विलोठ	प्रसाविका	1	1	–

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के विद्यालयों में रोक के बावजूद स्थानान्तरण

415. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस सत्र में अलवर जिले में कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण किया गया?

(2) क्या सभी स्थानान्तरण नियमानुसार किये गये?

(3) क्या स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के बाद भी स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस शैक्षणिक सत्र में अलवर जिले में कुल 1250 अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये गये हैं। जिसमें द्वितीय श्रेणी के 266 व तृतीय श्रेणी के 984 अध्यापक हैं।

(2) जी नहीं। 2 द्वितीय श्रेणी अध्यापकों एवं 82 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक-प्रथम) अलवर द्वारा प्रतिबन्ध काल में किये जाने की वजह से अनियमित थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है।

(3) जी हां। प्रश्न के भाग संख्या-2 के उत्तर में अंकित संख्या में अनियमित स्थानान्तरण किये गये थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है तथा दोषी अधिकारी श्री गोपाल लाल रावत, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक-प्रथम), अलवर को निलम्बित कर, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

(4) जी हां। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

जिला झुन्झुनूं में रीको के क्षेत्रीय प्रबन्ध कार्यालय की स्थापना

416. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला झुन्झुनूं के माखर गांव में बहुत अच्छी गुणवत्ता का ग्रेनाइट निकलता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में औद्योगिक विकास की अच्छी संभावनाएं होते हुए भी रीको का क्षेत्रीय प्रबन्धन कार्यालय नहीं है?

(3) क्या उक्त कार्यालय नहीं होने के कारण उद्यमियों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सीकर आने-जाने में व्यर्थ समय गंवाना पड़ता है?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(4) अब कब तक झुन्झुनूं में रीको का क्षेत्रीय प्रबन्धन कार्यालय खोल दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। झुंझुनू जिले में औद्योगिक विकास की गति उत्साह जनक नहीं है, और अभी आर्थिक मंदी के दौर में कार्यभार की कमी को देखते हुये वहां क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं। झुंझुनूं स्थित कार्यालय में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्ध द्वारा उद्यमियों को भू-आवंटन संबंधी सभी कार्य निष्पादित किये जाने की शक्तियां प्रदत्त है। जैसे भूमि का आवंटन, आंवटित भूमि की लीजडीड करवाना, कब्जा देना, नक्शे स्वीकृत करना, पानी का कनेक्शन देना, भू-खण्ड का हस्तान्तरण करना तथा इकाई को ऋण स्वीकृत होने पर संबंधित वित्तीय संस्थान को लीजडीड प्रेषित करना, इत्यादि। अतः उद्यमियों को उक्त छोटे-छोटे कार्यों हेतु सीकर नहीं जाना पड़ता।

(4) झुंझुनूं में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को भू-आवंटन संबंधी समस्त शक्तियां प्रदत्त की हुई है तथा कार्यभार की कमी को देखते हुये वर्तमान में यहा क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में प्रस्तावित सड़क निर्माण

417. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र सिरोही में सरकार द्वारा किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण स्थान वार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के कितने प्रस्ताव अधिशासी अभियंता ने प्लान के अन्तर्गत उक्त अवधि के लिए भेजे थे एवं उनमें से कितने कार्य स्वीकृत किए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र सिरोही में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवार व्यय की गई राशि की सूची परिशिष्ट-"अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 1999-2000 में सड़क निर्माण हेतु कुल 18 प्रस्ताव तैयार किये गये थे। इनमें से 9 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। उक्त स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रस्तावों की सूची संलग्न परिशिष्ठ "ब" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 1999-2000 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई

क्र.सं.	योजना मद	कार्य का नाम	व्यय राशि (लाखों में)
1.	4059-आबकारी	आबकारी कार्यालय भवन सिरोही	1.77
2.	4202-10 एफसी	बालिका छात्रावास का निर्माण सिरोही	13.34
3.	4211-9आईपीपी	औषध गृहभण्डार-सिरोही	0.06
	4211-	फिल्ड डिमोन्सट्रेशन भवन-कालन्द्री	1.28
4.	2059-गैर आवासीय	सिरोही मुख्यालय पर साधारण मरम्मत कार्य	8.30
5.	2216-आवासीय	सिरोही मुख्यालय पर साधारण मरम्मत कार्य	3.80
6.	3054-सड़क व पुल नवीनीकरण	1. सड़क साधारण मरम्मत कार्य	9.44
		2. जावाल शिवगंज सड़क 9/0 से 12/0 व 14/0 से 24/0	12.00
		3. जावाल हरजी सड़क 8,9,10 व 27,32	3.48
		4. सम्पर्क सड़क उथमन 0/0 से 3/0	2.50
7.	5054-सड़कें एवं पुल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1. छीवागांव से गोतमजी	7.08
		2. केसरपुरा से काम्वेश्वरजी	3.40
		3. सम्पर्क सड़क मातरमाताजी	3.05
8.	5054-सड़कें व पुल	1. बरलुट सियाणा सड़क को चौड़ा करने का कार्य	4.65
		2. सिरोही रामपुरा डोडुआ सड़क को चौड़ा करने का कार्य।	0.71
9.	5054-सड़कें एवं पुल नाबार्ड	1. जवाल मनादर सड़क पर नाले निर्माण कार्य	1.38
		2. सम्पर्क सड़क नवारा का निर्माण कार्य	1.30
10.	8658-एमओएसटी	1. पुनः डामरीकरण व नवीनीकरण एन.एच. 14 कि.मी. 210/0 से 220/0 व 226/0 से 233/0	145.00
		2. नालो का निर्माण एन.एच. 14 कि.मी. 195/0 से 210/0	30.00
		3. एन.एच. 14 पर कि.मी. 185/0 से 195/0 पर पेवमेंट शोल्डर का कार्य।	25.00

परिशिष्ट-"ब"

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में भेजे गये प्लान प्रस्ताव जो स्वीकृत हुए उन कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (लाखों में)
1	2	3
1.	इम्प्रुवंमेंट आफ राइडिंग क्वालिटी पेवर द्वारा सिरोही कालन्द्री रामसीन कि. मी. 29/0 से 33/0.	3.00
2.	सैकण्ड कोट सरफेश ड्रेसिंग का कार्य मेटल स्तर तक चौड़ा किया गया सड़क भार कि. मी. 11,13,14 सिरोही कालन्द्री रामसीन सड़क।	2.00
माडर्नाइजेशन		
3.	बरलुट सियाणा सड़क को 3 मीटर से 4.5 मीटर तक चौड़ा करने का कार्य 0/0 से 5/0.	15.00
4.	रामपुरा डोडुआ सड़क को 3 मीटर से 4.5 मीटर तक चौड़ा करने का कार्य कि. मी. 0/0 से 5/0 एवं पुनः डामरीकरण।	15.00
5.	कालन्द्री शहरी सड़क सुधार।	3.00
6.	सम्पर्क सड़क जामोतरा डामर सड़क।	3.50
7.	सिरोही-रामपुरा डोडुआ सड़क पर कि. मी. 10 में सीड़ी कार्य व एप्रोच निर्माण कार्य।	1.00
8658-एम.ओ.एस.टी.		
8.	एनएच 14 पर कि. मी. 185/0 से 195/0 पेवमेंट का कार्य।	93.34
9.	एनएच. 14 पर कि. मी. 191/210 व 191/600 पर पुलियों का पुनः निर्माण।	47.77

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता, सा. नि. वि. खण्ड-सिरोही द्वारा वर्ष 1999-2000 में भेजे गये प्रस्ताव जिनकी स्वीकृति नहीं हुई है : —

1	2	3
मार्डनाइजेशन		
10.	जावाल मनादर सड़क पर कैलाश नगर गांव में कि. मी. 17 में सीसी सड़क का निर्माण।	3.00
11.	सम्पर्क सड़क मण्डवारिया बस स्टेण्ड 0/0 से 1/0 का डामरीकरण।	1.50
12.	जावाल शिवगंज सड़क पर पालड़ी जोड़ गांव में कि. मी. 38 सड़क सुधार कार्य।	3.00
13.	पालड़ी बारेवड़ा सड़क पर कि. मी. 0/0 से 3/0 पर डामरीकरण का कार्य।	4.50
14.	वेलागिरी से वाड़ेली सड़क पर कि. मी. 0/0 से 4/0 पर डामरीकरण का कार्य।	6.00
15.	तंवरी से फलवदी कि. मी. 0/0 से 4/500 पर डामरीकरण का कार्य।	4.50
16.	इम्प्रूवमेंट आफ राइडिंग क्वालिटी कि. मी. 33/0 से 36/0 कालन्द्री जसवन्तपुरा सड़क।	3.50
शहरी सड़कें		
17.	इम्प्रूवमेंट शहरी सड़क तीनबत्ती चौरांया से बाईपास सा. नि. वि. कालोनी, सिरोही।	5.00
8658-एम.ओ.एस.टी.		
18.	एन. एच. 14 पर बारीघाटा कि. मी. 227/0 से 229/0 में सर्वे व अनुसंधान कार्य।	10.00

विधान सभा क्षेत्र नोहर के छात्रावास

418. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोहर में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है।

(2) उक्त क्षेत्र में कुल कितने छात्रावास हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) जिला हनुमानगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं और उनसे कौन-कौन से व्यक्ति लाभांन्वित हुए हैं?

(4) अब उक्त विभाग द्वारा क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उक्त क्षेत्र में राजकीय स्वच्छकार बालक छात्रावास नोहर में संचालित है।

(3) 1. छात्रावास संचालन द्वारा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, अस्वच्छकार कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों के अध्ययन हेतु आवास एवं भोजन की सुविधा।

2. निःशक्त व्यक्तियों के लिये अंग/उपकरण/आर्थिक सहायता की सुविधा।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निःशक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृति।

4. विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान।

5. गाड़िया लोहारों के पुनर्वास हेतु आवास निर्माण सहायता।

6. कुष्ठ रोग ग्रसित माता - पिता के अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृति।

7. बन्दियों को पैरोल का लाभ दिलवाने हेतु पैरोज की सुविधा।

8. हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण व जल आपूर्ति के लिये प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित विभागों को भिजवाने की सुविधा।

9. सुखद जीवन योजना के अन्तर्गत विकलांगों को विवाह पर अनुदान की सुविधा।

10. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के एवं अल्पसंख्यक परिवारों के छात्रों की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा।

11. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व विकलांग बेरोजगार युवकों को रोजगार हेतु नाम पंजीकरण करना।

उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या-3 के उत्तर में उल्लेखित योजनाओं में क्रम संख्या-4 एवं 5 पर अंकित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्रावधान स्वीकृत नहीं है। अन्य योजनाओं वर्ष 2000-2001 में यथावत् जारी है तथा वर्ष 2000-2001 में कोई नयी योजना स्वीकृत नहीं है। बजट घोषणा में जिस योजनाओं का उल्लेख किया गया है, उनकी क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-1

विभिन्न योजनाओं में लाभान्वितों की सूची 1999-2000

क्र.सं.	नाम योजना	लाभान्वितों की संख्या
1.	विकलांग व्यक्तियों को अंग/उपकरण सहायता	82
2.	राज. छात्रावासों/अनुदानित छात्रावासों के द्वारा लाभान्वित छात्र	306
3.	विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां	1359
4.	विधवाओं की पुत्रियों की शादी पर अनुदान	16
5.	गाड़िया लुहारों के पुनर्वास पर अनुदान	13
6.	कोढ़ी माता/पिता के बच्चों को छात्रवृति	5
7.	बन्दियों को पैरोल का लाभ	74
8.	सुखद जीवन योजना (विकलांग विवाह)	1

जिला करौली के ग्रामों में मलेरिया की रोकथाम के उपाय

419. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मलेरिया की रोकथाम के लिये टीकाकरण एवं औषधि छिड़काव के कार्यक्रम (डी.डी.टी.) को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(2) वर्ष 1999-2000 में जिला करौली में कुल कितने मलेरिया के केस पाये गये एवं उनमें क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई?

(3) मलेरिया की रोकथाम के लिये ग्रामों में जो गन्दगी फैल रही है उसकी रोकथाम हेतु क्या प्रयास किये जायेंगे?

उत्तर

(1) राज्य सरकार मलेरिया की रोकथाम के लिए कीटनाशक औषधि (डी.डी.टी.) के छिड़काव निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चालू है जबकि मलेरिया कार्यक्रम के निर्धारित गतिविधियों के अन्तर्गत रक्त पट्टिकाओं का संचयन ही किया जाता है। टीकाकरण का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वर्ष 1999-2000 में जिला करौली में 3025 मलेरिया केस पाये गये। मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया रोगियों को आमूल उपचार दिया गया तथा पी.एफ. कैसेज का फालोअप कराया गया। इसके अतिरिक्त मलेरिया रोग के त्वरित उपचार हेतु करौली में 551 निःशुल्क उपचार केन्द्र, 171 बुखार उपचार केन्द्र व 29 मलेरिया क्लिनिक कार्यरत है तथा वर्ष 1999 में डी.डी.टी. कीटनाशक के दो चक्र (15 मई से 15 अक्टूबर तक) कराया गया तथा क्रेश प्रोग्राम दिनांक 1 अप्रेल से 14 मई एवं 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक चलाया गया।

(3) गन्दगी से मलेरिया रोग फैलने का कोई सम्बन्ध नहीं है। मलेरिया रोग फैलाने वाले मच्छरों का प्रजनन साफ पानी में होता है। ग्रामों के गन्दगी की सफाई का उत्तरदायित्व पंचायतों का है।

विधान सभा क्षेत्र फलौदी के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

420. **श्री रामनारायण विश्नोई (बिलाड़ा)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलौदी के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में से किसी भी

1	2	3	4	5	6
	20.	रूपवास		57.	अटरू
	21.	नदबई	करौली	58.	करौली
	22.	बयाना		59.	टोडाभीम
सीकर	23.	धोद		60.	सपोटरा
	24.	नीमकाथाना	अजमेर	61.	अजमेर पूर्व
	25.	खण्डेला		62.	अजमेर पश्चिम
	26.	श्रीमाधोपुर		63.	पुष्कर
अलवर	27.	अलवर		64.	नसीराबाद
	28.	खैरथल		65.	केकड़ी
	29.	रामगढ़	भीलवाड़ा	66.	आसिन्द
	30.	तिजारा		67.	माण्डल
	31.	मुण्डावर		68.	जहाजपुर
उदयपुर	32.	उदयपुर शहर		69.	माण्डलगढ़
	33.	उदयपुर ग्रामीण	नागौर	70.	नागौर
	34.	लसाड़िया		71.	सुथला
	35.	सराड़ा		72.	जायल
	36.	झाड़ौल		73.	मेड़ता
	37.	मावली		74.	परबतसर
	75.	लाडनूं			
टोंक	76.	निवाई	हनुमानगढ़	97.	नोहर
	77.	टोडारायसिंह		98.	भादरा
	78.	मालपुरा		99.	टिब्बी

1	2	3	4	5	6
	79.	उनियारा	जोधपुर	100.	जोधपुर शहर
	80.	चूरू		101.	सरदारपुरा
	81.	सरदार शहर		102.	बिलाड़ा
	82.	डूंगरगढ़		103.	ओसियां
झुंझुनूं	83.	मण्डावा		104.	फलोदी
	84.	झुन्झुनूं		105.	शेरगढ़
	85.	गुढागोड़जी	पाली	106.	रायपुर
	86.	पिलानी		107.	सोजत
	87.	खेतड़ी		108.	खारची
गंगानगर	88.	केसरीसिंहपुर		109.	सुमेरपुर
	89.	श्रीगंगानगर		110.	बाली
	90.	करणपुर	सिरोही	111.	रेवदर
	91.	सादुलशहर	बाड़मेर	112.	शिव
	92.	रायसिंहनगर		113.	चोहटन
बीकानेर	93.	बीकानेर		114.	पचपदरा
	94.	नोखा		115.	गुढ़ामालानी
	95.	कोलायत	जालौर	116.	जालौर
	96.	लूणकरणसर		117.	आहोर
			चूरु	118.	तारानगर
			सुमेरपुर	119.	भोपाणा
			बिलाड़ा	120.	किरोडा
			अजमेर	121.	किशनगढ़

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2

5. 2 कि. मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथ. विद्यालय की सुविधा का नहीं होना।

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

2. उक्त प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु :—

जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	2500	2000
छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा-8 छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	20
फीडर विद्यालय	2	2

दूरी (कि.मी.) राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप

3. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु :—

जनसंख्या 1. छात्र विद्यालय	4000	3000
2. छात्रा विद्यालय	5000	4000
छात्र सं. कक्षा-10 छात्र संख्या	50	30
छात्रा संख्या	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
दूरी (कि. मी.)	08	08

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान।
2. प्रशासनिक आधार।
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं।
4. भौगोलिक परिस्थितियां।
5. माध्यमिक एवं सी. उ. मा. वि. का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के लम्बित कृषि कनेक्शन

421. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सब डिवीजन इटावा में जनवरी, 1999 से 1 फरवरी, 2000 तक कुल कितने व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन दिये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सब डिवीजन में कुल कितने आवेदक शेष हैं और शेष आवेदकों को कब तक कनेक्शन देने का विचार है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के सब-डिवीजन इटावा में 1 जनवरी, 1999 से 1 फरवरी, 2000 तक कुल 16 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये।

(2) उक्त सब डिवीजन में फरवरी, 2000 तक कृषि कनेक्शन हेतु 170 आवेदन-पत्र शेष हैं जिनको वर्तमान जारी कृषि नीति के अनुसार कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। फिलहाल समयावधि बताना संभव नहीं है।

अटैच सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध अंकेक्षण आपत्तियां

422. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं के साथ दो/तीन अटैच सहायक अभियन्ता लगा रखे हैं? यदि हां, तो इन अटैच सहायक अभियन्ताओं से क्या कार्य लिया जा रहा है एवं विभाग द्वारा इनकी क्या ड्यूटी निर्धारित की गई है?

(2) उक्त अटैच सहायक अभियन्ताओं के वेतन के रूप में राज्य सरकार द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि अटैच सहायक अभियन्ताओं के वेतन को निष्फल मानते हुए महालेखाकार, जयपुर द्वारा अंकेक्षण आपत्तियां भी की गई? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

(4) वर्तमान में कितने सहायक अभियन्ता तदर्थ पदोन्नति पर कार्यरत हैं?

(5) क्या बिना कार्य के अटैच सहायक अभियन्ता होते हुए भी तदर्थ पदोन्नति पर सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) अब राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्तमान में सिविल एवं विद्युत के कुल 98

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

खण्डों में 139 सहायक अभियन्ताओं के पदों का संबंध (अटैच) रखा गया है। इन सहायक अभियन्ताओं से सर्वे एवं प्रोजेक्ट तैयार करवाना, ऐस्टीमेट परीक्षण करना, डिजाइन का कार्य एवं समय-समय पर अन्य तकनीकी कार्य कराया जाता है। विभाग में सहायक अभियन्ता जो कार्यालय में पद स्थापित हैं एवं उनकी जो ड्यूटी निर्धारित है, वे ही कार्य इन अटैच सहायक अभियन्ताओं से लिये जाते हैं।

(2) उपरोक्त अटैच सहायक अभियन्ताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ छत्तीस लाख रुपये वेतन के रूप में दिये जा रहे हैं।

(3) जी, हां। विभाग द्वारा प्रदान की गई पदोन्नतियों पर महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वारा अंकेक्षण आपत्तियां/आडिट पैरा बनाये गये हैं। महालेखाकार द्वारा इस संबंध में सूचना चाही गई थी। राज्य सरकार द्वारा चाही गई विस्तृत सूचना महालेखाकार को पढ़ाई जा चुकी है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आंधार पर वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 153 सहायक अभियन्ता तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं।

(5) जी, नहीं। खण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियन्ता (अटैच) से कार्य लिया जाता है। विभागीय कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये ही स्वीकृति पदों पर अभियन्ताओं की पदोन्नति एडहोक रूप से की गई है।

(6) विभाग में सहायक अभियन्ता जो कार्यालयों में पदस्थापित हैं उन्हीं के अनुरूप इन अटैच सहायक अभियन्ताओं से कार्य लिया जा रहा है। इनके कार्य ढाचे को और अधिक तार्किक व उपयोगी बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

जिला पाली के बकाया पेंशन प्रकरण

423. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला पाली में अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2000 तक संयुक्त वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? उक्त में से कितने स्वीकृत किये गये और कितने अभी जांच हेतु विचाराधीन हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत आवेदनों में से किन-किन पेन्शन धारकों को किस-किस माह की पेंशन का भुगतान किया गया?

(3) उक्त जिले के स्वीकृत पेन्शन प्रकरणों पर किस कारण से रोक लगाई गई? क्या सरकार उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(4) जांच हेतु कौन-कौन से प्रकरण किस-किस अवधि से विचाराधीन है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पाली जिले में अप्रेल, 99 से फरवरी, 2000 तक संयुक्त वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन स्वीकृत एवं विचाराधीन का विवरण निम्नानुसार है : —

	कुल आवेदन प्राप्त	स्वीकृत	विचाराधीन	निरस्त
संयुक्त वृद्धावस्था	325	319	1	5
वृद्धावस्था	824	754	2	68
विकलांग	859	516	8	335
विधवा	1921	1738	21	162
योग : —	**3929**	**3327**	**32**	**570.**

(2) 1.4.99 से 31.3.2000 के मध्य उपरोक्त में से 124 संयुक्त वृद्धावस्था, 478 राज्य वृद्धावस्था, 429 विकलांगों एवं 1421 विधवाओं को पुनः 2452 पेंशन प्रकरणों का भिन्न-भिन्न अवधि तक का भुगतान हुआ है। सूचियां संलग्न है। (एनेक्संर-"अ")

(3) 1.4.99 के बाद सर्वे के फलस्वरूप स्वीकृत नये पेंशन प्रकरणों के बारे में शिकायतें प्राप्त होने के कारण इन प्रकरणों पर भुगतान रोकने एवं इनको जांच करने हेतु पुनः सर्वे के आदेश क्रमांक एफ-9(5)(6)वृपें/सकवि/99/दिनांक 17.11.99 को किये गये। अब राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ-9(5)(6)वृपें/सकवि/2000/46 दिनांक 27.3.2000 द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के प्रकरणों में, जिनमें पुनः सर्वे एवं जांच के बाद उक्त पेंशन की पात्रता पाई गई है, पर से रोक हटाकर भुगतान करने के आदेश दे दिये हैं।

(4) माह अप्रेल, 99 से फरवरी, 99 तक जांच हेतु जिले की पंचायत समिति जैतारण के संयुक्त वृद्धावस्था का 1, वृद्धावस्था के 2, विकलांग के 8, तथा विधवा पेंशन के 27, कुल 32 प्रकरण विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है। (एनेक्सर-"ब")

(5) शिकायतों की जांच व पुनः सर्वे का कार्य पूर्ण होने पर विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण दिया जावेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के चिकित्सालय में रिक्त पद

424. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कुल कितने ए.एन.एम. केन्द्र हैं और उक्त केन्द्रों पर कितने ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं?

(2) क्या धौलपुर क्षेत्र में ए.एन.एम. केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नये खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो नये केन्द्र कब तक खोले जावेंगे?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या धौलपुर चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो इस पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?

(5) उक्त अस्पताल में कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जावेगा?

(6) उक्त अस्पताल में कितने जनरेटर हैं? क्या सभी चालू हालत में हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उक्त उप केन्द्रों पर प्रसाविका (ए.एन.एम.) का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(2) वित्तीय वर्ष 1999-2000 की बजट निर्णायक समिति में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, तथा भ्रमणशील चिकित्सा दल का गठन किया जाकर आपातकालीन दवाईयों के साथ 24 घण्टे तैयार रहने की व्यवस्था की गई है। चारों ब्लाकों पर भी दलों का गठन किया गया है ताकि मौसमी बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर चिकित्सा दल तुरन्त पहुंच जावें। पीने के पानी के नियमित नमूने लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जल शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध है तथा सभी चिकित्सा संस्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध करवा दिया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा कर्मचारियों द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जन साधारण को उपाय बताये जाते हैं।

(4) जी, हां। रिक्त पद भरे जाने हेतु वरिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग) का पदस्थापन किया गया था, परन्तु उसके द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण उक्त पद अब तक रिक्त है। उक्त रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अभ्यार्थी

(राज्य, मंत्री चिकित्सा)

उपलब्ध होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(5) धौलपुर चिकित्सालय में वरिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग), कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी), नर्सिंग अधीक्षक प्रथम व द्वितीय, वार्ड बॉय, स्वीपर व कुक के पद रिक्त है। जिनमें से वरिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग) व कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी) व नर्सिंग अधीक्षक प्रथम व द्वितीय का पद विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है, अतः प्रतिबन्ध में शिथिलता एवं नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(6) सामान्य चिकित्सालय में 4 जनरेटर है जिनमें से एक जनरेटर खराब है जो दान से प्राप्त हुआ था ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

महाविद्यालय बयाना में व्याख्याताओं के रिक्त पद

425. **श्री ब्रजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महाविद्यालय बयाना (भरतपुर) में कितने व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बयाना (भरतपुर) में व्याख्याताओं के 14 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 5 पद रिक्त है।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है।

सुखेर एवं मेवाड़ (उदयपुर) औद्योगिक क्षेत्र के मार्बल व्यवसायियों से भू-परिवर्तन की बकाया राशि की वसूली

426. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रमीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उदयपुर स्थित सुखेर एवं मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में कितने मार्बल व्यवसायी बिना भू-परिवर्तन कराये उक्त भूमि पर मार्बल व्यवसाय कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कारण सरकार को कितनी राशि का नुकसान हो रहा है?

(श्री खेमराज कटारा)

(3) सरकार उक्त उद्योग मालिकों से अपेक्षित राशि की वसूली करने की क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक यह वसूली हो जाएगी?

(4) ऐसे कितने व्यवसायी हैं जिन्होंने अभी तक भू-परिवर्तन की राशि जमा नहीं कराई है?

(5) क्या उक्त व्यवसायियों को भू-परिवर्तन हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं?

उत्तर

(1) उदयपुर स्थित सुखेर में 144 मार्बल व्यवसायी बिना भू-परिवर्तन कराये मार्बल व्यवसाय कर रहे हैं। सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है। मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(2) मार्बल व्यवसायियों द्वारा भू-परिवर्तन नहीं कराये जाने से सरकार को अनुमानित 21.5 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है।

(3) सुखेर क्षेत्र में कुल 144 इकाइयां कार्यरत है। जिनमें से 93 इकाइयां उदयपुर-नाथद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिनी ओर स्थित है। जिनके लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ1(320) राज/भू.सं/91 दिनांक 4.5.99 के अन्तर्गत ग्राम सुखेर क्षेत्र में उदयपुर-नाथद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिनी ओर के क्षेत्र में कृषि भूमि पर स्थापित इकाइयों का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं किए जाने के निर्देश संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर को दिये जा चुके हैं। इसलिए संपरिवर्तन शुल्क वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक उदयपुर-नाथद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर स्थित औद्योगिक इकाइयों से संपरिवर्तन शुल्क वसूल किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999, जिसके अन्तर्गत राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन किए गये हैं, के तहत मार्बल व्यवसाइयों द्वारा संपरिवर्तन हेतु आवेदन किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) 144 मार्बल व्यवसायियों द्वारा अभी तक भू-परिवर्तन की राशि जमा नहीं कराई गई है।

(5) जी, नहीं। प्रश्न के बिन्दु संख्या-3 के उत्तर में वर्णित स्थिति के परिपेक्ष में अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर

परिशिष्ट-"क"

सुखेर स्थित मार्बल व्यवसायी की सूची

1. मै. ग्लेक्सी मार्बल
2. मै. रोयल खनिज उद्योग
3. मै. विन्ध्यवासनी मार्बल
4. मै. ब्ल्यूवर्ड मार्बल
5. मै. भावना मार्बल
6. मै. क्वालिटी मार्बल
7. मै. श्री गणेश एन्टरप्राइजेज
8. मै. आनन्द मार्बल
9. मै. मारुति डेकोरेटिव स्टोन
10. मै. सेन्ट मेरीज मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट
11. मै. लोकेश एन्टरप्राइजेज
12. मै. महावीर टाइल्स,
13. मै. भीक्षाश्री मार्बल
14. मै. मीरा मार्बल्स एण्ड मिनरल्स
15. मै. कटारिया एन्टरप्राइजेज
16. मै. मीनाक्षी मार्बल
17. मै. जय मार्बल
18. मै. विशाल एन्टरप्राइजेज
19. मै. हरसिद्धी मार्बल

63. मै. अरिहन्त मार्बल

64. मै. आभा मार्बल

65. मै. एम. के. मार्बल

66. मै. सुमन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

67. मै. यश मार्बल एण्ड मिनरल्स

68. मै. डा. अरिहन्त मार्बल एण्ड माइन्स

69. मै. अमर ट्रेडिंग

70. मै. जयश्री मार्बल

71. मै. हरकृष्ण टाइल्स ट्रेडर्स

72. मै. जिया मार्बल

73. मै. चारभूजा मार्बल

74. मै. पूजा मार्बल्स

75. मै. विश्वकर्मा मार्बल

76. मै. श्री मार्बल हाउस

77. मै. सिगमा मार्बल

78. मै. आदर्श मार्बल

79. मै. शुभम मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

80. मै. बजाज मार्बल

81. मै. केशरियाजी मार्बल

82. मै. बजाज एन्टरप्राइजेज

83. मै. मोना मार्बल एण्ड ट्रेडिंग

84. मै. कोनर मार्बल

85. मै. उस्मान मार्बल

86. मै. पगारिया मार्बल

87. मै. श्रीनाथ एन्टरप्राइजेज

88. मै. सोनी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

89. मै. आलेख एन्टरप्राइजेज

90. मै. गुरुकृष्ण मार्बल ग्रेनाईट प्रा. लि.

91. मै. विजय श्री मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

92. मै. सम्राट मार्बल

93. मै. जी. एस. मार्बल

94. मै. यूनिक मार्बल

95. मै. रूप श्री मार्बल

96. मै. सागर मार्बल

97. मै. पूजा मार्बल

98. मै. शर्मा मार्बल

99. मै. उदय श्री मार्बल

100. मै. कुबेर मार्बल

101. मै. हेक्यूदो मार्बल

102. मै. एम. बी. स्टोन

103. मै. आदर्श मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

104. मै. कोहिनूर एम.एच. मार्बल

105. मै. एवरेस्ट मार्बल

106. मै. राठौड़ माल सप्लायर्स

107. मै. महावीर मार्बल इण्डस्ट्रीज

108. मै. माहेश्वरी मार्बल

109. मै. व्हाईट हाउस मार्बल

110. मै. कल्पतरू मार्बल इण्डस्ट्रीज

111. मै. प्रिन्स मार्बल

112. मै. संगम मार्बल इण्डस्ट्रीज

113. मै. मार्बल इण्डिया

114. मै. शक्ति मार्बल इण्डस्ट्रीज

115. मै. श्री प्रभुलाल कुमावत

116. मै. धरा मार्बल

117. मै. अनमोल मार्बल

118. मै. राजदीप मार्बल

119. मै. राजदीप मार्बल एण्ड मिनरल

120. मै. हल्दीघाटी मार्बल

121. मै. एच. ए. मार्बल

122. मै. चन्द्रा मार्बल

123. मै. रोहित मार्बल

124. मै. सन्तोष एन्टरप्राइजेज

125. मै. पार्श्वनाथ मार्बल

126. मै. अजय मार्बल

127. मै. लक्की मार्बल एण्ड स्टोन क.

128. मै. जे. के. मार्बल

129. मै. अर्पित मार्बल

130. मै. चिराग मार्बल्स

131. मै. महावीर मार्बल एण्ड मिनरल्स

132. मै. चेतक मार्बल

133. मै. सम्यक मार्बल

134. मै. ओंकार मार्बल

135. मै. हैप्पी एन्टरप्राइजेज

136. मै. कुलदीप एन्टरप्राइजेज

137. मै. सकुन मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

138. मै. पंकज मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

139. मै. पदमा मार्बल एण्ड ग्रेनाइट

140. मै. श्री सुपार्श्वनार्थ मार्बल

141. मै. सेन्चुरी मार्बल

142. मै. शुभा एक्सपोर्ट

143. मै. राजलक्ष्मी मार्बल्स

144. मै. एस. एम. टी. एन्टरप्राइजेज प्रा. लि.

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

427. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भील कुआ से डूंगरा छोटा, डूंगरा छोटा से कुशलगढ़ की सड़क काफी टूट चुकी है? क्या उक्त कारण से आवागमन में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को नये सिरे से बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या ताम्बेसरा से पड़ीवडली एवं डूंगरा से सातसेरा वाया कसारवाड़ी की सड़कें भी टूट चुकी हैं? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों को सरकार की पुनः बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वित्तीय संदर्भ में संसाधनों की सीमितता के कारण समुचित मात्रा में सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव न होने के कारण विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। भील कुआ से कुशलगढ़ वाया छोटाडूंगरा की लम्बाई 25 कि. मी. है जिस पर 3 कि. मी. लम्बाई में 9 लाख रुपये की लागत से वर्ष 1999-2000 में योजना मद में सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था जिसे अक्टूबर, 99 में कराया जा चुका है। शेष मरम्मत योग्य सड़क लम्बाई में पैच मरम्मत कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार कराया गया। जो सड़क भाग मरम्मत योग्य नहीं है, उसको नये सिरे से बनाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्भर है।

(3) जी, हां। ताम्बेसरा से पडीवडली (11 कि. मी.) गढ़ी-कंलिजरा कुशलगढ़ मुख्य जिला सड़क का एक हिस्सा है। इस सड़क के कि. मी. 53/0 से 57/0 तक में वर्ष 99-2000 में योजना मद में नवीनीकरण/ सुदृढ़ीकरण में पेवर करने हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 2.5 कि. मी. पेवर का कार्य अक्टूबर, 1999 तक करवा दिया गया। डूंगरा से सातसेरा वाया कसारबाडी (14 कि. मी.) ग्रामीण सड़क है। इन सड़कों की मरम्मत एवं आवश्यक पुनःनिर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़कों का वर्गीकरण	सड़कों का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	विशेष विवरण
1.	स्टेट हाइवे नं. 4	बांसवाड़ा दाहोद सड़क किमी. 410/से 440/0	30.00	
2.	मुख्य जिला सड़क नं. 43	गढ़ी कलिंजरा कुशलगढ़ सड़क किमी. 38/0 से 66/0	28.00	(ताम्बेसरा से पड़ी बड़ली इसी सड़क का एक भाग है)
3.	अन्य जिला सड़क नं. 2	भीलकुआ से कुशलगढ़ वाया छोटाडूंगरा किमी. 40/0 से 65/0 चुडादा चौराया तक	25.00	
4.	ग्रामीण सड़क नं. 2	कुशलगढ़ गामदा सड़क किमी. 0/0 से 19/0	19.00	
5.	ग्रामीण सड़क नं. 201	कुशलगढ़ बाजना सड़क (मध्य प्रदेश सीमा तक) किमी. 0/0 से 30/0	30.00	
6.	ग्रामीण सड़क नं204	डूंगरा से सातसेरा वाया कसारवाड़ी सड़क किमी. 0/0 से 14/0	14.00	
7.	ग्रामीण सड़क नं. 216	पिपलीपाड़ा से हिम्मतगढ़ वाया ऊकाला सड़क किमी. 0/0 से 5/0	5.00	
8.	ग्रामीण सड़क नं. 217	पाटनबडी सरवा सड़क (मध्य प्रदेश सीमा तक). किमी. 0/0 से 8/0	8.00	
9.	ग्रामीण सड़क नं. 223	कसारवाड़ी से चौरा सड़क (मध्य प्रदेश सीमा तक) किमी. 0/0 से 8/0	8.00	
10.	ग्रामीण सड़क नं. 228	सज्जनगढ़ इटाला सड़क किमी. 0/0 से 5/0	5.00	
		योग	172.00 किमी.	

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-398 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	ढाणी	24/2/18
2.	कथेरिया	24/4/11
3.	कानेला	14
4.	कुपड़ी	228
5.	कुवा	7
6.	कुण्डला	239
7.	खूंटा पारगी	13
8.	खूंटा दलजी माला	247
9.	गड़ा	198
10.	विलाथला	259
11.	झारड़ा खुर्द	230
12.	झेरछोटी	245
13.	डमलरा	8
14.	तलावड़ी उर्फ रतनपुरा	18
15.	दाद	43
16.	धुलियागढ़	97
17.	नरानीया	16

1	2	3
18.	पाड़ोला	53
19.	पाटीया	19
20.	पुछियावाडा	21
21.	पिपलाई जोगदा	224
22.	बड़ा तालाब	75
23.	बरकोटा	9
24.	वीरभाटोड	33
25.	बोडीया तलाई	215
26.	भूरा टिम्बा बडा	54
27.	भूरा टिम्बा छोटा	24/4/155
28.	महुडी खूंटा	44
29.	मेहन्दी खेडा	260
30.	रोहनिया	17
31.	बागारखोडा	156
32.	शिवपुरा	241
33.	हडमातीया	244
34.	हालेडा	45
35.	हमीरपुरा छोटा	218
36.	पन्डेरा	219
37.	डूंगरी	220
38.	कुपड़ा	222

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-478 की सूची)

पाली जिले की कारागृहों में वर्तमान में पदस्थापित अधिकारीयों/कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान का नाम	पदस्थापन तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री कैलाश प्रसाद शर्मा	उप कारापाल	जिला कारागृह, पाली	20.4.99
2.	श्री सीताराम	मुख्य प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	24.9.95
3.	श्री नारायण सिंह	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	5.9.98
4.	श्री सुलेमान खां	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	26.8.98
5.	श्री पूरण मल	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	15.7.99
6.	श्री रामनिवास सिंह	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	11.10.93
7.	श्री प्रहलाद राय	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	26.9.98
8.	श्री रामनिवास मीणा	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	21.4.99
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	21.7.99
10.	श्री राजूसिंह	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	16.1.98
11.	श्री इन्दर सिंह	प्रहरी	जिला कारागृह, पाली	19.1.98
12.	श्री घनश्याम सिंह	मेलनर्स-II	जिला कारागृह, पाली	4.7.99
13.	श्री जुग्गाराम	सफाई कर्मचारी	जिला कारागृह, पाली	1.4.78
14.	श्री धन्नीलाल	मुख्य प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	15.6.96
15.	श्री केसुराम	प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	2.11.82
16.	श्री अब्दुल रशीद	प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	12.1.90
17.	श्री उदय सिंह	प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	5.8.91
18.	श्री तोताराम	प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	20.12.93

1	2	3	4	5
19.	श्री विजय सिंह	प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	12.7.94
20.	श्री पदम सिंह	प्रहरी	उप कारागृह, सोजतसिटी	12.7.94
21.	श्री रामदयाल शर्मा	प्रहरी	उप कारागृह, जैतारण	4.9.97
22.	श्री गोकुल प्रसाद मीणा	प्रहरी	उप कारागृह, जैतारण	14.6.91
23.	श्री मनफूल सिंह	प्रहरी	उप कारागृह, जैतारण	11.8.88
24.	श्री भंवर लाल शर्मा	प्रहरी	उप कारागृह, जैतारण	30.4.99
25.	श्री जगमोहन यादव	प्रहरी	उप कारागृह, जैतारण	27.9.97
26.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	प्रहरी	उप कारागृह, जैतारण	2.4.99
27.	श्री लालाराम	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	26.6.89
28.	श्री दलपत सिंह	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	2.9.92
29.	श्री बलबीर सिंह	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	4.7.94
30.	श्री लाल मोहर	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	4.7.95
31.	श्री रमेश चन्द	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	4.7.96
32.	श्री उमाराम	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	7.10.99
33.	श्री हरिसिंह	प्रहरी	उप कारागृह, बाली	22.10.99
34.	श्री गोपाल सिंह	सहायक कारापाल	उप कारागृह, बाली	3.11.98

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-479 का विवरण)

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	व्यय राशि (लाख रु.)
1.	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	1. चारणवास	3.86
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	2. चोरवाडा	1.61
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	3. गुढ़ामीना	4.54
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	4. टोडाभाटा	3.28
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	5. हाथीपुरा	1.57
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	6. किशनपुरा	2.57
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	7. लालगढ़	0.96
	राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना	8. मदरुपुरा	1.63
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना	1. पीलिया	2.22
	सुनिश्चित रोजगार योजना	2. खुरियातिवाडियान	4.47
	सुनिश्चित रोजगार योजना	3. देवगांव	1.45
	सुनिश्चित रोजगार योजना	4. खतेपुरा	2.10
	सुनिश्चित रोजगार योजना	5. चतरपुरा	1.92
	सुनिश्चित रोजगार योजना	6. जयसिंहपुरा	1.76
	सुनिश्चित रोजगार योजना	7. विमलपुरा	1.29

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-480 की सूची)

जिले में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की अस्पतालवार सूची

चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1. महात्मा गांधी आरोग्य सदन, भीलवाड़ा	उप नियंत्रक	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	3
	बी. सी. जी. टेक्नीशियन	2
	टी.बी.एच.बी.	1
	एन.एम.टी.एल.	1
	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1
	लेब टेक्नीशियन	1
2. राजकीय चिकित्सालय, माण्डलगढ़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
	कनिष्ठ विशिषज्ञ (शिशु)	1
	चिकित्सा अधिकारी	1
	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	सेक्टर सुपरवाइजर	1
	दंत टेक्नीशियन	1
	वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	1
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थिसिया)	पदस्थापन आदेश हो

1		2	3
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) गए ज्वाईन नहीं किया	
		चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		नेत्र सहायक	1
		बी. एच. एस. मेल	1
		सहायक रेडियोग्राफर	1
		दन्त टेक्नीशियन	1
		वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	2
4.	रेफरल अस्पताल, गंगापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
		दन्त चिकित्सक	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	4
		दन्त टेक्नीशियन	1
5.	रेफरल अस्पताल, गुलाबपुरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		दन्त टेक्नीशियन	1
		लेब टेक्नीशियन	1
6.	रेफरल अस्पताल, माण्डल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		एस.एम.पी.डब्ल्यू.	1
7.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		बी.एच.एस. (मेल)	
8.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1

1		2	3
	केन्द्र, कोटड़ी	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1 (डाईंग केड़र)
		बी.एच.एस.मेल	1
9.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
	केन्द्र, काछोला	नर्स श्रेणी प्रथम	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2
		मलेरिया निरीक्षक	1
		बी. एच. एस. (मेल)	1
10.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
	केन्द्र, बिजौलिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1 (डाईंग केड़र)
11.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
	केन्द्र, बनेड़ा	एस.एम.पी.डब्ल्यू.	1
12.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
	केन्द्र, रायपुर	नेत्र सहायक	1
		बी. एच. एस. मेल	1
13.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
	केन्द्र, पण्डेर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		सेक्टर सुपरवाइजर	1
14.	राजकीय अस्पताल, सहाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1

	1	2	3
15.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हमीरगढ़	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	1
		मलेरिया निरीक्षक	1
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1 (डाईंग केड़र)
		बी. एच. एस. (मेल)	1
		बी. एच. एस. (फिमेल)	1
		एस.एम.पी. डब्ल्यू	
		सहायक रेड़ियोग्राफर	1
16.	सेटेलाइट अस्पताल, शाहपुरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी प्रथम	4
		वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	1

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-481 का विवरण)

क्र.सं.	संस्था का नाम	उपलब्ध एक्स-रे मशीन	एक्स-रे मशीन की स्थिति			खराब है तो कब से
			चालू	कण्डम	मरम्मत योग्य	
1	2	3	4	5	6	7
जिला बाड़मेर						
1.	जिला चिकित्सालय, बाड़मेर	3 विप्रो	3	–	–	–
2.	क्षय निवारण केन्द्र, बाड़मेर	1	–	–	1	एक्स-रे-मशीन 5/95 से खराब है।
3.	राज. चिकि., बालोतरा (बाड़मेर)	1	1	–	–	–
4.	सा. स्वा. केन्द्र, सिवाना (बाड़मेर)	1	1	–	–	–
5.	सा. स्वा. केन्द्र, चौहटन (बाड़मेर)	1	–	–	1	मशीन 1990 से खराब है।
6.	सा. स्वा. केन्द्र, धोरीमन्ना (बाड़मेर)	1	1	–	–	–
7.	सा. स्वा. केन्द्र, बायतू (बाड़मेर)	1	1	–	–	–
8.	सा. स्वा. केन्द्र, समदड़ी (बाड़मेर)	1	1	–	–	–
9.	सा. स्वा. केन्द्र, सिणधरी (बाड़मेर)	1	1	–	–	–
जिला जालौर						
10.	जिला चिकित्सालय, जालौर	1	1	–	–	–
11.	क्षय निवारण केन्द्र, जालौर	1	1	–	–	–
12.	सा. स्वा. केन्द्र, आहोर (जालौर)	1	1	–	–	–
13.	सा. स्वा. केन्द्र, सायला (जालौर)	1	1	–	–	–
14.	सा. स्वा. केन्द्र, भीनमाल (जालौर)	1	–	–	–	मशीन 22.2.99 से खराब है।

1	2	3	4	5	6	7
15.	सा. स्वा. केन्द्र, सांचोर (जालौर)	1	1	–	–	–
16.	सा. स्वा. केन्द्र, रानीवाड़ा (जालौर)	1	1	–	–	–
जिला जैसलमेर						
17.	जिला चिकित्सालय, जैसलमेर	3	3	–	–	–
18.	क्षय निवारण केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर)	1	1	–	–	–
19.	सा. स्वा. केन्द्र, पोकरण (जैसलमेर)	1	1	–	–	–
20.	सा. स्वा. केन्द्र, रामगढ़ (जैसलमेर)	1	1	–	–	–
21.	ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, नाचना	1	1	–	–	–
जिला जोधपुर						
22.	सा. स्वा. केन्द्र, बिलाड़ा	2	1	1		उक्त एक्स-रे मशीन नकारा घोषित की जा चुकी है
23.	सा. स्वा. केन्द्र, पिपाड़ शहर	2	1	1	–	– यथा
24.	सा. स्वा. केन्द्र, बालेश्वर	1	1	–	–	–
25.	सैटे. अस्पताल, मण्डोर	1	1	–	–	–
26.	सैटे. अस्पताल, पावटा	1	1	–	–	–
27.	सा. स्वा. केन्द्र, भोपालगढ़	1	–	1	–	1986 से खराब है
28.	राज. चिकित्सालय, फलौदी	2	1	–	1	एक्स-रे मशीन नकारा घोषित की जा चुकी है।
29.	सा. स्वा. केन्द्र, किशनगढ़	1	1	–	–	–
30.	सा. स्वा. केन्द्र, ओंसिया	1	1	–	–	–
31.	सा. स्वा. केन्द्र, बाप	1	1	–	–	–
32.	क्षय निवारण केन्द्र, जोधपुर	1	1	–	–	–

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-482 का विवरण)

1998 से फरवरी, 2000 तक (31.3.2000) तक आयोजित कैम्प एवं छोटे/बड़े आपरेशनों का विवरण

क्र.सं.	चल चिकित्सा ईकाई का नाम	कुल आयोजित शिविरों की सं.	छोटे/बड़े आपरेशनों की संख्या
1.	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राज. जयपुर। बेस अस्पताल	54	16,322 2,785
2.	चितरंजन भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, उदयपुर।	12	1,830
3.	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, अजमेर।	20	2,153
	योग	86	23,090

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-483 की सूची)

क्र.सं.	नाम संस्थान	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगूं.	क. विशेषज्ञ (शल्य)	1	–
		क. विशेषज्ञ (मेडि.)	1	–
		क. विशेषज्ञ (गायनी)	1	–
		क. विशेषज्ञ (शिशु)	1	–
		क. विशेषज्ञ (नेत्र)	1	1 (9/98 से रिक्त)
		चि. अ.	1	–
		दंत चिकित्सक	1	–
		व. चिकि. अधि.	2	–

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-484 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के चिकित्सालयों की स्वीकृत सूची में दर्शित देवा जो उपलब्ध कराई गई

A. ANAESTHETIGS & MUSCLE RELAXANTS :

1. Halothane IP
2. Lignocaine HCLIP Inj. 0.2%, 1%, 5% w/v Gel IP 2% w/v
3. Thiopentone IP Inj. 0.5gms & 1.0 gm.
4. Suxamethonium Chloride IP Inj. 50mg./ml.
5. Pancuronium Bromide BP 4mg./4ml. ampoules.
6. Ketamine HCL IP 50mg/ml.

C. ANTIHELMINTHICS :

7. Albendazole Tab. IP 400mg.

D. ANTACIDS :

8. Famotidine Tab. USP 20mg.
9. Ranitidine Inj. IP 50mg. 2ml.

E. ANTI-MALARIALS :

10. Chloroquine Phosphate Tab. IP equivalent to 155 mg. base.

Chloroquine Phosphate Inj. IP equivalent to 40 mg. base/ml.

11. Quinine Sulphate IP (Tab. 300mg.)

Quinine Dihydrchloride Inj. IP 300mg./ml.

G. ANTI-MICROBIALS :

12. Norfloxacine Tab. IP 400mg.

H. **ANTI-TUBRACULAR :**

13. Ethambutol Tab. IP 400 mg. & 800mg.
14. Isoniazid Tab. IP 300mg.
15. Refampicin Cap. IP 150mg./300mg./450 mg.
16. Pyrazinamide Tab. IP 500mg./750mg.

J. **ANTI-ALLERGICS :**

17. Chlorpheneramine maleate Tab. IP 4mg.

    Chlorpheneramine maleate Inj. IP 10mg./ml.
18. Promethanize HCL IP Tab. 25mg.

K. **ANTI-EPILEPTICS :**

19. Phenobarbitone IP Tab. 30mg.&60mg.

Phenobarbitone Sodium Inj. IP 120mg./ml.

20. Phenytoin Sodium IP Tab. 100mg./Inj. 100mg/ml.

L. **AMOEBICIDALS :**

21. Tinidazole IP 300mg./500mg. Tab.

M. **HYPERTENSIVES, VASODILATORS & DRUGS ACTING ON HEART :**

21. Digoxin IP Tab. 0.25mg./Inj. 0.25mg./ml.
22. Dopamine HCL Inj. USP 40mg./ml.
23. Enalapril Maleate IP Tab. 2.5mg. & 5.0mg.
24. Nifedipine Cap. IP 10mg.
25. Mephantermine Sulphate IP Inj. 15mg./ml.
26. Adrenaline Bitartrate Inj. IP 1mg./ml.

N. DIURETICS :

27. Acetazolamide IP 250mg. Tab.

28. Frusemide Tab. IP 40mg./Inj. 10mg./ml.

O. DRUGS ACTING ON UTERUS :

29. Mothylergotamine Tab. IP 0.125mg./Inj. 0.2mg./ml.

P. BRONCHODILATORS :

30. Etophylline-Theophylline Tab. 77:23mg. Inj. 169.4 : 50.6mg./2ml.

31. Salbutamol Sulphate Tab. IP 4mg.

Q. DRUGS FOR SKIN CONDITIONSL :

32. Acriflavine BPC.

33. Gentian Violet IP.

34. Gamma Benzene Hexachloride IP 1% Lotion.

35. Skin Antiseptic Lotion (Each 100gms)

Isopropanolol-63gms. Benzalkonium.

Chloride-0.025gms. Confirming to ISO 9001 Against HBV. & HIV.

R. OPHTHALMOLOGICAL PREPARATIONS :

36. Atropine eye oint. IP 1% w/w.

37. Sulphacetamide eye drops IP 10%, 20% & 30% w/v.

S. ANTI-DIABETICS :

38. Insulin plain IP Inj. 40 IU/ml.

39. Insulin Lente IP (Insulin zinc susp. mixed) 40 IU/ml.

T. CORTICOSTEROIDS :

40. Hydrocort is one sodium succinate Inj. IP 100mg./vial.

41. Dexamethasone sodium phosphate Inj. IP 4mg./ml.

U. DISINFECTANTS? CONFIRMING TO ISO 9001 AGAINST HBV. & HIV. :

42. Sterilizing solution for instruments :

Each 100gms. contain : Glutaraldehyde 7gms., 1, 6 Dihydroxy 2, 5 Dioxahexane 8.2gms. Polymethyl Urea Derivatives 17.6gms. Rust inhibitors or Glutaraldehyde Solution BP 2%.

43. Surgical Hand Disinfectant : Each 100gms. contain : 2-propanol-45gms, 1-Propanol 30gms. Ethyl-Hexadecyl-Dimethyl-Ammonium Ethylsulphate-0.2gms. Skin protecting Substances.

44. Surface disinfection :

Each 100gms contain : 1, 6 Dihydroxy-2, 5 Dioxahexane-11. 2gms, Glutaraldehyde-5.0gms. Benazalkonium Chloride-5.0gms. Alkyl-urea derivativers-3.0gms.

V. FLUIDS & PLASMA SUBSTITUTES :

45. Sodium Chloride Inj. IP 0.09% w/v.

46. Oral Rehydration Salt (Citrate) IP contains : with instructions in

Sodium Chloride 3.5gm.	Hindi regarding
Potassium Chloride 1.5gm.	mising the ORS in 1
Sodium citrate 2.9gm.	Lit. of water & to
	use solution within
Anhydrons Dextrose 20gm. in 1000ml.	24 hrs.

47. Mantiol Ing. IP 10% & 20% w/v.

48. Sterile Water for Injection IP 5ml./ampouls.

W. HAEMATINICS :

49. Iron with Folic Tab. NFI.

X. VACCINES & SERA :

50. Tetanus Toxoit (Adsorbed) .Inj. IP 0.5ml./amp.

51. Snake Venom anti serum IP.

Y. SEDATIVES, HYPNOTICS, TRANQUILIZERS :

52. Diazepam IP Tab. 5mg./, Inj. 5mg./ml.

PART-III (Suppliment to Part-I & Part-II)

DRESSING MATERIAL :

1. Spirit.
2. White Petrolium Jelly IP.
3. Glycerin IP.
4. Glove oil IP.
5. Hydrogen Peroxide Solution (27%) IP 6% IP.
6. Plaster of Paris IP.

DISINFECTANTS & INSECTICIDES :

7. Bleaching powder IP.
8. Deltamethrin 0.05%, IS-12005-1967 Reaffirmed 93.

MESGELLANEOUS :

9. Gloves powder.
10. Syringes (Disposable & Glass), different sized Hypodermis syringe IS-3236-1992, Sterile Hypodermic Needle, Needle for single use IS-10654;1991, Sterile Hypodermic syringes for single use 10258;198, Sterile Hypodermic Syrings with Needle.
    Attached for Single use IS 21050; 1986.
11. Scalp vein sets. (Different sizes 20, 21, 22, 23, 24).

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-485 की सूची)

पद नाम/स्वीकृत पद संख्या		अधिकारी/कर्मचारी का नाम जो कार्यरत है	रिक्त	कब से रिक्त	विशेष विवरण
1		2	3	4	5
1. खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिग्गा					
वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	1	डा. राजेश कुमार गुप्ता	–	–	एस.एम.ओ. के पद विरुद्ध एम. ओ. कार्यरत
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. (श्रीमती) कुसुमलता बिहानी	–	–	
मेल नर्स-II	2	श्री बजरंग लाल	–	–	
		रिक्त	1	1.9.98 से	
प्रसाविका	1	श्रीमती सारम्मा वी.टी	–	–	
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	श्री के. के. शर्मा	–	–	
कनिष्ठ लेखाकार	1	श्री बजरंग लाल	–	–	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	श्री पूनम चन्द	–	–	
		श्री मंगलदान			
		श्रीमती गिन्नी देवी हरिजन	–	–	
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोमासर					
चिकित्सा अधिकारी	2	डा. भूपेन्द्र कुमार तिवारी	–	–	
		डा. (श्रीमती) चन्द्रप्रभा तिवारी	–	–	
मेल नर्स-II	3	श्री भाभूराम	1	1.1.	

1		2	3	4 5
		रिक्त	1	17.12.98 से मेल नर्स-II के पद विरुद्ध एक प्रसाविका कार्यरत है।
लेब टेक्नीशियन	1	श्री आनन्द दैया	—	—
कनिष्ठ लिपिक	1	श्री जगत बती सिंह	—	—
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	श्री मुबारक खां	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्री पन्ना लाल स्वीपर	—	—
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूलचासर				
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. सोहन लाल गोदारा	—	—
मेल नर्स-II	2	श्री करण लाल	—	—
		रिक्त	1	8.3.89 से
प्रसाविका	1	श्रीमती के. अम्बली	—	—
स्वास्थ्य निरीक्षक	1	रिक्त	1	13.1.99 से (डाईंग केड़र)
लेब टेक्नीशियन	1	श्री गुलशन कुमार	—	—
कनिष्ठ लिपिक	1	श्री दिलीप सिंह	—	—
वाहन चालक	1	रिक्त	1	22.8.96 से
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्रीमती श्यामा देवी	—	—
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोलियासर				
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. (श्रीमती) अनुपमा तनेजा	—	—
मेल नर्स-II	1		मेल नर्स-II के पद विरुद्ध एल. एच. वी. कार्यरत है।	

1		2	3	4	5
प्रसाविका	1	वलसम्मा चाकी	–	–	
लेब टेक्नीशियन	1	श्री सतीश कुमार पंवार	–	–	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	रिक्त	1	5.11.90 से	
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखासर					
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. जितेन्द्र कुमार जाखड़	–	–	
मेल नर्स-II	1	रिक्त	1	5.11.90 से	
प्रसाविका	1	कमरजीत कौर	–	–	
लेब टेक्नीशियन	1	श्री भुवनेश कुमार	–	–	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्री श्रवण कुमार स्वीपर	–	–	
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूनरासर					
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. महेश कुमार	–	–	
मेल नर्स-II	2	रिक्त	1	15.11.90 से	
		रिक्त	1	15.11.90 से	
प्रसाविका	1	श्रीमती उषा रानी यादव	–	–	
लेब टेक्नीशियन	1	रिक्त	1	8.5.99 से	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	रिक्त	1	4.7.97	
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरूणा					
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. सुनीता आर्य	–	–	
मेल नर्स-II	2	रिक्त	1	24.11.98 से	
		रिक्त	1	6.6.95 से	
प्रसाविका	1	आइसा एम.टी.	–	–	
लेब टेक्नीशियन	1	श्री कन्हैया लाल गौड़	–	–	

1		2	3	4	5
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	श्री दानचन्द	–	–	
		श्री गणेश चन्द चौहान	–	–	
		श्रीमती तीजादेवी	–	–	
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगढ़ (सुजानगढ़-तहसील)					
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. सुनील बोथरा	–	–	
मेल नर्स-2	2	श्री रूपचन्द गुप्ता	–	–	
		रिक्त	1	7.8.91 से	
प्रसाविका	1	श्रीमती शकुन्तला	–	–	
लेब टेक्नीशियन	1	श्री राम नागर	–	–	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	श्री मदन सिंह	–	–	
		श्री अमर चन्द	–	–	
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सडूबड़ी					
चिकित्सा अधिकारी	1	डा. जे. पी. महाचच	–	–	
मेल नर्स-II	1	रिक्त	1	1.9.98 से	
प्रसाविका	1	श्रीमती थ्रेसियम्मा	–	–	
लेब टेक्नीशियन	1	महावीर प्रसाद	–	–	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	श्री कालूराम	–	–	

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची

उप स्वास्थ्य केन्द्र	पद नाम	कार्यरत का नाम	रिक्त	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5
उपनी	प्रसाविका	लीली मील	–	–
सूडसर	प्रसाविका	निर्मला	–	–

1	2	3	4	5
गूसाईसर	प्रसाविका	मंजू शर्मा	–	–
आड़सर पुरोहितान	प्रसाविका	सिल्वी मोल मेथ्यू	–	–
बापेऊ	प्रसाविका	सि. सिलीटी. सी.	–	–
इन्द्रपालसर	प्रसाविका	रेन मंजूषा रावत	–	–
लिखमीसर उत्तर	प्रसाविका	रिक्त	1	29.5.99 से
बींजासर	प्रसाविका	लीला कुमारी	–	–
धीरदेसर पुरो	प्रसाविका	सोसम्मा बीजी.	–	–
धनेरू	प्रसाविका	शान्ता मीणा	–	–
लालासर	प्रसाविका	रिक्त	1	17.7.99 से
धीरदेसर चोटि.	प्रसाविका	सत्यवती	–	–
लिखमादेसर	प्रसाविका	नोरत तेजवानी	–	–
बजरांगसर	प्रसाविका	सुशीला कुमारी	–	–
राजेडू	प्रसाविका	सोनिया त्रिपाठी	–	–
बेनीसर	प्रसाविका	रिक्त	1	12.7.99 से
बाना	प्रसाविका	फूली कुमारी मीणा	–	–
नारसीसर	प्रसाविका	मंजूलता सेन	–	–
मिगसरिया	प्रसाविका	शकुन्तला	–	–
सोनियासर शिव.	प्रसाविका	सज्जन कौर	–	–
जेतासर	प्रसाविका	सुजाता	–	–
समन्दसर	प्रसाविका	लक्ष्मी प्रजापत	–	–
लौढ़ेरा	प्रसाविका	राजबाला	–	–

1	2	3	4	5
लिखमीसर दिख.	प्रसाविका	शशि गौतम	–	–
जालबसर	प्रसाविका	सुषमा पी. के.	–	–
देराजसर	प्रसाविका	तुलसी देवी	–	–
कुन्तासर	प्रसाविका	उषा श्रीमाली	–	–
जोधासर	प्रसाविका	भावना सिंह	–	–
डेलवा	प्रसाविका	रिक्त	1	–
अमृतवपसी	प्रसाविका	सविता रोल	रिक्त	22.8.98
कुनपालसर	प्रसाविका	ओमना एमके.	–	–
रिड़ी	प्रसाविका	राधामणी अम्मापी	–	–
सोनियासर मी.	प्रसाविका	रिक्त	1	31.3.99 से
कल्याणसर	प्रसाविका	उषा पुरोहित	–	–
पुन्दलसर	प्रसाविका	राधामणी एम. आर.	–	–
कीतासर भाटियान	प्रसाविका	रामादेवी	–	–
जैसलसर	प्रसाविका	गीता देवी	–	–
माणकसर	प्रसाविका	श्रीमती रजनी	–	–
कैऊ	प्रसाविका	रिक्त	1	23.9.98 से
उदरासर	प्रसाविका	गायत्रीदेवी	–	–
जाखासर नया	प्रसाविका	रिक्त	1	2.6.99 से
सूरजनसर	प्रसाविका	कविता चौधरी	–	–

सुजानगढ़ तहसील के उप स्वास्थ्य केन्द्र जो कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं :

1	2	3	4	5
ज्याक	प्रसाविका	मुन्नीदेवी	–	–
कातर	प्रसाविका	कृष्णा शर्मा	–	–
बम्बू	प्रसाविका	बबीता	–	–
जोगलसर	प्रसाविका	स्थानान्तरण	1	6/99 से
बाढसर	प्रसाविका	कनकम्मा	–	–
अमरारसर	प्रसाविका	अनीता	–	–
तेणदेसर	प्रसाविका	निर्मला कस्वा	–	–
नोडिया	प्रसाविका	रिक्त	19.5.99 से	
ढाणी कालेरा	प्रसाविका	सुनीता	–	–
उटरालड	प्रसाविका	सुशीला	–	–
बेरासर	प्रसाविका	रिक्त	1	7.7.99 से
सडू छोटी	प्रसाविका	संतबाला	–	–
इंयारा	प्रसाविका	गीतादेवी	–	–
गिरवरसर	प्रसाविका	कमला बाई	–	–

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-497 की सूची)

प्रपत्र-"अ"

विधान सभा क्षेत्र, किशनगंज में सड़क से जुड़े हुए पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम
1	2
डामर सड़क से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय	
पंचायत समिति, किशनगंज	
1.	बांसथूनी
2.	गट्टी
3.	गरड़ा
4.	किशनगंज
5.	भंवरगढ़
6.	नाहरगढ़
7.	सेवनी
8.	खण्डेला
9.	कवरीकलां
10.	सकरावदा
11.	रामगढ़
12.	रेलावन
13.	दीगोदपार

1	2
14.	जलवाड़ा
15.	लक्ष्मीपुरा
16.	परानिया
17.	रानीबड़ौद
18.	बिलासगढ़
19.	छीनोद
20.	बकनपुरा
21.	कांकरदा

पंचायत समिति, साहबाद

1.	मुण्डियर
2.	साहाबाद
3.	देवरी
4.	कस्बाथाना
5.	संगरानियां
6.	केलवाड़ा
7.	वालदा
8.	खटका
9.	राजपुरा
10.	महोदरा
11.	खाण्डा सहरोल
12.	बीलखेड़ामाल

1	2
13.	शुभषड़ा
14.	खुशीयारा
15.	नाटई
16.	गदरेटा
17.	बेंटा

पंचायत समिति, अन्ता

1. बोहत
2. ईश्वरपुरा
3. जारेला
4. महलपुर

मेटल सड़क से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय

पंचायत समिति, किशनगंज

1. असनावर
2. बजरंगगढ़
3. बरूनी

पंचायत समिति, शाहाबाद

1. आगर
2. पीपलखेड़ी
3. दिकवानी

1	2
	ग्रेवल सड़क से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय :
	पंचायत समिति, किशनगंज
	1. पीपलदा
	2. छतरगंज
	3. ख्यावदा
	4. सुवांस
	पंचायत समिति, शाहबाद
	1. गणेशपुरा
	2. बीलखेड़ा दांग
	3. सनवाड़ा
	4. कस्बानानेरा
	5. बमनगवां
	6. बीची
	7. सन्दोकड़ा

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-498 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

अतिक्रमणकारियों की सूची वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	नाम अतिक्रमणकर्ता	कनिष्ठ अभियंता से अतिक्रमण की सूचना की तिथि	स्थान	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अजीजखां पुत्र श्री पीरू खां, पठान	15.3.2000	राठेलाव चौराहा, ग्राम देसूरी	91 नोटिस नियमानुसार पेशी दि. 18.3.2000 4.4.2000 अगली पेशी 18.4.2000	बाद निर्माण कार्य रुकवाया गया।
2.	श्री रफीक मोहम्मद पुत्र श्री फते मोहम्मद	14.3.2000	–"–	–"–	–"–
3.	श्रीमती मंजू बेवा/धनराज सैन	15.3.2000	–"–	–"–	–"–
4.	श्री दीपाराम पुत्र श्री भीकारामजी प्रजापत	15.3.2000	–"–	–"–	–"–
5.	गुलाब पुत्र श्री मोतीजी लौहार	15.3.2000	–"–	–"–	–"–
6.	श्री उमाराम पुत्र श्री कृपाजी चौधरी	15.3.2000	–"–	–"–	–"–
7.	श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री नेथसिंह निवासी राजपुरा	25.9.99	सादड़ी	स्थगन आदेश व जिला प्रशासन से पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जा रही है।	

परिशिष्ट-"ख (1)"

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक अभियन्ता एवं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

सार्वजनिक निर्माण विभाग, फालना

अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. टि. एक्ट

बनाम श्री रांईगा पुत्र श्री गमना राम जाति चौधरी निवासी मु. पोस्ट. खिवाड़ा जो कि आपने आराज़ी खसरा नम्बर खिवाड़ा गजनीपुरा सडक़ पर सड़क सियावाके ग्राम खिवाड़ा किमी. 1 के भू-भाग पर अवैध निर्माण पर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के अवैध निर्माण मकान प्रारम्भ कर दी है, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है। अतः आपको उक्त धारा के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त भू-खण्ड के भू-भाग पर किये जा रहे हैं, अवैध निर्माण को आप तुरन्त बन्द कर दें, तथा इस न्यायालय के अन्य आदेश तक कोई निर्माण स्वयं या अपने एजेन्ट द्वारा कार्य न करने देवें।

आज दिनांक 23/4/98 के मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. उप-खण्ड सादड़ी
एवं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

परिशिष्ट-"ख (2)"

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक अभियन्ता एवं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सादड़ी

अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. टि. एक्ट

बनाम श्री देवराज पुत्र श्री भीकम चन्द जाति............निवासी खिवाड़ा

जो कि आपने आराजी खसरा नम्बर............वाके ग्राम खिवाड़ा..........के भू-भाग पर कि. मी. 1 पर बिना किसी पूर्व स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिसका आपको कोई अधिकार नहीं है। अतः आपको उक्त धारा के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त भू-खण्ड के भू-भाग पर किये जा रहे हैं, अवैध निर्माण को आप तुरन्त बन्द कर दें, तथा इस न्यायालय के अन्य आदेश तक कोई निर्माण स्वयं या अपने एजेन्ट द्वारा कार्य न करने देवें।

आज दिनांक 28/3/98 के मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. उप-खण्ड सादड़ी
एवं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-501 की सूची)

परिशिष्ट-"अ"

तहसील फुलेरा (जयपुर) के वर्ष 1991 में जनसंख्या 1000 या इससे अधिक वाले डामरीकृत सम्पर्क सड़क से जुड़े गांव

क्र.सं.	गांव का नाम	जनसंख्या
1	2	3
1.	बधाल	6871
2.	बाघावास	2850
3.	भादवा	4051
4.	भौंसलाना	2374
5.	भैसावा	4065
6.	ईटावा	2923
7.	काजीपुरा	2428
8.	लालासर	3152
9.	मण्डा भीमसिंह	5511
10.	हिंगोनिया	3901
11.	हडसोली	3063
12.	सिनोदिया	1794
13.	भौजपुरा	2071
14.	बस्सी नागा	1437
15.	वासडी खुर्द	1686
16.	डूंगरीकलां	2700

1	2	3
17.	डूंगरी खुर्द	1686
18.	डूंगरीसी का बास	1690
19.	डूंगरी	2163
20.	जूनसिया	1704
21.	जैतपुरा	1693
22.	करनसद	2287
23.	कालख	1910
24.	लूनियावास	2117
25.	मलिकपुरा	1913
26.	मूडियागढ़	1808
27.	नौरंगपुरा	1865
28.	तेजाकाबास	2604
29.	घोलियाबास	1721
30.	बबेर वालों की ढाणी	2915
31.	ढाणी नागान	2139
32.	खेडीमिल्क	1639
33.	रामजीपुरा कलां	1727
34.	ड्योडी	1477
35.	खण्डेल	1455
36.	नाथीकाबास	1432
37.	रलावता	1427
38.	गदरी	1245
39.	लोहरवाडा	1305

क्रम सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या
40.	पचकोडिया	1400
41.	रामजीपुरा खुर्द	1070
42.	सुन्दरपुरा	1119
43.	मुण्डवाडा	1103
44.	मुरलीपुरा	1314
45.	गुढामानसिंह	1295
46.	कंवराला	1298
47.	जोरपुरा जोबनेर	1365
48.	कांचरोदा	6005
49.	आकोदा	2757
50.	आसलपुर	5285
51.	श्यामियों की ढाणी	1795
52.	बोबास	2790
53.	ढाणी बोराज	3372
54.	रोबड़ी	3247
55.	नरैना	12231
56.	ढीण्डा	2182
57.	कोरसीना	1188
58.	श्योसिंहपुरा	1087
59.	महेशवास	1140
60.	खेडीराम	1207

परिशिष्ट-"ब"

ग्राम जिनकी वर्ष 1991 में जनसंख्या 1000 थी और उनको अभी तक डामर सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़ा गया है

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या	सड़क की स्थिति
1.	त्यौदा	2270	ग्रेवल
2.	कंवरपुरा	1011	कच्चा
3.	मोहन का बास	1124	कच्चा
4.	ईटावा	1049	बी.एम.एस.पी. में स्वीकृत कार्य प्रगति पर
5.	काबरों का बास	1370	कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत
6.	अगरपुरा	1005	कच्चा
7.	बंसीपुरा	1171	कच्चा
8.	सामलपुरा	1245	बी.एम.एस.पी. में स्वीकृत
9.	भगवतपुरा	1413	कृषि विपर्णन बोर्ड द्वारा स्वीकृत
10.	पालवास	1207	मैटल
11.	हिरनोदा	4039	ग्रेवल

परिशिष्ट-"स"

ग्रेवल सड़क से जोड़े गये गांव

क्र.सं.	ग्राम का नाम	जनसंख्या	सड़क की स्थिति
1.	ईटावा	1049	ग्रेवल बी.एम.एस.पी. में स्वीकृत
2.	त्यौदा	2277	ग्रेवल
3.	कैशाकाबास	702	ग्रेवल
4.	अभयपुरा	668	ग्रेवल
5.	जगमालपुरा	407	ग्रेवल
6.	श्यामपुरा	745	ग्रेवल
7.	रामपुरा	796	ग्रेवल
8.	पालवास	1207	मैटल
9.	भुगवतपुरा	1413	ग्रेवल डामरीकरण कृषि विपर्णन बोर्ड द्वारा स्वीकृत।
10.	गुढ़ा कुमावतान	466	ग्रेवल
11.	मांजीपुरा	423	ग्रेवल
12.	मातेड़ा	656	ग्रेवल
13.	मौरूदा	727	ग्रेवल
14.	सींगला	299	ग्रेवल
15.	हचुकड़ा	692	ग्रेवल
16.	गोपालपुरा	923	ग्रेवल
17.	छापरी	556	ग्रेवल
18.	सरथला	517	ग्रेवल
19.	हिरनोदा	4039	ग्रेवल
20.	शीलावता	692	मैटल
21.	सामलपुरा	1245	ग्रेवल बी.एम.एस.पी. में स्वीकृत

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-502 की सूची)

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मृत कर्मचारी का नाम	पद जिसके लिये आवेदन किया है।	आवेदन करने की तिथि।
1	2	3	4	5
1.	श्री लक्ष्मण सिंह दत्तक पुत्र	स्व. श्री आसूराम, मुद्रक प्र. श्रे., बीकानेर	बंधक	15-4-97
2.	श्री जसवंत सिंह पुत्र	स्व. श्री नारायण सिंह, संगणक, बीकानेर	मुद्रक	29-4-97 (निर्धारित आयु पूर्ण नहीं करता है)
3.	श्रीमती इन्द्र कंवर (पत्नी)	स्व. श्री सत्यनारायण, अ. यो., बीकानेर	चतुर्थ श्रेणी	1-7-97
4.	श्री राम सिंह वर्मा पुत्र	स्व. श्री नारायण सिंह, मुद्रक प्र. श्रे., अलवर	मुद्रक	1-11-97
5.	श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र	स्व. श्री छुट्टन लाल शर्मा, मुद्रक प्र. श्रे., जयपुर	बंधक	24-2-98
6.	श्री सुनिल कुमार वर्मा पुत्र	स्व. श्री मोहन लाल वर्मा, मुद्रक द्वि. श्रे., जयपुर	मुद्रक	23-3-98
7.	श्रीमती गीता बैन पत्नी	स्व. श्री गुलाब चन्द, बंधक द्वि. श्रे., जयपुर	चतुर्थ श्रेणी	24-4-98
8.	श्री किरण कुमार पुत्र	स्व. श्री कालू राम, जयपुर	बंधक	3-9-98
9.	श्री प्रेम नारायण शर्मा पुत्र	स्व. श्री भंवर गोपाल शर्मा, जयपुर	बंधक	24-10-98
10.	श्री नवरतन माथुर पुत्र	स्व. श्री कृष्ण प्रसाद माथुर, अलवर	क. लि.	19-11-98

1	2	3	4	5
11.	श्री संजय शर्मा पुत्र	स्व. श्री कमल कुमार शर्मा, क. लि., जयपुर	बंधक	2-12-98
12.	कु. नीलमणि पुत्री	स्व. चौरूराम, अ. यो. प्र. श्रे., बीकानेर	क. लि.	4-12-98
13.	श्री उदय सिंह पुत्र	स्व. जयेन्द्र सिंह भाटी, जोधपुर	बंधक	18-12-98
14.	कु. रंजना बोहरा पुत्री	स्व. राम किशन बौहरा, जोधपुर	क. लि.	2-1-99
15.	श्री प्रमोद सोनी पुत्र	स्व. श्री किशन लाल, संगणक निदेशालय	बंधक	3-12-99
16.	श्री नरेश कुमार पुत्र	स्व. श्री जनमाल सिंह, मु. संगणक, अलवर	बंधक	2-12-99
17.	श्री रजनीकांत शर्मा पुत्र	स्व. श्री किशन गोपाल शर्मा, त्रुटिशोधक, जयपुर	बंधक	18-6-99
18.	श्रीमती रेखा सक्सेना पत्नी	स्व. श्री प्रदीम सक्सेना, सहा. अधीक्षक, जयपुर	अध्यापिका	9-6-99
19.	श्री कुन्दर सिंह बागेला पुत्र	स्व. श्री ओम सिंह, मुद्रक द्वितीय श्रेणी, जोधपुर	क. लि.	30-6-99
20.	श्री दीपक बंसल पुत्र	स्व. श्री गौरीशंकर गुप्ता, अ. यो. प्र. श्रे., जयपुर	क. लेखाकार	15-7-99
21.	श्रीमती नन्दू देवी पत्नी	स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर, मुद्रक द्वि. श्रे., जयपुर	चतुर्थ श्रेणी	15-7-99

निदेशक

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,

राज., जयपुर कोड़ सं. 2/0103

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-503 का विवरण)

परिशिष्ट-"क"

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राउमावि., डीड़वाना	–	01	–	–	–	–
2.	राउमावि., लाड़नूं	–	01	–	–	–	–
3.	राउमावि., मकराना	–	01	01	–	01	–
4.	राउमावि., बोरावड़	–	01	–	–	–	–
5.	राउमावि., कुचामन सिटी	–	–	01	–	–	–
6.	राउमावि., नागौर	–	01	01	–	01	–
7.	राउमावि., बेरीजतनपुरा	–	01	01	–	01	–
8.	राउमावि., मेड़तासीटी	–	01	–	–	01	–
9.	राउमावि., डेगाना	–	01	–	–	01	–
10.	राउमावि., छोटी खादू	–	01	–	–	01	–
11.	राबाउमावि., नागौर	01	01	01	01	01	01
12.	राबाउमावि., मकराना	–	01	–	–	–	–
13.	रामावि., कुचामनसिटी नं. 1	–	01	–	–	01	–
14.	रामावि., छोटी छापरी	–	01	01	–	01	–
15.	रामावि., बासनी	–	01	01	–	–	–
16.	रामावि., बखतसागर	–	01	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
17. रामावि.,	गिनानी नागौर	–	01	01	–	01	–
18. राउप्रावि.,	नं. 2 नागौर	×	×	01	–	–	–
19. राउप्रावि.,	नं. 4 नागौर	×	×	01	–	–	–
20. राउप्रावि.,	नं. 5 नागौर	×	×	01	–	–	–
21. राउप्रावि.,	कुम्हारी	×	×	01	–	–	–
22. राउप्रावि.,	डेगाना जंक्शन	×	×	01	–	–	–
23. राउप्रावि.,	नं. 6 नागौर	×	×	02	–	–	–
24. राउप्रावि.,	नं. 9 नागौर	×	×	01	–	–	–
25. राउप्रावि.,	नं. 14 नागौर	×	×	01	–	–	–
26. राउप्रावि.,	डीड़वाना नं. 1	×	×	01	–	–	–
27. राउप्रावि.,	डीड़वाना नं. 2	×	×	01	–	–	–
28. राउप्रावि.,	बालिया	×	×	01	–	–	–
29. राउप्रावि.,	निम्बीकला	×	×	01	–	–	–
30. राउप्रावि.,	नं. 2 लाड़नूं	×	×	01	–	–	–
31. राउप्रावि.,	नं. 1 लाड़नूं	×	×	01	–	–	–
32. राउप्रावि.,	नं. 3 लाड़नूं	×	×	01	–	–	–
33. राउप्रावि.,	नं. 1 नावां	×	×	01	–	–	–
34. राउप्रावि.,	नं. 1 कुचामन	×	×	01	–	–	–
35. राउप्रावि.,	नं. 2 मकराना	×	×	05	–	–	01
36. राउप्रावि.,	शेरानी आबाद	×	×	01	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	राउप्रावि., नं. 5 मकराना	×	×	01	–	–	–
38.	राउप्रावि., नं. 3 डीड़वाना	×	×	01	–	–	–
39.	राउप्रावि., नं. 5 डीड़वाना	×	×	01	–	–	–
40.	राउप्रावि., नं. 8 डीड़वाना	×	×	01	–	–	–
41.	राउप्रावि., नं. 5 लाड़नूं	×	×	01	–	–	–
42.	राउप्रावि., नं. 5 कुचामनसिटी	×	×	01	–	–	–
43.	राउप्रावि., नं. 2 मकराना	×	×	02	–	–	–
44.	राउप्रावि., नं. 3 मकराना	×	×	03	–	–	–
45.	राउप्रावि., नं. 1 परबतसर	×	×	01	–	–	–
46.	राउप्रावि., नं. 6 मकराना	×	×	01	–	–	–
47.	राउप्रावि., नं. 9 मकराना	×	×	01	–	–	–
	योग	01	16	46	01	10	02

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-507 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	सामोली	21/10/147
2.	जमेरी	140
3.	पीइलीथल	148
4.	वयारला	137
5.	खूणा	150
6.	तीलारनी	141
7.	जाडी माकड़ी	140
8.	साडी	146
9.	शमरा	151
10.	तीलरावा	136
11.	बेरा फली	142
12.	राफराखेत्	143
13.	काड़ा	138
14.	अम्बा	139
15.	भाटा का पानी	165
16.	रोयाणी	166
17.	नवानियां	145

1	2	3
18.	मेवाड़ों का मठ	9
19.	भूतवाड़	12
20.	मोरजरा	8
21.	सीरा की खान्ड	10
22.	जालरा	6
23.	राई	5
24.	चम्पा की नाल	1
25.	चना की उमर	34
26.	वाणियावड़	33
27.	बोसी	11
28.	ड़ाग	30
29.	बिलिया	29
30.	तूली का खेत	41
31.	हेराल कलां	32
32.	हेराल खुर्द	31
33.	अम्बा का खदरा	4
34.	जर का खदरा	28
35.	टीबरनी का खेत	42
36.	खीला	37
37.	तरावला	21-10-38
38.	बैरन	35

1	2	3
39.	चक भामटी	66
40.	भदमरा खेत	59
41.	तिलारनी	135
42.	साईकलां	60
43.	मजरा सई	64
44.	काडा	134
45	जाडीरोहन	63
46.	राया	61
47.	खाम	133
48.	तिलोई	132
49.	समला घाटी	126
50.	मोरिया खूना	128
51.	गुरा	152
52.	बेडाघर	153
53.	पावटी कला	44
54.	काली डूंगरी	62
55.	चीबरबड़ी	129
56.	टेपुर	127
57.	कलीम	71
58.	बोरली	155
59.	सामरमाल	69
60.	पीपलमाल	72

1	2	3
61.	झालरा	74
62.	पावटी खुर्द	70
63.	घाटा	54
64.	पालछा	51
65.	काना का बर	53
66.	भमरिया	52
67.	कोकड़ा खेड़ा	105
68.	कलीवोर	65
69.	पाण्डीवोर	67
70.	खेड़ा	36
71.	सिवाड़ियों का चोरा	2
72.	कोड़ालिया	3
73.	उपरलिवारा	21/10/26
74.	चक पीपली खुना	24
75.	सालरिया	13
76.	भरकुण्डा	25
77.	घाणी का खेत	45
78.	पानीयाली	50
79.	सील्पिया	46
80.	चक पीपलयाल	73
81.	पीपलदरी	7
82.	उरवलीयात	20
83.	गाडलिया	17

1	2	3
84.	छीलका	48
85.	समेल	15
86.	पीपलीखेड़ा	14
87.	बागुनी	16
88.	झम्बुआ	18
89.	भाडेल	22
90.	रणेशजी	23
91.	कोकरा की नाल	47
92.	अखीयावाड़	21
93.	थामला बेरी	19
94.	बूजरी	144
95.	पदमाबड़ी	77
96.	थल	49
97.	पाटिया	79
98.	पलाया पीपली	78
99.	कुन्ती का लेधा	75
100.	पाण्डलो का चोरा	76
101.	चूली	86
102.	लाम्बी सेमल	87
103.	डेडकिया	90
104.	महूला	91
105.	आम्बा	98
106.	मलावरी	106

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-500 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

जिला राजसमन्द की तहसील भीम व देवगढ़ में घरेलू कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों का ग्रामवार, अवधिवार विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	मांग-पत्र जमा करवाने वाले आवेदकों की संख्या	मांग-पत्र जमा कराने की अवधि
1		2	3
तहसील-भीम			
1.	स्वादना चैनपुरा	2	30-11-99
2.	भीम	13	फरवरी, 2000
3.	चोपरावास	4	13-02-1999
4.	राजवा	40	10-09-1999
5.	बिलीयावास	4	31-03-1999
6.	घाटा	1	19-11-1999
7.	कुकड़ा (काली घाटी)	26	07-07-1999
8.	समेलिया	10	15-04-1999
9.	अजीतगढ़	7	16-02-1999
10.	बली जस्सा खेड़ा	47	21-01-2000
11.	बरजाल	1	17-06-1999
12.	छाबली	12	17-02-1999
13.	मण्दावड़	6	20-11-1999
14.	पीपली	8	03-11-1999
15.	बग्गड़	3	17-05-1999

1		2	3
16.	कालादह	6	06-12-1999
17.	नन्दावर	19	21-05-1999
18.	काचबली	1	03-08-1999
19.	लाखा गुड़ा	1	01-11-1999
20.	बरार	6	18-12-1999
21.	दासरिया	9	26-03-1999
22.	भेरुगुड़ा	1	14-09-1998
23.	सुनारकुड़ी	3	22-01-1999
24.	कालेसरा	1	03-12-1999
25.	खेमाखेड़ा	4	19-02-2000
		235	
तहसील-देवगढ़			
1.	वीटों का बाढीया	5	20-02-99 से 24-03-1999
2.	ताल	7	10-01-1999 से 11-02-2000
3.	सालियों का खेड़ा	6	31-03-1999
4.	दौला का खेड़ा	5	23-02-2000
5.	कुबा थल	3	23-06-1999
6.	लसानी	5	12-08-1998 से 20-01-2000
7.	ईसरमण्ड	3	22-08-98 से 14-12-99
8.	चुन्दी	1	26-04-1999

	1	2	3
9.	पारड़ी	2	26-11-1999
10.	निन्जर	1	27-12-1999
11.	गुणियां	1	03-01-2000
12.	सागांवास	2	15-11-1999
13.	विजयपुरा	1	04-01-2000
14.	चेता आसन	3	14-01-2000
15.	हीरा की बस्सी	1	16-02-2000
16.	सूरजपुरा	1	20-11-1999
17.	आंजना	6	26-02-2000
18.	सोलंकिया का गुड़ा	1	11-02-2000
19.	देवपुरा	1	22-08-1999
20.	माद की बस्सी	13	31-03-1999
21.	नरदास का गुड़ा	5	14-01-2000
22.	जोगेला	1	24-01-2000
23.	मिपाला	1	01-12-1999
24.	शकरगढ़	5	18-12-1999
25.	कुन्डेली	2	06-12-1999
26.	दुदालिया	14	18-02-2000
27.	कामला	2	17-11-1999
28.	लक्ष्मीपुरा	5	13-04-1999
29.	जडसा	3	27-12-1999
30.	जवारजी का खेड़ा	1	28-03-1999
		107	

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-510 की प्रति)

परिशिष्ट-"अ"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No.R.S.E.B./Karmik/F.22(735).2061 April 24, Jaipur, 1999.

ORDER

In the meeting the WITMS held on 26.3.99, the decision, taken in its earlier meeting dated 17.8.96 regarding recruitment of Diploma Holders as Iraines Sub-Engineer and phasing out the cadre 01 J. En.-I (E&I Wing) was received and it was decided that the existing pare 1&2 of Order No. R.S.E.B./Karmik/F.72II (735)/D.3940 dated 24.10.96 be substituted by the following : –

1. "There shall be no direct recruitment to the cadre of J.En.-II (E&I wing)".

2. "(a) In addition to cadre of J.En.-II, there shall be a new cadre of Sub-Engineer in pay scale No. 7 of Rs. 5000-8000."

(b) The sub-Engineer on completion of 2 years satisfactory service shall be designated as J.En.-II and allowed the pay scale of J.En.-II. Such change of designation shall not be reated as promotion inspite of change of the pay scale.

(c) The order regarding giving designation of J.En.-II to the Sub-Engineer as per para 2(b) shall be issued by the Secretary, R.S.E.B.

This order will come into force with immediate effect. Sub-Engineers who have already completed atisfactory service for two years or more will be designated as J.En.-II from now onwards and not from retrospective date.

By order,
(G.R. Sharma)
Director of Personnel

परिशिष्ट-"ब"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Jaipur

No. R.S.E.B. : Karmik : TE : F.23(B)1:D. 454 Feb. 19, 2000

ORDER

The decision taken by the whole Time Members in the meeting, held on 26-3-99, regarding reviving the cadre of Junior Engineer-II and designating the Sub-Engineer as Junior Engineer-II, was reviewed by the whole Time Members in the meeting, held on 17-1-2000 and it was decided that the decision dated 26-3-99, circulted by order No. R.S.E.B./Karmik/F. 22(736)/D. 2061 dated 24.4.99, be with drawn.

Accordinagly, the order No. R.S.E.B./Karmik/F. 22 (736)/D. 2061 dated 24.4.99, is here by withdrawn and earlier provisions contained in Para 1 & 2. of order No. R.S.E.B./Karmik/F. 22(736)/D. 3940 dated 24.10.96 shall continue to be in force.

By order,
(G.R.Sharma)
Director Personnel

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-513 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

Statement showing the detaild in respect of the post of officers/officials abolished (April, 99 to March, 2000).

S.No.	Name of post	No. of posts abolished.
1	2	3
1.	Chief Engineer	3
2.	Director (PMU)	1
3.	Dy. Chief Engineer	2
4.	Superintending Engineer	6
5.	Executive Engineer	26
6.	Assistant Engineer	50
7.	Junior Engineer	88
8.	Accounts Officer	3
9.	Asstt. Accounts Officer	3
10.	Accountant	6
11.	Jr. Accountant	10
12.	Director (LL)	1
13.	Jt. Director Personnel	1
14.	Dy. Director Personnel	2
15.	Personnel Officer	4

1	2	3
16.	Dy. Secretary	2
17.	Assistant Secretary	4
18.	Section Officer	4
19.	Office Supdtg. Gr. I	12
20.	Office Supdtg. Gr. II	38
21.	Steno Gr. I	1
22.	Steno Gr. II	2
23.	Steno typist	4
24.	U.D.C.	415
25.	Engg. Supervisor	8
26.	Mech. I	4
27.	Mech. I (Instt.)	1
28.	Vehicle Drivers	431
29.	Head Draughtsman.	4
30.	Draughtsman-I/II	40
31.	Ferrowman	22
32.	Tracer	25
33.	Boiler Attendant	1
34.	Molder	1
35.	Masson	4
36.	Meter Testing Realay-I	170

1	2	3
37.	Meter Testing Relay-II	267
38.	Meter Testing Relay-III	79
39.	Helper-I	53
40.	Helper-II	133
41.	Elec. I	6
42.	Fitter-I	5
43.	Store Keeper	3
44.	Typist	11
45.	Ward Keeper	3
46.	L.D.C.	410
47.	Class-IV/Bill Distributor	2055
	Total	4424

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-522 की प्रति)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, दिसम्बर 30, 1996 189 (119)

290. जिले के बाहर स्थानान्तरण—(1) ऐसे कर्मचारियों के नाम जो एक जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरण चाहते हैं या जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना चाहा गया है। पंचायत समिति, जिला परिषद् यथा स्थिति द्वारा निदेशक को संसूचित किये जायेंगे।

(2) ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापन ऐसे समय पर विद्यमान रिक्त पदों के प्रति राज्य सरकार की सिफारिश पर संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार सेवा के किसी सदस्य का जिले के भीतर या उसके बाहर एक पंचायत समिति से अन्य पंचायत समिति में, एक जिला परिषद से अन्य जिला परिषद में, या पंचायत समिति से जिला परिषद में, या जिला परिषद से पंचायत समिति में कर सकेगी और इन नियमों के अधीन किये गये स्थानान्तरण के किसी आदेश के प्रवर्तन का रोक या निरस्त भी कर सकेगी संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी/विकास अधिकारी ऐसे आदेशों की पालना करेंगे।

(3) किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसकी गोपनीय पंजिका और सेवाभिलेख उस पंचायत समिति/जिला परिषद् को, जिसे उसकी सेवाऐं स्थानान्तरित की गई है, बिना परिहार्य विलम्ब के भेजे जायेंगे।

291. वरिष्ठता पर स्थानान्तरण—धारा 89 की उप-धारा (8क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जिले से बाहर किये गये किसी कर्मचारी की वरिष्ठता उस जिले की समिति द्वारा अवधारित की जायेगी जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया है : —

(i) यदि स्थानान्तरण कर्मचारी की प्रार्थना पर किया जावे तो उसकी वरिष्ठता उस संवर्ग की वरिष्ठता सूची के अन्त में नियत की जायेगी, जिससे वह सम्बन्धित है, और

(ii) यदि स्थानान्तरण प्रशासनिक या अन्य कारणों से किया जाये तो उसकी वरिष्ठता सदृश पद पर उसके निरन्तर अधिष्ठाई सेवा काल के आधार पर नियत की जायेगी।

(6) कि मैं प्रार्थी मेरे लड़के गणपत लाल की बात सुन गणपतलाल को साथ लेकर दूसरे दिन स्कूल गया तो प्रधानाध्यापकजी नहीं थे, मैंने अन्य अध्यापकों से पूछा की बच्चे ने क्या गलती की है इसे स्कूल से क्यों निकाला तो अध्यापक नानालालजी जो भीण्डर के निवासी हैं उन्होंने कहा कि इसे स्कूल से मैंने निकाला है यह बोलता ज्यादा है इसलिए मेरे स्कूल में इसे नहीं रखूंगा। कहीं ओर जगह ले जाकर भर्ती करा।

(7) कि मैं प्रार्थी दूसरे दिन फिर स्कूल गया एवं प्रधानाध्यापकजी को बच्चे को स्कूल में रख पढ़ाने का आग्रह किया एवं निवेदन किया कि छोटे बच्चे को मैं कहां भेजू। मगर प्रधानाध्यापकजी ने मुझे यह कहकर रवाना कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है पढ़ाना-लिखाना अन्य अध्यापक का काम मैं कुछ नहीं कर सकता तेरी इच्छा होवे जहां पढ़ने भेज और अगर नहीं भेज सकता तो तेरी बकरियां चरवा। तेरी इच्छा हो, जो कर लेना।

(8) कि मुझ प्रार्थी के बच्चे गणपत लाल के भविष्य का ध्यान अध्यापकों के एवं प्रधानाध्यापकजी को दिलाया एवं निवेदन किया तो अध्यापक नानालालजी से मुझे स्कूल से चले जाने को कहा। और कहा कि तेरे छोकरे के लिए मेरा दीमाग खाली मत कर। मेरी शिकायत कर देना। मेरा सम्पर्क अधिकारियों से है मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी इच्छा होवे जिस बच्चे को स्कूल में रखूं और मैं चाहूं जिसे निकाल दूं।

(9) कि मैं प्रार्थी स्कूल से बच्चे को निकालने की बात लेकर गांव के मौतबीरान सरपंच के पास भी गया। उन्होंने भी प्रधानाध्यापकजी एवं अध्यापकों से कहा मगर किसी की भी नहीं चली आखिर आठ दिन तक प्रयत्न करने पर भी गणपत लाल को स्कूल में आने पढ़ने की अनुमति नहीं दी।

(10) कि अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकजी का यह बर्ताव बच्चे की जिन्दगी एवं भविष्य को बिगाड़ सकता है। पांच वर्ष के बच्चे के साथ अन्याय किया है। पांच वर्ष के बच्चे जो पांच किलोमीटर दूर अन्य स्कूल में कैसे भेज सकता हूं। सरकार के अनुसार लोगों को साक्षर बनाने के लिये कई प्रकार

से रात्रि स्कूल चला रखे हैं। मगर इस स्कूल में पांच वर्ष के लड़के को स्कूल से निकाला है।

अतः निवेदन है कि आकोला स्कूल के प्रधानाध्यापकजी एवं अध्यापक नानालाल के खिलाफ कार्यवाही फ़रमावें एवं मुझे भी सूचित करावें एवं मेरे बच्चे गणपत लाल को प्रवेश देकर उसे पढ़ाने हेतु निर्देश देवें।

मुझे आशा है कि आप पांच वर्ष के बालक का भविष्य ध्यान रख कार्यवाही करेंगे एवं मुझे भी सूचित करेंगे। अध्यापक नानालालजी एवं प्रधानाध्यापकजी गौरी शंकरजी सवर्ण जाति के है एवं मैं प्रार्थी मीणा जाति का अनुसूचित जनजाति का हूं। अतः मेरे साथ एवं मेरे बच्चे गणपत लाल के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया है जिसकी कार्यवाही फरमावें।

प्रार्थी
(भैरूलाल)

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-529 की सूचना)

परिशिष्ट-क

सीकर, झुन्झूनूं व नवलगढ़ में आयोजित शेखावाटी मेला-2000 के आयोजक व व्यय की गई राशि आदि का विवरण

1. सीकर

जिला उद्योग केन्द्र, सीकर के तत्वावधान में 10-17 मार्च, 2000 तक शेखावाटी मेला-2000 का आयोजन किया गया। इस मेले के लिये आर्थिक सहयोग एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है : —

क्र.सं.	संस्था	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	50000.00	दिनांक 13-4-2000
2.	स्टॉल आवंटन एवं विज्ञापन द्वारा	230750.00	तक रु. 192017.00
	प्राप्त राशि		व्यय।

मेले में उपयुक्त संस्थाओं के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में प्रिया, दिल्ली, लायन्स क्लब, सीकर तथा सरकारी उपक्रमों के रूप में कृषि, वन, डेयरी विभाग तथा नाबार्ड बैंक के सौजन्य से कार्यशाला आयोजित की गई। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर, उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला, आकाशवाणी, जयपुर, वीणा केसेट्स, जयपुर, रूद्रा रायल टी कम्पनी, गंगानगर के सौजन्य से सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई।

2. नवलगढ़

एम. आर. मोरारका जी.डी.सी. ग्रामीण रिसर्च फाउन्डेशन, नवलगढ़ द्वारा दिनांक 11-12 फरवरी, 2000 शेखावाटी उत्सव-2000 का आयोजन किया गया है। उक्त संस्था द्वारा इस आयोजन पर रु. 395000.00 की राशि व्यय की गई है। अन्य किसी संस्था अथवा राजकोष से इस उत्सव पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

3. झुन्झुनूं

जिला उद्योग केन्द्र, झुन्झुनूं द्वारा युवा सद्भावना समिति, पिलानी के सहयोग से 23-27 मार्च, 2000 तक शेखावाटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेला-2000 का आयोजन किया गया है। इस मेले में व्यय की गई राशि व भाग लेने वाली संस्थाओं संबंधी विवरण निम्न प्रकार हैं : —

क्र.सं.	संस्था का नाम	प्राप्त राशि	राशि जो प्राप्त होनी है	व्यय
1.	पेप्सी कम्पनी	25000.00	—	युवा सदभावना
2.	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं	21050.00	—	समिति, पिलानी
3.	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान,	30000.00	—	द्वारा मेले पर खर्च
	जयपुर।	—		हुई राशि के अब तक
4.	बैंक आफ बड़ौदा	15000.00	—	प्रस्तुत बिलों की
5.	नगरपालिका, झुन्झुनूं	—	5000.00	राशि रु. 158793.00
6.	अन्य औद्योगिक संस्थान	2100.00	2100.00	है, जिसके विरुद्ध
7.	स्टॉल्स बुकिंग एवं विज्ञापनों	—		अब तक रुपये 15638.00
	से प्राप्त आय	132901.00		के बिल पारित किये
				गये हैं।
	योग : —	226051.00	7100.00	